राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या : 22

सोमवार;

1 मई, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

पंचायत समिति, भीण्डर में ग्रुप सचिवों के रिक्त पद

595. **श्री गुलाब सिंह शक्तावत** (बल्लभनगर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, भीण्डर (उदयपुर) में कितनी पंचायतें हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायतों में विकास कार्य यथाः जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, आश्वासित रोजगार योजना के कार्यों को सही ढंग से कराने हेतु ग्रुप सचिवों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदों पर ग्रुप सचिव पदस्थापित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार विकास कार्यों एवं अन्य जिम्मेदारियों के ठीक ढंग से निर्वहन हेतु निर्धारित मानदण्ड के आधार पर ग्रुप सचिवों के पद स्वीकृत कर पदस्थापन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : अध्यक्ष महोदय, (1) पंचायत समिति, भीण्डर में 52 ग्राम पंचायतें हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पंचायत समिति, भीण्डर (उदयपुर) में ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों एवं रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है :—

स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
28	20	8

(3) ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद विभागीय पैटर्न के अनुसार स्वीकृत हैं। वर्ष 1994-95 हेतु ग्राम सेवकों के 1248 पद राज्य सरकार ने स्वीकृत किये हैं। रिक्त पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश निरस्त (वैकेट) होते ही भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूचा के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग तीन में इन्होंने विभागीय पैटर्न के अनुसार स्वीकृत पद बनाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि

(2.)

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

विभागीय पैटर्न क्या है ? उसका आधार जनसंख्या है या वर्कलोड है ? नम्बर एक। नम्बर दो, यह पद कब से रिक्त हैं और इन रिक्त पदों का काम किसके जिम्मे है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया यह राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि चार हजार या इससे अधिक की ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सचिव रखा जायेगा और चार हजार से कम जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या है उस पर दो पंचायतों पर एक सचिव रखा जायेगा। उसके आधार पर अभी की वर्तमान स्थिति, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूंगा। कुल सृजित पद 5193 हैं और इस वक्त कार्यरत 3539 ग्राम सेवक हैं, 1654 पद रिक्त हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, आपने फरमाया कि ...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्लीज आप बाद में पूछ लेना। मैंने पूछा यह भीण्डर पंचायत समिति में पद कब से रिक्त हैं और उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 28 ग्राम सेवक के सैंक्शंड पद हैं जिन पर 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 8 पद रिक्त हैं। इनको भरने के लिए भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी। विभिन्न विभागों से जो हमारे पास कर्मचारी सरप्लस आये थे उनकी लिस्टें भी हमने सम्बन्धित जिलों में भेज दी थी। लेकिन उसके बाद कुछ रिट्स तो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बैंच में हुई, कुछ रिट्स जोधपुर बैंच में पेश हुई। उस पर राज्य सरकार ने तत्परता के आधार पर जयपुर बैंच की जो रिट्स हैं उसमें स्टे वैकेट करवाया और जोधपुर में जो रिट चल रही हैं उसके अन्दर जो स्टे आर्डर है उसको भी राज्य सरकार तत्परता से वैकेट कराने के लिए प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यह पद ही राजस्थान हाई कोर्ट का स्थगन आदेश वैकेट होगा तत्काल उसको भरने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी और जल्दी से जल्दी इन पदों को भर दिया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, हाई कोर्ट का स्टे सिर्फ आपने जो प्रोसिजर अपनाया, उसका है।

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, साहब।

श्री हरजीराम बुरड़क : हाई कोर्ट का यह स्टे नहीं है कि आप पद न भरें। हाई कोर्ट का यह स्टे है कि आपने पहले पुराने टाइम में जो ग्रुप सचिवों को प्रतिनिधित्व दिया था पोस्टों को भरने में, इस बार आपने उनको छोड़ दिया और दूसरे जो बिना अनुभव के आदमी थे उनको आप भर रहे थे तब वह हाई कोर्ट में गये। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो प्रोसिजर अपनाया है उस पर स्टे है, न कि पोस्टें भरने के लिए। इसलिए आप हाउस को गुमराह नहीं करें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एन्टायर प्रोसेस को ही स्टे कर दिया

(श्री अनंग कुमार जैन,)

है। इसीलिए मैं चार लाइन उसकी जो हैं उनको पढ़कर सुना देता हूं—

"At Jaipur Bench, an undertaking was given by the panel lawyer appearing on behalf of the Department that in the meanwhile, no steps for filling-up the posts of Gram Sevaks shall be taken..... In view of this undertaking, the State is directed not to fill-up these posts until further orders."

तो बिलकुल स्पेसिफिक आर्डर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टिल फर्दर आर्डर्स इन पदों को नहीं भरा जा सकता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो वैकेट हो गया। माननीय मन्त्री महोदय, अभी आपने फरमाया कि जयपुर हाई कोर्ट की बैंच का तो वैकेट हो गया है फिर जोधपुर हाई कोर्ट का वैकेट न होने तक जो ग्राम सेवक कम हैं क्या सरकार वहां पर सहायक सचिव रखने का अधिकार देना चाहती है या नहीं ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ज्यादा समय इसके वैकेट होने में हो तो राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी निश्चित रूप से विचार कर रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सिगल कोष एरियाज, फसली एरियाज के अन्दर पटवारियों के पास कोई काम नहीं है, बीगोड़ी वसूली तो खत्म हो गयी है। क्यों नहीं, आप पटवारियों को हमारी पंचायतें जो खाली पड़ी हैं, 5-5 पंचायतों पर एक एक ग्राम सेवक लगा हुआ है, इन पटवारियों को लगा दीजिये उनके स्थान पर।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय खेत सिंह जी साहब ने सुझाव दिया है उस पर भी राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और उनमें वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से करने के लिए राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

राज्य में चुंगी दर नीति

596. श्री मोमराज भाटी (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की नगर परिषदों, नगर निगम व नगर पालिकाओं में चुंगी की दर निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार विभिन्न निकायों में चुंगी समाप्त करने या चुंगी की दरों में एकरूपता लाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद पाली में चुंगी की दरें अन्य नगर परिषदों व नगर निगमों की तुलना में अत्यधिक निर्धारित की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? जोधपुर सम्भाग में सभी वस्तुओं पर लागू समस्त निकायों की चुंगी की दरों की सूची व वार्षिक आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज भाटी)

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम में चुंगी की दरें पाली नगर परिषद की तुलना में कम हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार की चुंगी दर वृद्धि एवं चुंगी दर घटाने सम्बन्धी कोई स्थायी नीति बनी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं चुंगी वृद्धि/घटाने का अधिकार किसके पास है ?

(6) क्या नगर परिषद, पाली के किन्हीं मदों पर चुंगी कम करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से एवं इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में चुंगी की दरें पृथक्-पृथक् रूप से निर्धारित की जाती हैं। यह निर्धारण धारा 104 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के अनुरूप नगरपालिका मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है तथा इसकी अधिसूचना राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। चुंगी की दरें दो आधारों पर निर्धारित हो सकती हैं (I) तोल के आधार पर, (II) प्रतिशत के आधार पर। नगरपालिका मण्डल अपनी अभिशंषा करने के लिए स्वतन्त्र है।

(2) चुंगी की दरों में राज्य सरकार एकरूपता लाने का मानस रखती है जिसके लिए विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रेषित करेगी जिसके पश्चात् इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(3) पाली नगर परिषद की चुंगी की दरें अन्य नगर परिषदों व नगर निगमों की तुलना में कई मदों में समकक्ष एवं कई मदों में कम एवं कई मदों में ज्यादा भी है। चुंगी दरों की अभिशंषा नगरपालिका मण्डल के प्रस्तावों के अनुरूप ही की गयी है। जोधपुर सम्भाग में आने वाले नगर निगम/परिषद एवं पालिकाओं से प्राप्त चुंगी की दरों की सूची व वार्षिक आय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। जोधपुर नगर निगम की नगर परिषद पाली की तुलना में चुंगी की दरें कुछ मदों में कम, कुछ में समकक्ष तथा कुछ में ज्यादा भी हैं। जोधपुर नगर निगम की दरों के सम्बन्ध में निर्णय नगर निगम द्वारा लिया जाता है तथा वर्तमान में नगर निगम जोधपुर की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि वहां की चुंगी दरें कम हैं।

(5) जी नहीं। नगर परिषद अपनी स्थानीय व्यापार/परिस्थितियों के आधार पर चुंगी कर में कमी या वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा परीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार संशोधन कर चुंगी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(6) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नगर परिषद पाली द्वारा नहीं भिजवाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो चुंगी समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था लेकिन हालत यह है कि 40-50 किलोमीटर की दूरी में ही जो नगर परिषदें और नगरपालिकाएं स्थित हैं उनमें अलग-अलग नगरपालिकाएं और नगर परिषदों में अलग अलग दर है। वह दर कम ज्यादा होने की वजह से आजू-बाजू की मण्डियों में व्यापार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पाली के पास में जोधपुर बड़ी मण्डी पड़ती है, जोधपुर के अलावा सुमेरपुर बड़ी मण्डी पड़ती है, ब्यावर बड़ी मण्डी पड़ती है। जो ये आपने मेरे को जवाब दिया है, उसके अनुसार जोधपुर में जिस चीज की चुंगी तोल पर है, उसी चीज की चुंगी पाली में प्रतिशत पर है, कीमत के आधार पर निर्धारित है। तो इस चुंगी चोरी के मामले में क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, बतायेंगे कि नगर परिषद के ये जो पार्षद हैं चुनिन्दा, वह नगर परिषद् के पार्षद चैक पोस्टों पर जाकर चुंगी चौकियों में और ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों में जाकर और विभिन्न व्यापार संस्थानों में जाकर क्या यह स्वयं चैक कर सकते हैं क्या? और अगर चैक कर सकते हैं तो इनको किस नियम के तहत ये अधिकार हैं और अगर इनको अधिकार नहीं हैं तो क्या राज्य सरकार इनको पाबन्द करेगी कि मेहरबानी करके आप तो इन्सपेक्टरों का काम मत कीजिये, आप तो जनता के चुनिन्दा प्रतिनिधि हैं।

दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि पाली के नगर पार्षदों द्वारा पिछली बार अति उत्साह में चैक पोस्टों पर जाकर, ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों में जाकर कई चुंगी चोरी के मामले पकड़े हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे चुंगी चोरी के कितने मामले पकड़े गये हैं। ऐसे मामलों में नगर परिषद् की आय में कितनी वृद्धि हुई और ऐसे कितने मामलों में इन्होंने चुंगी वसूल कर ली है और उसकी पेनल्टी वसूल कर ली? म्यूनिसिपेलिटी को कितनी आय हुई? मेरा तीसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से यह है कि इस तरह की चुंगी चोरी पकड़ने में, हो क्या रहा है? हमारे यहां कि मेम्बर रात को जाते हैं, रात भर वहां चैक पोस्टों पर रहते हैं। दिन में ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों में घूमते रहते हैं। चुंगी चोरी के मामले पकड़ते हैं। पकड़कर वहीं कुछ न कुछ ले देकर के सैटलमेण्ट कर देते हैं तो क्या इस तरह की चुंगी चोरी पकड़ने के बाद, चुंगी चोरी पकड़ ली, पकड़ के डॉक्यूमेण्ट इनके हाथ में आ गये तो क्या नगर परिषद् के सभापति या नगर परिषद् के पार्षद, या जो भी उनके साथ जा रहा हो तो क्या उन डॉक्यूमेण्ट के आधार पर खुद आपस में ही सेटलमेण्ट करने के लिये वे आथोराइज्ड हैं क्या? कानूनी रूप में भी आथोराइज्ड हैं क्या और गैर-कानूनी रूप में भी आथोराइज्ड हैं क्या? क्यों माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो पाइण्टेडली पूछा जाय। इतना लम्बा कर रहे हैं इसको इसमें (व्यवधान) आये ही नहीं कहीं ...

श्री भीमराज भाटी : नहीं, स्पेसिफिक सवाल है श्रीमान्। चुंगी चोरी का मामला

(श्री भीमराज भाटी)

चुंगी चोरी में पकड़े गये उनका घर में ही बैठकर आपस में सेटलमेण्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री भीमराज भाटी : तो क्या सेटलमेण्ट का अधिकार चुनिन्दा बोर्ड को है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने कहा कि नगर पालिका के मेम्बर जाकर वसूल करते हैं और क्या करते हैं, यह तो मेरे पास जानकारी नहीं है। न आपके प्रश्न में यह बात आयी थी। जहां तक चुंगी की दरों का सवाल है, यदि आप यह अनुभव करते हैं कि आपके यहां चुंगी की ज्यादा दरें हैं तो नगर परिषद यदि हमारे पास प्रस्ताव भेजती है कि ये-ये दरें होनी चाहिएं तो राज्य सरकार को उनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह विषय आपका ही है। यह इनकम जो भी चुंगी से होती है उस नगर परिषद की होती है। तो नगर परिषद यह देखती है कि हमारे व्यापार के हिसाब से, हमारे विकास के लिए, जो भी हमको रेट्स तय करनी चाहिए, यह विषय उनका रहता है। यदि कोई प्रस्ताव आप लायेंगे, मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि नगर परिषद का जो चुंगी की दरों का प्रस्ताव आप ला देते हैं, सरकार उसे स्वीकार करेगी।

श्री भीमराज भाटी : मेरा स्पेसिफिक सवाल है अध्यक्ष महोदय, कि चुंगी में विसंगतियां हैं। इसलिए चुंगी में चोरी हो रही है और चुंगी चोरी के लिए, चेकिंग करने के लिए चुनिन्दा पार्षद अधिकृत हैं क्या ? और अधिकृत नहीं हैं तो क्या इस तरह से जो चेकिंग चल रही है उससे हमारे यहां शहर में वातावरण बड़ा गड़बड़ हो रखा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : वहां सामान मिलने में बड़ी मुसिबत होती है। इसलिए अगर अधिकृत नहीं हैं तो क्या राज्य सरकार यहां से यह निर्देश जारी करेगी कि आप लोग अधिकृत नहीं हैं। अधिकृत जो आफिसर्स हैं वे इस बात की चेकिंग करें और आप वहां रात काली न करें। पिछली बार भी ऐसा हुआ था अध्यक्ष महोदय, कि एक पार्षद को ट्रक वाला उठाकर ले गया। अपनी बगल में दबाकर उसको ट्रक वाला उठाकर ले गया तो एक तो यह कि क्या वे आथोराइज हैं और आथोराइज नहीं हैं तो आप रोक लगाइये उसके ऊपर, दूसरा....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये ।

श्री भीमराज भाटी : चुंगी चोरी के कितने मामले पकड़े गये, उससे नगर परिषद को क्या आय हुई और आय हुई तो क्या सेटलमेण्ट के अधिकार भी बोर्ड को हैं क्या ? चुंगी के प्रस्ताव कैंसिल करने का तो है, सेटलमेण्ट का भी अधिकार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने यह कहा कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पार्षद जाकर के गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं तो ऐसा कोई विषय तो मेरे सामने हैं. नहीं....

श्री भीमराज भाटी : गड़बड़ नहीं करते हैं, वे चेकिंग करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह इस प्रश्न का भाग तो है नहीं, कोई अनधिकृत कार्य करते हैं, यदि कोई .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : जन प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं ...

श्री भीमराज भाटी : नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपने यही तो कहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजें।

श्री भीमराज भाटी : मैं नहीं लगा रहा हूं। मैं जन प्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजें। काफी प्रश्न लेने हैं विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : यही तो मैं कह रहा हूं। आरोप तो आप स्वयं कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कोई सच्ची घटना तो बतायें कि ऐसे कोई घटना हुई है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजें आप (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जनता से चुने हुए हैं . (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : यही मैं कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : कोई कमेटी बनी हुई है .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो आने दीजिये आप....

श्री भीमराज भाटी : मैं यही कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : कमेटी के सदस्य हैं, . (व्यवधान) जांच कर सकते हैं।

श्री भीमराज भाटी : मैं यही कह रहा हूं (व्यवधान) मैं तो उल्टा कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यदि वह जांच करने का अधिकार चुंगी समिति के सदस्य को है और उन पर इस तरह आरोप लगाया है कि ट्रक वाला उनको ले गया। कैसे ट्रक वाला उनको ले गया ....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उसकी एफ. आई. आर. लाज होनी चाहिए थी। कोई तथ्यात्मक बात सदन में रखनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : तथ्यों की बात मैं कह रहा हूं (व्यवधान) वह हकीकत है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बिना तथ्यों की बात सदन में नहीं रखनी चाहिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये ।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेण्ट्री नहीं, बहस शुरू हो गया है (व्यवधान) सप्लीमेण्ट्री वालों का क्या हुआ ?

श्री भीमराज भाटी : मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया (व्यवधान) या मैं यह नहीं कह रहा हूं कि.... (व्यवधान)

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) म्यूनिसिपैलिटी की चौकियां ठेकेदारों को ठेके पर दे दी गयीं और अब नगरपालिकाएं प्रस्ताव पास कर दर कम ज्यादा करना चाहें तो क्या सरकार कर सकती है, ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का खुलासा करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी, बिराजिये आप । पहले इनका (व्यवधान) ...

श्री भीमराज भाटी : मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है । यह रोजमर्रा की घटना है (व्यवधान) ...

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा की थी कि चुंगी चौकी खत्म की जायेगी क्या खत्म करने का विचार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मैं आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । उन्होंने चेकिंग की, चेकिंग से नगरपरिषद् की आय बढ़ी है । मैं यह कह रहा हूं कि नगर परिषद् की आय बढ़ी है । नगर परिषद् की कितनी आय बढ़ी और यह जो सेटलमेण्ट है, जो चोरियां पकड़ी गयीं उन चोरियों के पकड़े जाने के सेटलमेण्ट का अधिकार भी क्या चुनिन्दा बोर्ड को है क्या ? मैं यह पूछ रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री भीमराज भाटी : कि वह गड़बड़ी कर रहा है या कोई पार्षद गड़बड़ कर रहा है । पार्षद तो अच्छा काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । और क्या बाकी रह गया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई समस्या नहीं है । आपके प्रश्न से मुझे यह समझ में आ रहा है कि जो चुनी हुई नगर पालिका है आपकी, उसके माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि नगर पालिका की चुंगी चोरी है, वह रोकी जाये । उसमें वृद्धि हो । इसमें लोग लगे हुए हैं तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और जिसको यह चुंगी चोरी रोकने का अधिकार है वह अधिकार साथ रहता है । उसकी मदद के लिए सदस्य अगर जाते हैं और चुंगी वसूल हो रही है । जैसा आप खुद कहते हैं चुंगी अच्छी वसूल हुई है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । फिर भी आप यह समझते हैं कि कोई अनधिकृत ढंग से काम कर रहा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है तो कोई ऐसा विषय आयेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी, वह करेंगे। इसमें कहां दिक्कत की बात है ?

श्री भीमराज भाटी : नहीं, नहीं उससे यह प्रश्न खड़ा हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। हो गया प्रश्न आपका।

श्री भीमराज भाटी : चुंगी चोरी रोकने के मकसद से वहां पर जाते हैं। चुंगी चोरी पकड़ी जाती है ..

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : व्यापारियों में और ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में, जो परम्परा से चोरियां कर रहे थे, उनमें एक दहशत फैल गयीं। उस दहशत की वजह से बाजार में सामान नहीं आ पाता। बाजार में जब हम लोग निकलते हैं तब हमको लोग कहते हैं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय, यह आपके प्रश्न का भाग नहीं है। आप बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : मैं प्रश्न का ही भाग बता रहा हूं, अधिकृत हैं कि नहीं हैं, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। इसमें कहीं नहीं है ऐसा।

श्री भीमराज भाटी : अधिकृत नहीं हैं तो किस वजह से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और सेटलमेण्ट के लिए भी अधिकृत हैं क्या, ताकि हम वहां पर कह सकें।

श्री अध्यक्ष : धारीवालजी। बिराजिये, माननीय अब आप बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : नहीं मुझे जवाब (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पर 20 मिनट मैं नहीं लगाने दूंगा। बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं, दो ही प्रश्नों .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका यह प्रश्न नहीं है।

श्री भीमराज भाटी : दो ही प्रश्नों का जवाब चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये आप। यह आपके प्रश्न का भाग भी नहीं है।

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न का ही भाग है यह तो। चुंगी में विसंगतियां हैं, इसका।

श्री अध्यक्ष : पाइण्टेडली कोई बात पूछनी है, धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, चुंगी की में एकरूपता की बाबत बात अभी मंत्री महोदय ने कही। मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से किन-किन व्यक्तियों की तो आपने कमेटी बनायी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है। वे चुंगी के बाबत एक्सपर्ट हैं कि नहीं और क्या गाइड-लाइन आपने उनको दी है ? कब तक काम सौंपा है कि यह इसकी एकरूपता की बात अपनी रिपोर्ट में आपको पेश कर देंगे। चुंगी की एकरूपता की बाबत, आपकी पूरी जानकारी है कि कहीं तौल से, कहीं प्रतिशत से, कहीं मूल्य से और उसकी वजह से हर नगरपालिका को चाहे वह निगम हो, चाहे परिषद हो आज हानि उठानी पड़ रही है तो इसलिए इसकी एकरूपता को क्या सरकार गम्भीरता से लेते हुए इस कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी मंगवाकर के फैसला करेगी।

श्री अध्यक्ष : अब आपने तो कह दी थी अपनी बात, रामस्वरूपजी। हां तो, आपने कह ही दी थी कि आप क्या कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं तो यही कह रहा हूं चुंगी समाप्त करने के लिए (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : हां, हां चुंगी समाप्ति की घोषणा के लिए क्या कर रहे हैं ? आपने पूछ लिया, बिराजिये। आप।

श्री रामस्वरूप : यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। क्या हो गया है आपको ? यह जोधपुर का प्रश्न नहीं है बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा वाले सदस्य आकर जोधपुर के बारे में बोल सकते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जोधपुर का नहीं है, पाली का है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर और पाली में क्या अन्तर है ? यह क्या बात हो गयी।

श्री अध्यक्ष : आप जोर से बोलकर के इस तरह से प्रेशर न करें बिराजिये आप। (व्यवधान) यह पाली का है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जोर से नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हमारी बात तो सुनिये आप। यह क्या बात हो गयी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर सम्भाग से हैं (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हम बड़ी नम्रता से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुनिये तो सही।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर सम्भाग में है, जोधपुर सम्भाग के बारे में प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर सम्भाग एक है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । जोधपुर सम्भाग, पाली भी आ गया क्या उसमें, विराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं, जोधपुर सम्भाग से वहां तक पहुंच जायेगा आपका प्रश्न ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा-सा सवाल है पाली (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरा दो मिनट का सवाल है ...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में ही तो है गड़बड़। दो मिनट में तो एक और पूरा होता है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं एक मिनट में ही खत्म कर दूंगी। आप बोलने तो दें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एकरूपता की कमेटी की बाबत।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चुंगी की दरें समान हों उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। उसमें हमारे फाइनेंस सेकेट्री साहब हैं, डायरेक्टर लोकल बोडीज हैं और फाइनेंस के एक अधिकारी और हैं। इसका गठन 28-11-94 को किया गया था। इसकी जो बैठकें हुई हैं, एक हुई है 12-12-94 को, उसके बाद 5-1-95, तीसरी 19-1-95 फिर 17-2-95, फिर 2-3-95। ये मीटिंग्स हुई हैं। उसमें उन्होंने पंजाब, हरियाणा, गुजरात इनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन करके क्या समान दरें हो सकती हैं, हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि गठन के बाद 5-6 मीटिंग्स हुई हैं। इसका अर्थ यही है कि समिति काफी जल्दी ही काम को निपटाना चाहती है और हम भी यह कोशिश करेंगे कि इसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाये ताकि राजस्थान में जो विसंगतियां हैं, यह हमको भी लग रहा है कि विसंगति दूर हो, तो सरकार जल्दी ही इस मामले में कोई निर्णय करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय, विराजिये आप। इतना इम्पोर्टेंट मेटर नहीं है आपका, बिराजिये। यहां दूसरों के प्रश्न भी आने दीजिये। माननीया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बात अच्छी नहीं लगे तो आप नोटिंग मत करना। मैं यह बात पूछना चाहती हूं कि पाली से जो माननीय सदस्य आए हैं, उन्होंने यह कहा है कि चुंगी चौकियों के ऊपर मैम्बर गये हैं तो आप चुंगी चौकी तो बतायें कि कौनसी चुंगी चौकी पर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आपका प्रश्न हो गया।...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह महत्वपूर्ण बात है अध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि चौकियों पर गये, आप एक दो नाम बतायें तो सही...

श्री अध्यक्ष : माननीया, आप उनको समझा देना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप... (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही विद्वान हैं। मैं कम विद्वान हूं। आप दोनों एक-दूसरे से बात कर लेना, बिराजिये। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं आया। मैं माननीय ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ गया, बिराजिये। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री भीमराज भाटी : अब यह तो जवाब ही नहीं है, अगर अधिकृत है या नहीं है.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : जो मंत्रीजी के पास अवेलेबल सूचना थी वह दे दी, आप बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : सप्लीमेंट्री का अधिकार है या नहीं है अगर नीति सम्बन्धी बात का भी जवाब नहीं मिलेगा तो क्या फायदा...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप और किसी माध्यम से उठा लेना, बिराजिये आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया।

यातायात चैक पोस्टों पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी

597. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत दो वर्षों में विभाग के किस-किस श्रेणी के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये ? अधिकारी/कर्मचारी के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में यातायात चैक पोस्ट से किस-किस कर्मचारी/अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया तथा किस-किसको पदस्थापित किया गया एवं प्रत्येक कितने-कितने समय वहां रहा ? अवधि, नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या विभाग ने उक्त स्थानान्तरणों में नीति की पालना की ? यदि नही, तो क्यों ? स्थानान्तरण नीति की प्रति तथा स्थानान्तरणों में इस नीति की कहां तक पालना हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त स्थानान्तरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण नीति का पालन नहीं किये जाने के लिये सरकार

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

किसी को दोषी नहीं मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने तथा भविष्य में स्थानान्तरण नीति का पालन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार) : (1) विभाग द्वारा गत दो वर्षों में किये गये स्थानान्तरण की सूचना परिशिष्ट "अ" पर है ।

(2) चैक पोस्टों पर किये गये स्थानान्तरण की सूचना परिशिष्ट "ब" पर है ।

(3) विभाग द्वारा किये गये स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 28-6-1990 में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किये गये हैं । राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति की प्रति परिशिष्ट "स" पर है ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूचना व अन्य विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये ।)

एक माननीय सदस्य : अब तो चैक पोस्ट खत्म कर दी ।

श्री रोहिताश्व कुमार : चैक पोस्ट ही खत्म कर दी अब क्या रह गया ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, चैक पोस्ट खत्म होने का विषय नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न को लगते ही खत्म कर दिया है ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, आप कहें तो मंत्रीजी से प्रश्न नहीं पूछूं ।

श्री रोहिताश्व कुमार : पूछों-पूछों ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं जवाब से सन्तुष्ट हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दे, बोलने दें । बिराजिये । श्री बनवारीलाल शर्मा ।

ग्रोथ सेण्टर, धौलपुर हेतु अवाप्त भूमि प्रकरण

598. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर ग्रोथ सेण्टर के लिये अवाप्त भूमि में भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 1 बीघा, 18 बिस्वा ग्राम मसूदपुर, तहसील धौलपुर को अवाप्त नहीं किया गया, जबकि इस भूमि के चारों तरफ की भूमि को अवाप्त कर लिया गया है ?

(2) यदि भूमि खसरा नम्बर 85 को अवाप्त नहीं किया गया तो उसको अवाप्त न करने के कारण क्या रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 85 के खातेदार काश्तकार बेदरिया राम ने उक्त भूमि को बेचने की पेशकश की थी तथा उसकी मुआवजा राशि 65,5000–रुपये तय कर दी गयी थी ।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

(4) क्या यह भी सही है कि बेदरिया राम कोली अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होने के कारण उप सचिव उद्योग (ग्रु-प–1) विभाग राजस्थान से बयनामा पंजीयन की छूट के लिए अनुमति चाही गयी थी, जो प्रदान नहीं की गयी ?

(5) यदि उक्त खसरा नम्बर-85, ग्राम मसूदपुर की भूमि ग्रोथ सेण्टर, धौलपुर हेतु अवाप्त नहीं की गयी तो क्या अब उक्त नम्बर को ग्रोथ सेण्टर हेतु अवाप्त करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंगकुमार जैन) :-(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम मसूदपुर की खसरा नम्बर 85 की एक बीघा 18 बिस्वा भूमि अवाप्त नहीं की गयी है। यह भूमि धौलपुर ग्रोथ सेण्टर के मध्य में स्थित है।

(2) खसरा नम्बर 85 खसरा नक्शा में स्पष्ट न दिखाई देने के कारण त्रुटिवश अवाप्ति प्रस्ताव में शामिल करने से छूट गया था।

(3) भूमि के खातेदार श्री बेदरिया पुत्र खुशहाल से इस भूमि का रीको को विक्रय करने की पेशकश की थी। रीको भी इसे खरीदने को सहमत था किन्तु हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 "क" के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो सका।

(4) जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 "क" के प्रावधानों में छूट देकर पंजीयन करने की अनुमति प्रदान करने का एक प्रस्ताव किया गया था, लेकिन नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं होने के कारण यह अनुमति प्रदान नहीं की जा सकी है।

(5) जी हां, रीको इस भूमि को लेने को इच्छुक है तथा रीको द्वारा इस भूमि को अवाप्त करने के प्रस्ताव दिनांक 21-4-1995 को उद्योग विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं, जिसके अनुसरण में अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह त्रुटिवश अवाप्ति का मामला नहीं है। जानबूझकर इस काश्तकार को परेशान करने की दृष्टि से इसको अवाप्त नहीं किया गया वरना आप अन्दाजा लगाइये कि जब बीच में यह खसरा नम्बर है और करीब 40-50 आदमियों की जमीन को अवाप्त किया गया है तो क्या कारण था कि इसको नहीं किया गया ? और यह त्रुटि, अवाप्ति का मामला राज्य सरकार के ध्यान में कब आया ?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि रीको स्वयं भी इस बात में बहुत अधिक रूचि रखती है कि यह खसरा नम्बर जो छूट गया है, इसको हम एक्वायर करें। उसका कारण यह है कि इसमें किसी का कोई इण्ट्रेस्ट नहीं था कि इसको जानबूझकर छोड़ा गया क्योंकि स्वयं मैंने भी कोई बात छिपायी नहीं। मैंने स्वयं ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि यह भूमि अवाप्त की गयी भूमि के मध्य में है। अब हमने आसपास

(श्री अनंगकुमार जैन)

की सारी जमीन एक्वायर कर ली। यह नम्बर रहने से हमको स्वयं को हमारे ग्रोथ सेण्टर को डवलप करने में दिक्कत आ रही है इसलिए रीको लगातार प्रयासरत है। रीको और बेदरिया राम के बीच एक अंडरस्टेंडिंग हुई आपस में बातचीत के जरिये कि इस जमीन को खरीद लिया जाये लेकिन चूंकि यह काश्तकार अनुसूचित जाति का है। अब आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्दर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को सेल, मोर्टगेज या अदरवाइज ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उस दृष्टि से भी प्रयास किये गए हैं। वहां के विभाग स यह प्रस्ताव रेवेन्यू विभाग को भी भेजा गया है कि इसमें छूट प्रदान कर दी जाये लेकिन चूंकि राजस्थान टीनेंसी एक्ट में मेंडेटरी प्रोविजन है इसलिए इसके अन्दर राजस्व विभाग छूट देने के लिए सक्षम नहीं था। उसके बाद यह तय किया गया कि यह व्यक्ति इस लैंड को सरेण्डर कर दे और रीको जो अमाउण्ट सैटल्ड है, वह अमाउण्ट उस व्यक्ति को दे दे। तो उसके बारे में जब जिलाधीश को कहा गया तो जिलाधीश ने यह सूचित किया कि चूंकि यह व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और सरेण्डर करने के बाद पेमेंट होता है और रीको चूंकि एक सरकारी संस्था है, वह भी कुछ नियमों से बंधी हुई है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में रीको शत-प्रतिशत इस जमीन को अवाप्त करना चाहती है, उसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह जमीन अवाप्त हो, उस काश्तकार को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शीघ्रता से की जायेगी और उसमें उसको जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सिर्फ एक प्रश्न। इसमें मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इसमें कितना समय लगेगा और जो समय लगा है, इस काश्तकार का जो 65,500 रुपये का मुआवजा तय कर दिया गया है तो इतने दिनों का जो ब्याज का नुकसान हुआ है क्या सरकार उस ब्याज सहित मुआवजा देगी ?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार उसको निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर रीको इस कार्यवाही को करेगी। मैं स्वयं अपनी ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसका मैंने स्वीकार किया है कि यह स्थिति बनी और इसलिए कई अल्टरनेटिव सजेस्ट किए गए कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल जाये लेकिन फोर्चुनेटली ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री माधवसिंह दीवान। श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : ठीक है।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति बनी। उस अल्टर-

(श्री अनंगकुमार जैन)

नेटिव को यूटिलाइज नहीं किया जा सका। मैं आश्वस्त करता हूं कि इसमें मुआवजा दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

प्रश्न संख्या–599

श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भीखा भाई।

जिला डूंगरपुर की विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

600. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला डूंगरपुर की कितनी सिंचाई परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन योजनाओं में अमरपुरा, कोडियागुणा (मेवाऊ) एवं माही उप नहर शामिल हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन योजनाओं पर सिंचाई विभाग द्वारा काम नहीं चलाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) कोई नहीं।

(2) प्रश्न के भाग–1 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई सूचना अपेक्षित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, खण्ड–1 का जो उत्तर दिया है, वह उत्तर + + +वेग, फिक्टीसियस है। इसलिए फिर कह रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी को परसों, शुक्रवार के दिन हमारे जिले की तरफ से तीनों विधायकों ने पुरजोर शब्दों में यह कहा था जो-जो स्कीम्स हैं, वे स्कीम्स आप मंजूर क्यों नहीं करते हैं और मंत्रीजी को मालूम है लेकिन अफसोस इस बात का है कि मंत्रीजी ने एक बाबू के लिखे हुए उत्तर को पढ़ा। जबकि परसों यहां बिराजे हुए थे और उस वक्त मैं पहला वक्ता था और मैंने कहा था कि यह हमारी मेवाड़ा स्कीम मंजूर नहीं हुई है। मैंने यह भी कहा था कि मेवाड़ा स्कीम मंजूर हुई है लेकिन उसके अन्दर काम थोड़ा शुरू हुआ है। लेकिन जो स्कीम है अमरपुरा, अमरपुरा अभी तक सात साल से स्वीकृत नहीं हुई और आपने कहा था कि हम जर्मन कनेडियन हैल्प से उसको मदद कर रहे हैं तो आप बताइये कि उत्तर सही है या वह सही है, दोनों में कौनसा सही है ? या तो हमारी बात सही है या हमारे विधायक साथी शंकरलालजी और हमने सबने मिल कर पूछा था, वह बातकही थी ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीखा भाई : दूसरी मैं यह बात निवेदन करना चाहता था कि क्या दूसरी छोटी-मोटी स्कीम्स जैसे आरा स्कीम है, वह पेंडिग क्यों पड़ी हुई हैं, या नहीं हैं ? यह उत्तर होना चाहिये था कि वे निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन हैं तो निर्माणाधीन के बारे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भीखा भाई)

भी आपने एक हद तक कहा था कि यह सवाल है, उसके अन्दर रुपया प्रोवाइड करिये। आपने बताया था कि माही में पैसे दे रहे हैं, माही उप योजना के बारे में ... (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जितना प्रश्न नहीं है, उससे कई गुना तो आपने कह दिया।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, यहां तीन-चार बार इस सदन में यह प्रश्न उठा है और गये महीने में ही उठा है लेकिन उसका जवाब क्यों नहीं दिया, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो खंड-एक में पूछा है, उसमें कितनी सिंचाई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ? सरकार के पास अभी कोई विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास तो आने के बाद में हम तुरन्त स्वीकृति निकालते हैं। यह विभागीय स्तर के ऊपर, सारा बी. सी. रेशो देखने का, उसके वित्तीय संसाधन वाला, यह सारा देखते हैं, जैसा कि आपने अमरपुरा के लिए फरमाया है तो पहले विभिन्न योजनाओं में इसका काम हुआ था एन. आर ई. पी. में, जे. आर. वाई. में लेकिन यह सारी जो इसके ऊपर इनकम्पलीट है इसके लिए भी हम योजना में ले रहे हैं। आप यह बिलकुल दिमाग से निकाल दें क्योंकि मैं इसके लिए बिलकुल चिंतित हूं कि आदिवासी क्षेत्र के अन्दर सब से ज्यादा सिंचाई का काम होना चाहिये। आपके जहां तक सम्भव हो वहां बांध बनायें और आपके क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायें।

माननीय सदस्य को मैं यह मोटे तौर पर सूचना देता हूं कि पूरे स्टेट के अन्दर अब तक जो सी. सी. ए. डवलप हुआ है उसका पर्सेन्टेज आता है 9.3 पर्सेंट, और और डूंगरपुर का जो पर्सेंटेज आता है वह है 26 पर्सेंट। इसलिए यह आप बिलकुल मन से निकाल दें और जैसे पूर्व में भी परसों अपने ने बैठक ली थी, मैं जल्दी से जल्दी आपकी यह जितनी भी योजनाएं सम्भव हैं वह सारी स्वीकृत कराऊंगा, इसमें कहीं आप दो राय न समझें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री राकेशजी मेघवाल। (व्यवधान) वह सब आपकी योजनाएं निकलवा देंगे यह कह दिया है।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है। एक सप्लीमेंट्री पूछा है।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया है ?

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का उत्तर बिलकुल गलत है, असंतोषजनक है। परसों जब बात हुई है तो विचाराधीन . .

श्री अध्यक्ष : यह तो ऐसे कह रहे हैं कि आपकी योजना स्वीकार कर देंगे, नहरों में होगी तो उसको ठीक करा करा देंगे, यह सब कह रहे हैं आपको।

श्री भीखा भाई : ठीक करा देंगे, लेकिन विचाराधीन क्यों नहीं ? ना क्यों कह रहे हो ?

(18)

श्री देवीसिंह भाटी : मेवाड़ा का काम चल रहा है।

श्री भीखा भाई : जब यह कहना चाहिये तो 'ना' क्यों कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने भिजवायी नहीं होगी। बिराजें आप।

श्री भीखा भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह नम्र निवेदन है कि यह जो उत्तर दिया है वह गलत क्यों है, इसका जवाब मैं पूछ रहा हूं बाकी कुछ नहीं पूछ रहा।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या गलत है ? स्पष्ट थोड़ा पूछें, गलत क्या है ?

श्री भीखा भाई : आपके पास पड़ा हुआ है। भारत सरकार के पास गया फिर सरकार के पास आया, भारत सरकार से तीन बार, चार बार लौट कर इनके पास आया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राकेशजी मेघवाल। (व्यवधान) इससे आपका कोई लेना-देना ही नहीं है, कोडियागुणा में वह ..

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कहा है तुरन्त स्वीकृति दें, हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया है।

प्रश्न संख्या–601

श्री अध्यक्ष : श्री राकेशजी मेघवाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें!)

श्री कालूलाल गूजर।

माण्डल (भीलवाड़ा) की पंचायतों के ग्रुप सचिव

602. **श्री कालूलाल गूजर** (माण्डल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा में कुल कितनी पंचायतें हैं।

(2) उक्त पंचायत समिति में इस समय कितने ग्रुप सचिव लगे हुए हैं ?

(3) क्या उक्त पंचायत समिति में ग्रुप सचिव पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो यह कमी कब से चल रही है ?

(4) अब तक ग्रुप सचिवों की कमी को पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे ? इसमें कौन दोषी हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति में ग्रुप सचिवों की कमी से पंचायतों के कार्यों के संचालन में बाधा रही है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को हालत के बारे में अवगत कराया और सचिवों की नियुक्ति हेतु पत्राचार किया है ? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस अधिकारी से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार कब तक इन सचिवों की पूर्ति करने का विचार रखती है।

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति, माण्डल में 46 पंचायतें हैं।

(श्री अनंग कुमार जैन)

(2) पंचायत समिति, माण्डल में ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के 25 पद सृजित हैं। वर्तमान में 16 ग्राम सेवक कार्यरत हैं

(3) माण्डल पंचायत समिति में ग्राम सेवक पदेन सचिव के जुलाई, 1993 से दो पद, एक पद नवम्बर, 1994 से तथा 6 दिसम्बर, 1994 से रिक्त हैं।

(4) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से ग्राम सेवकों की नयी भर्ती पर स्थगन आदेश के कारण ये पद रिक्त हैं।

(5) जी हां।

(6) पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के रिक्त पद भरने हेतु मुख्य अधिकारी, भीलवाड़ा एवं विभाग को दिनांक 30-6-1994, 2-8-1994, 30-9-1994, 28-10-1994 एवं दिनांक 31-12-1994 को भेजा जाना बताया है।

(7) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश वैकेट होते ही पद भरने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : वह माननीय शक्तावतजी ने पूछ ही लिया है, हाई कोर्ट का स्टे है।

श्री कालूलाल गूजर : मैं इसमें कुछ पूछना चाहता हूं। माननीय शक्तावतजी ने प्रश्न पूछा और यह प्रश्न थोड़ा मिलता-जुलता है इसलिए कई बातें माननीय मंत्री महोदय ने उस प्रश्न के उत्तर में बतायीं। परन्तु मेरा पूछना एक तो यह है कि यह स्टे कब से है ? और चूंकि स्टे आपने स्वयं ने ...

श्री अध्यक्ष : अब स्टे कब से भी हो, स्टे तो स्टे ही है। अब आज तो वह वैकेट है नहीं।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड तीन में मैंने पूछा कि कब से खाली है ? आपने खुद ने स्वीकार किया कि जुलाई, 1993 में भी पद खाली थे, 1994 में खाली थे और 1995 में भी खाली हैं, तो यह स्टे कौनसी तारीख से है ? अगर स्टे हुआ तो अभी हुआ, पहले इन पदों को क्यों नहीं भरा गया ?

दूसरा, यह है कि क्या इसमें और वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि मेरे यहां पर तीन बड़े-बड़े गांव हैं, माण्डल, बागोर और करेड़ा। अब वैकल्पिक व्यवस्था में उन्होंने यह बताया था कि वहां पर पटवारी को लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव और है। अगर स्टे खारिज नहीं हुआ तो आप तो उसमें ग्राम सेवक लगा ही नहीं सकेंगे और मान लो, दो साल भी खारिज नहीं हुआ, यह तो हाई कोर्ट का कोई नहीं कह सकता कि कितने समय में स्टे खारिज होगा, इसलिए मेरा इसमें मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि आप इसमें कम से कम और कुछ नहीं तो वहां पर स्थानीय सहायक ग्रुप सचिव रखने की तो इजाजत दे सकते हैं। अगर मान लो यह ग्रुप सचिव लगाते तो उनको भी पूरी तनख्वाह देनी पड़ती, उसी पैसे से यह चाहे कॉण्ट्रेक्ट

(20).

(श्री कालूलाल गूजर)

बेसिस पर लगा लें या सहायक सचिव जैसा पंचायतों में प्रावधान है वह लगा दें। अब ग्राज नहीं होने से सरपंच तो भटक रहे हैं और ग्राम सेवकों को ढूंढते फिर रहे हैं और ग्राम सेवक मिलते नहीं, ग्रुप सचिव मिलते नहीं और वह कभी पंचायतों में जाते भी नहीं हैं अगर कोई पूछता है तो कहते हैं कि मैं फलां पंचायत में गया, फलां में नहीं तो फलां में गया। ऐसे चार-चार, पांच-पांच पंचायतें एक-एक ग्रुप सचिव को दे रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि टेम्प्रेरी इनको सहायक सचिव रखने के अधिकार तो दे ही सकते हैं, यह क्यों नहीं दिये गये ?

तीसरा यह निवेदन है कि हमारे यहां से बी. डी. ओ. ने तारीख 30-6-1994, 28-2-1994, 30-9-1994, 28-12-94 और 31-12-1994 को, यानि हर महीने में एक लैटर डाल रहा है उसके बावजूद भी वहां ग्रुप सचिव नहीं है, तो उनको दिया जाये।

चौथा, एक सुझाव मेरा और भी है कि जिन पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव पूरे हैं वहां से एक-दो कम कर के ट्रांसफर कर के, वहां 10 आज कम हैं तो इधर-उधर के कर के उसको पूरा किया जा सकता है। यह ग्राल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है परन्तु इन सारी व्यवस्थाओं पर दो साल से ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा ? और वहां के सारे विकास के काम ठप्प पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की पंचायत समिति में कुल दो पद तो लम्बे समय से रिक्त हैं, 6 पद तो अभी दिसम्बर, 1994 में ही रिक्त हुए हैं और उसके पहले अगस्त, 1994 में जोधपुर बैंच से स्टे दिया गया, उसके पहले जयपुर बैंच से स्टे दिया गया, तो लम्बे समय से स्टे चल रहा है और आपके यहां 25 में से, अध्यक्ष महोदय, दो पद कुल रिक्त हैं। अब दो पद के लिए बी. डी. ओ. हर महीने चिट्ठी डाले जा रहा है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी संख्या खाली नहीं है, 6 पद जरूर इनके दिसम्बर में रिक्त हुए हैं। उसके लिए मैंने अभी आपके माध्यम से सदन को निवेदन किया था कि राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से विचार कर रही है और विधान सभा सत्र की समाप्ति के बाद कोई न कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से करेगी।

दूसरा, जैसे आपने सजेशन दिया कि सहायक सचिव क्यों नहीं लगाये जाते ? यह सहायक सचिव की वजह से ही तो हमारी सारी प्रक्रिया रुकी है। कई ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने अपने स्तर पर ही सहायक सहायक सचिव लगा लिए थे। अब वह सहायक सचिव, जैसे ही हमने नये पद भर्ती के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की तो कुछ सहायक सचिव हाई कोर्ट में चले गये, कुछ जयपुर बैंच में चले गए, कुछ जोधपुर बैंच में चले गये तो इन सब बातों को देखते हुए आगे इस प्रकार की यह दिक्कतें नहीं आये, उन दिक्कतों को भी दूर किया जाये। इस दृष्टि से राज्य सरकार सम्पूर्ण विषय पर विचार कर रही है और विचार कर के जल्दी से जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था करने के

(श्री अनंगकुमार जैन)

प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से गम्भीरता से करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीरामजी बुरड़क ।

नगरपालिका की बैठकों में विधायकों को आमन्त्रण

603. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मौजूदा कानून के अनुसार राज्य की नगरपालिकाओं में सम्बन्धित विधायक भी सदस्य हैं ? यदि हां, तो कब से तु

(2) क्या सम्बन्धित पालिकाओं की बैठकों में स्थानीय विधायकों को आमन्त्रित किया जाता है ? यदि हां, तो कब से किस-किस पालिका द्वारा आमन्त्रित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां । दिनांक 2 मई, 1994 से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (द्वितीय संशोधन) के राजपत्र में प्रकाशन के बाद से निर्वाचित हुई नगरपालिकाओं में सम्बन्धित विधायक भी सदस्य हैं ।

(2) जी हां । नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा-9 में किये गये संशोधन की जानकारी के पश्चात् से आयोजित बैठकों में माननीय विधायकों को आमंत्रित किया जाता है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह उत्तर दिया है इससे साल भर पहले ही एक्ट लागू हुआ और जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी नगरपालिका में किसी भी विधायक को मीटिंग की सूचना तक नहीं दी ।

आपने भाग दो में कहा है कि "किये गये संशोधन की जानकारी के पश्चात् से आयोजित बैठकों में माननीय विधायकों को आमंत्रित किया जाता है" जानकारी का क्या मतलब हुआ इसमें ? एक्ट तो आपने 3 मई, 1994 को लागू कर दिया, अब कोई आदमी आज कहे कि मेरे को जानकारी नहीं है, तो क्या उसमें यह कानून लागू नहीं होगा ? इस हिसाब से आपका यह सारा का सारा उत्तर गलत है । क्या मंत्री महोदय, आपको जो यह गलत जानकारी दी है .

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई जानकारी गलत नहीं दी ।

श्री हरजीराम बुरड़क : और जिन नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों की बैठकों में विधायकों को आमंत्रित नहीं किया है और आपको यह गलत सूचना दी है, उनके खिलाफ आप कोई जांच करायेंगे, कार्यवाही करायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच का कोई विषय नहीं है । यह ठीक है...., एक सैकण्ड

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या ठीक है ? उत्तर तो आपने दिया कि आमंत्रित कर रहे हैं ।

(22)

श्री अध्यक्ष : आप बात पूरी सुनें, माननीय, फिर वही की वहीं बात हो जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह हो सकता है कहीं नहीं बुलाया गया हो, बाकी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर नहीं बुलाया गया तो उनको फिर से हम आग्रह करेंगे कि वह यह भूल नहीं करें।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, आग्रह इसमें कोई मेहरबानी है क्या ? वह तो एक्ट के हिसाब से मेम्बर बन गये, आप अब आग्रह करेंगे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि बुला रहे हैं और मैं कह रहा हूं नहीं बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं जांच का विषय नहीं है, तो क्या विषय है ? ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : गलत नहीं मान रहे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, कैसे मान लें।

श्री हरजीराम बुरड़क : बिलकुल आप गलत उत्तर दे रहे हैं। फिर आप इसमें जांच के लिए ही तैयार नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैं आप से सहमत हूं इस बात पर ...

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं मेम्बर नहीं हूं क्या ? मेरे को नहीं बुलाया आज तक, एक साल हो गया और आप कह रहे हैं जांच का विषय नहीं है। मेरे को ध्यान है, मैंने 8 महीने पहले आपको पत्र लिखा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, एक सैकण्ड बिराजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने आठ महीने पहले आपको पत्र लिखा, मैं खुद आपको देकर आया.

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बिलकुल ठीक है।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने कार्यवाही करना तो दूर उसका उत्तर तक नहीं दिया और अब कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में नहीं है। यह जांच का विषय नहीं है तो और क्या विषय है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। एक सैकण्ड माननीय सदस्य, उत्तेजना की कोई बात नहीं है। यह माननीय सदस्यों का अधिकार है। यह माननीय सदस्यों का उस मीटिंग में जाने का अधिकार है, मैं इंकार नहीं करता। अगर मान लीजिये कहीं ऐसा लगता है कि इसकी अनुपालना नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से उसको भी देख लेंगे और एक बार नगरपरिषद छोड़ी हुई है, स्वतन्त्र निकाय है, उसको हम फिर भी निर्देशित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की भूल न करे। फिर भी आप कोई ऐसी बात कहेंगे तो निश्चित रूप से कोई एक्शन भी लेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, अब तक जो भूल हुई है....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, तो ले लेंगे, आप ध्यान में ला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

श्री हरजीराम बुरड़क : ...(व्यवधान) उत्तर नहीं आया मेरे सवाल का।

श्री लक्ष्मणसिंह : (व्यवधान) संशोधन विधेयक के पश्चात् में जिन नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं, वहां पर उनको बुलाया जाता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत हैं कि अगर सभी नगरपालिकाओं में सभी माननीय विधायकों को बुलाया जाय तो क्या इससे विचारों का आदान-प्रदान होने से तालमेल अच्छा होगा और सभी विधायक वहां पर लाभान्वित कर सकेंगे। इसलिए उन नगरपालिकाओं में भी, जिनमें कि इस संशोधन से पूर्व चुनाव हुए थे, उसमें भी विधायकों को बुलाये जाने का प्रावधान करेंगे जिससे कि वह जनहित में होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बात पूरी सुनें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : और यह मेरी मान्यता है कि वाकई नगरपालिकाओं में अगर विधायक जायेंगे तो निश्चित रूप से तालमेल से नगर के विकास के लिए उनको मदद मिलेगी, यह अच्छी बात है और इसलिए संशोधन भी किया। आप जरा फरमा रहे हैं कि यह चुनाव, अभी जो संशोधन से पहले चुनाव हुए हैं उनके लिये भी हम चाहते थे कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं, वह उसमें मेम्बर रहें। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट की राय यह है कि जो पुराना स्वरूप है उसको हम बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए पुरानी नगरपालिकाओं में माननीय सदस्यों को सदस्य के नाते बुलाया जाये, यह कानूनी दृष्टि से अभी हमको राय मिली है कि वह सही नहीं है। बाकी अब तीन महीने बाद, चार महीने बाद चुनाव हो रहे हैं नये। जब भी नये चुनाव हो जायेंगे तो यह कानून उन पर भी लागू हो जायेगा। यह केवल दो-तीन महीने का मामला है। मैं समझता हूं उसमें इन्तजार ही करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : (व्यवधान) उनमें संशोधन कर सकते हैं आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब एक्ट में संशोधन हो गया। एक्ट में यह कोई कण्डीशन नहीं है तो आप यह कैसे कह रहे हैं, पुराने-नए का इसमें सवाल नहीं है। जब धारा 9 में आपने अमेण्डमेंट कर दिया और वह एक्ट लागू हो गया, उसमें कोई कंडीशन नहीं कि अब चुनाव होंगे, पहले चुनाव होंगे तो इसमें मेम्बर कैसे नहीं है?

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है। हमारा मत तो यह था जो आप फरमा रहे हो। हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने यह राय दी है कि...

श्री हरजीराम बुरड़क : लॉ डिपार्टमेंट के राय देने से क्या है? लॉ डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगा?

श्री भंवरलाल शर्मा : लॉडिपार्टमेंट की राय माननी पड़ती है। लॉ डिपार्टमेंट की राय मानते हैं और आपको अगर लगता है कि लॉ डिपार्टमेंट की राय कानूनी ढंग से सही नहीं है तो आप चर्चा कर लें, अगर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कानूनी नहीं है तो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक्ट में अमेण्डमेंट हो गया। उसमें कोई कण्डीशन नहीं है, फिर कैसे होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, कानून के इण्टरप्रिटेशन का सवाल है। हमें लॉ डिपार्टमेंट ने जो राय दी है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा ध्यान रखें। श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)

प्रश्न संख्या–604

श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–605

श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गोपीराम जी जाट।

अग्नि पीड़ित परिवारों को सहायता

606. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अग्नि पीड़ित परिवारों को लम्बे समय तक सहायता न मिलने पर उसे दी गई सहायता का औचित्य समाप्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार लाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अग्नि पीड़ित परिवारों को नगण्य सहायता मिलती है जिससे उसका पुनर्भरण नहीं होता ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार अग्नि पीड़ित परिवारों को पंचायत स्तर पर अविलम्ब सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवरलाल जाट) : (1) जी हां। अग्निकांड आकस्मिक दुर्घटना है या नहीं इसकी जांच हेतु पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने का प्रावधान था और पुलिस जांच में विलम्ब होने के कारण सहायता राशि उपलब्ध कराने में भी विलम्ब होता था। सहायता उपलब्ध कराने में विलम्ब न हो इसलिए राज्य सरकार ने अग्नि दुर्घटना पर पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करवाने की शर्त को दिनांक 5-4-95 से हटाकर अब उप खण्ड अधिकारी से जांच करवाकर सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये हैं।

(2) आर्थिक सहायता के मापदण्ड वर्ष 1989 एवं वर्ष 1991 में राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए गए हैं। पुनः मापदण्ड संशोधित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जहां पर अग्निकाण्ड की घटना होती है वहां गांव में मौके पर जाकर सहायता अनुदान राशि उपलब्ध करवाई

(श्री सांवर लाल जाट)

जाती है। इसलिए पीड़ित व्यक्तियों को पंचायत स्तर पर बुलाने की आवश्यकता नहीं है -

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में जो सुविधा दी उसके लिए तो मंत्री महोदय को धन्यवाद। लेकिन खण्ड-दो में आपने यह जो राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए गए और पुनः मापदण्ड संशोधित करने की बात कही है इसके लिए कोई निश्चित तिथि मंत्री महोदय बता दें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ऐसे तो विचार चलता ही रहेगा और इसका कभी निर्णय होने वाला नहीं है। तो एक तो यह बतायें कि कब तक इसका मापदण्ड तय कर देंगे? और स्थानीय स्तर पर जाकर सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, यह कौनसा विभाग उपलब्ध कराता है? मेरी जानकारी में तो कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें आज तक कोई सुविधा स्थानीय स्थान पर जाकर उपलब्ध नहीं करायी गयी। रेडक्रास से भी जो कुछ सुविधा मिलती है वह नहीं के बराबर मिलती है। ऐसी परिस्थिति में अग्नि दुर्घटना होने के बाद किसी परिवार के पास पहनने तक के कपड़े नहीं बचते तो सरकार इसके लिए तुरन्त सहायता और उचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या विचार रखती है? यह मापदण्ड जो परिवर्तन करने का निर्णय लिया; यह कब तक तय करने की मंशा है, मंत्री महोदय बताएं।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि विभिन्न लोगों से, समाज सेवियों से हम विचार आमन्त्रित कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि क्या नये मापदण्ड होने चाहिये। दूसरा, सहायता राशि जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करवायी जाती है और जिला प्रशासन का व्यक्ति, जहां पर यह दुर्घटना घटित होती है, वहां पर जाकर वितरीत करता है।

श्री गोपीराम जाट : इसके विषय में कोई तारीख?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र जी रावत।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं एक अकेले विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे राजस्थान में जितने भी अग्नि पीड़ित व्यक्ति हैं, मैंने यहां विधान सभा में क्वेश्चन भी लगाया। उसमें करीब मेरे पांच-सौ व्यक्तियों का सामान दुर्घटना में बिलकुल स्वाहा हो गया। घर-बार सब जल गये। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, एक भी व्यक्ति को मौके पर राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी या उनको सहायता नहीं दी गयी है। अब जब कि आपने यह कहा था, कइयों को तो दो-दो साल हो गये सूची के अन्दर, जो आपने सूची पेश की थी...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं क्या यह जो अग्नि पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनका सब कुछ स्वाहा हो जाता है, उनमें उन

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा में चयनित होते हैं, उनको तो इंदिरा आवास में फिर भी सहायता दे देते हैं, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार इंदिरा आवास के तहत जो मकान बनाये जाते हैं,

श्री अध्यक्ष : माननीय लम्बी बात न करें। पाइंटली पूछें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह मकान अग्नि पीड़ित हर व्यक्ति को चाहे वह गरीबी रेखा में चयनित हो या नहीं हो, इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाये जाने की इजाजत देने की कृपा करेंगे ? धन्यवाद।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसकी वार्षिक आय ग्यारह हजार रुपये से अधिक नहीं हो, जिसका मकान नष्ट हो गया हो, उनको उपलब्ध करवायी जाती है। जो मापदण्डों में आये हैं, उनका कोई मामला बकाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या-607

श्री रामचन्द्र जी रावत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-608

श्री नाथूराम जी अहारी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-609

श्री मोहनलाल जी मोदी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री शांतिलाल जी खोईवाल !

बस स्टेण्ड, कांकरोली

610. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कांकरोली कस्बे में वर्तमान बस स्टेण्ड को प्रशासन उपयुक्त समझता है ?

(2) यदि नहीं, तो प्रशासन द्वारा बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? सरकार अब कब तक उक्त स्टेण्ड को कहां पर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय स्वायत्त शासन मंत्री।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : मेरा कहां है ? यातायात मंत्री का है। (व्यवधान) यातायात राज्य मंत्री को लग गया है. लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं इसी सप्ताह नगरपालिका, राजसमंद की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें नये बस स्टेण्ड की अवाप्ति तथा स्थानान्तरण पर अपने निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा देगी, उसके बाद उसकी कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री लक्ष्मणसिंह : यातायात मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। यातायात मंत्रीजी विराजे हुए हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : नो, सर, माई क्वेश्चन रिलेट्स टू स्वायत्त शासन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा पहला प्रश्न है उसमें मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या प्रशासन इस बात को उपयुक्त समझता है कि वर्तमान बस स्टेण्ड उपयुक्त स्थान पर है। मैं आभार व्यक्त करता हूं मंत्रीजी का, कि उन्होने अपनी सहमति व्यक्त की है कि यह उपयुक्त स्थान पर नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या इसको स्थानान्तरण करने की कार्यवाही की जा रही है ? उसमें आपने स्थानान्तरण करने के लिये भी सहमति व्यक्त की है। लेकिन सैकण्ड पार्ट का सैकण्ड क्लाज का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया नहीं कि सरकार कब तक इसको स्थानान्तरित कर देगी और कौन-सी जगह पर स्थानान्तरण करने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि इसी बैठक में नगरपालिका में अब यह तय करेगी कि इसको कहां स्थानान्तरित किया जाये। मेरा आपसे यह निवेदन होगा कि इसके स्थान के चयन के लिए यदि आप भी नगरपालिका को सुझाव दें और अच्छे उपयुक्त स्थान पर यह बस स्टैण्ड चला जाये तो यह ज्यादा अच्छा होगा। हमारा विचार तो बदलने का ही है।

श्री अध्यक्ष : स्थान का चयन आपकी सहमति से ही होगा।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा दूसरा है इसलिए मुझे थोड़ा अवसर दें। उदयपुर भीलवाड़ा रोड पर वर्तमान बस स्टैण्ड स्थित है अब वहां पर दो जगह की कार्यवाही चल रही है कि एक तो वहीं से थोड़ा इन्टीरियर में बस स्टैण्ड को रख दिया जाये और एक धोइन्दा में रख दिया जाये। यदि उसको वहीं पर इन्टीरियर में रख दिया जाता है तो बसों का व अन्य वाहनों का आवागमन तो कम होगा नहीं कांकरोली टाउन में, और वह कम नहीं होगा तो आज जो परेशानी हो रही है वहां की ट्रेफिक व्यवस्था में, वह अव्यवस्थाएं एज इट इज स्टेण्ड करेंगी। तो, मेरा निवेदन यह है कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस टाउन से दूर ऐसे स्थान पर जहां पर टाउन में ट्रेफिक की समस्या खड़ी न हो ऐसे स्थान पर स्थानान्तरित करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया स्थान का चयन आपकी सलाह से और नगरपरिषद खुद स्वयं और मैं यह चाहूंगा कि यातायात विभाग भी इसमें जुड़ जाये। जब नया बस स्टैण्ड बना रहे हैं तो सामान्यतया यही सोचा जायेगा कि वह ज्यादा सुविधाजनक कैसे हो सकता है। इसमें नगर में भीड़ कम हो, आने जाने में यात्रियों को अधिक तकलीफ न हो, सुविधा मिले, इसका चयन इस ढंग से किया जायेगा मेरा आप से विनम्र निवेदन है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि आप भी इसमें सलाह दे दीजिये कि कहां बन सकता है। इसमें कोई नीतिगत बात नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : नीतिगत बात है अध्यक्ष महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्थान आप ज्यादा अच्छा समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अच्छा उपयुक्त स्थान बता देना। श्री दयाराम जी परमार।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आपने अपने उत्तर में फरमाया है कि उपयुक्त स्थान का चयन, भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। वह कौनसी भूमि है? इसका उत्तर चाह रहा हूं मैं मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए बस स्टैण्ड का विस्तार करना आवश्यक होने तथा तांगा, टैक्सी स्टैण्ड, सुलभ काम्प्लैक्स आदि जन विधाओं के लिए विट्ठल विलास बाग की भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : Now it is a pertinent answer.

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके अनुसार 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवाप्त करने कार्यवाही अपने अन्तिम दौर में है। अब आप समझते हैं कि यह ठीक है तो बता दीजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : बस इसी के बारे में मुझे अनुरोध करना था मंत्री महोदय प्रश्न इस बात का है कि जो उदयपुर से भीलवाड़ा रोड़ पर बस स्टैण्ड स्थित है कस्बे के मध्य में और यदि वहीं पर विट्ठल विलास की भूमि अवाप्त करके बस स्टैण्ड वहां पर लगाया जाता है तो वाहनों का आगमन तो कम नहीं होगा। वाहन तो उसी रूट पर आयेंगे जायेंगे, फिर वहां की जो अव्यवस्था है उसका निराकरण कैसे हो पायेगा? मंत्री महोदय, मैं इसकी जानकारी चाह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस स्थान की जियोग्राफी तो मुझे मालूम है नहीं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरी राय में वह उपयुक्त स्थान नहीं है मंत्री महोदय, उपयुक्त स्थान इसलिये नहीं है कि टैफिक ... (व्यवधान) का असर किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप म्युनिसिपैलिटी से बैठकर बात करें। माननीय मंत्री महोदय ऐसा कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस स्थान की जियोग्राफी तो मुझे मालूम है नहीं वहां क्या कठिनाई हो सकती है, जानकारी आपको ज्यादा है। आप वहां के लोकल विधायक हैं तो यदि आपको लगता है कि यह स्थान ठीक नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : नगरपालिका भूमि अवाप्त करे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अवाप्त करे, आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करे। लेकिन बस स्टैण्ड के लिए इस भूमि का जो प्रस्ताव है वह उपयुक्त नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिये ?

श्री लक्ष्मणसिंह : सुझाव यह है कि अवाप्ति को रोकिये और पुनः विचार करिये ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह बस स्टैण्ड का आवगमन कस्बे में होकर के नहीं गुजरे इसलिए किसी ऐसे स्थान पर बस स्टैण्ड स्थापित किया जाये जैसे घोइन्दा है । यदि बस स्टैण्ड घोइन्दा में लगाया जाता है तो बाई पास से सारे वाहन गुजर सकते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो जो स्थान आप बता रहे हैं वह स्थान और जिस स्थान पर उनकी प्रस्तावित योजना है, दोनों पर विचार करके जो ठीक होगा वह कर देंगे । जन सुविधाओं का भी ख्याल रखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम जी परमार ।

डूंगरपुर–फलासिया मार्ग पर बस सेवा

611. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर से फलासियां वाया खैरवाड़ा, बावलवाड़ा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलती थी ? यदि हां, तो कब से कब तक चली ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस सेवा बन्द कर दी गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पुनः उक्त मार्ग पर बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार) : (1) जी हां । उक्त मार्ग पर निगम वाहन 22 मई, 94 से 21 दिसम्बर, 94 तक संचालित की गयी थी ।

(2) जी हां । संचालन अनार्थिक रहने के कारण बन्द कर दिया गया ।

(3) जी नहीं । औसत यात्री भार कम रहने से निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने के कारण ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि पहला तो क्या यह बस बिना परमिट से चल रही थी, इसलिए पुलिस ने इसको जब्त किया था ?

दूसरा, आपने फरमाया कि यह लोस में जा रही थी इसलिए हमने बंद किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 22 मई से 21 दिसम्बर तक गाड़ी चलायी तो 22 मई से 22 जून तक, एक महीने का दैनिक कलैक्शन क्या रहा ? लास्ट में जब आपने बंद की तो एक दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक दैनिक कलेक्शन क्या रहा ?

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डूंगरपुर से फलासियां वाया खैरवाड़ा, बावलवाड़ा रूट के बारे में जानकारी चाही है । अध्यक्ष महोदय, यह रूट अराष्ट्रीयकृत रूट था फिर भी वहां की जनता की डिमाण्ड पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बस चलायी थी और यह बस

(श्री रोहिताश्व कुमार)

करीब सात माह तक चली और इस बस में करीब 59 पर्सेण्ट यात्री भार रहा। अध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मापदण्ड के हिसाब से जो यात्री भार होना चाहिये था, पूरा नहीं हो रहा था। हमको कम से कम अस्सी प्रतिशत यात्री भार मिलता है तो बायबल रहता है। इसलिए अनार्थिक रहने के कारण इस रूट पर बसें हमको बन्द करनी पड़ी और जो माहवार माननीय सदस्य ने विवरण पूछा, जून में हमको 61 पर्सेण्ट, जुलाई में 50 पर्सेण्ट, अगस्त में 61 पर्सेण्ट, सितम्बर में 56 पर्सेण्ट, अक्टूबर में 59 पर्सेण्ट, नवम्बर में 65 पर्सेण्ट और दिसम्बर ने 61 पर्सेण्ट हमको यात्री भार मिला। सात महीने का मैंने पूरा विवरण दे दिया। दूसरी बात जनता की डिमाण्ड पर हमने बस चलायी थी और परमिट के लिए भी एप्लाई किया था लेकिन परमिट हमको नहीं मिल पाया क्योंकि वहां प्राइवेट बसें चल रही हैं और वे कोर्ट में समय-समय पर रोड़वेज के खिलाफ स्थगन-याचिका लगाते रहते हैं। अगर फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो पुनः हम बस चला देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी।

जिला उदयपुर में उद्योगों की स्थापना हेतु अनुज्ञा पत्र

612. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) (**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) के स्थान पर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील गिर्वा पंचायत नाई एवं बुजड़ा में उद्योग लगाने की स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो किस-किस फर्म को कहां-कहां एवं किस-किस तरह के उद्योग लगाने की स्वीकृति दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नाई, बुजड़ा, बड़ी, अलसीगढ़ कई पंचायतों का क्षेत्र झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो क्या इन उद्योगों की स्थापना से उदयपुर की झीलों का संरक्षित क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित नहीं होगा? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में दिये गये औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के अनुज्ञा-पत्रों पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, एकीकृत ग्रामीण विकास (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) जी हां, उद्योगों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, नाई, बूजड़ा बड़ी पंचायत क्षेत्र पिछोला एवं फतेहसागर के जल प्रसंग्रहण क्षेत्र में स्थित है। अलसीगढ़ क्षेत्र का जल गोराना तालाब (देवास स्टेज प्रथम) में आता है जहां से सुरंग के माध्यम से पिछोला तालाब में डाला जाता है। बड़ी क्षेत्र का जल उदयपुर स्थित किसी भी झील में नहीं जाता है।

उपरोक्त स्थापित उद्योगों में से पांच उद्योगों को राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। (परिशिष्ट-"अ") उक्त सभी उद्योग अजल प्रदूषक हैं। अतः वर्तमान में उन उद्योगों से जल दूषण की सम्भावना नहीं है।

(श्री अनंग कुमार जैन)

उपलब्ध सूचना के अनुसार इन सभी उद्योगों की पिछोला झील से दूरी लगभग डेढ़ से पांच किलोमीटर तक की है। अतः ऐसे अजल प्रदूषक उद्योगों से वर्तमान में पिछोला झील के प्रदूषण की सम्भावना नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि उपरोक्त पांच उद्योगों को राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं और यह 10 इण्डस्ट्रीज की सूची है तो क्या शेष जो दस हैं उनके अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं और नहीं दिये गये हैं तो क्यों नहीं दिये गये हैं इसका कारण बतायें ?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, शेष जो इकाइयां हैं वह अजल प्रदूषण हैं उनका जल में कोई प्रदूषण होने की सम्भावना नहीं है और जिन उद्योगों से प्रदूषण होने की सम्भावना थी उन्होंने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है।

दूसरा, इसका कोई भी प्रदूषण या जल पिछोला झील में नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

12.00

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फेमिन कोड में परिवर्तन/संशोधन

599. **श्री माधवसिंह दीवान** (भोजत) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में फेमिन कोड कब बनाया गया था ? क्या सरकार ने उक्त कोड में कोई परिवर्तन व संशोधन कराने बाबत विचार किया है ? यदि हां, तो कब तथा क्या ?

(2) क्या सरकार इस कोड में प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, आगजनी इत्यादि को भी शामिल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फेमिन कोड वर्ष 1961-62 में प्रकाशित हुआ था। फेमिन कोड में परिवर्तन व संशोधन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां।

उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

601. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं को नियन्त्रित वस्तुएं यथा: गेहूं लेवी चीनी व केरोसीन वर्ष 1991 के बजाय वर्ष 1981 की जनसंख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करके आवंटित किया जाता है ?

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) यदि हां, तो राज्य में किन-किन जिलों में उपरोक्त आधार पर वस्तुएं वितरित की जा रही हैं ? प्रति यूनिट वितरण मात्रा की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की दर व आधार क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि नागौर के मुकाबले अजमेर जिले को कैरोसीन अधिक मात्रा में वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जिला नागौर को निर्धारित मानदण्ड के आधार पर कैरोसीन वितरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपभोक्ताओं को गेहूं का आवंटन वर्ष 1981 की जनसंख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए नहीं किया जाता है। लेवी चीनी वर्ष 1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है कैरोसीन का आवंटन उपलब्धि एवं मांग के आधार पर किया जाता है।

(2) राज्य के सभी जिलों में उपरोक्त आधार पर गेहूं, लेवी चीनी व कैरोसीन का आवंटन किया जा रहा है पी. डी. एस. एवं आर पी. डी. एस. क्षेत्र में क्रमशः अधिकतम 15 एवं 20 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं वितरित कराये जाने की व्यवस्था 26-4-95 से की गयी है। लेवी चीनी 425 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह वितरण की मात्रा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक समान स्केल में वितरण कराया जा रहा है जिसकी सीमा 10 लीटर तक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह है।

(3) जी हां। राज्य सरकार का यह ध्येय रहा है कि जिस जिले में उपभोक्ताओं की अधिक मांग, भौगोलिक स्थिति, वनों एवं पर्यावरण आदि बातों को ध्यान में रखते हुए ही कैरोसीन का वितरण कराया जाता है। जिला नागौर को निर्धारित मानदण्ड के आधार पर कैरोसीन का वितरण केन्द्र सरकार से राज्य को आवंटित कैरोसीन की मात्रा में बढ़ोतरी होने पर ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कुम्हेर-तालफरा मार्ग पर बस सेवा

604. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बस सेवा हेतु कुछ मार्ग सरकार ने राष्ट्रीयकृत किये हैं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बस सेवाएं चला रखी हैं ? यदि नहीं, तो जिन मार्गों पर बसें संचालित नहीं हैं, की सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त मार्गों पर बसें नहीं चलाने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या कुम्हेर से तालफरा तथा कुम्हेर से खेडलीगंज मार्ग राष्ट्रीयकृत है ?

(4) क्या कुम्हेर से तालफरा मार्ग पर बस सेवा चलाने हेतु माननीय यातायात मंत्री जी ने आदेश दिए हैं ? यदि हां तो आदेश के बावजूद भी उक्त मार्ग पर

(श्री हरिसिंह)

बस सेवा आरम्भ नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में अब तक राष्ट्रीयकृत किये गये मार्गों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट–1)

(2) केवल 8 मार्गों के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा बस सेवायें संचालित की जा रही हैं। ऐसे मार्गों की सूची बस सेवा नहीं चलाने के कारण दर्शाते हुये सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–2)

(3) जी हां।

(4) वांछित सेवा चालू करने के लिए निगम प्रयासरत है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थापित पत्थर पालिश एवं पत्थर चीरने के उद्योग

605. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंजमण्डी में पत्थर पालिश व पत्थर चीरने की कुल कितनी फैक्ट्रियां किन-किन द्वारा लगायी हुई हैं ? नाम व स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितनी नियमानुसार हैं और कितनी अवैध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगंजमण्डी में पत्थर पालिश एवं पत्थर चीरने की उद्योग विभाग से पंजीकृत कुल 212 इकाइयां स्थापित हैं। ये समस्त इकाइयां वैध हैं। सूची संलग्न है (परिशिष्ट "अ")

(2) उपरोक्त 212 के अतिरिक्त पत्थर पालिश व पत्थर चीरने की 35 इकाइयां और कार्यरत है जो कृषि क्षेत्र में स्थापित है। सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'आ')

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बांध/एनीकट्स

607. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कृषि सिंचाई हेतु कितने बांध, एनीकट एवं नहरें हैं एवं इस वर्ष में कितने नये बांध एवं एनीकट बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के खुवाड़ा ग्राम में कोई बांध बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र का बुचारा बांध मिट्टी से भर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध से मिट्टी बाहर निकालने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं। विभाग के अधीन कोई एनीकट नहीं हैं इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में नये बांध बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(2) खुवाड़ा गांव में बांध बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि खुवाड़ा बांध निर्माणाधीन फतेहपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में आता है।

(3) जी हां। उक्त मिट्टी को बाहर निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह कार्य तकनीकी व वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

ग्राम भाटपुरा पंचायत समिति बिलड़ी के उचित मूल्य की दुकान का प्रकरण

608. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि भाटपुर, पंचायत बिलड़ी (डूंगरपुर) के श्री पन्नालाल मार्फत रतना जी को वर्ष 1990 से वार्ड संख्या 3 में केरोसीन वितरण डीलरशिप का लाइसेंस दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह व्यक्ति विकलांग है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1994 में केरोसीन का कोटा आधा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार द्वारा श्री पन्नालाल मार्फत रतना जी जो विकलांग है, का लाइसेंस छीना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वापस देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। डूंगरपुर शहर के वार्ड संख्या 3 के उचित मूल्य के विक्रेता श्री विनोद कुमार पटेल द्वारा प्रस्तुत अपील में जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-9-94 के अनुसार वार्ड संख्या 3 को दो भागों में विभाजित कर केरोसीन तेल का आवंटन श्री पन्ना लाल एवं श्री विनोद कुमार पटेल को आदेश दिनांक 20-9-94 से आधा-आधा दिया गया।

(4) जी, नहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 609
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नयी औद्योगिक नीति के तहत स्थापित उद्योगों को सहायता

864. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) नयी औद्योगिक नीति के तहत राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को क्या-क्या सहायता किस-किस प्रकार से दी जा रही है ?

(2) क्या उद्यमियों को जानकारी देने के लिये किसी प्रकार के साहित्य, पम्पलेट, आदि प्रकाशित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नयी औद्योगिक नीति के तहत राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को देय सहायता एवं सुविधाओं की सूचना संलग्न है।

(2) उद्यमियों को जानकारी देने के लिए वर्ष 1994-95 में निम्न साहित्य प्रकाशित किये गये हैं :—

1. महिला उद्यमियों हेतु मार्गदर्शिका।

2. इकॉनामिक एवं इण्डस्ट्रीज प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स।

3. इन्सेनटिवज टू इण्डस्ट्रीज, राजस्थान

4. इण्डस्ट्रीयल लैण्ड फोर यू।

उक्त साहित्यों की प्रतियां संलग्न हैं।

(सूचना व साहित्य विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

खारा ग्रोथ सेंटर में मूलभूत सुविधाएं

865. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खारा ग्रोथ सेंटर में पानी, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

खारा ग्रोथ सेन्टर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये रीको द्वारा निम्नांकित प्रबन्ध किये गये हैं :—

पानी : ग्रोथ सेन्टर में पानी का प्रबन्ध कंवरसेन लिफ्ट नहर से किया जा रहा है। रीको द्वारा इसकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा कार्य प्रगति पर है। यह कार्य माह सितम्बर, 1995 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

बिजली : वर्तमान में ग्रोथ सेन्टर में बिजली के कनेक्शन देने की सुविधा उपलब्ध है तथा विद्युत मण्डल द्वारा मांग पर कनेक्शन दिये जा रहे हैं। इसी वित्तीय वर्ष में यहां 33/11 के. वी. का सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है जिससे बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

सड़क : ग्रोथ सेन्टर में 17.70 किलो मीटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है जिसमें से माह मार्च, 1995 तक 4.40 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है तथा 6.20 किलो मीटर सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसकी माह सितम्बर, 1995 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। बाकी सड़कों का निर्माण कार्य भूमि का कब्जा मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

उपरोक्त सुविधाओं के अलावा भविष्य में ग्रोथ सेन्टर में टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, चैक पोस्ट व डिस्पेन्सरी की सुविधायें उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

किशनगढ़ औद्योगिक बस्ती विकास हेतु भूमि अवाप्ति

866. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किशनगढ़ में सुनियोजित रूप से औद्योगिक बस्ती के विकास की

(श्री जगदीप धनखड़)

आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में "रीको" ने भूमि अवाप्ति के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो कब और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है ? अवाप्त की जाने वाली भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा पूर्व में किशनगढ़ शहर के सुनियोजित विकास के लिये ग्राम सांवतसर की 905–02 बीघा भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा चुका है।

(2) जी, हां। रीको द्वारा किशनगढ़ (सांवतसर) औद्योगिक क्षेत्र के मध्य छूटी हुई 20 बीघा 05 बिस्वा भूमि अवाप्त की जा रही है। इसका भूमि अवाप्ति अधिकारी, किशनगढ़ से अवार्ड होना अपेक्षित है। औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किशनगढ़ नसीराबाद बाई पास पर एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने हेतु 1210 बीघा 05 बिस्वा राजकीय भूमि के आबंटन के प्रस्ताव रीको से राज्य सरकार को दिनांक 22-3-95 को प्राप्त हुए हैं। इस भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग ग्रीन बेल्ट दर्ज है। इसका भू-उपयोग परिवर्तित करने के प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को दिनांक 2-3-95 को प्रेषित किये हैं। मामला नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु विचाराधीन हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय

867. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में रीको द्वारा कितना स्थापना खर्च किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले 3 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में रीको द्वारा किया गया स्थापना खर्च निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय की राशि (रुपये लाखों में)
1992–93	739.88
1993–94	791.98
1994–95 (अनुमानित)	881.03

(2) पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों पर निम्नानुसार राशि व्यय की गयी है : —

वर्ष	व्यय की गयी राशि (रुपये लाखों में)
1992–93	4222.74
1993–94	3211.14
1994–95 (अनुमानित)	2992.00

रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को ऋण एवं अनुदान

868 **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रीको द्वारा पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक इकाइयों को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया एवं कितनी राशि अनुदान के रूप मे स्वीकृत की गयी ? वर्षवार इकाइयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने ऋण प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने स्वीकृत किये गये तथा कितनी अनुदान राशि का वितरण किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले तीन वर्षों में निगम की कुल कितनी अतिरेक राशि रही एवं कितनी राशि की वसूली की गयी ?

उत्तर

(1) रीको द्वारा गत 3 वर्षों में (1992-93, 1993-94, 1994-95) रुपये 69.25 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया व रु. 99.78 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। इन 3 वर्षों में रु 15 88 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्षवार मय इकाइयों के नाम सहित स्वीकृत ऋण, वितरित ऋण व स्वीकृत अनुदान का विवरण क्रमशः परिशिष्ट–1 (अ, ब, ब, स) 2 (अ, ब, ब, स) तथा 3 (अ, ब, ब, स) पर उपलब्ध है।

(2) रीको द्वारा लिमिटेड कम्पनियों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः इन उद्योगों के प्रवर्तकों की जातिगत सूचना नहीं रखी जाती। परियोजना की जीव्यता (Viability) ही ऋण स्वीकृति का प्रमुख आधार होता है।

(3) पिछले तीन वर्षों में निगम की अतिरेक राशि (Verdue) एवं वसूल की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जोधपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग

869. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष में कितने नये उद्योग लगे, कितना पूंजी निवेश हुआ व कितना अनुदान दिया गया ? पुराने उद्योगों में विस्तार हेतु कितनी पूंजी विनियोजन हुई व कितना अनुदान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग मिला ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो सरकार के पास इस सम्बन्ध में क्या विकल्प है ?

(2) क्या नयी उद्योग नीति लागू होने के पश्चात् उद्योगों के प्रसार की गति बढ़ी है ? यदि हां, तो इस गति का अधिकतम उपयोग हो उस हेतु क्या सरकार जोधपुर की शहरी सीमा में पूंजी अनुदान राशि मार्च, 1995 से आगे बढ़ाने का विचार रखती है ?

(38)

उत्तर

(1) जोधपुर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गत एक वर्ष 1994-95 के दौरान स्थापित होने वाले नये/विस्तारित उद्योगों की संख्या, पूंजी निवेश व पूंजी विनियोजन अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
(क) नये उद्योग		
1. संख्या	193	211
2. पूंजी निवेश (रुपये लाखों में)	1531.49	697.48 (लाख)
(ख) विस्तारित उद्योग		
1. संख्या	56	2
2. पूंजी निवेश (रु. लाखों में)	884.19	27.59
(ग) पूंजी विनियोजन अनुदान		
अ. नये उद्योगों को :—		
1. संख्या	51	6
2. राशि (रु. लाखों में)	199.37	1.72
ब. विस्तारित उद्योगों को :—		
1. सख्या	18	—
2. राशि (रु. लाखों में)	54.92	—

(2) जी हां, यह सही है कि नई उद्योग नीति लागू होने के पश्चात् उद्योगों के प्रसार की गति बढ़ी है। राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 का लाभ शहरी क्षेत्रों में भी दिनांक 31-3-96 तक बढ़ाने बाबत बजट में घोषणा कर दी गयी है। अतः राज्य सरकार जोधपुर की शहरी सीमा में भी दिनांक 31-3-1996 तक स्थापित होने वाले उद्योगों को अनुदान देने का विचार रखती है।

सूर्यनगर टौंक रोड, जयपुर पर सड़क निर्माण/रोड लाइट्स

870. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक रोड, जयपुर पर स्थित सूर्यनगर (तारों की कूंट) कालोनी के अन्दर मुख्य मार्ग पर बरसात के पानी से गहरे गड्डे हो जाने के कारण यह मार्ग दुपहियां वाहनों के चलने योग्य नहीं रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर सड़क निर्माण अथवा मार्ग को वाहनों के चलने योग्य बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी में रोड लाइटें नहीं होने के कारण रात्रि को आने जाने में यहां के निवासियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां रोड लाइट की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जहां तक इस मार्ग पर सड़क निर्माण अथवा मार्ग को वाहनों के चलने योग्य बनाने का प्रश्न है इस संदर्भ में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निवेदन है कि यह योजना (सूर्यनगर) अनुमोदित नहीं है। अतः इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर ही उक्त विकास कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। जहां तक इस कालोनी में रोड लाइटें लगाये जाने का प्रश्न है, उस सन्दर्भ में निवेदन है कि यह योजना अनुमोदित नहीं है। अतः इस योजना के अनुमोदन पश्चात् ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर ही रोड लाइटें लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

पीतल फैक्ट्री, जयपुर स्थित फुटपाथों पर अतिक्रमण

871. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में पीतल फैक्ट्री के सामने शास्त्री नगर सड़क पर लोगों ने फुटपाथों पर दुकानों का निर्माण व अस्थायी ढांचे तैयार कर लिये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध कब्जों के कारण नालियों का निर्माण कार्य रुक गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि फुटपाथ पर एक दुकान का निर्माण (ज्यूस सेण्टर) कर लिया गया था, जिसे हटाया जा चुका है। बाकी और कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है।

(2) उक्त दुकान की वजह से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही नालियों में व्यवधान पैदा हुआ था। अब अतिक्रमण हटाया जा चुका है। नाली निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं से आवासीय जल कनेक्शन

872. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं से घरों में पानी के कनेक्शन देने के सम्बन्ध में कोई नियम बना रखे हैं या दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या ? नियम/दिशा–निर्देश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम लाछड़ी, तहसील लाडनूं, जिला–नागौर में घरों में कनेक्शन दे रखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन को व कब-कब से किस-किस अधिकारी द्वारा किन नियमों के तहत यह कनेक्शन दिये गये ?

(3) क्या उपरोक्त कनेक्शन देने में किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या, एवं किसके ?

(4) क्या उक्त ग्राम में और लोग जो कनेक्शन अपने घरों में लेना चाहते हैं उन्हें

40

(श्री हरजीराम बुरड़क)

भी कनेक्शन दिया जायेगा? यदि हां, तो कब और किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1991 की जनगणनानुसार केवल 5,000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों में उच्च जलाशय बनाकर घरेलू जल सम्बन्ध देने बाबत तकनीकी औचित्यता एवं सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रख कर बनाये गये दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं (प्रपत्र "क" पर संलग्न है)

(2) श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री डूंगरसिंह निवासी लाछड़ी को दिनांक 16-3-94 को भू-सतही जलाशय से एक जल सम्बन्ध जारी किया गया था जो तत्कालीन अधिशाषी अभियंता खण्ड-डीडवाना द्वारा स्वीकृत किया गया। विभाग द्वारा अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्बन्ध देने हेतु किसी अधिनियम के अन्तर्गत नियम नहीं बनाये हुए हैं।

(3) जी, हां। विभागीय दिशा-निर्देशों के विरुद्ध दिये गये जल सम्बन्ध को विच्छेद करने की तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में विभागीय नीति अनुसार इस ग्राम में घरेलू कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है।

(दिशा-निर्देशों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था

873. **श्री हीरालाल बिश्नोई** (सांचौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर में वर्ष 1990 एवं 1992 में आयी बाढ़ से प्रभावित पेयजल व्यवस्था को ठीक करने हेतु विभाग को राहत राशि प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कहां से व कितनी राशि? क्या सरकार द्वारा उक्त राशि का उपयोग उक्त क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था हेतु किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के लिये वित्तीय वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में क्रमश: 9.60 एवं 38.77 लाख की धनराशि बाढ़ से प्रभावित योजनाओं के कार्य हेतु सहायता विभाग द्वारा दी गयी थी इस राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया था।

ग्राम धोबलाई (चौमूं) की पेयजल योजनाएं

874. **श्री खंगारसिंह** (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धोबलाई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा इन योजनाओं पर कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए

(श्री खंगार सिंह)

अब तक व्यय की गयी तथा क्या-क्या कार्य किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में उपरोक्त जल प्रदाय योजनाओं को अब तक चालू नहीं करने के उपरांत भी बिजली के बिलों का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? अब तक योजना चालू नहीं होने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या सरकार उक्त योजना (पेयजल) को चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित ग्राम घोबलाई हेतु पम्प एण्ड टैंक योजना 4.05 लाख रुपये की वर्ष 86-87 में तथा वर्ष 93–94 में समर कन्टीजेन्सी के तहत 2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण प्रपत्र–'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष जून 92 में घोबलाई योजना चालू की गयी थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा संधारित न किये जाने के कारण जुलाई, 1992 में ही बन्द हो गयी। विभाग को नियमानुसार बिजली का कनेक्शन के न्यूनतम चार्ज देना अनिवार्य होता है।

(3) वर्तमान नीतिर्गत यदि ग्राम पंचायत आदि इसे "जनता जल योजना" के रूप में चलाये तो उसकी नियमानुसार सहायता की जाएगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायत आभानेरी (दौसा) के ग्रामों में हैण्डपम्प

875. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला दौसा के ग्राम जैस्या का गोला शेखपुरा ग्राम पंचायत आभानेरी तहसील बसवा में हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम जैस्या का गोला शेखपुरा के नागरिकों द्वारा हैण्डपम्प लगाने हेतु मांग की गयी है ? यदि हां, तो अब तक हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने के कारण रहे हैं और अब कब तक हैण्डपम्प लगा दिये जाएंगे।

उत्तर

(1) जी हां, एक हैण्डपम्प की शीघ्र ही स्वीकृति की जाकर कार्य शीघ्र करवाया जायेगा।

(2) जी, नहीं। उपरोक्तानुसार (1) के अनुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या 876
(स्थगित)

जिला अलवर के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पदोन्नति प्रकरण

877. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशव-रायपाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(५१२)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अलवर जिले के दो वर्ष से अधिक के अनुभव वाले सहायकों (दैनिक वेतनभोगी) को उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों सहित पदोन्नति हेतु दो बार फार्म भरवाये गये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर सहायकों (दैनिक वेतनभोगी) का पदोन्नति कोटा है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत तथा उक्त कोटे के अनुसार सन् 1987 से अब तक अलवर जिले में कितने सहायकों को पदोन्नति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब इन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ? उक्त अवधि में पदोन्नत व पदोन्नति की प्रतीक्षा/वरिष्ठता सूची देरी के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि की सूची मांगी गयी थी। जहां तक दैनिक वेतन भोगी सहायकों की पदोन्नति का प्रश्न है इस हेतु नियमानुसार पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर सहायकों (दैनिक वेतन भोगी) का पदोन्नति का कोई कोटा नहीं है। दिनांक 1-4-1988 को रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पद के विरुद्ध कार्य प्रभारित कर्मचारियों को लगाने हेतु (50% कोटा) सम्बन्धी ही राज्यादेश केवल उस एक समय हेतु ही जारी किये गये थे, अतः प्रश्न में वर्णित स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई।

सीवर लाइनों का गंदा पानी पीने के पानी में मिलने से उत्पन्न स्थिति

878. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि सीवर लाइन व पानी की लाइनें साथ-साथ होने से लीक होने पर सीवर लाइन का पानी पीने के पानी में मिल कर गंदा पानी घरों में चला जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

कई स्थानों पर सीवर लाइन व पानी की लाइन आस पास होने से पानी की लाइन में लीकेज होने पर उपभोक्ताओं की स्वयं की पाइप लाइन के उचित संधारण की कमी व उनका खुली नालियों में प्रतिस्थापित करना, अनाधिकृत रूप से "बूस्टर पम्पों" का उपयोग कर दाब से पानी खींचने की प्रवृत्ति, आदि ऐसे कई कारण हैं जिनसे प्रदूषण होने की सम्भावना हो जाती है। प्रभावित होने का सर्वेक्षण कर, पानी की लाइन व सीवर लाइनों को दूर करने के तथा उपभोक्ताओं को समझाइश कर तथा अवैध बूस्टर पम्पों के विरूद्ध कार्यवाही कर विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जाते हैं।

विभाग द्वारा सीमित संसाधनों को दृष्टिगत कर नयी पाइप लाइनें बिछाना, उनका उचित संधारण करना तथा अन्य

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वित प्रयास कर सीवरेज योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं तीव्र गति से उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा उपभोक्ताओं को जागरूक कराने हेतु भी समुचित प्रयास जारी हैं। उपलब्ध कराये जाने वाले पानी का बैक्टीरियोलोजीकल एवं रासायनिक विश्लेषण कराया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल ही उपलब्ध हो।

जयपुर शहर की सड़कों/फुटपाथों पर अतिक्रमण

879. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर की सड़कों, फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमणों को अब तक नहीं हटाये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर के लिए यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में फुटपाथों पर जो अतिक्रमण होते हैं उनको नियमित रूप से हटवाया जा रहा है। कई बार सामूहिक अभियान आयोजित कर, अतिक्रमण हटाये गये हैं। कुछ स्थानों पर माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण फुटपाथों पर से अतिक्रमण नहीं हटाये जा सके हैं। वैसे निरीक्षण के समय भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाता है।

(2) प्रश्न के उत्तर भाग एक में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

नगरपालिका अकलेरा के ग्रामों को नगरपालिका सीमा से बाहर करने हेतु विचाराधीन प्रकरण

880. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका अकलेरा के साथ संलग्न ग्रामों को नगर पालिका सीमा से बाहर करने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन ग्रामों को कब तक बाहर कर दिया जावेगा ? ग्रामों का नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर पालिका ने साधारण सभा की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर, 1993 को नगर पालिका, अकलेरा में सम्मिलित गांवों को अलग करने बाबत सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो इन गांवों को पंचायत में कब तक सम्मिलित कर दिया जावेगा ?

(3) क्या अकलेरा नगरपालिका के गांवों में सड़क सुविधा तथा स्ट्रीट लाइटों आदि के विकास कार्य नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) नगरपालिका से गांवों को अलग करने सम्बन्धी कार्यवाही में शिथिलता के क्या कारण हैं तथा अब कब तक निर्णय कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला कलक्टर झालावाड़ से टिप्पणी मांगी गयी है । जिला कलक्टर के टिप्पणी प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । ग्रामों का नामवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । इसका उत्तर भी भाग एक के उत्तर में सम्मिलित हैं ।

(3) जी, हां । नगर पालिका की आर्थिक स्थिति के कारण ।

(4) भाग 1 एवं 2 के उत्तर में इसका उत्तर भी सम्मिलित है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

उदयपुर शहर में भवन निर्माण स्वीकृति प्रकरण

881. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर विकास प्रन्यास या नगर परिषद् द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो जनवरी, 1980 से अद्यतन 3 से अधिक मंजिली कितने भवनों की अनुमति दी गयी है और उसमें आवासीय और व्यावसायिक भवन कौन-कौन से हैं और नगर में किन-किन स्थानों पर ये भवन अवस्थित हैं और इनके मालिकों के क्या नाम हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त मकान मालिकों ने अनुमति के अनुसार ही भवन निर्माण कार्य कराया है ? क्या इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त मकानों के सम्बन्ध में प्रन्यास/परिषद् या जिला प्रशासन ने जांच कर कार्यवाही की है ? यदि हां, तो प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि उदयपुर नगर में न्यास क्षेत्र में न्यास द्वारा एवं नगर परिषद् क्षेत्र में नगर परिषद् द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है । सन् 1980 से अब तक तीन से अधिक मंजिलों की स्वीकृति न्यास द्वारा 6 भवनों की दी गयी, जो निम्न प्रकार है :—

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	स्थान	उपयोग आवासीय/व्यावसायिक	मौके की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	रिद्धि-सिद्धि, श्री गणेश, श्रवण कुमार आदि	भू. सं. 734 मौजा पहाड़ा (आयड रोड)	व्यावसायिक	कार्य आरम्भ नहीं किया	
2.	पद्मिनि बिल्डिर्स द्वारा मै. प्रा. लि.	भू. सं. 224 सरदारपुरा	होटल हेतु	कार्य आरम्भ नहीं किया	
3.	होटल पारस महल श्रीमती यशोदा देवी पत्नि श्री परसरामजी	हि. म. से-11 पारस सिनेमा के पास	व्यावसायिक	कार्य प्रगति पर है।	
4.	गोकुल पेलेस (अरावली हा. सी.)	कोठारीजी की बाड़ी बिलोचिस्तान कालोनी	आवासीय	निर्माण हो चुका	संबंधित प्रकरण में न्यास द्वारा दिनांक 29-2-88 को भूतल + 3 मंजिल निर्माण की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी द्वारा जारी स्वीकृति के विपरीत

(45)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1	2	3	4	5	6
					तीसरी मंजिल एवं भूखण्ड के सेट बैक के पिछले भाग एवं उत्तर तथा दक्षिण भाग में अवैध निर्माण किया गया है। मामले को नियमन हेतु नियमन समिति की बैठक दिनांक 20–7–88 को विचारार्थ रखकर निर्णय लिया गया। जिसमें नियमों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी द्वारा किये गये साइट सैट बैक्स में किये गये अवैध निर्माण को 11,606/– रु. शास्ति जमा कराकर नियमित किया गया।
5.	संकेत व्यू	भू. सं. 179 फतहपुरा सुखाड़िया सर्कल के पास	आवासीय	निर्माण हो चुका है।	प्रार्थी को न्यास द्वारा पूर्व में भूतल + तीन मंजिल निर्माण की स्वीकृत दी गयी थी। प्रार्थी द्वारा चौथी मंजिल पर दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया एवं साइट सैट बैक्स एवं पीछे के सैट बैक्स में बालकनियों का निर्माण किया गया एवं आन्तरिक

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1	2	3	4	5	6
					परिवर्तन किया गया। जिसको कि न्यास निर्णय दिनांक 30-4-92 एवं 9-11-92 के अनुसार दिनांक 4-12-92 को संशोधित स्वीकृति जारी की गयी। प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण को नियमित कर न्यास कोष में 4,22,342/- रु. जमा करवाया गया। प्रार्थी द्वारा कम्पलिशन सर्टिफिकेट की मांग करने पर वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर के पत्र क्रमांक यू.डी.आर./1020/यू.पी.आर. दिनांक 9-5-94 द्वारा दी गई राय के अनुरूप न्यास द्वारा प्रार्थी को न्यास के पत्र क्रमांक यू.आई.टी./94 दि. 12-5-94 द्वारा कम्पलिशन सर्टिफिकेट जारी किया गया। अब इस प्रकरण में न्यास द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

1	2	3	4	5	6
6.	श्रीनिकेतन (श्री रतनसिंह एवं श्री उदयसिंह मेहता	भू. स. 379-380 अशोक नगर आयड विस्तार योजना में आयड पुलिया के पास	आवासीय	निर्माण हो	संबंधित प्रार्थी को न्यास द्वारा दिनांक 24-12-81 को ग्राउंड + 2 मंजिल निमाण की स्वीकृति दी गई। प्रार्थी द्वारा मौके पर अनुमोदित प्लान के अनुरूप निर्माण नहीं करने के कारण न्यास द्वारा दिनांक 13-4-88 को धारा 91 (ए) के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसमें कि प्रार्थी द्वारा मौके पर भू-तल पर आवासीय निर्माण के बजाय प्रार्थी द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर न्यास से तहसील शाखा द्वारा अनाधिकृत निर्माण बाबत दिनांक 1-7-89 के पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब तहसीलदार न्यास को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। जनवरी, 1980 से अब तक 3 मंजिल से अधिक की भवन अनुमति नगर परिषद् उदयपुर द्वारा नहीं दी गयी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी नहीं, अनुमति के विपरीत किये गये निर्माण को नियमानुसार शुल्क लिया जाकर कम्पाउन्डिग किया जा चुका है ।

(3) जी नहीं, न्यास क्षेत्राधिकार के उक्त प्रकरणों में दी गयी निर्माण स्वीकृतियों में से उक्त प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के क्रम संख्या–1, 2, 3 के संबंधित प्रकरणों में जांच होने के बाद शास्ति की राशि ली गई है, जिसका उल्लेख उपरोक्त अनुसार विशेष विवरण में कर दिया गया है ।

नगरपालिका जहाजपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति

882. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका जहाजपुर द्वारा वर्ष 1990–91 से 1994–95 के बीच कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति नियमानुसार हुई है ? यदि हां, तो इस अवधि में भर्ती तथा पदोन्नति के लिए नाम, योग्यता तथा स्टॉफ पेटर्न एवं विभाग की स्वीकृति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) नगरपालिका जहाजपुर के लिये वर्ष 1990–91 से 1994–95 के लिये स्वीकृत पद एवं स्वीकृति और पदोन्नति की स्वीकृति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका जहाजपुर में वर्णित पदों के विरुद्ध भर्तियां नियम विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो इसकी शिकायत एवं जांच के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1990–91 से 1994–95 के बीच कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति की गयी हैं। विवरण मय योग्यता व स्टाफिग पैटर्न के सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1990–91 से 94–95 के लिए स्वीकृति और पदोन्नति का वितरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) प्रश्न के भाग 1 व 2 के उत्तर के पश्चात् प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

घी वालों का रास्ता (जयपुर) में व्यावसायिक स्थल निर्माण की स्वीकृति प्रकरण

883. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकान नं. 1946, दड़ा चौराहा, घी वालों का रास्ता, जयपुर को व्यावसायिक स्थल बनाने की मन्जूरी दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ?

(2) क्या पार्किंग आदि सैट बैक का स्थान नियमानुसार छोड़ा गया है ? यदि

(50)

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यावसायिक स्थल का मन्जूरशुदा नक्शा व इजाजत तामीरात सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त व्यावसायिक भवन में भूतल घर (अण्डरग्राउण्ड) बनाने की इजाजत दी गयी है एवं इजाजत देते समय क्या आस-पास के मकानों व सड़क जमीन में पोल होने से धंसने की सम्भावना को ध्यान में रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यावसायिकरण बिना इजाजत गैर कानूनी बन रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त व्यावसायिक भवन के अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य में अधिकारियों की भी मिलीभगत रही है ? यदि हां, तो निर्माणकर्ताओं व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । नगर निगम के बाईलाज के अनुसार है ।

(2) जी, नहीं । क्योंकि चार दीवारी में सैट बैक छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है । स्वीकृत नक्शे एवं इजाजत तामीर की छाया प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) उक्त व्यावसायिक भवन में भूतल पर अण्डर ग्राउण्ड बनाने की इजाजत नहीं दी गयी है । बिना इजाजत बनाये गये भूतल का राजीनामा किया गया है । भूतल का निर्माण नगर निगम के अनुसार पुख्ता है एवं कोई पोल नहीं छोड़ी गयी है । इसलिये आस-पास के मकानों के धंसने की कोई सम्भावना नहीं है ।

(4) जी, नहीं । इस स्थल का राजीनामा किया जाकर स्वीकृति दी गयी है ।

(5) निर्माण स्वीकृति लेकर किया गया है । इसलिए किसी के दोषी होने का कोई कारण नहीं है ।

(नक्शे व अन्य सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के मुख्य बाजारों में अधोभूतल निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रकरण

884. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के मुख्य बाजारों में अधो–भूतल निर्माण कार्य की स्वीकृति नगर निगम द्वारा नहीं दी जाती ?

(2) क्या यह सही है कि कोई दुकानदार यदि अपनी दुकान में अधोभूतल का निर्माण कर लेता है तो नगर निगम इसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर व कुछ जुर्माना वसूल कर उस वाद को कम्पाउण्ड कर उसे नियमित कर देती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या सरकार जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर आदि बड़े शहरों में ऐसा ही करती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(5) क्या सरकार ऐसे निर्माण कार्यों के लिए भविष्य में स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। नगर निगम जयपुर द्वारा मुख्य बाजारों में अधो–भूतल निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाती है।

(2) यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न है, जिस पर तकनीकी वास्तुकला एवं नगर सौन्दर्यकरण आदि बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् नीतिगत निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी, नहीं। राज्य में ऐसी कोई नीति नहीं है।

(4) इसका उत्तर भी भाग 2 के उत्तर में सम्मिलित है।

(5) प्रश्न भाग 1, 2 व 4 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

नगर पालिका नैनवां की जांच के आधार पर दर्ज आपराधिक प्रकरण

885. **श्री शिवदान सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 से अब तक की अवधि में नगर पालिका नैनवां के सम्बन्ध में की गयी विभिन्न जांचों में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(2) क्या उक्त नगर पालिका के संबंध में इस अवधि के अन्दर घटित प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सरकार द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका नैनवां के सम्बन्ध में किसी जांच के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।

(2) नगर पालिका नैनवां के सम्बन्ध में किसी प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के लिये प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

नगर पालिका नैनवां द्वारा नियुक्त कर्मचारी

886. **श्री शिवदान सिंह चौहान** (नाथद्वारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री शिवदान सिंह चौहान)

(1) क्या नगर पालिका, नैनवां द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1990 के पश्चात् कर्मचारी कार्य पर रखे गये हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को किस-किस तारीख से ? रखे गये कर्मचारियों की आयु एवं इस बाबत लिये गये निर्णय की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों एवं पूर्व के कर्मचारियों के परिवार के हैं ? आपसी सम्बन्ध की जानकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से कर्मचारियों का वेतन समय पर वितरित नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो 29 अगस्त, 1990 के पश्चात् रखे गए कर्मचारियों को कार्यरत रखने का औचित्य क्या है ? इस बाबत की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) दैनिक वेतन के नाम पर नगर पालिका बोर्ड के सदस्य के परिवार के व्यक्ति को कार्य पर रखने के लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा इस बाबत बोर्ड के सदस्य के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी, हां । ऐसे रखे गए कर्मचारियों की सूची मय नियुक्ति तिथि नाम व आयु के सदन की मेज पर रख दी गयी है । अलग से पालिका द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है ।

(2) ऐसे कर्मचारियों में से नगर पालिका मण्डल के सदस्यों के परिवार व सम्बन्ध की जानकारी सहित विवरण सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जी, हां । कर्मचारी रखने के औचित्य की जांच करवायी जा रही है ।

(4) दैनिक वेतन के नाम पर नगर पालिका मण्डल के सदस्य के परिवार के व्यक्तियों को रखे जाने की भी जांच करवायी जा रही है । जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखा गया)

दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. अजमेर की आवासीय योजना

887. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दीप दर्शन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर द्वारा वर्ष 1985 में अपनी आवासीय योजना क्रम सं. 2 के अन्तर्गत जयपुर रोड पर पुराने चुंगी नाके के निकट काकरदा भूणावाय पटवार सर्किल की खाता सं. 42 खसरा नं. 152/1 की भूमि पर आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो इसमें कितने भू-खण्ड किस-किसको कब-कब आवंटित किये गये ? उक्त योजना के ब्लू प्रिन्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना स्वीकृति हेतु समिति द्वारा नगर विकास न्यास, अजमेर को प्रस्तुत की गयी ? यदि हां, तो कब एवं उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अब कब तक उक्त योजना को स्वीकृत कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समिति ने न्यास की दीपक नगर योजना में शामिल भूमि ग्राम काकरदा भूणावाय के ख. नं. 152/1 सहित अन्य खसरा नम्बरों की भूमि के नियमन हेतु एक आवेदन पत्र न्यास, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 31-3-94 को प्रस्तुत किया था, जिसके साथ सदस्यों की कोई सूची पेश नहीं की एवं न ही योजना का ब्लू प्रिंट पेश किया गया।

(2) समिति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन/संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम 1981 के नियमों के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 18-2-94 के अन्तर्गत भूमि रूपान्तरण नियमन बाबत आवेदन पत्र दिनांक 31-3-94 को न्यास अजमेर कार्यालय में पेश किया गया तथा समिति द्वारा 31-5-82 तक कोई रूपान्तरण शुल्क जमा नहीं कराया है। अतः आवेदन पर उक्त आदेशों के क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आदेश दिनांक 18-2-94 के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति अथवा नियमन किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि समिति द्वारा दिनांक 31-5-82 तक कोई रूपान्तरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है।

खातीपुरा क्वींस रोड (जयपुर) की भूमि पर बसी आबादी का सर्वे

888. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में खातीपुरा क्वींस रोड पर प्रेमपुरा के खसरा नम्बर 29 से 31, 49, 67 से 69, 50, 50/223 की भूमि पर आबादी कब से है और उसका सर्वे कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अनेक कच्चे/पक्के मकान जयपुर रियासत के समय से बने हुए थे एवं उनमें नल बिजली के कनेक्शन भी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र पर अब सैनिक अपना दावा बता रहे हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या अब सरकार इस क्षेत्र के निवासियों को हटा रही है ? यदि हां, तो क्यों व क्या इनको इसका मुआवजा अथवा अन्य स्थान पर बसाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रेमपुरा तहसील जयपुर के ख. सं. 29 से 31, 49, 69, 50 को खातेदारी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया दर्ज है। ख नं. 29 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म जमीन गैर मु. नाला ख. नं. 30 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा बंजड एक

(54)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

ख. नं. 31 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बंजड़, अव्वल, ख नं. 49 रकबा, 5 बीघा 3 बिस्वा बारानी दो 4 बीघा बंजड़ 1 बीघा 3 बिस्वा ख. नं. 50 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा बंजड़ एक ख. नं 59 रकबा 9 बिस्वा बंजड़ एक एवं ख नं. 50/223 रकबा 4 बिस्वा गै. मु. बाड़ा श्री गंगाबक्स पुत्र मोती जाट खातेदार के नाम दर्ज है। जिलाधीश जयपुर के निर्देशानुसार उक्त बस्ती का वर्ष 1971 में सर्वे कराया गया था।

(2) जी, हां। उक्त क्षेत्र में कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। यह भी सही है कि बने हुये मकानों में नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। सैनिक अपना दावा बता रहे हैं इसकी जानकारी प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है।

(3) जी, हां। उक्त कच्ची बस्ती को हस्तान्तरित किया जाना है। इसके तहत संजय नगर कच्ची बस्ती में इस बस्ती के 64 स्वीकृत सर्वेधारियों को लाटरी द्वारा भूखण्ड दिये गये हैं। परन्तु संजय बस्ती के योजना मानचित्र में संशोधन किए जाने के कारण आबंटन पत्र जारी नहीं किए गये हैं।

शास्त्री नगर (जयपुर) की शिव शक्ति कालोनी में अनधिकृत निर्माण

889. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित शास्त्री नगर में शिव शक्ति कालोनी पी. एण्ड. टी. क्वाटर्स के पीछे प्लाट नं. 2ए 74 से 2ए 87 की गली में अनधिकृत रूप से अधूरा मकान निर्माण किया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सार्वजनिक रास्ते के बीच में बनाये गये अनधिकृत निर्माण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर स्थित शास्त्री नगर में शिव शक्ति कालोनी पी. एण्ड टी. क्वाटर्स के पीछे प्लाट नं. 2ए 74 व 2ए 87 की गली में पुराना पक्की दीवारों पर टीनशेड लगा कर अधूरा निर्माण किया हुआ है। यह भूखण्ड नगर विकास न्यास द्वारा राशि जमा कर आबंटित किया हुआ है।

(2) बस्ती को व्यवस्थित रूप से बसाने के कारण यह निर्माण सार्वजनिक सड़क के बीच में आ रहा है। इसको हटाने पर मुन्सिफ कोर्ट का सशर्त स्थगनादेश है। न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने के नगर निगम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 890

(स्थगित)

राज्य की नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति

891. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पूराराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राज्य की अधिकतम नगर पालिका एवं नगर परिषदों की वित्तीय स्थिति दयनीय है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य की इन संस्थाओं को विकास कार्य के लिए दिए जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है ? यदि हां, तो सरकार इन स्वयं सेवी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

(3) वर्तमान में राज्य नगर पालिकाओं एवं परिषदों को दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में करीब 92 नगर पालिकाएं आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। विकास कार्यों के लिए पर्याप्त अनुदान के लिए वित्त आयोग बैठा हुआ है।

(2) जी नहीं। सरकार ने नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने के लिए वित्त आयोग का गठन कर रखा है।

(3) वर्तमान में नगर पालिकाओं एवं परिषदों को दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

नगर पालिका भीनमाल क्षेत्र में हुडको द्वारा ऋण

892. **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर पालिका भीनमाल क्षेत्र में हुडको द्वारा मालवीय नगर योजना को विकसित करने हेतु ऋण दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के मद में दिए गए ऋण को गैर कानूनी जगह पर खर्च किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मालवीय नगर एवं अन्य कॉलोनियों में नाम मात्र का विकास कार्य हुआ है ? यदि हां, तो हुडको द्वारा भीनमाल नगर पालिका को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया एवं उसमें से कितना-कितना ऋण कार्य में लिया गया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) प्रश्न एक के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) जी, नहीं। यह सही नहीं है। नगर पालिका में आयी हुई कालोनियों में विकास कार्य जैसे सड़क, नाली, बिजली पुलिया, पार्क निर्माण आदि हुए हैं। नगर पालिका भीनमाल को हुडको द्वारा कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किशनपोल के आवासीय भूखण्डों में संचालित अवैध डेयरियां

893. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(56)

(श्री शंकर लाल ग्रहारी)

(1) क्या सरकार ने आवासीय भूखण्ड में निजी दुग्ध डेयरी चलाने के लिये कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र किशनपोल, जयपुर में कहां-कहां आवासीय भू-खण्डों में दुग्ध डेयरियां चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त डेयरियों के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान की है ? यदि नहीं, तो अवैध रूप से संचालित इन डेयरियों के मालिकों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार जनहित और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए इन डेयरियों को तुरन्त बन्द करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि निजी डेयरी चलाने के लिये नगर निगम, जयपुर ने नियम बना रखे हैं । नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र किशनपोल जयपुर में जहां-जहां डेयरियां आवासीय भूखण्डों में चल रही है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा-90 के उपनियमों के अन्तर्गत चार दीवारी के बाहर डेयरियां चलाये जाने की अनुमति दे रखी है, नियमों की प्रति संलग्न है । अवैध रूप से संचालित डेयरियों के मालिकों के नियमानुसार चालान कर, कार्यवाही की जाती है । विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(4) यह मामला नीतिगत है । जिसे नगर निगम, जयपुर में बोर्ड की बैठक में विचार हेतु रखा जावेगा । बोर्ड के निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।

(संलग्न सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुम्हारवाला माइनरों के चकों को सिंचाई हेतु नियमित पानी उपलब्ध कराया जाना

894. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुम्हारवाला माइनर, मैकेरी माइनर में कितने-कितने चक हैं ? प्रत्येक चक में कितने मुरब्बे हैं ?

(2) क्या इन माइनरों की सिंचित भूमि में पानी अनियमित व निर्धारित मात्रा में न मिलने तथा मिट्टी पूरी नहीं निकाली जाने बाबत शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(3) इन चकों की कुल कितनी-कितनी भूमि कमाण्ड है तथा वास्तव में कितनी-कितनी भूमि को पानी दिया गया है ?

(4) इन माइनरों के ऊपरी प्रसार के चकों की तीव्रता क्या है तथा पिछले भाग के चकों की तीव्रता क्या है ?

(श्री भीमसेन चौधरी)

(5) सरकार नियमित व निर्धारित मात्रा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की कब तक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कुम्हारवाला माईनर व मैकेरी माईनर (मैकेरी सब माईनर) में क्रमश: 9 व 10 चक है। इन नहरों के प्रत्येक चक में मुरब्बों की संख्या का चकवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) इन नहरों की सिंचित भूमि में पानी नियमित तौर पर निर्धारित मात्रा में मिलता रहा है। प्राय: माह जून से सितम्बर तक तेज आंधियों के कारण उड़कर आयी मिट्टी नहरों में जमा होती है उसे निकलवा लिया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में पानी टेल पर पहुंचाया जा रहा है।

(3) इन नहरों की सिंचित भूमि व वास्तव में सिंचित भूमि का विवरण भी परिशिष्ट "क" के कॉलम सं. 5, 6, 7 व 8 में अंकित है।

(4) इन नहरों के ऊपरी प्रसार के चकों की तीव्रता तथा पिछले भाग के चकों की तीव्रता भी परिशिष्ट "क" कॉलम में अंकित है।

(5) आंधियों व वर्षा काल के समय को अपवाद स्वरूप छोड़कर पूरे वर्ष में पानी इन नहरों की टेल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

ग्राम कुशलपुर (बामनवास) के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत

895. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बामनवान विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुशलपुर तहसील बौंली में इसी वर्ष वर्षा के समय एक पुराना बांध टूट गया था, जिसकी सूचना जिला कलंक्टर एवं सिंचाई विभाग को दे दी गयी थी किन्तु आज तक उक्त बांध की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टूटे हुए बांध को दुरुस्त कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी. हां। यह बांध पंचायत समिति के अधीन है एवं इसकी मरम्मत पंचायत समिति द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र डग की प्रस्तावित सिंचाई परियोजनायें

896. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में योगरा, बिस्पूनियां एवं क्यासरा बांध सिंचाई परियोजनाओं की प्रस्तावित योजना का स्वरूप क्या है ? उक्त योजना के अन्तर्गत कुल निर्माण राशि; सिंचाई होने वाला क्षेत्र एवं सभी मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(2) क्या यह सही है कि इन सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो वर्तमान में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कितनी भूमि को कहाँ-कहाँ सिंचित किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तीनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य किस-किस ठेकेदार/फर्म के द्वारा किया गया है एवं इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) मोगरा सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा बिस्थूनियाँ एवं क्यासरा सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में पूर्ण की गयी परियोजनाओं से निम्नानुसार सिंचाई की जा रही है :—

(अ) बिस्थूनियाँ परियोजना से, बिस्थूनियाँ चांदखेड़ी, गुराडिया खुर्द एवं ठीकरिया गांवों की 200 एकड़ भूमि में सिंचाई की जा रही है।

(ब) क्यासरा बांध से क्यासरा गांव की 62 एकड़ भूमि में सिंचाई की जा रही है।

(3) सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नवनिर्वाचित सरपंचों को चार्ज नहीं दिये जाने बाबत प्राप्त शिकायतें

897. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव फरवरी 1995 में सम्पन्न होने के बावजूद अनेक स्थानों पर ग्राम सेवकों द्वारा अभी तक नव निर्वाचित सरपंचों को ग्राम पंचायत का चार्ज नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक उनको चार्ज संभला दिया जाएगा ?

उत्तर

जी, हां। पंचायत चुनाव फरवरी, 1995 में सम्पन्न होने के पश्चात् राज्य के समस्त जिलों में से निम्न जिलों में कुछेक पंचायतों में प्रशासकों द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों को पंचायत का चार्ज नहीं दिया गया है। चार्ज शीघ्र दिलाने के निर्देश दे दिये गये हैं। जिन प्रशासकों ने चार्ज नहीं दिया उसे गम्भीरता से लिया जा रहा है झुन्झुनूं जिले में दो प्रशासकों को इस बिन्दु पर निलम्बित भी किया गया है। पुनः 28-4-95 को चार्ज देने के लिए आवश्यक परिपत्र जारी किया गया है :—

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

जिला	कुल कितनी पंचायतों का चार्ज दिलाना शेष है।
1. श्रीगंगानगर	37
2. झुन्झुनूं	19
3. सवाई माधोपुर	35
4. कोटा	1
5. उदयपुर	1
6. अलवर	1
7. जैसलमेर	2
8. बाड़मेर	3
9. दौसा	3
10. अजमेर	5
11. जयपुर	5
12. बूंदी	8

पंचायत समिति जहाजपुर की सम्पत्तियों के किराये की वसूली का दायित्व

898. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर के पास दुकानें व आवास गृह एवं अन्य सम्पत्तियां हैं ? यदि हां, तो समस्त दुकानें, आवास गृह अन्य सम्पत्तियों की नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानें, मकान आवास गृह आदि किन-किन को, किन-किन शर्तों पर देने के कोई नियम एवं व्यवस्था है ? यदि हां तो इनको सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन अधिकारियों के कारण नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्यवाही नहीं करने से प्रतिवर्ष नीलामी द्वारा दुकानें आदि देने एवं किराया समय पर जमा नहीं होने के दायित्व की जांच एवं कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार द्वारा पंचायत समिति के निजी आय से बने क्वाटर्स एवं दुकानें तथा निहित क्वाटर्स किन-किन को देने के नियम आदि बनाये गये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो नियम कब बनाकर लागू किये जावेंगे ?

(5) सरकार द्वारा चरण नं. 1 में वर्णित समस्त दुकानें, मकान आदि किन-किन को किन शर्तों एवं किराये पर पंचायत समिति द्वारा किस अवधि के लिये दिये हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति, जहाजपुर के पास दुकानें व आवास गृह एवं अन्य सम्पत्तियां हैं। समस्त की नामावली सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। पंचायत समिति द्वारा पृथक से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। आवास गृह अधिकारी कर्मचारी वर्ग को राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आवास गृह निर्देशों के अनुरूप व शर्तों के अनुसार आवंटित किये गये हैं। दुकानें एवं भवन निजी आय से हैं जो पंचायत समिति की आय वृद्धि के लिये किराये पर दिये गये हैं।

(3) राज्य सरकार के ध्यान में आने पर इसकी जांच के आदेश दिनांक 3-4-95

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

को दिये जा चुके हैं। दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, नहीं। पृथक् से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं।

(5) विवरण संलग्न सूची के कालम संख्या 3 में अंकित है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्राथमिक विद्यालय विहीन कस्बे व गांवों में विद्यालय

899. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ऐसे कस्बे व गांव जिसमें माध्यमिक विद्यालय हैं किन्तु प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(2) कोटा सम्भाग के ऐसे कौन-कौनसे ग्राम हैं जहां माध्यमिक विद्यालय हैं किन्तु प्राथमिक विद्यालय अलग से नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बे व ग्राम, जिसमें माध्यमिक विद्यालय या सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, में सामान्यतया प्राथमिक विद्यालय होते हैं। इस प्रकार पृथक प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ा ग्राम या कस्बा होने तथा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर मांग के आधार पर पृथक् प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

ग्राम पंचायत कुशलपुरा (बामनवास) की आय

900. **श्री हीरालाल** (बामनवास): क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत कुशलपुरा तहसील बौंली के खसरा नं 180, 149, 210 में 34 बीघा भूमि आबंटित है? यदि हां, तो उक्त भूमि से ग्राम पंचायत कुशलपुरा को वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में कितनी आय हुई है? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां भूमि आबंटित हुई है। ग्राम पंचायत कुशलपुरा को वर्ष 1991–92, 92-93, 93–94 एवं 94–95 में किसी भी प्रकार की आय नहीं हुई है।

पंचायत समिति ओसियां के विकास अधिकारी का निलम्बन

901. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति ओसियां को अकाल राहत कार्यों में अनियमितता पायी जाने पर निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उन पर लगाये गये चार्जों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रस्तावित प्राथमिक शालाएं

902. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 में कुल कितने प्राईमरी स्कूल खोले गये हैं ? जिला अनुसार स्कूलों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त प्रस्तावों में से शेष कितने स्थानों पर वर्ष 1995–96 में प्राथमिक शालाएं खोले जाने की विभाग की योजना है ?

(3) वर्ष 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 में जो स्कूल बन्द कर दिये गये थे वे स्कूल अब कब तक खोल दिये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में कुल खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1995–96 में 614 नवीन प्रा. विद्यालय खोले जाने का बजट में प्रावधान रखा गया है। जिसके लिये समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वर्ष–91 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक तथा मरूस्थलीय/अनु. जनजातिय क्षेत्र में 150 व इससे अधिक जनसंख्या वाले शेष रहे विद्यालय विहीन ग्रामों की सूचना मांगी गयी है प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) वर्ष 1990-91, 1991–92, 1992–93 में कोई स्कूल बन्द नहीं किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

उदयपुर जिले के राष्ट्रीयकृत मार्ग

903. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के कौन-कौन से मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया है एवं

(62)

(श्री महावीर भगोरा)

कहां से कहां तक ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राष्ट्रीकृत मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का प्रावधान हैं या प्राइवेट भी ? यदि प्राइवेट बसें चलाने का प्रावधान है तो बस मालिकों को भिन्न-भिन्न मार्गों पर कहां से कहां तक के परमिट दे रखें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निजी बस मालिक परमिट वाले मार्गों पर ही अपने वाहन चलाते हैं या राष्ट्रीकृत मार्गों पर भी ? यदि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी बसें चलाते हैं तो क्या इन बसों के व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बसों के समय में अन्तर है या एक ही समय में साथ–साथ चलती हैं ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 8 मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

(2) राष्ट्रीकृत मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को परमिट दिये जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने का प्रावधान नहीं होने से परमिट स्वीकृत नहीं किये जा सकते।

(3) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस मालिक अपने वाहन नहीं चला सकते तथा उन्हें परमिट भी नहीं दिये जाते। परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा बिना परमिट वाहन संचालन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

सांगानेर–विद्याधर नगर (जयपुर) मार्ग बस सेवा

904. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सांगानेर आगार द्वारा सांगानेर से विद्याधर नगर वाया चांदपोल, बड़ी चौपड़, अजमेरी गेट व मानसरोवर होते हुए सिटी बसों का संचालन होता है ? क्या इन बसों की समय सारणी निर्धारित है ? यदि हां, तो सारणी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन बसों का संचालन निर्धारित समय सारणी से हो रहा है ? बसों के सांगानेर से विद्याधर नगर से प्रस्थान व आगमन की पिछले दो माह की सूचना सदन की मेज पर रखें। यदि इन बसों का सही समय पर संचालन नहीं हो रहा है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित आगार प्रबन्धक एवं रोडवेज प्रशासन की मिनी बसों वालों की मिली भगत से इन बसों का संचालन सही समय पर नहीं हो रहा है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं

(श्री उगमराज मेहता)

रोडवेज प्रशासन द्वारा अब तक सम्बन्धित आगार प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग को दो मार्गों में बांटने का विचार रखती है ? मुरलीपुरा से रामगंज चौपड़ वाया चांदपोल एवं सांगानेर से अजमेरी गेट तक ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर विद्याधर नगर आगार की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर जयपुर से आमेर व विद्याधर नगर से रामगंज चौपड़ तक निगम की वर्तमान में कोई बस सचालित नहीं है ?

(7) यदि हां, तो सरकार जन सुविधार्थ उक्त नये मार्ग कब तक खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित समय सारणी की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है (परिशिष्ट-1)

(2) बसों का संचालन निर्धारित समय सारणी से ही करने का प्रयास किया जाता है। नगरीय बस सेवा में वर्तमान में आगमन प्रस्थान की सूचना संधारित नहीं की जाती है। यह शहर का व्यवस्ततम मार्ग होने, यातायात पुलिस द्वारा मार्ग बन्द करने, रेल्वे क्रासिंग होने एवं निगम बसों को अस्थायी तौर पर मेले इत्यादि में लगाने पर सेवा निरस्त होने पर सही समय पर संचालन कभी-कभी नहीं हो पाता है। अतः सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

(4) निगम से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(5) जी, हां। संचालन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव विचाराधीन है।

(6) जी, हां। तथापि बड़ी चौपड़ तक निगम की बस सेवाएं संचालित है और बड़ी चौपड़ से आमेर के लिये एवं रामगंज चौपड़ के लिये पर्याप्त मात्रा में निगम की लिंक सेवाएं उपलब्ध है।

(7) निगम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर या जनता की मांग पर ही मार्ग खोलने का विचार किया जाता है।

(समय सारिणी विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील नसीराबाद के ग्रामों के मार्गों पर बस परमिट

905. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्द सिंह)

(1) तहसील नसीराबाद के ग्राम बेवजजा व ढाल व तिलाना मार्ग पर कितनी बसों को परमिट जारी किये हुए हैं – विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परमिटों के अनुसार कितने चक्कर इस मार्ग पर प्रतिदिन लगाने चाहिये और वास्तव में कितने लग रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग की बसें इस रूट पर नहीं चलकर नसीराबाद से सीधी सनोद होते हुये रामसर निकल जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि परमिटधारी इस मार्ग पर केवल एक बस सुबह चलाते हैं व शाम को वापस जाते हैं? यदि हां, तो बाकी परमिटों पर चलने वाली बसें कहां व कैसे चलती हैं?

उत्तर

(1) तहसील नसीराबाद के ग्राम बेवजजा व ढाल व तिलाना मार्ग पर 3 बसों को परमिट जारी किये हुए हैं जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर है।

(2) उक्त तीन वाहनों को 4 सिंगल सेवा अथवा दो रिटर्न सेवा स्वीकृत है। एक रिटर्न सर्विस बन्द होने से दो बसें अपनी एकल समय सारणी पर संचालित हैं जिसका विवरण परिशिष्ट–2 पर है।

(3) परमिट की शर्तों का उल्लंघन विभाग की जानकारी में आने पर, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) एक अनुज्ञापत्रधारी ने बस की मरम्मत कराने का कारण देते हुए, अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से परिवहन कार्यालय में जमा करा रखा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पाली वाया--सोमेसर बस सेवा

906. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की देसूरी, रानी, पाली पंचायत समिति के सरपंचों एवं प्रधानों ने सादड़ी, पाली वाया सोमेसर सीधी बस प्राइवेट अथवा रोडवेज चलाने की मांग की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या सरकार जनहित में उक्त बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 1988 से उक्त मार्ग पर सादड़ी से पाली बस चलाने का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था? यदि हां, तो अब तक बस चालू न किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आयुक्त, यातायात विभाग द्वारा बस चलाने का

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

निर्णय रद्द कर दिया गया है एवं उस आदेश के विरुद्ध निगम के प्रबन्ध संचालक द्वारा जोधपुर सम्भाग के अधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि आयुक्त, यातायात विभाग के उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करें ? यदि हां, तो सम्भाग के रोडवेज अधिकारी द्वारा रिट याचिका कब व किस तारीख को पेश की गयी ? यदि रिट पेश नहीं की गयी तो क्यों ? रिट पेश नहीं करने वाले सम्भाग के अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली से सादड़ी वाया सोमेसर मार्ग पर निजी वाहनें संचालित हैं।

(2) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना का प्रारम्भिक प्रकाशन 16–11–1987 में किया गया था किन्तु आपत्तियां की सुनवाई उपरान्त सक्षम अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16-5-89 द्वारा योजना को अस्वीकार कर दिया।

(3) निगम ने उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध जोधपुर उच्च न्यायालय में दिनांक 11-1-1990 को याचिका संख्या 313/90 प्रस्तुत की थी, अतः सम्भागीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सिरोही आगार की बसों के मार्ग

907. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार सिरोही की बसें आगार द्वारा स्वीकृत अनेकों मार्गों पर नहीं चलतीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आगार की अधिकतर बसें मुख्य मार्ग से डामर रोड द्वारा जुड़े हुए गांवों में नहीं जातीं ?

(3) क्या यह सही है कि शिवगंज नगर, पुराने बस स्टेण्ड, जावाल, पाडीव, मंडनारिया, पोसालिया आदि गांवों में बसें ले जाने हेतु आगार मुख्य प्रबन्धक एवं जिला सतर्कता समिति द्वारा समय पर निर्देश दिये जाने के बावजूद उक्त स्थानों पर बसें नियमित रूप से नहीं जाती ?

(4) क्या सरकार सिरोही जिले के जावाल से मणादर वाया कैलाश नगर, मांडानी हेतु निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) हर डामर की सड़क से जुड़े हुए गांव तक निगम की बसें संचालित नहीं है।

(3) जिला सतर्कता समिति द्वारा शिवगंज स्थित पुराने बस स्टेण्ड, पाडी व मण्डवाडिया हेतु ही निर्देश दिये गये थे जिसकी पालना हो चुकी है। पोसालिया

(यातायात राज्य मंत्री)

जावाल के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं होने, गांव सड़क के नजदीक होने एवं ग्राम की सम्पर्क सड़क सही नहीं होने से मुख्य सड़क तक ही वाहन संचालन किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

अता. प्रश्न सं. 908

(स्थगित)

निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित सड़कें

909. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के निर्माण का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ व कितनी सड़कों का कार्य अभी अधूरा है ?

(2) क्या सांगानेर नगर की सम्पर्क सड़कें कीचड़, गन्दगी के कारण चलने योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। राहत कार्य 1994 के तहत विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में चार सड़क निर्माण के कार्य पंचायत समिति, चाकसू क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे इनमें से दो कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा दो कार्य अपूर्ण हैं।

(2) नगर निगम क्षेत्र की सड़कों पर निर्माण कार्य सहायता विभाग द्वारा नहीं करवाया जाता है।

निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद के क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत

910. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद में कितने एनीकट अतिवृष्टि–बाढ़ से टूटे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन एनीकटों में से कितनों को वापस जल ग्रहण योग्य बना दिया गया है ? विवरण सदन की मेज रखें।

(3) कितने एनीकट अभी ठीक नहीं हुए हैं ? उन्हें कब तक व किस मद में ठीक कराने की सरकार की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 4 एनीकट बाढ़/अतिवृष्टि से टूटे हैं, विवरण निम्न प्रकार है :—

पं. सं. पीसांगन :—

1. मागोलाव रपट–लीड़ी
2. भूरिया की रपट–मांगलियावास

(सहायता राज्य मंत्री)

पं. सं. श्रीनगर :—

3. काला मोडा एनिकट–पालरा

सिंचाई खण्ड द्वितीय, अजमेर :—

4. सोमाल एनिकट–नोलखा

(2) इन एनिकटों में से उक्त सभी एनिकटों को वापस जल ग्रहण योग्य बना दिया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर जिले में अकाल राहत मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान

911. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में कुल कितने कार्य किये गये हैं ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों पर लगे श्रमिकों व विभागों को पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कहां-कहां, किस-किस कार्य पर कितनी राशि का भुगतान बकाया है तथा उसका चुकारा कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में कुल 499 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–'अ')

(2) राहत कार्य वर्ष 1994 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर लगे श्रमिकों का भुगतान एक विवादग्रस्त मामले को छोड़कर किया जा चुका है तथा सम्बन्धित विभागों को भी सामग्री राशि का भुगतान किया जा चुका है। केवल सार्वजनिक तालाब झोडिन्दा मोजपुरा तहसील फागी पर लगे श्रमिकों का भुगतान शेष है। जांच कार्यवाही चल रही है, जांच पूर्ण होने पर बकाया भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

फागी तहसील में सिंचाई विभाग के अधूरे कार्य

912. श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा (फागी) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 में फागी तहसील में सिंचाई विभाग के माध्यम से कुल कितने राहत कार्य कहां–कहां, कितनी–कितनी राशि के करवाये गये ? इनमें से कितने कार्य अधूरे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों के कितने श्रमिकों, ऊँटगाड़ियों का भुगतान बकाया है तथा बकाया भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया ?

68

(श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा)

(3) क्या यह सही है कि बांध वाला सागर सुल्तानियां पर सामग्री गई थी, किन्तु उसका उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में फागी तहसील में सिंचाई विभाग के माध्यम से अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कुल 12 कार्य करवाये गये हैं। एक कार्य अपूर्ण है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन कार्यों पर लगे सभी श्रमिकों व ऊँटगाड़ियों का बकाया भुगतान किया जा चुका है कोई भुगतान होना शेष नहीं है।

(3) जी, हां। सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका है क्योंकि सामग्री जून, 94 के अन्तिम सप्ताह में क्रय गयी थी एवं समस्त विभागों में अकाल राहत कार्य प्रगति पर थे एवं पक्का कार्य के सम्पादन हेतु कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं हो सके। इस सामग्री का उपयोग कर सिंचाई विभाग को अपने बजट से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

अलवर/भरतपुर जिलों के मेवों के बकाया क्लेम

913. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर, भरतपुर जिले के जो मेवों के क्लेम बाकी हैं उनके निपटारे के लिये क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या–क्या ?

(2) जिनको अपनी जमीन/मकान आदि नहीं मिले हैं क्या सरकार ने उनको मुआवजा देना तय किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार का मुआवजा, किन मानदण्डों के आधार पर ?

उत्तर

(1) अलवर व भरतपुर जिले के मेवों के सत्यापित (Verified) क्लेमों की पूर्ति कर दी गयी है। कोई क्लेम शेष नहीं है।

(2) किसी भी व्यक्ति का कोई सत्यापित (Verified) क्लेम बकाया नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अपूर्ण अकाल राहत कार्य

914. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष अकाल राहत के तहत कितने, कौन–कौनसे कार्य कहां–कहां कराये गये एवं कितने कार्य अपूर्ण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, कौन–कौनसे कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

(श्री महेन्द्र मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि सिकराय विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के वक्त मजदूरी एवं मैटेरियल सप्लाई करने (गीजगढ़) वालों को आज तक उनकी मजदूरी एवं सप्लाई का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक उनकी मजदूरी एवं सप्लाई का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) 50 कार्य करवाये गये थे। इनमें से 15 कार्य पूर्ण हो गये तथा 35 कार्य अपूर्ण रहे। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) 5 कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जे. आर. वाई. योजना में पूर्ण करवाये जा रहे हैं, शेष कार्य संबंधित विभाग अपने-अपने बजट से पूर्ण करवाएंगे।

(3) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य संवत् 2050 के अन्तर्गत कराये गये कार्यों पर लगे श्रमिकों एवं मैटेरियल सप्लायर्स को गीजगढ़ वालों सहित श्रम व सामग्री की राशि का भुगतान किया जा चुका है। किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कराये गये 13 कार्यों में से 6 कार्यों के 3278/– रु. की मजदूरी श्रमिकों के उपस्थित नहीं होने के कारण अनपेड है। "अनपेड" की राशि का भुगतान किया जाना है। अनपेड रही राशि के भुगतान करने हेतु सम्बन्धित विभाग को मस्टररोल एवं राशि उपलब्ध करवा दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

पिसादर (सराड़ा) के अपूर्ण अकाल राहत कार्य

915. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में पंचायत समिति सराड़ा द्वारा अकाल सहायता में ग्राम पंचायत पिसादर में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए ? उनमें से कितने पूर्ण हुए व कितने अपूर्ण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पिसादर ने उच्च प्राथमिक विद्यालय सरसिया का कार्य स्वयं ने ठेके पर लेकर कराया है ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी राशि श्रम एव सामग्री पर व्यय की गयी ?

(3) क्या यह कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या खर्च की गयी राशि का कार्य मौके पर उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो सरकार इसमें किसको दोषी मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय खांकल ग्राम पंचायत गातोड़, पंचायत समिति सराड़ा में शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय भवन बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पूर्व में भवन

(श्री रघुवीरसिंह)

निर्माण कार्य चालू किया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(5) क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भवन निर्माण कार्य अभी भी पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 में पंचायत समिति सराड़ा द्वारा पंचायत पीसादर में निम्नांकित कार्य उसके आगे अंकित राशि के स्वीकृत हुए थे :—

1. उ. प्रा. वि. अमरपुरा 70,000/- एक कमरा मय बरामदा
2. प्रा. वि पीसादर 50,000/- बाउण्ड्री वाल निर्माण
3. उ. प्रा. वि. सरसीया 1,40,000/- दो कमरा मय बरामदा
4. प्रा. वि. भरीयाणा 60,000/- बाउण्ड्रीवाल

इनमें से उ. प्रा. वि. सरसीया दो कमरा बरामदा निर्माण कार्य (क्र. सं. 3) अपूर्ण है। शेष तीन कार्य पूर्ण हैं।

(2) सहायता कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 94–95 में उ. प्रा. वि. सरसीया में दो कमरा एवं बरामदा निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ था। यह कार्य पंचायत के माध्यम से कराया गया था, किसी भी व्यक्ति को ठेके पर नहीं दिया गया है इस कार्य पर श्रम में रु. 49,391/– व सामग्री पर रु. 56,000/– खर्च हुआ है। भुगतान तहसील कार्यालय द्वारा किया गया है।

(3) यह कार्य वर्तमान में अपूर्ण है एवं इस कार्य पर खर्च की गयी राशि का कार्य मौके पर उपलब्ध है। सहायता कार्य निश्चित समय के लिए चलते हैं इसलिए अपूर्ण रहा है। अपूर्ण के लिए व्यक्तिशः कोई जिम्मेदार नहीं है। अकाल राहत कार्य बन्द होने के पश्चात् सहायता विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(4) वर्तमान में प्रा. वि. खांकल ग्राम पंचायत गातोड़ पं. सं. सराड़ा में शिक्षा हेतु प्रा. वि. में पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं। निर्माण कार्य जो प्रारम्भ कराया गया वह वर्तमान में पूर्ण है।

(5) इसमें व्यक्तिशः अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है उ. प्रा. वि. सरसीया में दो कमरे मय बरामदा का कार्य अपूर्ण है, इसे जवाहर रोजगार योजना–प्रथम में पूर्ण कराया जा रहा है एवं प्रा. वि. खांकल में कोई निर्माण कार्य अपूर्ण नहीं है।

जिला बीकानेर के प्रवर्तन अधिकारी की शिकायतें

916. श्री कमल (हिण्डौन) : **क्या** खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह की कृपा करेंगे :—

(श्री कमल)

(1) जिला बीकानेर में प्रवर्तन अधिकारी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उन पदों पर वर्तमान में कौन-कौन पद-स्थापित हैं ?

(2) क्या प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्य-नारायण गौड कार्यालय समय में शराब के नशे में रहते हैं तथा नागरिकों के साथ गाली-गलौच व दुर्व्यवहार करते हैं ?

(3) क्या श्री गौड के उक्त प्रकार के आचरण की शिकायत रामपुरा बस्ती के कुछ नागरिकों ने कुछ दिनों पूर्व की थी ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने श्री गौड़ के विरुद्ध क्या कार्यवही की ?

(4) क्या श्री राजेश साहनी खुदरा केरोसिन डीलर ने श्री गौड द्वारा मारपीट करने व गाली-गलौच देने की शिकायत जिला प्रशासन को की थी ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में प्रवर्तन अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। वर्तमान में श्री नारायण लाल भटनागर व श्री सत्य-नारायण गौड, प्रवर्तन अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। एक प्रवर्तन अधिकारी को वेतन सहायक जिला रसद अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। नागरिकों के साथ गाली-गलौच व दुर्व्यवहार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी, नहीं। कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी, नहीं।

जोधपुर में जब्त केरोसीन व डीजल

917. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश जोधपुर द्वारा वर्ष 1990-94 तक जब्त केरोसीन व डीजल में से 46,570 लीटर केरोसीन एवं 4,100 लीटर डीजल जो जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था, जब्त न मानकर रिलीज करने के आदेश देने पड़े ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है जिसकी लापरवाही के कारण उपरोक्त माल छोड़ना पड़ा ? क्या शेष जब्तशुदा डीजल, केरोसीन एवं मोबिल आयल बरामद कर लिया गया है ?

(2) क्या रिलीज किया गया 46,570 लीटर केरोसीन व 4,100 लीटर डीजल सम्बन्धित फर्म को सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या जोधपुर जिले में कार्यरत सभी पैट्रोल पम्प वास्तव में आबटित व्यक्तियों द्वारा ही संचालित किये जा रहे हैं अथवा केवल नाम आबंटी का चल रहा है और पैट्रोल पम्प किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चलाये जा रहे हैं, जिनको केवल कागजों में प्राधिकृत करवा लिये गये हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित कागजात मय सूची के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जिलाधीश, जोधपुर द्वारा वर्ष 1990-94 तक केरोसीन व डीजल में से 46570 लीटर केरोसीन एवं 4100 लीटर डीजल जो जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था, उसे जब्त न कर रिलीज के आदेश दिये। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। जिलाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुनकर स्वविवेक से निर्णय करते हुए उक्त मात्रा को रिलीज के आदेश प्रदान किये गये हैं। शेष जब्तशुदा केरोसीन की राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवा दी गयी है। मोबिल आयल व डीजल निस्तारण के समय मौके पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस विभाग को लिखा गया है एवं जांच अतिरिक्त कलक्टर के पास विचाराधीन है।

(2) रिलीज किये गये 46570 लीटर केरोसीन व 4100 लीटर डीजल में से सम्बन्धित फर्मों को 25570 लीटर केरोसीन की राशि लौटा दी गयी है। शेष 21000 लीटर केरोसीन व 4100 लीटर डीजल सुपुर्द करने हेतु पुलिस विभाग को लिखा गया है, लेकिन पुलिस विभाग ने माल के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करने पर जांच अतिरिक्त कलक्टर के पास विचाराधीन है।

(3) जोधपुर जिले में कार्यरत 85 पेट्रोल पम्पों बाबत सम्बद्ध आयल कम्पनी से जानकारी ली गयी। आयल कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से दो को छोड़कर शेष सभी पेट्रोल पम्प आबंटित व्यक्तियों द्वारा ही चलाये जा रहे हैं। शेष दो में से एक आबंटी की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पिता पेट्रोल पम्प चला रहा है इसे डीलर नियुक्त करने हेतु आयल कम्पनी स्तर पर कार्यवाही जारी है अन्य एक में आबंटी व्यक्ति इसका संयुक्त भागीदार है।

अलवर में रसोई गैस वितरण में अव्यवस्था

918. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर में वर्ष 1994-95 की अवधि में सिलेण्डर सप्लाई की व्यवस्था में आये व्यवधान की कोई जांच करवायी गयी है ? यदि हां, तो कौन–कौनसी एजेन्सियां सप्लाई की अनियमितताओं एवं कालाबाजारी में लिप्त पायी गयी ?

(2) क्या सरकार राज्य के विभिन्न शहरों में गैस की सप्लाई में वितरकों द्वारा अनियमित कार्यवाहियां कर कालाबाजारी करने की सम्भावनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1994-95 से अब तक जिला अलवर में जनता ने इसके लिये कितनी बार रास्ते रोके और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। मैसर्स मोडर्न गैस सर्विस, मैसर्स गोविन्द गैस एजेन्सी, मैसर्स मोहन गैस एजेन्सियों के विरुद्ध गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की व्यवस्था में अनियमिततायें किये जाने की शिकायतें प्राप्त होने पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जांच कराये जाने पर कालाबाजारी में लिप्त पाये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। बल्कि उपभोक्ताओं को गैस वरीयता क्रमानुसार नहीं देने, होम डिलीवरी नहीं देने, स्टाक एवं मूल्य प्रदर्शन ठीक प्रकार नहीं करने आदि तकनीकी त्रुटियां पायी गयी।

(2) जी, हां। राज्य सरकार ने हाल ही में दिनांक 6–4–95 को राज्य के समस्त जिला कलक्टर्स को निर्देश भेज दिये हैं।

(3) वर्ष 1994–95 से अब तक जिला अलवर में जनता ने गैस के लिये रास्ता रोके जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। गैस के सम्बन्ध में 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

ग्राम पंचायत सरवाड़ (मारवाड़ जंक्शन) में पानी की टंकी से सप्लाई व्यवस्था

919. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सरवाड़ पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन में पानी की टंकी का निर्माण हुए दो-तीन साल हो गये हैं?

(2) क्या उपरोक्त पानी की टंकी से अभी तक ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार अब कब तक उपरोक्त टंकी से नल कनेक्शन द्वारा पानी की सप्लाई जारी करा देगी?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में समय–समय पर बिजली की अव्यवस्था होने के कारण ग्रामीणों को पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं किये जाने हेतु किसी अधिकारी को दोषी मानती है? यदि हां, तो अब कब तक ग्रामीणों को उक्त सुविधा सुलभ करा दी जाएगी?

उत्तर

(1) टंकी का निर्माण कार्य माह जून 1993 में पूर्ण हो गया था।

(2) उपरोक्त टंकी से क्षेत्रीय योजना के ग्राम रिसानिया व बाली के ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम सरवाड़ में पेयजल आपूर्ति ग्राम सरवाड़ में स्थित नलकूप से पानी पम्प कर गंवाई हौद से की जा रही है।

(3) यदा–कदा बिजली कम समय मिलने अथवा तकनीकी व्यवधान होने के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कारण जल उत्पादन में कमी के कारण अन्तिम छोर के ग्राम वालों में पेयजल समस्या हो जाती है। ग्राम सरवाड़ की वर्तमान आबादी अभी 5000 से कम है, अतः वर्तमान नीति अन्तर्गत वहां इस टंकी से जल सम्बन्धों का उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 1995)

बजाज नगर (गांधी नगर) विधायक निवासों की रोड लाइटें

270. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बजाज नगर (गांधी नगर) स्थित विधायक निवास कालोनी के "एम" तथा "एन" ब्लॉक में रोड लाइट लगाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है ?

(2) उक्त रोड लाइटें कब से बन्द पड़ी हैं ? इनके अब तक बन्द रहने के क्या कारण हैं तथा ये अब कब तक चालू हो जायेंगी ?

(3) उक्त दोनों ब्लॉक में बिजली के कितने जंक्शन बॉक्स बने हुए हैं ? इनमें से कितने बॉक्स बिना ढक्कन के खुले पड़े हैं ?

(4) क्या इनके खुले पड़े रहने से दुर्घटना की आशंका है ? यदि हां, तो बार–बार ध्यान में लाए जाने के बावजूद इनके ढक्कन नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) बजाज नगर (गांधी नगर) स्थित विधायक निवास कालोनी में रोड लाइट लगाने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है एवं इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम जयपुर की है।

(2) जानकारी के अनुसार, विद्युत अण्डर ग्राउन्ड केबिल खराब हो जाने के कारण यह रोड लाइटें लगभग दो वर्ष से बन्द हैं। नयी केबिलें डालने व इन्हें चालू करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) उक्त ब्लॉक में लगभग 40 जंक्शन बोक्स हैं। इनमें से 24 बॉक्स खुले हैं।

(4) जी, हां। ढक्कन 30–4–95 तक लगाये जाने के आदेश दे दिये हैं।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 17 अप्रेल, 1995)

राज्य के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में डॉ. अम्बेडकर की खण्डित प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया जाना

492. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बाबूलाल)

(1) वर्ष 1990 से लेकर आज तक राज्य के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में डॉ. अम्बेडकर की कितनी प्रतिमाएं असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित की गयी ?

(2) वर्ष 1990 से लेकर अब तक खण्डित हुई प्रतिमाओं में से कितनी प्रतिमाओं को पुनः स्थापित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर में खण्डित प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार ने नगर सुधार न्यास अलवर को विशेष अनुदान दिया था ? यदि हां, तो विशेष अनुदान की राशि कितनी थी ?

(4) क्या यह सही है कि अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर (13 अप्रेल, 1991 को) सादड़ी (पाली) में डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने खण्डित कर दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मूर्ति को पुनः स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभिन्न स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचनानुसार सन् 1990 से अब तक सादड़ी, बयाना एवं अलवर क्षेत्र में डा. अम्बेडकर की प्रतिमा खण्डित की गयी है ।

(2) बयाना एवं अलवर क्षेत्र में पुनः डा. अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गयी है । सादड़ी में अभी तक अर्थाभाव के कारण प्रतिमा का पुनः स्थापन नहीं हो पाया है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) प्रश्न के भाग दो के उत्तर अनुसार ।

अतारांकित प्रश्न सं. 502

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न सं. 506

(स्थगित)

शोकाभिव्यक्ति

श्री मनोहर लाल गुप्ता, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में भरतपुर जिले के कामां निर्वाचन क्षेत्र से सन् 1972 में निर्वाचित सदस्य श्री मनोहर लाल जी गुप्ता के देहावसान पर मैं एक शोक प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल जी गुप्ता का देहान्त 29 अप्रेल, 1995 को रात्रि में हो गया । गुप्ता जी इस सदन के सदस्य थे । बहुत ही जागरुक सदस्य थे । वे "लाल निशान" नामक एक समाचार पत्र के उप सम्पादक भी थे । मुझे याद है, उन दिनों में भरतपुर जिले में इस समाचार पत्र का बहुत ज्यादा महत्व था और इस समाचार पत्र ने इस सारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर ही नहीं किया, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके लिये भी अपने लेखों के माध्यम से जहां सरकार को जानकारी दी, वहां जनता का भी मार्गदर्शन किया।

वे एक जागरुक सदस्य हमारे बीच से उठकर चले गये हैं। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामां के पांचवीं विधान सभा के इस सदन के माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल जी गुप्ता इस सदन में काफी सक्रिय पार्लियामेंटेरियन थे। मैं उस समय विधान सभा का सदस्य था, मुझे मालूम है। अपने क्षेत्र की ही नहीं, राजस्थान के लोगों की समस्या रखने में हमेशा इस सदन में सदस्य की बहुत ही सक्रिय भूमिका उन्होंने निभायी। वे एक सम्पादक, एक समाजसेवी, एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। इस सदन में और पार्लियामेंटरी गतिविधियों में, जनता की समस्याओं को उजागर करने में उनकी महती भूमिका रही है। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे, इससे राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आयी है और निश्चित तौर पर हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक बुलन्द आवाज उठाने वाले व्यक्ति, समाज सेवी, आज हमारे बीच में नहीं रहे।

मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस वेदना को सहने की शक्ति दे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, श्री मनोहर लाल जी गुप्ता इस सदन के एक जागरुक सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में विधायक के रूप में जन समस्याओं को उजागर करने की पूरी चेष्टा की। उनकी बात को ध्यान से देखा, पढ़ा और सुना जाता था। इस प्रकार के जागरुक सदस्य, इस प्रकार के जागरुक समाजसेवी और नागरिक बहुत कम मिलते हैं। उनके निधन से एक कमी आयी है। हम सबको पीड़ा है कि वे आज हमारे बीच में नहीं रहे।

अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मनोहर लाल जी गुप्ता के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री गुप्ता का जन्म ग्राम फतेहपुर, तहसील कामां, जिला भरतपुर में

(श्री अध्यक्ष)

2 नवम्बर, 1934 को हुआ। आपने बी. ए., एल. एल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

आपने 1972 से 77 तक पांचवीं राजस्थान विधान सभा में भरतपुर जिले के कामां निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा में आप जनता मोर्चा के विधायक रहे। जनता मोर्चा में आने से पूर्व आप जनसंघ में थे। आप भारतीय साम्यवादी दल से सम्बद्ध किसान सभा में तथा समाजवादी दल में भी रहे।

विधान सभा के कार्यकाल में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे और उनके समाधान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। वर्ष 1962 से 71 तक भरतपुर के साप्ताहिक पत्र "लाल निशान" के सह–सम्पादक भी रहे। आपातकाल में आप मीसा के तहत जेल में रहे। आप अपने सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करते रहे। पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता सुलभ कराने के लिये आप सदैव तत्पर रहते थे।

श्री मनोहर लाल गुप्ता का दिनांक 29 अप्रेल, 1995 की रात्रि में निधन हो गया।

मैं, दिवंगत पूर्व माननीय सदस्य को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने 2 मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा को श्रद्धांजलि, अर्पित की)

मांग

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला इकाइयों द्वारा जन समस्याओं के निराकरण हेतु धरने व रैलियों पर चर्चा की मांग

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से हमने आपको सूचना दी है कि राजस्थान भर में इस सरकार के कारनामों के कारण पीने के पानी की समस्या के कारण.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था तो होने दो.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सुनें आप.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : आसन पैरों पर है कृपया बीच में न बोलें.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : किसानों को परेशानी हो रही है और पानी के लिये .. (व्यवधान) राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने मुख्यालय पर धरना दिया गया... (व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : धरने और कांग्रेस कमेटी की बात अर्जुन सिंह जी ....(व्यधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। इतने उत्तेजित न हों, अब बिराजें आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या जनता को पानी नहीं देना चाहते आप ? राजस्थान से भ्रष्टाचार... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता कोई बात कर रहे हैं। आप बिराजें।

एक माननीय सदस्य : आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : हम उस सदन में बोल रहे हैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में जिसकी मेजेस्टी है और यह हाउस जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 12 लाख प्रति वर्ष हम बढ़ रहे हैं और अभी 4 करोड़ 81 लाख तो हो गये हैं। मुख्य मन्त्री जी ने आंकलन कर दिया है पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम हो जायेंगे 5 करोड़ 4 लाख, प्रोजेक्शन किया है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आज के हिसाब से।

श्री परसराम मदेरणा : आज वह हिसाब तो कटोरी में कटोरी और चमचे पर चमचा है जो आपके बताने की बात है नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की शाखाएं जिलास्तर पर जिला कांग्रेस कमेटी है। जिस राजनैतिक दल से हम आ रहे हैं उन्होंने आज जनरल समस्याओं को लेकर के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सरकार के खिलाफ।

श्री परसराम मदेरणा : धरने के अलावा हमारे सामने माननीय मन्त्रीजी कोई विकल्प ही नहीं है। आप सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हम माइनोरिटी में हैं लेकिन माइनोरिटी में रहते हुए भी जनता की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याओं के अन्दर जनता को असन्तोष है, जनता उससे दुःखी है, व्यथित है, वेदना है तो हमारा यह परम कर्त्तव्य बन जाता है कि हम सदन के सम्मुख उन समस्याओं को रखें।

पहली समस्या जिसको लेकर के धरना दिया गया है वह पेयजल के सम्बन्ध में है। पेयजल के सम्बन्ध में मैं मुख्य मन्त्रीजी आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि उस कमेटी का सदस्य होने के नाते जो रिकमण्डेशन की गयी है उसमें 20 हजार करोड़ रुपये की अगर मिनीमम सर्विस दी जाय तो आज की प्राइस के ऊपर रिआर्गेनाइजेशन आगूमेंटेशन और सुदूर ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए इन्फ्रास्टक्चर के क्रिएट करने में खर्चा आयेगा और वह भी पोर्टेबल पानी जिस जगह से आप लायेंगे इन्दिरा गांधी नहर से कुल मिलाकर इससे कम खर्चा आने वाला नहीं है। यह समस्या बहुत विकट से विकटतम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुख्य मन्त्रीजी और मेरे बीच में किताबें मत रखो। अब सेक्रेटरी जनरल के डर के मारे उधर रख दी है। मैंने पहले भी कहा था पिछले सदन

(श्री परसराम मदेरणा)

में कि आप किताबें इधर मत रखिये मुख्य मन्त्री जी से मेरी आंख नहीं मिलती है।....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : साहब, इस उम्र में नैन मिलाने से क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उम्र दोनों की बराबर है आप चिन्ता मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : हैण्डपम्प खराब पड़े हुए हैं। मन्त्री पी. एच. ई. डी. उस दिन कह रहे थे कि गति पकड़ रहे हैं। गति पकड़ते-पकड़ते आपकी गति तो अभी तक पकड़ी नहीं गयी है। मुझे एक पंचायत का बताया गया। चानरक और बारां दो पंचायतें थीं उसमें से अब एक पंचायत की दो पंचायत हो गयी हैं, वहां पर 14 हैण्ड पम्पस् हैं उसमें से 13 खराब पड़े हैं। कोई रिपेयर नहीं हो रही है। मैं यह कल रात की बात कह रहा हूं और यही हाल टेल एण्ड गांवों में हैं, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। लोगों के पास न तो कुए रहे हैं, न उनके पास जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी आप तो जानते हैं, न उनके पास कुड़बेड़ा है, न बरत है, न कोस है, न खीली है। अब 8-8, 9-9 किलोमीटर से टंकियों में पानी लाते हैं। बैल भी नहीं हैं उनके पास, स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है।

इसके साथ जो नव निर्वाचित पंचायती राज सस्थायें हैं उनमें भारी असन्तोष है। मुख्य मन्त्रीजी चुनाव होने के बाद आप झुन्झुनूं पधारे थे और आप अजमेर भी गये थे सम्मेलनों में। उन सम्मेलनों में आपके जाने का उद्देश्य था, उसको सब जानते हैं। वहां पर आपने सामाजिक क्रांति की बात कही थी और सामाजिक क्रान्ति रिजर्वेशन की वजह से, दूसरी वजह से जिन लोगों को अभी तक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज जिला परिषद्, पंचायत समिति, जिला प्रमुख और प्रधान और सरपंच और वार्ड पंचों के नव निर्वाचित सदस्य बैठे हुए हैं लेकिन उन संस्थाओं को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। इनके अधिकारों के बारे में आपने एक कमेटी का बताया था और मैंने इसलिए कहा था कि कम से कम हमें कमेटी में सम्मिलित होना चाहिये ताकि सरकार का इरादा क्या है वह मालूम रहे। फाइनेंस कमीशन की बात छोड़ दीजिये। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, रूल्स बने नहीं। इसलिए उनमें भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है। सामाजिक क्रान्ति कोई माइना नहीं रखती है जब तक आर्थिक क्रान्ति का अभाव हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतनी जानकारी चाहता हूं कि आप तो बोल रहे हैं लेकिन आप जरा उत्तर भी ...

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा कोई खड़ा होता तो मैं बैठ जाता मुख्य मंत्रीजी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आप खड़े रहें।

श्री परसराम मदेरणा : आप भाषण देंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि धाराप्रवाह आप भाषण देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतनी ही जानकारी करना चाहता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें मेरा उत्तर सुनेंगे या सुने बिना ही वाकआउट करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : वह आपके उत्तर के ऊपर मुनस्सर करेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तब ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और सोसियल डेमोक्रेसी और सामाजिक न्याय, जब तक इन संस्थाओं को आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्टेट्स नहीं देते, जो कान्स्टिट्यूशन के मैकर्स थे और अमेण्डमेंट करने वालों का आब्जेक्ट्स था और आप मुझे कह रहे हैं कि यह केवल सामाजिक क्रान्ति, क्रान्ति और क्रान्ति के नाम पर आप उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो आप जनता की समस्या का समाधान करने में विफल हो रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि उन संस्थाओं में भारी डिस्अपाइंटमेंट और असन्तोष है।

तीसरा मामला बिजली का है। बिजली में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछले साल मुख्य मन्त्रीजी ने यह बात कही थी कि थर्ड स्टेज की पांचवीं इकाई आ रही है इसी महीने के अन्दर। अगर 210 मेगा-वाट कोटा की इकाई सेंक्रोनाइज होकर के बिजली का जनरेशन नहीं करेंगे तो बिजली कहां पैदा कर रहे हो। आपने मांगरोल में कोई आधा मेगावाट की होगी और वह भी ठप्प हो गयी। तीन मेगावाट की हम सुन रहे हैं कि रामगढ़ में आपने 8-10 दिन पहले सेंक्रोनाइज कर ली है। लेकिन अभी तक किसी को भी ट्रांसमिशन आॅफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बिजली नहीं दी है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि जायल से आने वाले माननीय सदस्य ने परसों मुझे एक टेलीग्राम दिया था कि मेरी जान खतरे में है और मैं विधान सभा में आ नहीं सकता। मैंने उसी वक्त आपको टेलीफोन किया, आप घर पर नहीं थे इसलिए मैंने होम कमिश्नर को टेलीफोन किया और मैंने उनसे कहा कि यह स्थिति है। वे डेव के रहने वाले हैं, डामर सड़क है इमीजियेटली अधिकारी को भेज कर सुरक्षा प्रदान कीजिये। वह विधान सभा के सदस्य हैं और असेम्बली में आ नहीं सकते। मैंने एक चिट्ठी लिखी इमीजियेटली, वह आपको भेजी, कापी होम कमिश्नर को भेजी, चीफ सेक्रेटरी को भेजी और डी. जी. को भेजी कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। ये आदमी आये हैं, उनके घर पर पत्थर चलते रहे और इसलिए चलते रहे कि पथराव करने वाले और पत्थर फैंकने वाले····

एक माननीय सदस्य : भाई भतीजे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भाई भतीजे तो हो सकते हैं। अलग-अलग, एक सी. पी. आई. में था इसलिए आज विचारधारा के अन्दर अलग-अलग पार्टी में भाई भी हो सकते हैं। भाईयों के लड़ाने में भी होम मिनिस्टर साहब आपने कोई कोशिश नहीं की है। ऐसी स्थिति है आज उसमें वे लड़ते भी हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आपके लॉ एण्ड आॅर्डर की सिचुएशन में जहां आप विधान सभा के सदस्य को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और उसका मुख्य कारण यह है कि करप्शन रेमपेंट क्योंकि पुलिस में नहीं है और इक्वल भी नहीं है, लेकिन जबर्दस्त करप्शन है, और पक्षपात हो रहा है। ऐसे मामलों के

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्दर जहां पक्षपात होगा वहां न्याय का गला घोटा जायेगा। इन्साफ नहीं होगा और जहां इन्साफ नहीं होगा, लोगों का फेथ उठ जायेगा, गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव अपेरेटस में नहीं, पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपको कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में इमीजिएटली स्टेप लेना चाहिए, मैं सब उदाहरण नहीं देना चाहता। अभी अध्यक्ष महोदय को भी माननीय सदस्य ने अपना एक आवेदन-पत्र दिया है, वह हाथ जोड़ रहा है, मारा जाऊंगा, मुझे मार देंगे और उसके बाद में भी प्रोटेक्शन नहीं दिया। इमीजिएटली आपको उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, जबकि आपको इत्तिला परसों दी थी। मुझे ऐसा दिखता है कि मुख्य मन्त्रीजी उत्तर देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): नहीं दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा: नहीं, आप उत्तर देने में माहिर हैं। मुझे सबसे बड़ा अफसोस यह होता है कि जो महारत हासिल है, हम तो बनाने वाले नहीं कुछ, लेकिन आप लोग सब के सब चौमूं के निवासी क्यों बन गये हो। यह जादूगर की हाथ की सफाई नहीं है, जबान की सफाई है ...... (व्यवधान) कन्ट्रोल, यहां पर ईदी अमीन का राज है क्या ?

There is an internal parlimentry democracy in the party. यहां पर सबका गला गेग कर दिया गया है, अभिव्यक्ति का। इसलिए इन समस्याओं के समाधान में, यह दसवीं विधान सभा का सबसे लम्बा सत्र जिसमें तीन दिन शेष रहे हैं, यह सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के अन्दर अकर्मण्य रही है, विफल रही है इसलिए मैं मेरे दल के साथ इस सदन से इस प्रोटेस्ट के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(कांग्रेस (ई) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य: अर्जुन सिंह की रैली में जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पेयजल पर, पंचायती राज पर और विद्युत के सभी मामलों में डिस्कशन हो चुका है और कानून व्यवस्था पर भी डिस्कशन हो चुका है। पहली बार ऐसा समय था जब सदन में इस बात के लिए सर्वसम्मति बनी पंचायतों को अधिकार देने के बारे में एक सदन की समिति बनायी जाये और सदन की समिति के आधार पर पंचायतों को अधिकार देने की बात की जाये। यह इस सदन में पहले तय हो चुका। अध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि कानपुर में एक मई को अर्जुन सिंह और नारायणदत्त जी तिवाड़ी की रैली में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी विभाजन की ओर बढ़ रही है, उस विभाजन से बचने के लिए वहां पर सारा नाटक किया गया है। यह राजनैतिक नाटक है। कांग्रेस पार्टी एक मई से सारे राजस्थान में आन्दोलन करना चाहती थी लेकिन जन समर्थन बिलकुल नहीं मिला और जन समर्थन नहीं मिला तो सदन को जन समर्थन प्राप्त करने का मच

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनाने का कांग्रेस पार्टी प्रयत्न कर रही है। आज राजस्थान में पेयजल के लिए सिर्फ 2 हजार गांव बचे हैं और इस बार बजट में जो प्रावधान किया है, कि राजस्थान के 39 हजार गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने में सरकार सफल होगी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सामाजिक क्रान्ति की बात की गयी, वह सामाजिक क्रान्ति राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है और पंचों को प्रशिक्षण देने के शिविर जगह-जगह आज चल रहे हैं, उन प्रशिक्षण शिविरों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण पंचायत संस्थाओं को बहुत अधिक मजबूत करना चाहती है और उनके लिए वित्त आयोग की स्थापना की गयी है। वित्त आयोग की जिस समय, जिस प्रकार से रिपोर्ट आयेगी, सरकार क्रियान्वित करेगी। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज का भाषण राजनैतिक, तथ्यों से परे था और कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन नहीं मिलने के कारण से सदन को इसका मंच बनाया जा रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ में उनकी कही गयी बात की आलोचना करता हूं, धन्यवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पम्प्स, पाईप्स की खरीद में पक्षपात करने से राज्य सरकार को हुई कथित हानि तथा एम. एस. पाइप व जी. आई. पाइप की खरीद में करोड़ों का कथित घोटाला होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में कुकिंग गैस ऐजेन्सियों द्वारा की जा रही मनमानी से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी स्थित शीतला माता मन्दिर के चारों ओर पत्थर डालकर गंदे पानी के नाले को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1993-94 में बीकानेर जिले में बहुचर्चित अरजनसर लूणकरणसर डकैती काण्ड के कारण उत्पन्न भयंकर जन-आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनप्रिया सीमेंट लिमिटेड,

(श्री अध्यक्ष)

दलपतपुरा, नीमका थाना के मजदूरों को न्यूनतम वेज बोर्ड के अनुसार वेतन नहीं दिये जाने से मजदूरों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में कहा है कि प्रकरण न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर के वैर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैतारण के ग्राम निम्बाज के रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्सरे मशीन चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से ए. सी. एम. कोर्ट, सादड़ी का केम्प 15 दिन छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालय में लगाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़-रावतसर रोड पर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़क योजनाओं की क्रियान्विति हेतु धन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित आमेर महलों के अधीक्षक, पुरातत्व कार्यालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(7) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति, राशमी के रेवाड़ा तालाब से केनाल बनाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोपीचन्द, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जिला पाली की पंचायत समिति सोजत में "गरीब को छप्पर" योजना के अन्तर्गत, प्रधान व विकास अधिकारी के कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायती राज की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील बामनवास के ग्राम डाबर के ठाकुरजी के मन्दिर के पुश्तेनी पुजारियों को पूजा आरती से महरूम रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री बाबूलाल बछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टूडू की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री भरतसिंह जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, हमें स्थगन प्रस्ताव दिये 8-10 दिन से ज्यादा समय हो गया, आपने सरकार की जानकारी के लिए भेजे हैं और नियम यह है कि 24 घण्टे में व्यवस्था देनी चाहिए। 8-8, 10-10 दिन तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपसे चेम्बर में भी मिला था, आपने कहा था कि मैं सोमवार को व्यवस्था दूंगा। पर आज भी आपने हमारे स्थगन प्रस्तावों पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : कल दे देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : ठीक है। ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : कब दे देंगे, एडजॉर्नमेंट मोशन है, उसके बारे में भी आपने कहा (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आज जो आए हैं उनकी बात हो रही है और सब माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव जवाब के लिए भेजे हैं, उत्तर आने पर जरूर देंगे, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) **:** न तो 295 लिया आज तक, न स्थगन प्रस्ताव लिया, फिर कब देंगे (व्यवधान)....

श्री परसादी लाल मीणा : आप सभी स्थगन प्रस्तावों पर हमको बोलने का मौका दें, (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष · बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्लिप भेजकर जीरो आवर में संक्षेप में बोलने की अनुमति चाही थी कि ब्यावर कॉलेज में जो छात्र-छात्राओं की परीक्षायें हाल ही में चल रही हैं वहां के आचार्य महोदय के द्वारा छात्र और छात्राओं की तलाशी ली जा रही है उसके सम्बन्ध में उससे उत्पन्न हुई स्थिति पर मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जहां पर ब्लैंकट सौ प्रतिशत छात्र छात्राओं की तलाशी ली जाती हो। ब्यावर कॉलेज में सौ प्रतिशत छात्र-छात्राओं की डैली हाल में घुसकर तलाशी ली जा रही है। छात्राओं की तलाशी वहां के जो पुरुष प्राध्यापक हैं वह लेते हैं और छात्रों की तलाशी वहां के जो महिला प्राध्यापक हैं वह लेती हैं ...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : ....इसके कारण से वहां 10-15 मिनट तक छात्र और छात्रायें प्रभावित होते हैं और विचलित हो जाते हैं और माननीय मन्त्री जी यहां तक एक छात्रा की तीन दिन पहले तलाशी ली गयी, उसके पट्टी लगी हुई थी हाथ पर उसके चोट आयी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

हुई थी और उसकी पट्टी को उतारकर तलाशी ली गयी। तो क्या राजस्थान में ब्यावर के कॉलेज के लिए कोई अलग से नियम हैं, तलाशी लेने के ? आप सैम्पल चैक करवाइये, इस बात से हम सहमत हैं। अगर किसी को शक है तो उस छात्र की जरूर तलाशी ली जानी चाहिए लेकिन सौ प्रतिशत छात्र और छात्राओं की वहां पर एक अभियान चला कर डैली इस तरह से किया जा रहा है। उस कारण से वहां के छात्रों में बड़ा असन्तोष है और वह विचलित हो रहे हैं उसके कारण से दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मिनट उनके खराब होते हैं और वहां का परीक्षा परिणाम प्रभावित होने वाला है। मन्त्री महोदय कृपा कर इस पर कुछ कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजिये। कोई ' ला एण्ड आर्डर तो मेन्टेन करने दीजिये। मैंने भरतसिंह जी का आवाज दे दी है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 131 के जितने भी प्रस्ताव दिये हैं ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : .... अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यहां पर सदन में कह देते हैं कि मेरे कक्ष में आकर बात करो। किसी माननीय सदस्य के दो-दो लग जाते हैं और किसी के तीन-तीन लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय त्रुटि से शायद ऐसा हो सकता है कि लगे हों, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस वाले....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ..

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी एक भी नहीं लगा है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप .

श्री रामनारायण मीणा : .. यदि विपक्ष के आदमियों को बोलने का मौका नहीं दिया जायेगा तो कैसे होगा। .. बिजली बोर्ड के मामले में, ऊर्जा के मामले में सवाल है एनरोन कम्पनी जिसको महाराष्ट्र सरकार ने (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप... (व्यवधान) ... आपने पूरी बात ही कर ली बिराजिये आप ...

श्री रामनारायण मीणा : .. .(व्यवधान) एनरोन कम्पनी द्वारा तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसका हम खुलासा करेंगे..... (व्यवधान)....और उससे अनुबंध किया जा रहा है। राजस्थान में फिर से उसी एनरोन कम्पनी को बुलाया जा रहा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन से सहयोग करें, माननीय सदस्य ... (व्यवधान).. बिराजें आप

श्री रामनारायण मीणा : .. (व्यवधान) दो हजार करोड़ रुपये की योजना है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसकी आप ग्लोबल टैन्डर की बात कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये .. ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यहां तक कि विदेशों के दूतावासों के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ....(व्यवधान) ---मुझे कहना पड़ेगा कि अंकित नहीं होगा फिर मतलब कुछ नहीं निकलेगा ।.... ... (व्यवधान)....बिराजें आप....कृपया सहयोग करें ।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन 3 दिन और चलेगा... (व्यवधान).... आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं आप ? अंकित नहीं करेंगे । मजबूरी है हमारी । श्री भरतसिंह जी....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप....

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये .. (व्यवधान)... बिराजिये....बिराजें माननीय सदस्य....

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) × × ×

(माननीय सदस्य श्री रामनारायण द्वारा सदन के कूप में धरना)

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य ...

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपका भी लगाया था.... (व्यवधान).... माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने सारी बात कह दी । बिराजिये आप...... (व्यवधान)....बिराजें आप....(व्यवधान).... अंकित नहीं हो । ....(व्यवधान) ...माननीय सदस्य बिराजें आप । ....(व्यवधान)....आप चार माननीय सदस्यों की एक साथ आवाज आ रही है मुझे मालूम ही नहीं कहना क्या चाह रहे हैं । ......(व्यवधान)...... सब की व्यवस्था देंगे । बिराजें,

सूचना

श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर । सायंकाल के वक्त में विधान सभा सदस्य जो जायल से आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में मैंने एक पत्र लिखा था और उसका उल्लेख भी किया जा....

श्री अध्यक्ष : मुझे अभी मिला है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि क्योंकि वह इस सदन के माननीय सदस्य हैं और जिस तरह से उनकी अपनी जान और माल का खतरा है । पूर्व में भी सदन में यह परम्परा रही है । माननीय सदस्य अपनी व्यथा को सदन

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री परसराम मदेरणा)

में अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। वह चाहते हैं वह आपके सम्मुख और इस सदन के सम्मुख जो उनके साथ बीत रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी जान और माल खतरे में है। इस सम्बन्ध में आपसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप उनको 5 मिनट बोलने का समय प्रदान करें।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा निवेदन करना है कि मैं गांव गया था 26 तारीख को और हमारे बच्चों को मेरे परिवार वाले लोग लड़ते हैं और 29 तारीख को मैं मेरे कमरे के बाहर बैठा था तो वह पत्थर लेकर और लाठियां लेकर आ गये मारने के लिए। तो हम दोनों भाई बैठे थे और ऊपर जाकर हमने डिप्टी साहब को टेलीफोन किया। वहां पर पुलिस आयी और अभी मैं चार दिन से नीचे निकलकर आया हूं और थोड़ी मेहरबानी कराइये नहीं तो हमें वह मार देंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरी-पूरी व्यवस्था करेंगे। माननीय गृह मन्त्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मेरे यहां टेलीफोन किया था उस समय मैं नहीं था। उसके बाद उन्होंने गृह सचिव महोदय को सारी स्थिति से अवगत कराया और तुरन्त गृह सचिव महोदय ने सारी बातचीत मुझे बताई और उन्होंने जो कदम उठाये थे सुरक्षा के बारे में इसकी जानकारी भी बाद में उन्होंने दे दी और मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिये हैं....

श्री परसराम मदेरणा : कोई बात ही नहीं हुई।

श्री कैलाश मेघवाल : उन्होंने जो मुझे कहा वह यह है।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मैंने उनको जोग्राफिकल जो गांव की पोजीशन है जहां के माननीय सदस्य निवासी हैं, यह मैंने जरूर बताया था कि आप इमीडियेटली व्यवस्था कर सकते हैं उनकी सुरक्षा की, क्योंकि वहां डामर रोड है तथा सीधे आधा घंटे में कोई भी पुलिस वहां पहुंच सकती है। यह मैंने टेलीफोन से बात की थी और फिर मैंने पत्र भी लिखा। उसके बाद में दुबारा मेरे पास कोई फोन नहीं आया।

श्री कैलाश मेघवाल : कल सायंकाल मुझे आपका पत्र भी मिल गया और इसके बाद मैंने स्पष्ट निर्देश दिये थे गृह सचिव महोदय को कि मैं इधर-उधर हो सकता हूं इसलिए आप निजी निगरानी रखें और माननीय विधायक को पूरा सुरक्षा प्रदान करें और वह विधान सभा में आयें इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंचे और वह विधान सभा पहुचे, यह भी आप पुख्ता व्यवस्था करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या किया है यह बतायें ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करता हूं। ऐसा है कि यह निर्देश देने के बाद आज फिर यह मसला उठाया गया तो हमने क्या व्यवस्था की है, कोई कमी रहेगी तो वह भी व्यवस्था कर देंगे और मैं आपको विश्वास

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिलाता हूं कि माननीय विधायक की सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया जायेगा। यह इनके आपसी का और रिश्तेदारों का झगड़ा है और इस पर जो भी यथोचित खास तौर से माननीय विधायक भयभीत नहीं हो, वह सुरक्षित रूप से विधायक के रूप में भी और स्वतन्त्र नागरिक के रूप में भी अपना कार्य करते रहें, यह व्यवस्था की जायेगी। मैं अभी फिर से और जानकारी प्राप्त कर लेता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : झगड़ा तो आप जाने दीजिये उसके मेरिट और डी-मेरिट पर में नहीं जा रहा है लेकिन इनकी सुरक्षा की व्यवस्था और वहां पर उनके परिवार की ओर यहां इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा हो। नहीं तो अध्यक्ष महोदय He would not be in a position to discharge his duties as a Member of this August House.

श्री कैलाश मेघवाल : That I assure.

श्री परसराम मदेरणा : आप उनको प्रोटेक्शन दीजिये। At every step, he is in danger.

श्री कैलाश मेघवाल He will be extended all possible police help for discharging his duties as an MLA as well as a free citizen. That I will.

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, इस समय के बीच में इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई इसके लैप्सेस क्यों हुए।

श्री कैलाश मेघवाल : कल तो कहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें, कल की बात है।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सदस्य ने भी आपको चिट्ठी लिखी है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परसों एक बजे की बात है I received the telephone day before yesterday at about 1 p. m. and within two minutes, you know, I talked to his house. I put a telephone to him. He was not there. मैंने होम कमिश्नर से बात की, होम कमिश्नर को मैंने यह सब स्थिति बतायी और स्थिति बताकर मैंने कहा कि आप इमीडियेटली व्यवस्था कीजिये। ज्योग्राफिकल सिच्युएशन मैं इस गांव में कई दफा गया हूं मुझे मालूम है कि डामर की सड़क है और नागौर से 18 किलोमीटर का डिस्टेन्स है यू नो इमिजियेटली पुलिस पहुंच जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह कल की बात नहीं है, यह परसों की बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका टेलीफोन और पत्र हमको कल मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके डो. जी. आदि बदल रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा आज नहीं कल बदले जायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे गृह सचिव ने जो बताया वह यह बताया कि नागौर से पुलिस प्रशासन के प्रमुख अधिकारी मकराना गये हुए हैं और नागौर में भी जो सैकण्ड कमाण्ड है मैं उनको निश्चित रूप से इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

बात के इन्शट्रक्शस दे रहा हूं कि माननीय विधाय को पूरी सुरक्षा दी जाये और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनको यहां पर भी और इनके आवास पर भी विधायक के रूप में भी और स्वतन्त्र नागरिक के रूप में भी अपना कर्त्तव्य पालन कर सकें, इस तरह की पूरी पुख्ता व्यवस्था पुलिस की करायी जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : वहां तो पांच छः आदमी पुलिस वाले पहुंचे हैं लेकिन यह यहां आते कैसे। वह तो गांव में एक आउट पोस्ट के हिसाब से आपने भेज दी ताकि वहां ला एण्ड आर्डर मेनटेन रहे....

श्री कैलाश मेघवाल : पधारे ही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह रात वहां से छिप कर भागे हैं। माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित होने के लिये और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने के लिए रात को चोर की तरह छिपकर भाग कर आवें और पुलिस ने इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है। यहां पर लैप्स हुआ है इसलिए माननीय सदस्य कह रहे हैं। आप इनकी इमीजियेटली सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए और आप इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप इनकी गार्ड में रहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिला चुका हूं पुलिस सुरक्षा प्रबन्ध कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भरतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे वक्त में ऐसा नहीं था।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सोमवार को आपने व्यवस्था दी थी कि मेरे दोनों प्रिवेलेज मोशन्स पर आप तीन चार रोज में व्यवस्था दे देंगे। दूसरा सोमवार आ गया, शुक्रवार को फिर एसेम्बली शायद खत्म हो जाये। तो अध्यक्ष महोदय, आपके अलावा जाये कहां? जो इन्टिमिडेशन इस सरकार की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो घटना हमारे साथ हुई, उसके अगले दिन धनखड़ साहब के साथ हो गयी तो क्या यह सरकार प्रोसीजर बना रही है? इस हाउस को हम, इस सरकार को यूज नहीं करने देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप व्यवस्था तो दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, बिराजें आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बैठना तो है ही अध्यक्ष महोदय, मैं इस सीट का आदर करता हूं। आपने चूंकि मुझे व्यवस्था दी मैं बिराज गया लेकिन बैठूं कब तक हुकम ?

श्री अध्यक्ष : मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कल तक व्यवस्था हो जाये। बिराजें आप। श्री भरत सिंह जी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग में और राजस्थान में इस साल गेहूं की बहुत

(श्री भरतसिंह)

अच्छी फसल हुई है मगर किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। काश्तकार अपना माल लेकर मण्डियों में आते हैं और सरकारी मूल्य पर खरीद की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूर होकर अपना माल आढ़तियों और व्यापारियो को बेचना पड़ता है और उसके परिणामस्वरूप उन्हें उनकी फसल का जो मूल्य मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। आपकी जानकारी में मैं यह लाना चाहता हूं कि इन व्यापारियों और कर्मचारियों की मिली-भगत से काश्तकार की खरीदी हुई फसल आगे जाकर यही व्यापारी काश्तकारों के नाम पर खाद्य निगम से मिलकर बेचते हैं। काश्तकारों को इससे बड़ी परेशानी होती है और दिन भर इस गर्मी के अन्दर उनको गाड़ी लेकर मण्डियों में पड़ा रहना पड़ता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिकता के क्षेत्र में यह जरूरी है कि सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। मान्यवर, 27 अप्रेल, 1995 को सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सीकर के संचालक मण्डल को इस आधार पर खत्म कर दिया कि 9-1-92 से तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने गये थे और वह अवधि अब समाप्त हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी संचालक मण्डल को समाप्त करना गलत नहीं कहा जा सकता पर मान्यवर, जब इस बारे में एक भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार कार्य करती है तो मैं यह समझता हूं कि यह सदन महसूस करेगा कि यह एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यकाल मान्यवर, खत्म हो गया। एक वर्ष से अधिक का समय निकल गया है। सरकार ने इस बारे में कुछ कार्यवाही इसलिए नहीं की, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अपेक्स बैंक के चैयरमैन का नाता इनके राजनैतिक दल से है। अगर सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जैसा ही व्यवहार, समानता का व्यवहार, सरकार, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए करती तो निश्चित रूप से अपेक्स बैंक के अध्यक्ष महोदय उस पद पर पदासीन नहीं होते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही व्यवस्था इन्होंने उपभोक्ता संघ के मामले में की है। वहां भी समय समाप्त हो गया है, साल भर से ज्यादा समय हो गया है पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चूंकि वहां पर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हैं इसलिए यह इस बारे में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों में समानता का व्यवहार न कर राजनैतिक दृष्टि से भेदभावपूर्ण रवैया अपना-कर जो कार्यवाही कर रही है वह हर तरीके से अवांछनीय है।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह जी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज की ई. एन. टी की दयनीय दशा पर ले जाना चाहता हूं। जब

(श्री रिछपाल सिंह)

से ई. एन. टी. विभाग शुरु हुआ है, बैड्स में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गयी तथा न ही उसमें किसी प्रकार का सुधार किया गया है। इस विभाग में शुरु होने के पश्चात् से आज तक एक ही प्रोफेसर नियुक्त है जब कि अन्य विभागों में दो-दो प्रोफेसर हैं। यह ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रकार का विषय है परन्तु बिस्तरों और पोस्टों के बारे में बार-बार निवेदन करने बावजूद भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गयी है। अन्य विभागों में अन्डर ग्रेजुएट परीक्षा नहीं होने के बावजूद दो प्रोफेसर नियुक्त हैं परन्तु इस विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट विषय होने के बावजूद भी एक प्रोफेसर है। ई. एन. टी. एट. पार आपथोलोमोजी है परन्तु पद और बिस्तर पूर्व में जितने हैं उतने ही हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के ग्राम अडाना में दिनांक 28-4-95 को रात्रि दो बजे दस बारह कंजरों ने भैरू अहीर के मकान में घुस कर चोरी की। परन्तु भैरू अहीर और उसका पुत्र माधव अहीर नींद से जग गये और भागते हुए एक कंजर को पकड़ लिया लेकिन कंजरों की संख्या अधिक होने के कारण हथियारबन्द कंजरों ने पिता व पुत्र दोनों पर लाठी और धारियों से हमला किया जिसमें भैरू अहीर और उसका पुत्र गम्भीर रूप से घायल हो गये। बाद में पुत्र की मृत्यु हो गयी। जिला कलक्टर ने तुरन्त मौके पर पहुंच कर सहायता राशि के रूप में मृतक को पांच हजार रुपये व घायल को दो हजार की सहायता पहुंचायी। दी गयी सहायता राशि बहुत कम है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, से चाहूंगा कि मृतक की बेवा को कम से कम एक लाख रुपये की सहायता राशि पहुंचायी जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक निवेदन और है। इसी तरीके से कन्जरों ने हमारे कपासन और गगरार विधान सभा क्षेत्र में काफी उत्पात मचा रखा है और दिनांक 23-4-95 को दिन के दो बजे कपासन इण्डस्ट्रियल एरिया में दो कन्जरों ने एक बांदी जाति की औरत भोली के पांव काट दिये और उसके कड़े निकाल ले गये। उसके साथ एक आठ वर्ष का बच्चा था जिसको गम्भीर रूप से घायल कर दिया, वह वर्तमान में उदयपुर में है। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि सहायता राशि अविलम्ब पहुचायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जुबेर खानजी, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसमें ही बोल लें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मेरा तो अलग है, ध्यानाकर्षण अलग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8-8-94 को राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना निकाली कि अमुक-अमुक जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया जाता है। मेरा निवेदन है कि एक ओड एवं ओड राजपूत नाम से जाति होती

(92)

(श्री जुबेर खान)

है जो अधिकतर गंगानगर और अलवर जिले में पायी जाती है। ये वे लोग हैं जो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो आये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गंगानगर में आये, हरियाणा में आये उन्होंने तो अपनी जाति सिर्फ ओड ही रखी, वे सब एक समान ही लोग हैं। अलवर में जो लोग आकर विस्थापित हुए, आकर बसे, क्योंकि राजपूत राज था तो उन्होंने अपने नाम के साथ ओड राजपूत लिख दिया। ये मिट्टी खोदकर डोल बांधकर मजदूरी करते हैं, इनकी एक-दूसरे से रिश्तेदारियां हैं। राज्य सरकार ने मालियों को ओ. बी. सी. में दिया तो माली, सैनी, बागवान कोमा लगाकर लिखा ताकि कोई भी रह न जाये। इसी तरह से अहिरों को दिया तो अहीर, यादव और भी कई लिख दिया। खातियों को खाती, बढ़ई, जांगिड़, गूजर गूजर के ऊपर एक मात्रा और लगाकर गुर्जर। तो कोई भी चीज, मेरा यह कहना है कि इस जाति के साथ अन्याय हुआ है कि खाली ओड के आगे कोमा लगाकर के ओड राजपूत भी सम्मिलित कर दिया जाये क्योंकि अलवर जिले में जब हम देखते हैं कि अहीर भी ओ. बी. सी. में आ गये, माली भी आ गये, गूजर भी आ गये और ये लोग, जिनके पास जमीन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी एक गलती जरूर हुई है कि जब आयोग सुनवाई कर रहा था...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। 295 श्री रेवती प्रसाद जी कोली।

श्री जुबेर खान : तो इन लोगों में पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण ये दुरुस्ती नहीं करा पाये। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये दुरुस्ती कराइये ताकि उन लोगों को इसका फायदा मिल सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है....

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आपकी बात उठा दी, आप नहीं उठाना चाहते थे। बिराजिये आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने उसी बात को कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह अलग बात थी, यह किस्सा दूसरा है साहब। आप सुनें तो सही, यह कितना गम्भीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोटा नगर में कुछ पार्षदों द्वारा अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है और अतिक्रमणों को बढ़ावा देते-देते यह मामला पार्षदों तक ही नहीं रह गया, वहां के उप महापौर और महापौर, दोनों अतिक्रमण में लग गये और हालत यह हो गयी कि महापौर + + + ने अपने मकान के बाहर ही फुटपाथ पर गैरेज बना लिया और गैरेज का यह फोटो छप गया अखबार में।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां बिराजूं साहब, अभी तो चालू हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गया आपका। सूचना देनी पड़ेगी, बिना नोटिस के नहीं आ सकती। बिराजिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामले की गम्भीरता को देखें आप। यह अतिक्रमण का मामला नहीं है, वहां के महापौर के खिलाफ विज्ञान नगर के थानाधिकारी ने ...

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल जी, आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रोजनामचे में रपट डाली ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार बिना नोटिस के किसी के ऊपर आरोप लगायें, मैं समझता हूं, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल महावीर जी, गम्भीर बात हो रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गम्भीर बात तो आप करें लेकिन किसी पर आप चार्ज लगाते हैं तो कम से कम आप नोटिस दें, उसका वे जवाब दे सकें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो मुझे स्लिप दी है, मुझे दिया है कि आप जीरो आवर में कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय पर दिये जा रहे धरने पर बोलने की इजाजत दें। बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी माननीय सदस्य ने (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वहां पर महापौर के खिलाफ रपट लिखी...... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आपने बार-बार (व्यवधान) अंकित नहीं होने देंगे। अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बाहर के व्यक्ति पर इस तरीके से आरोप नहीं लगाया जा सकता। नोटिस दीजिये और न वह यहां सदन के सदस्य हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने मुझे जो कहा है कि कांग्रेस का धरना है उसके बारे में मुझे आपने स्लिप पकड़ायी थी और माननीय मदेरणाजी उस पर बोले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरा चश्मा है अभी पूरा दिखेगा नहीं। आप बाद में बात करें। बिराजिये। श्री रेवती प्रसाद जी कोली।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ें। अंकित नहीं करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं, जो अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण करके उन्होंने जो गैरेज बना लिया है तो आप उस गैरेज में बिराजो।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भंवर सिंह चौधरी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप पूरा फरमा चुके हैं बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : सारे हिन्दुस्तान में कई बातें हो रही हैं सब पर विचार ... (व्यवधान) मेरा आपसे विनम्र निवेदन है आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें आप। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। श्री रेवती प्रसाद जी कोली।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री रामनारायण (नैनवां) **:** × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान) आपको अनुमति नहीं दी है। जीरो आवर की बात खतम हो गयी। 4 जने की जगह 6 जने बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी खूब बातें सुन रहा हूं और सुनता ही आया हूं। बिराजिये।

श्री रामनारायण : × × ×

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे अनुनय-विनय है बिराजें आप। (व्यवधान) जिसने 11-सवा 11 बजे तक दे दी वह बोल लें। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) **:** × × ×

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : × × ×

श्री रामनारायण : × × ×

13.00

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये आप। .. आप बिराजिये, माननीय सदस्य बिना नोटिस वह तो अंकित ही नहीं हो रहा है, आप भले ही बोलें। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । मंत्रीजी से बात करिये, यह कोई अरजेंट मैटर है क्या ? आप बिराजिये ।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । भ्रष्टाचार की बात करनी है तो गृह मंत्रीजी से बात कर लें ।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । आज बहुत बिजनैस लेना है, माननीय सदस्य, बिराजिये आप । बहुत देर हो गयी । आपको बहुत देर हो गयी । मैंने अनुमति नहीं दी है उसके बावजूद भी 5 मिनट आप खराब कर चुके हैं । माननीय श्री कोली जी । शांति बनाये रखिये ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

वैर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या

श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : "पानी बिन मेरे क्षेत्र में मच रही हाहाकार । नियम 295 के तहत तो सुन मेरी सरकार ।।" निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा क्षेत्र वैर में गम्भीर पेयजल संकट की ओर दिलाना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वे इस समस्या का समाधान करने की तरफ कोई कदम उठायेंगे ।

वैर (भरतपुर) निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है । ग्राम बफेरा कलां, लुहासा, भूंडिया, नेवाड़ा, भोलोनी, सुआ जस्बर, खुर्द सलेमपुर, जीवद एवं ऊनापुर में पीने के पानी के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है । लोग प्यासे मर रहे हैं । कुए सूखे हुए हैं । इनके अलावा वैर में वार्ड नम्बर 7 में भी पीने के पानी की गम्भीर समस्या है । खारीपुरा बांसों के रास्ते में एक ट्यूब वैल लगवाने की व्यवस्था करावें । बिचपुरी पट्टी के स्कूल में बच्चों को पीने के पानी की समस्या हो रही है ।

अतः निवेदन है कि कृपया इस समस्या का समाधान मंत्री महोदय, अतिशीघ्र करवायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल ।

निम्बाज (जैतारण) के रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्स-रे मशीन

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाज (पाली) में एक्स-रे मशीन चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम निम्बाज के राजकीय रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्ष 1994 में नयी एक्स-रे मशीन विभाग द्वारा आबटित की गयी थी जिसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी चालू नहीं किये जाने से ग्रामीणों को एक्स-रे करवाने हेतु ब्यावर या जैतारण जाना पड़ता है। निम्बाज पी. एच. सी. के आस-पास के 15–20 ग्रामों के ग्रामीणों में नयी एक्स-रे मशीन को चालू नहीं किये जाने से भयंकर असंतोष है। इसलिये निवेदन है कि जनहित में अस्पताल में पड़ी नयी मशीन को कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

ए. सी. एम. कोर्ट (बड़ी सादड़ी) कैम्प

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखण्ड में छोटी सादड़ी तहसीलों के राजस्व प्रकरणों के निपटारों हेतु ए. सी. एम. कोर्ट बड़ी सादड़ी में कार्यरत है। कोर्ट की संस्थापना के समय यह तय किया गया था कि छोटी सादड़ी में महीने में 15 दिन केम्प कोर्ट रखी जायेगी पर उसके स्थान पर महीने में केवल एक दिन ही नीयत रखा गया है और महीने में एक दिन भी पिछले 6 माह से एक भी केम्प नहीं किया गया है। जिससे छोटी सादड़ी क्षेत्र के पीड़ित व्यक्तियों को अपने प्रकरणों के निपटारे के लिए कई चक्कर छोटी सादड़ी केम्प कोर्ट के लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही यह भी निवेदन है कि लम्बित पड़े प्रकरणों में छोटी सादड़ी तहसील के प्रकरणों की संख्या ज्यादा है।

अतः विशेष उल्लेख के मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि ए. सी. एम. कोर्ट, बड़ी सादड़ी का केम्प महीने में 15 दिन छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालय पर किये जाने की व्यवस्था करने के आदेश जारी करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां। (अनुपस्थित)। श्री ओमप्रकाश शर्मा।

सड़क योजनाओं की क्रियान्विति हेतु धनराशि का आबंटन

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (एन. एन. पी.) योजना प्लान, विश्व बैंक की योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण कराया जाता है। 1990–91 से 1995 तक बून्दी विधान सभा में उपरोक्त मद से धनराशि नहीं दी गयी है न ही एक भी किलोमीटर सड़क बनायी गयी है। जबकि अन्य जिलों–झालावाड़, बारां, कोटा एवं बून्दी जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में यह धनराशि दी गयी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी विधान सभा क्षेत्र में 1990–95 तक उपरोक्त योजनाओं के आधार पर कितनी धनराशि एवं कितने किलोमीटर सड़क बनायी गयी ? बताने का कष्ट करें।

यह कि मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको यह

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

लगता है कि वास्तव में बून्दी विधान सभा क्षेत्र एवं बून्दी जिले के साथ न्याय नहीं हुआ है तो आप 1990 से 1995 में और इससे पूर्व जो असमानता रही है, वह किसी भी कारण रही हो, दूर करके उपरोक्त योजनाओं से धनराशि आवंटन कराने का कष्ट करें एवं उपरोक्त जानकारी भी देने का कष्ट करें।

मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उपरोक्त योजनाओं का लाभ बून्दी विधान सभा क्षेत्र को दिलाने के लिए 1995 से 1996-97 के लिए अधिक धनराशि गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु उपलब्ध करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट।

पुरातत्व कार्यालय (आमेर) में अनियमितताएं

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के समीप आमेर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। प्रतिवर्ष देश एवं विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। आमेर महल, जलेब चौक एवं अन्य स्थानों पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का नियन्त्रण है, किन्तु वर्तमान में वहां पर पदस्थापित अधीक्षक द्वारा भारी अनियमितताएं एवं ऐतिहासिक स्थानों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। जिसका प्रभाव वहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। इस अधीक्षक की मनमानी से वहां पदस्थापित अन्य कर्मचारी भी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार एवं मनमाना पैसा वसूल करते हैं। इससे राजकोष को भी भारी हानि हो रही है।

आमेर महल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गाइड का कार्य भी करते हैं जो नियम विरुद्ध है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा गाइड का कार्य करने के प्रमाणस्वरूप दिनांक 5-8-1994 को अधिकृत गाइडों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, किन्तु इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस कार्य से रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ये कर्मचारी पर्यटकों को गलत जानकारी देते हैं एवं उनसे दुर्व्यवहार भी करते हैं।

आमेर महल में मुख्य आकर्षण शीश महल है। मोमबत्ती द्वारा लाइट रिफ्लेक्शन दिखाकर पर्यटकों को भारतीय कला से अवगत कराया जाता है। यह व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है, किन्तु अधीक्षक द्वारा वहां नियुक्त कर्मचारियों द्वारा पैसा वसूल करवाया जाता है और इसकी शिकायत पर्यटकों ने कई बार अधीक्षक से की, किन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

यात्री टिकट पर पांच रुपये अंकित है। उसी यात्री टिकट पर कैमरा या वीडियो कैमरा शुल्क की मोहर लगाकर पर्यटकों से 50 रुपये वसूल किये जाते हैं जबकि इसकी कार्यालय प्रति पर ऐसा अंकित नहीं किया जाता है। इससे राजकोष में तो मात्र पांच रुपये ही जमा होते हैं और शेष राशि अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा हड़प ली जाती है।

इसके लिये टिकट नम्बर 448905, 448912, 469891 इन पर पांच रुपये छपे हुए हैं, साथ ही एक मोहर जिसमें यह

(श्री गोपीराम जाट)

लिखा है "भारतीय पर्यटक वीडियो कैमरा शुल्क रुपये 50/– मात्र" अब इन टिकटों की कार्यालय प्रति की जांच करवायी जानी चाहिये कि इस पर वह मोहर है या नहीं एवं राजकोष में कितनी राशि जमा हुई है। इन टिकटों पर न तो दिनांक अंकित है न ही किसी के हस्ताक्षर जबकि नियमानुसार इन पर ऐसा किया जाना चाहिये।

आमेर में पर्यटकों को महल परिसर में लाने ले जाने के लिए 25–30 जीपें, कारें चलती हैं। इन जीपों–कारों से गाड़ी प्रवेश पर 15/– रुपये प्रति बार से वसूला जाना चाहिये, किन्तु ये प्रवेश दर केवल मात्र एक बार ही वसूली जाती है और इन गाड़ियों को तीन–चार बार उस परिसर में प्रवेश करा दिया जाता है और शेष राशि गाड़ियों के मालिकों से तो वसूल कर ली जाती है, परन्तु उसका कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है और न ही इन टिकटों पर समय अंकित किया जाता है जिससे यह जानकारी नहीं होती कि टिकट कब जारी हुआ और यह राशि अधिकारी/कर्मचारी स्वयं हड़प जाते हैं। बदले में जीप मालिक कुछ राशि उन्हें दे देते हैं।

(5) आमेर महल के अधीक्षक द्वारा अनियमितताएं व पुरातत्व नियम 1968 का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। आमेर महल के जलेब चौक में स्थित वर्षों से एक किराये की दुकान में पान की बिक्री की जाती थी किन्तु अधीक्षक की मिलीभगत से इस दुकान में ज्यूस सेन्टर व हैण्डीक्राफ्ट के सामान भी बेचे जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। यह दुकान रुपये 5.50 मासिक किराये पर है जबकि इसमें अन्य दुकान खोलने पर अधिक राशि जमा करवानी पड़ती है। पुरातत्व नियमों के अनुसार किसी भी भवन को ना तोड़ सकते हैं और ना ही नया रूप दिया जा सकता है मगर वर्ष 1994 के नवरात्रों में एक पुरानी दीवार जो पहले से खुली हुई थी, किसी समय में यहां महाराजा के गार्डों का रसोईघर था, वहां दीवार को बन्द करके दुकान बना दी गयी है। इसी प्रकार महल में बने पुराने फर्श को तुड़वाकर मार्बल के चौक लगवाये जा रहे हैं, इस कारण इसका पुरातत्व महत्व समाप्त होता जा रहा है।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि पुरातत्व मंत्री इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री रामनारायण मीणा : आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, सदन चल रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्रीजी बिराजमान हैं। मान्यवर, ये आदिवासियों के विकास की एक तरफ तो बात करते हैं। मैं बहुत बड़ी अहम बात कर रहा हूं। मैं आपको बहुत बड़ी इन्फोर्मेशन दे रहा हूं, सदन को इन्फोर्मेशन दे रहा हूं। दो दिन बाद यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जायेगा मान्यवर। शिक्षा मंत्रीजी ने 28–5–94 को एक आदेश निकाला। खेरवाड़ विधान सभा क्षेत्र के कनवई छात्रावास ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 पूरे होने दें।

श्री रामनारायण मीणा : एक निवेदन है। यह मेरी सुनें तो सही। क्या हो रहा है मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं सुनता यह।

श्री रामनारायण मीणा : छात्राओं के स्कूल को मिडल स्कूल किया गया....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : और 26-5-95 को अभी उस स्कूल को प्राथमिक शाला में कर दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य। यह क्या है ?

श्री रामनारायण मीणा : मान्यवर, आदिवासी लड़कियां हैं। आदिवासी लड़कियां कहां पढ़ने जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या ऐसी अर्जेन्सी का काम हो गया है, उसमें 295 को रोककर यह बात कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : कनवई जो स्कूल था खैरवाड़ा में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : उसको बन्द करने के बाद, लड़कियों को स्कूल ने शिक्षा दी है...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मई अंकित मत करो इनका।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। बिराजिये आप माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

एक माननीय सदस्य : जब 295 पढ़े जा रहे हैं तो फिर आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप इतने वरिष्ठ हैं, समझदार हैं।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। 295 तो पढ़ने दीजिये पहले। आप बीच-बीच में कैसे कर रहे हैं ? मुझे बिजनस लेना है। आपको अपनी बात कहने का, व्यक्त करने का पूरा हक है पर मुझे हाउस को आर्डर में चलाना है। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अर्जुनलाल जीनगर (व्यवधान) हां, मैं सुनूंगा। बिराजिये।

रेवाड़ा ग्राम रेवाड़ा तालाब से कैनाल बनाने में हुई अनियमितता

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय विशिष्ट योजना मन्त्रीजी का ध्यान ग्राम पंचायत रेवाड़ा, पंचायत समिति राशमी में रेवाड़ा तालाब से कैनाल बनाने में हुई अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(1) ग्राम पंचायत रेवाड़ा में वर्ष 1989-90 में रेवाड़ा तालाब से नहर निकालने हेतु डी. आर. डी. ए., चित्तौड़गढ़ द्वारा दो लाख रुपयों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

(2) रेवाड़ा तालाब से नहर निकालने का कार्य पूर्व सरपंच श्री शिव शंकर शर्मा ने करवाया था लेकिन कार्य मात्र कागजों में पूरा किया गया है। अधिकारियों की मिली भगत से पूरा भुगतान उठाया गया है। भौतिक रूप से रेवाड़ा तालाब से कोई नहर नहीं निकाली गयी है। मामले की पूर्ण जांच कराकर सदन को अवगत कराने का श्रम करावें।

मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि दोषी व्यक्तियों से पुनः भुगतान वसूल कर अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी (अनुपस्थित) श्री रतनलाल ताम्बी।

पंचायती राज की दयनीय स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पंचायती राज की दयनीय स्थिति पर विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

राजस्थान में पंचायती राज की नयी प्रणाली और अधिकार के बाद कार्य दायित्व और बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं के पास विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरन्तर भार बढ़ता जा रहा है मगर इन संस्थाओं का संचालन एवं कार्य पद्धति में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इससे इन संस्थाओं की महत्ता और जन आस्था का अवमूल्यन हो रहा है। यह एक गम्भीर चिन्ताजनक स्थिति निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पंचायत समितियों से हटाकर प्रसार अधिकारियों में से चयन कर लगाने के बाद इन संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है और धन के दुरुपयोग, घपलेबाजी भी बढ़ती जा रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट एवं पर्यवेक्षण में भी एक चिन्ताजनक स्थिति का निर्माण हो रहा है।

नये संविधान संशोधन के बाद इन संस्थाओं का गुरुत्व महत्व और भार बढ़ गया है एवं नये अधिनियम में कई विसंगतियां होने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कलक्टर का नियन्त्रण और पर्यवेक्षण भी समाप्त हो जाने के बाद से इन संस्थाओं की निरंकुशता बढ़ गयी और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रतिशोध की योजनाओं से कार्य करने की कई स्थानों पर बढ़ती स्थितियां भी सामने आ रही हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस नये संशोधन के बाद हुए चुनाव और नये अधिनियम के बाद यह आशा बलवती हो रही है कि पंचायती राज मजबूत होकर प्रभावी भूमिका निर्वाह नहीं कर रहा है बल्कि प्रारम्भ के साथ ही इसकी आशाओं आकांक्षाओं पर होता तुषारापात चिन्ताजनक है।

अतः राजस्थान की पंचायत समितियों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन करने तथा प्रत्येक पंचायत में सचिव का पदस्थापन किये बिना ये संस्थाएं मजबूत एवं प्रभावी भूमिका निर्वाह कर सकेगी, यह संदिग्ध है। इसलिए राज्य सरकार से मेरी मांग है कि तत्काल ही पंचायतों को अनुसूची 50, पंचायत समितियों को अनुसूची 51, जिला परिषदों को अनुसूची 52 के अन्तर्गत कृत्य एवं शक्तियां प्रदान कर उक्त वर्णित अधिकारियों एवं पंचायतों में प्रत्येक में सचिव लगाकर एक्ट के अन्तर्गत नियमों का भी शीघ्र निर्माण करा इन संस्थाओं को प्रभावी एवं गतिशील बनाकर जनता को इन संस्थाओं के माध्यम से स्वस्थ प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ करावें और विकास को गतिशीलता प्रदान की जाय। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा (अनुपस्थित), श्री हीरालाल मीणा (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल बछेर (अनुपस्थित), श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ रावतसर रोड पर इन्दिरा गांधी नहर की मुख्य कैनाल पर पुल निर्माण

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सूरतगढ़ रावतसर रोड पर इन्दिरा गांधी नहर-परियोजना की मुख्य नहर पर पुल बनाकर सैकड़ों गांवों व शहरों को सुविधा प्रदान करें।

इस रास्ते पर दो बड़ी नहरें हैं। एक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व दूसरी जी. डी. सी. नहर है। जी. डी. सी. पर तो पुल पहले ही बन गया परन्तु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर पुल नहीं बना है। आज से 8–9 वर्ष पूर्व में यह दोनों पुल मंजूर हुए थे। एक पुल नहीं बनने के पीछे क्या कारण रहे हैं, सरकार ही जाने। मेरी मन्त्री महोदय से यह मांग है कि यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुल के बनने से दिल्ली जाने का व जयपुर जाने का रास्ता भी शोर्ट होगा। इसके साथ-साथ सूरतगढ़ व विजयनगर, रायसिंहनगर, घड़साना व अनूपगढ़ व खाजूवाला व लूणकरणसर, महाजन वगैरह से जयपुर व दिल्ली जाने वाला ट्रेफिक इस रास्ते से गुजर सके। इससे डीजल की बचत होगी व साथ में समय की भी बचत होगी।

अतः मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस पुल की शीघ्रातिशीघ्र निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

(102)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैं (1) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां), (2) भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक), (3) भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल), एवं विनियोग व वित्त लेखे, 1993–94 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पिछड़े वर्ग में घोषित जातियों के आशार्थियों को अन्य राज्यों के समकक्ष सुविधा

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमराज भाटी श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री लक्ष्मण सिंह श्री हरि सिंह (महुआ) एवं अन्य सदस्य, विधान सभा अन्य पिछड़े वर्ग में घोषित जातियों के आशार्थियों को अन्य राज्यों के समकक्ष सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अलग से था।

श्री अध्यक्ष : उन सबको मैंने कम्बाइन्ड किया है। मेरे पास लिमिटेड टाइम है और आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, नहीं करायें बहस।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जी ?

श्री अध्यक्ष : आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, बहस नहीं करायें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत....

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसमें जो हमारे साथ में थे, उनके नाम भी जोड़ लिये जाएं बोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष : आप सबको एक साथ कर दिया है। जितने भी माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सम्बन्ध में थे, उनको एक किया है। समय लिमिटेड है और तीन दिन ही रहे हैं अब। आप नहीं चाहे तो नहीं लगायें।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग में घोषित जातियों के आशार्थियों को अन्य राज्यों के समकक्ष सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक माननीय सदस्य : ध्यान आकर्षित हो गया, बैठ जाइये, जबाव आ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, जवाब दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षित मुख्य मन्त्रीजी का हो रहा है तो क्या आपकी अनुमति प्रदान कर दी गयी है कि मुख्य मन्त्रीजी के स्थान पर वित्त मन्त्रीजी....

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : हां अनुमति से, बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : वह वित्त राज्य मन्त्री हैं और he is fully competent.

श्री रतनलाल ताम्बी : उनको पूरा अधिकार है या नहीं घोषणाओं का ?

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने बाबत जारी की गयी अधिसूचना के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा भी अपने अधीन पदों एवं सेवाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अधिसूचना संख्या प. 9 (8) कार्मिक/क–5/90 दिनांक 28-9-93 द्वारा किया। भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किया है लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार 49 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखकर अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। इसके अनुपालन में विभिन्न सेवा नियमों में उक्त आरक्षण का प्रावधान करने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या प. 7 (2) कार्मिक/क–2/93 दिनांक 24–5–94 जारी की गयी जिसे दिनांक 28–9–93 से ही लागू किया गया। इसके बाद कार्मिक विभाग की आज्ञा संख्या प. 7 (2) कार्मिक/क–2/93 दिनांक 26–2–94 द्वारा सीधी भर्ती के लिये रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत उठाये गये बिन्दुओं का क्रमवार उत्तर निम्न प्रकार है :—

1. इस सम्बन्ध में लेख है कि सभी सेवा नियमों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है तथा अभियांत्रिकी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। इस ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को ऊपरी आयु सीमा में निर्धारित अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट का मामला अभी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है। तत्पश्चात् ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

2. (i) अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं बैंकिंग व्यवसाय से सम्बन्धित संस्थाओं के अन्तर्गत पदों पर भर्ती के लिए अपने अलग-अलग नियम एवं कानून बने हुए हैं और उसी के अनुसार आरक्षण किया जाता है।

(श्री अनंग कुमार जैन)

(ii) राजकीय उपक्रमों/निगमों/बोर्ड्स में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 26–2–94 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण एवं रोस्टर लागू करने के दिशा-निर्देश दिनांक 13–9-94 को जारी किये जा चुके हैं।

(iii)राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सक्रियता से कार्यवाही जारी है।

(iv) न्यायिक सेवाओं (आर. जे. एस.) में अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यार्थियों की सीधी भर्ती में आरक्षण का मामला माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है जो अभी उनके वहां ही विचाराधीन है। जैसा उनका निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. अन्य पिछड़ी जाति-के आशार्थियों को बी. एड., एस. टी. सी. आदि में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए कोई आरक्षण वर्तमान में निर्धारित नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के क्रम में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वर्तमान में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उच्च चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण के क्रम में भारत सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ही उनके निर्देशानुसार व्यवस्था करना सम्भव होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सा विभाग ने अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों को इस वर्ष नर्सिंग प्रशिक्षण में आरक्षण दिया है।

राज्य के इन्जीनियरिंग कॉलेज एवं पोलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के लिए घोषित जातियों में वर्तमान में किसी तरह का आरक्षण नहीं है।

4. पिछड़े वर्ग आयोग का गठन—यहां पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए वित्त निगम की स्थापना की घोषणा के उपरांत भी उसकी क्रियान्विति नहीं होने के सन्दर्भ में भी कहा गया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार याचिका संख्या 930/90 में दिये गये निर्णय के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के सन्दर्भ में किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न निर्देश दिया था :—

"The Government of India, each of the State Governments and the Administrations of Union Territories shall, within four months from to day, constitute a permanent body for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of overinclusion and under-inclusion in the lists of other backward classes of citizens. The advice tendered by such body shall ordinarily be binding upon the Government."

उक्त निर्देश के अन्तर्गत गठित आयोग क्षेत्राधिकार केवल अन्य पिछड़े वर्ग की सूची

(श्री अनंग कुमार जैन)

में जातियों के घटाने या जोड़ने तक सीमित रहेगा। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (125) आर एण्ड पी./92–93/सकवि/14293 दिनांक 11–3–93 द्वारा किया गया जिसमें कहा गया है कि :—

(1) यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थनायें तथा उक्त सूची में कम समावेश व अधिक समावेश सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों का परीक्षण कर राज्य सरकार को ऐसे सुझाव देगा जो वह उचित समझे।

(2) मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित पिछड़े वर्गों की सूची को राज्य सरकार आयोग के विचारार्थ उपलब्ध करायेगी।

पिछड़ा वर्ग के लिए अलग वित्त निगम की स्थापना पर भी राज्य सरकार ने विचार किया और यह कार्य वर्तमान में कार्यरत राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को सुपुर्द कर दिया गया। अन्य पिछड़े वर्ग के विकास की योजनायें एवं उनको ऋण वितरण हेतु उपरोक्त निगम ही चैनेलाइजिंग एजेन्सी के रूप में काम करेगा। इस प्रकार जहां तक अन्य पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लिये जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप व्यवस्था कर दी है।

राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे-जैसे समस्यायें सामने आ रही हैं वैसे-वैसे उनके समाधान की भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : इतना बढ़िया जवाब आ गया, अब क्या है।

श्री भीमराज भाटी : मैं पढ़ कर बताता हूं न, क्या बढ़िया है। बढ़िया ही बताना है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : इससे सुन्दर क्या आयेगा।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1961 में 14 अगस्त को ओ.बी.सीज. के बारे में जातियों की पहचान करके आरक्षण का मामला नक्की किया था। 1961 से लगाकर 1992 तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया। 78 में जरूर मण्डल कमीशन की स्थापना की गयी और इस तरह करके 1992 में यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि भाई ओ. बी. सी. को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा तब राज्य सरकार की आंख खुली और तब इस तरह से करके 1992 में यह कार्यवाही चलने लगी। 1993 में राजस्थान में भी ओ. बी. सी. को 21 प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए बात हुई। अब 1993 के आपने कई आदेशों की कॉपी बतायी, कई आदेशों की संख्या बतायी, जवाब तो मैं नया आदमी हूं, मैं वहां से ले नहीं पाया, लेकिन जो भी आपने आदेशों की संख्या बातायी, जो भी आपने दिनांक बतायी, उस हर एक दिनांक में, अब पांच वर्ष की आयु का आप कह रहे हैं, हम लोग तीस साल से तो

(श्री भीमराज भाटी)

आलरेडी पिछड़ रहे हैं, अब आपने ओ. बी. सी. में हमको रिजर्वेशन ले लिया और अब पांच साल की आयु में आपके आदेश होने के बावजूद भी बारह महीने में भी आप सूचनाएं ही एकत्रित कर रहे हैं। किसी भी विभाग में, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी का आपने आदेश कर दिया, माननीय मन्त्रीजी उस दिन कह रहे थे कि मैंने आदेश कर दिये और आदेश कर भी दिये लेकिन उसकी अभी तक पालना हो नहीं रही। न्यायिक सेवाओं में आप राज्य सरकार की बात उच्च न्यायालय पर डाल रहे हैं कि कोई लॉ डिपार्टमेंट से और उच्च न्यायालय से कोई बात आयेगी तब होगा। इस तरह करके अब बी. एड. में किसी को आपके यहां प्रोविजन नहीं है। एस. टी. सी. में एडमिशन के लिए आपके यहां प्रोविजन नहीं है। मेडिकल कालेजेज और इन्जीनियरिंग कालेजेज में एडमिशन के लिए आपके यहां कोई प्रोविजन नहीं है। आपने आदेश जरूर कर दिये, ओ. बी. सी. को 21 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया। जब ओ. बी. सी. के बच्चों के लिए एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में कोई रिजर्वेशन नहीं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं, जब हम लोग पढ़-लिख कर डिग्री प्राप्त ही नहीं करेंगे तो फिर आपकी नौकरी में किस तरह दाखिल होंगे। एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में एडमिशन पहले होना जरूरी है। जब एडमिशन होगा तो क्वालिफिकेशन होगी और क्वालिफिकेशन होगी तो एन्टाइटलमेंट बनेगा। नहीं तो आप 21 प्रतिशत रिजर्वेशन दे रहे हैं, 21 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात बड़े जोर-शोर से की जा रही है लेकिन आखिर होना-जाना क्या है। इसी तरह अब मैं बताऊं आपको, आप कह रहे हैं हम तो दे रहे हैं 21 प्रतिशत रिजर्वेशन, अब भी आपने राजस्थान में सिंचाई विभाग में....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप पाइंटेड प्रश्न पूछें। प्रश्न तक ही सीमित रखें अब।

श्री भीमराज भाटी : मैं पाइंटेड बता रहा हूं। वही मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई विभाग के, इस 23–6–94 को 180 असिसटेन्ट इंजिनियर आपको सिविल के भरने थे, इनके परमोशंस वगैरह करने थे उसमें ओ. बी. सीज. का 21 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए था। 10-4-95 को 101 आदमियों की असिसटेंट इंजिनियर्स की आपने नियुक्ति कर दी सिंचाई विभाग में, उसमें से जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग थे 91 आपने जनरल केटेगरी से ले लिये, 10 आपने शिड्यूल्ड कास्ट के ले लिये और ओ. बी. सी. से किसी एक आदमी को भी नहीं लिया। अब जब आज की तारीख में अपन यह कह रहे हैं कि 21 प्रतिशत आरक्षण है और आप अब भी वर्तमान जब सेशन आपका जारी है, के दरम्यान में महीने भर पहले आपने जो लिस्ट ली है, उस लिस्ट में आपने ओ. बी. सी. के लोगों का आरक्षण नहीं किया तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह निवेदन है राज्य सरकार से कि ओ. बी. सी. को जो भी आप देना चाहते हैं, मेहरबानी करके ईमानदारी से दें। मैं आभार भी प्रकट करता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कई ऐसी बिरादरियां हैं जिनको सम्मिलित किया है। नहीं, जिसको सम्मिलित किया है उसके लिए मुझे कहना ही पड़ेगा। उसमें

(श्री भीमराज भाटी)

कोई दोराय नहीं हैं। जिसको सम्मिलित किया है इसके लिए तो मैं आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि भाई, लिया है। जो अच्छा काम है उसके लिए तो ठीक है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, ओ. बी. सी. के नाम से यह जो बातें की जा रही हैं उसका जो असली फायदा है वह असली फायदा ओ. बी. सी. को मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी, आपके मार्फत राजस्थान राज्य सरकार का ध्यान वे जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का विधिवत् रूप से फायदा दिलाने के लिए आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : हां, गहलोत साहब। विराजें, सभी का नम्बर आयेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह करा दें कि ब्राह्मण, वैश्य, जाट और राजपूत इन चार को छोड़कर सबको ओ. बी. सी. डिक्लेयर कर दें। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन चारों का रिजर्वेशन कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह बेईमानी चल रही है राजस्थान सरकार में।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जाटों का 30 प्रतिशत कोटा रख दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। माननीय मदेरणा साहब कुछ कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कह रही हूं इसमें तो केवल अरोड़ा बचते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी है बाकी सब कास्ट्स एप्लीकेशन दे चुकीं।

श्री परसराम मदेरणा : चौमूं से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य यह भूल गये ....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपन नहीं मांग रहे हैं। आप लोग मांगो।

श्री परसराम मदेरणा : इस राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में सब्स्टेंशियल पीजेन्ट्री और भी कास्ट की है, पर चार नहीं हैं उसमें सिरवी भी हैं, विश्नोई भी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माथुर भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और माथुर तो फिर भी, ये बहुत बड़ी कौमें हैं कई डिस्ट्रिक्स में सिंगल मेजोरिटी कौमें हैं ये। मेव, सिंधी, मुसलमान जिनकी आबादी करीबन इस राजस्थान में 10–15 लाख होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो ओ. बी. सी. दिलवाओ।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत ऐसी पिछड़ी हुई कौमें और भी हैं।

13.33

(श्री समरथलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नौटंकी कौन करेगा फिर ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अन्य पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति जी, आजादी के बाद राजस्थान प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पिछड़े वर्ग ने कोई भी मांग नहीं की और मांग नहीं करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया। वह राजनीतिक आधार पर पंचायती राज और स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर सामाजिक समता के आधार पर सामाजिक मूक क्रान्ति का जो शंखनाद किया है, उसके आधार पर जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए मैंने भी अपना ध्यानाकर्षण रखा है, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानकर उनको जो आरक्षण व्यवस्था दी गयी है, उसका पूरा लाभ तब ही मिलेगा जब हमें शैक्षणिक आधार पर शिक्षा के अन्दर आरक्षण दिया जायेगा क्योंकि शैक्षणिक वातावरण इस वर्ग के अन्दर इन परिवारों में नहीं है। और जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में यह दिनों-दिन पिछड़े हुए हैं। साक्षरता का वातावरण बने, माननीय मन्त्रीजी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, हम विचार कर रहे हैं। हमको तब तक इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप अतिशीघ्र इस तरह का शैक्षणिक आरक्षण हमें न देंगे। जिससे तकनीकी शिक्षा के अन्दर चाहे इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पोलिटेक्निक और व्यावसायिक जितनी शिक्षा है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। मुझे आशा है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी हमारे वर्ग के प्रति सचेत हैं और उनके प्रति उनकी हमदर्दी भी है इसलिए हम आशा करते हैं कि इस वर्ग को जो हमें आरक्षण दिया है इसका पूरा-पूरा लाभ देने के लिए शिक्षा के अन्दर भी आरक्षण देंगे। इसमें विलम्ब नहीं किया जाय जिससे हमें इसका पूरा लाभ मिल सके।

साथ ही, हमारे यहां अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम, वित्तीय विकास निगम का गठन किया जाय क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति के जो वित्तीय निगम हैं उनके माध्यम से हमें पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अलग से इस निगम का गठन किया जाय। जिससे हमारे यहां के मेहनतकश और बहुत दूरदराज गांवों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 6 प्रतिशत ब्याज के अन्दर कर्ज मिल सके, जिससे बेकारी, बेरोजगारी दूर हो सके, हम अपना व्यवसाय भी कर सकें। इसके लिए मैं विशेष आग्रह करूंगा, गठन किया है, आपकी मंशा है कि पिछड़ा वर्ग को उठाने के लिए इस प्रकार का कार्य किया जाय। इसीलिए अन्य पिछड़ा वर्ग विकास, वित्तीय निगम यदि बना दिया जाता है उससे हमें पूरा लाभ होगा। आपने इसके लिए सोचना प्रारम्भ किया है इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ...(व्यवधान) आप अपनी बात कहिये। मैं पूरे पिछड़े वर्ग की पैरवी करूंगा। मन्त्री मण्डल में नहीं।

आना है मुझे इसलिए पैरवी कर रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मन्त्री के पद 27 प्रतिशत के हिसाब से नहीं हैं उसके लिए भी कहो।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं इसलिए शिक्षा में हमारी सरकारी नौकरी में जो आयु सीमा है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के माध्यम से हम मानते हैं कि सरकार इसकी ओर जल्दी निर्णय लेगी परन्तु यह निर्णय जितना जल्दी लिया जायेगा तो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण सरकारी नौकरी का मिला है उसका पूरा लाभ होगा। अर्द्ध सरकारी नौकरी में निगमों, बोर्डों में और राजकीय उपक्रमों में हमें पूरा-पूरा आरक्षण मिले इसलिए सरकार ने निर्देश दिये हैं, निर्देशों की पालना अभी तक हो नहीं रही है। विश्वविद्यालयों की सेवाओं में आरक्षण के लिए माननीय उच्च शिक्षा मन्त्रीजी से हमारा एक शिष्टमण्डल मिला था। उन्होंने इसके लिए कार्यवाही की है। इसके लिए मैं माननीय उच्च शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह कार्यवाही आपने जो आदेश दिया है उसका क्रियान्वयन करें जिससे विश्वविद्यालय में, नौकरियों में हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ, माननीय सभापति जी, आज केन्द्र सरकार ने भी हमको जिन पदों पर आरक्षण दिया है आई ए. एस. में उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ी जाति के लिए अलग सूची निकाली गयी है। वह सूची राजस्थान के जिला कलक्टरों के पास अभी तक पहुंची नहीं है, जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जो साक्षात्कार होते हैं, जो नियुक्तियां होती हैं उसके अन्दर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही तुरन्त करें और केन्द्रीय सरकार की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची है वह तुरन्त भिजवायें जिससे अन्य पिछड़े वर्ग के हमारे भाई इसमें भाग ले सकें। साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं में इसका पूरा लाभ मिले। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अन्य प्रदेशों से राजस्थान को ज्यादा आरक्षण दिया है, चाहे राजनीतिक आरक्षण हो जैसे गुजरात के अन्दर पंचायतों में और नगर निगमों में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है लेकिन राजस्थान में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया, उसी तरह हरियाणा और पंजाब के अन्दर पांच-पांच प्रतिशत आरक्षण दिया है, यहां राजस्थान में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्य मंत्रीजी अन्य पिछड़े वर्गों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बिन्दु आपके समक्ष लाये हैं, उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें विलम्ब न करते हुए जल्दी से जल्दी उसका निर्णय लें। निर्णय लेने से अन्य पिछड़े वर्ग को लाभ होगा अन्य पिछड़े वर्गों को जो सुविधा दी गयी है उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (महुवा)। आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्रीजी का जो जवाब आया है मैं उस पर कुछ अनुरोध करूं उससे पूर्व मैं आपकी अनुमति से आरक्षण की पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। सभापति महोदय, आरक्षण के लिये वैचारिक आधारभूमि 1932 के पूना पेक्ट में रखी गयी और सन् 34-35 से इसके लिये एक निर्धारित तरीका तय किया गया। आजादी के बाद ए. आयंगर कमेटी बैठी और उनको भारत सरकार के (व्यवधान) मन्त्रालय ने निर्देश दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। सभापति महोदय, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं कौन ? जब तक मैं यह नहीं बताऊंगा, इनके प्रति सहानुभूति बन ही नहीं पायेगी। इसलिये मेरे को इजाजत दें।

श्री सभापति : यह तो सरकार को मालूम है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार को यह तथ्य मालूम नहीं हैं सभापति महोदय, कि तैमूर के आक्रमण को हिन्दुस्तान से धक्का देने वाले जीवराजसिंह मेहता, सोलंकी सेनापति, झझरसिंह चौहान की औलाद आज वाल्मिकी कहलाती हैं। जीवराजसिंह मेहता की जो वशंज हैं आज वे चर्मकार, चमार, मोची और पता नहीं उनको किस-किस कैटेगिरी में प्रमाणित किया गया है। जिन्होंने इस देश में आक्रमणकारियों का मुकाबला किया उनके वंशजों को कुचल दिया गया। समाज में उनको हीन से हीन काम पकड़वाये गये। जो पहले शासन करने वाले थे उनको धक्का मारकर के, 800 वर्षों की गुलामी में उनके पूर्वजों का जीना दूभर कर दिया। सभापति महोदय, समाज में कौनसा ऐसा निकृष्ठतम काम नहीं था, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के वंशजों ने, वे यातनाएं भोगीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे इतिहास के चन्द पृष्ठों का उल्लेख करने दीजिए। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ए. आयगर कमेटी की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह भी आपने ऐतिहासिक बात बताई। ऐतिहासिक बात बता दी आपने। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, अब तक तो मैं इसको समराइज भी कर देता। सभापति महोदय, ए. आयंगर कमेटी ने उनको यह निर्देशित किया कि समाज में जो अछूते हैं, नम्बर एक केटेगिरी। नम्बर दो, जो दूर दराज, पहाड़ी, पर्वत श्रेणी में जनजाति के लोग रह रहे हैं जहां सभ्यता और सस्कृति की एक किरण भी नहीं पहुच पायी है। नम्बर तीन, जो शैक्षिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाये। दो केटेगिरी के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दे दी गयी और तीसरी केटेगिरी के वें लोग थे जो शैक्षिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनको छोड़ दिया गया। सभापति महोदय,

(श्री हरिसिंह)

उनमें कुछ व लोग भी हैं जिन पर क्रिमनल ट्राइब एक्ट, जो डिफरेंट-डिफरेंट टाइम में ब्रिटिश गर्वनमेण्ट ने लागू किये थे। वे जातियां भी इसमें आ रही हैं। क्रिमनल ट्राइब एक्ट, आप चूंकि उस वर्ग से सम्बन्धित है सभापति महोदय, आपको जानकारी है कि एक मीणा अपना गांव छोड़कर के जब दूसरे किसी थाने के क्षेत्राधिकार में जाता था तो वहां उस थाने में जाकर उसको अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। अपने, जिस थाने में वह रहता था उस थाने में रोज उसको हाजिरी देनी पड़ती थी। चूक करने पर पहली बार एक साल की सजा, दुबारा चूक करने पर दो साल की सजा और तीसरी बार चूक करने पर सात वर्ष का कठोर कारावास था। मैं उन क्रिमनल ट्राइब्स की बात कर रहा हूं सभापति महोदय, मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं भी उसी वर्ग से सम्बन्धित हूं जिन पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित कर रखा था। मेरा कोई अपराध नहीं था, मैंने 1941 में जन्म लिया और 1984 में मेरे को अपराधी घोषित कर दिया गया। और आज इस स्थिति में 45 वर्ष बाद में अगर मैं मेरे लिए आरक्षण की बात करता हूं, मेरे वर्ग के लिए आरक्षण की बात करता हूं, क्रिमनल ट्राइब एक्ट के तहत जिनके साथ अत्याचार और अनाचार हुए हैं उनके साथ अगर मैं आरक्षण की बात करता हूं तो आज वह सुविधा भोगी वर्ग जो उस समय उनसे कन्धे से कन्धा मिलाकर बात कर रहा था जिनको राय साहब, राय बहादुर, जागीरदार, जमीन्दार और राजा-महाराजाओं की केटेगिरी मिली हुई थी, जिनको अंग्रेजों ने उपाधियां बख्शीश दे रखी थीं। सभापति महोदय, वे लोग जिनको नाइट और सर की उपाधियां दे रखी थीं, आज उनकी औलाद उन तख्त, कुर्सियों पर बैठी हुई हैं और हम हमारे बाप-दादाओं से लेकर आज तक जिस तरह से पीछे जा रहे हैं, आज उनका मन नहीं है, उनके मन में ईमानदारी नहीं है हम लोगों को आरक्षण देने के लिए। सभापति महोदय, इसलिये यह हमारा आक्रोश है। सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाले मेरे मित्र उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद पेश किया। मैं भी कर देता लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैकवर्ड के लिए आरक्षण की कोई बात सोची ही नहीं। देना तो दूर की बात है। ये जब चले गये, विदा हो गये तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन के दौरान आरक्षण घोषित किया।

श्री सभापति : देखिये, इस पर विस्तृत व्याख्या मत कीजिये। आप कोई सवाल पूछिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं क्या बात कर रहे है? मेरे मित्र ने धन्यवाद पेश किया है तो मैं भी तो बताऊं। सभापति महोदय, आपको पता है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय को, कि पिछले सत्र में जब मुख्य मन्त्री थे, आप ही के जिले में, भिवाड़ी में उन्हें पिछड़ों ने महिमा-मन्डित किया, स्वर्ण मुकुट पहनाया लेकिन बदले में हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हमारे दिये गये उस मुकुट की नीलामी की गयी। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हमारी भावनाओं पर कुठाराघात किया। कितना

(श्री हरिसिंह)

बेहतर होता कि पिछड़ों की सौगात को मुख्य मन्त्रीजी अपने कार्यालय में सजाकर रखते तो आने वाले मुख्य मन्त्री भी आकर देखते कि राजस्थान के पिछड़ों ने भैरोंसिंह जी शेखावत को महिमा-मण्डित किया था, स्वर्ण मुकुट दिया था। वह मुकुट इस राज्य की धरोहर है उसको नीलाम कर दिया। सभापति महोदय, आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ ? उसका नतीजा यह हुआ कि अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। ये कुछ दिन के लिये रुक सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पिछड़ों के मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश में हुए कल्याणसिंहजी। श्री मुलायम सिंह यादव ने एक नोटिस निकालकर के घोषणा की लेकिन चूंकि मुलायमसिंहजी यादव, एक निश्चित विचारधारा के अन्दर, एक विचार धारा के थे (व्यवधान) उन्होंने चूंकि आरक्षण की ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मैं बात कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : परेशानी हो रही है इनके भाषण से।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बहुतों को परेशानी होगी (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे इजाजत दें। मैं आपसे दो मिनट का समय चाहता हूं।

श्री सभापति : इसलिये आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं दो मिनट का समय चाह रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, + + + ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। साम्प्रदायिक और धार्मिक जुनून पैदा किया। लेकिन पिछड़ों के आरक्षण को रोक दिया। हिन्दुस्तान में जगह-जगह भाषण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको तैनात किया लेकिन वह धार्मिक जुनून उनकी कुर्सी को (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल : ये महुवा साहब क्या कह रहे हैं। + + + ने उड़ाई कि आप लोगों ने ? आपकी गलत नीतियों की वजह से तो यह मस्जिद गिरी।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री मोहन मेघवाल : अगर पहले ही कर लेते तो यह बात ही नहीं होती।

श्री सभापति : बिराजें। श्री कालूलाल गूजर।

श्री मोहन मेघवाल : ऐसा है वहां मस्जिद थी ही नहीं। वहां तो भगवान का मन्दिर था। अब यह कह रहे हैं कि + + + ने उड़ा दी। ये तो गलत ही बात कह रहे हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री परसादी लाल मीणा : इसलिये तो आप मन्त्रिमण्डल से बाहर हैं और बाहर ही रहेंगे जब तक अकल नहीं आयेगी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा नम्बर है और मेरे नम्बर को जम्प करके दूसरे को कॉल कर रहे हैं। मैं अपने अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा।

एक माननीय सदस्य : ओ. बी. सी. वालों को बोलने दो (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मुझे एक मिनट और दीजिये।

श्री मोहन मेघवाल : + + + भी ओ. बी. सी. के थे। आपको पता ही नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं राजस्थान के सम्बन्ध में बात कर लूं............

सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र ने पिछड़े वर्गों के ...

श्री मोहन मेघवाल : सभापति महोदय, इसका प्रकोष्ठ बना हुआ है। दिखाइये मन्त्रीजी को, महिमा मण्डित किया....

श्री सभापति : आप कुछ सार्थक बातें कहिये....

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : कृपया आप सार्थक बातें करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, एक बात और स्पष्ट करने दीजिये....

श्री मोहन मेघवाल : सभापति महोदय, यह प्रकोष्ठ.... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी जिस ढंग से सरकार के मन में ईमानदारी नहीं है। सरकार पिछड़ों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार के हृदय में स्पन्दन नहीं है, सरकार कठोर है, पत्थर समान बनी हुई है....

श्री सभापति : अब आप बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी यह बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा के तहत सरकार पांच सौ से अधिक संस्थाओं को रेगुलराइज करने जा रही है। एस. सी., एस. टी. और पिछड़ों के आरक्षण का क्या होगा ? यह बेइमानी है, यह सरकार बेइमानी कर रही है (व्यवधान) ...

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह बैक डोर एन्ट्री कर रही है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(114)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, राजस्थान के उच्च सदन में अगर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का मौका नहीं देंगे । मैं एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूं । ऐसे एक वर्ग की बात कर रहा हूं जिनके 70 प्रतिशत लोग राजस्थान में हैं । आप अगर उनके हित रक्षा की बात मुझे नहीं करने देंगे तो वह कौनसा मौका होगा, कौनसा स्थान होगा जहां हम बैठकर....

श्री सभापति : श्री लक्ष्मणसिंह ।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, लक्ष्मणसिंहजी कैसे आ गये ?

श्री सभापति : कृपया विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पिछड़ों की सुविधाओं की अगर मैं....

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय; या तो उनका अंकित करना बन्द किया जाय, जब मैं बोलूं....

श्री हरिसिंह (महुवा) : या तो यहां कह दो कि हमने महिमा मण्डित किया ...

श्री सभापति : कृपया सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, इंगलिश पोइट्री.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं मेरे को एक सेन्टेन्स बोलने दें.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मेरे को आपने पुकारा और मैं खड़ा हूं ।

श्री सभापति : विराजिये । श्री लक्ष्मणसिंह ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पोइम की एक लाइन सुना रहा हूं अगर यह नहीं सुना, तो मैं पोइम कह रहा हूं O ! the God of riches, I pull thee down; Smash thy throne and burn thy crown.

श्री सभापति : श्री लक्ष्मणसिंह ।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मेरा आपने नाम पुकारा है, मैं बोल रहा हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह : कार्य सूची में मेरा नाम पहले है ।

श्री सभापति : पहले वे बोलेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, जब हमारे धीर गम्भीर वित्त राज्य मन्त्री जी खड़े हुए तो मुझे उम्मीद थी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रक्रिया के नियमों को जानते हैं । इस पर माननीय मन्त्रीजी का वक्तव्य आ गया, अब इस पर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें....

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, ध्यान आकर्षित किया जा चुका है जिसके पश्चात् यह विषय ऐसा है, जिस पर कि सिर्फ एक दो मिनट में पाइन्टेड प्रश्न पूछकर हम बैठने वाले नहीं हैं ...

श्री सभापति : तो कोई और प्रक्रिया अपनाइये यहां पर ...

श्री लक्ष्मण सिंह : प्रक्रिया अपना ली है....

श्री सभापति : इस प्रक्रिया में भाषण नहीं होंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : बड़ी मुश्किल से, भाषण नहीं होगा तो दूसरों ने भाषण दिया है, तो मैं भी अपनी बात कहूंगा, सभापति महोदय, मैं अपने अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर रात के दस बजे तक क्यों नहीं बैठते हैं 12 बजे तक आप क्यों नहीं बैठते हैं। क्या जरूरत है छह बजे खत्म करने की ?

सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसमें राजस्थान की 60 प्रतिशत आबादी से सम्बन्धित प्रश्न है। मैंने अपनी बात शुरू ही नहीं करी है और उससे पहले ही आप मुझे संक्षिप्त में कहने की बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो बात यहां पर कही उस वक्त मुझे यह उम्मीद थी कि राजस्थान की सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देगी लेकिन यह राजस्थान की सरकार किसान विरोधी सरकार तो है ही, मजदूर विरोधी सरकार भी है लेकिन आज इसने यह सिद्ध कर दिया है कि यह पिछड़ों की विरोधी सरकार भी है। जमाना करवट बदल रहा है सभापति महोदय, और इसलिये यह सरकार पिछड़ों के हितों की अनदेखी ज्यादा समय तक नहीं कर पायेगी। मुझे थोड़ा दुःख इस बात का हुआ कि हमारे साथी ने यहां पर मुख्य मन्त्रीजी को 21 प्रतिशत आरक्षण के लिये धन्यवाद दिया। आप कृपया, यह जो निर्णय लिया गया था उसकी तारीख अगर देख लेते तो धन्यवाद तो राज्यपाल महोदय को दिया जाना चाहिये था। सभापति महोदय, जिन्होंने 28-9-1993 को अपने राज्यपाल शासन के अन्दर इस आरक्षण की व्यवस्था की थी। सभापति महोदय, मैं तो कुछ ही बातों की तरफ मन्त्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने यहां पर बताया कि जो 1993 के अन्दर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था- वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पालना में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अन्दर कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व में जो गठित आयोग था उसे समाप्त कर दिया जाये। मैं पूछना चाहूंगा कि 1989 के अन्दर जो आयोग बना हुआ था, जिस आयोग का व्यापक क्षेत्राधिकार था, जिस आयोग का वास्तव में यह कर्त्तव्य और अधिकार था कि वह राजस्थान के पिछड़ों के भले के लिये आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कुछ कार्य करता। उस आयोग को तो इन्होंने वाइण्ड-अप कर दिया और एक दूसरा आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पालना में स्थापित किया। वह करना था, यह आवश्यक था और इस वर्तमान आयोग का कर्त्तव्य सिर्फ एक ही है कि पिछड़ों की कौनसी जातियां सम्मिलित की जायें और

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कौनसी जातियां इसमें से निकाली जायें लेकिन 1989 में जो आयोग बना हुआ था उसके कर्त्तव्य और अधिकार, उस समय के मैं आपको बताऊं--कर्त्तव्य थे कि राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से समुचित लाभ प्रदान कराना तथा पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक हितों के संरक्षण हेतु कार्य करना। अब उस आयोग को इन्होंने समाप्त कर दिया और अब आप कहते हैं कि हमने पिछड़ी जाति, जनजाति आयोग के साथ में उसको चेनेलाइजिंग एजेन्सी बना दिया है, पिछड़ों को आर्थिक लाभ देने के लिये। मैं यह पूछना चाहूंगा कि पिछले समय, जब से इसका गठन हुआ है कितने पिछड़ों को कितना ऋण दिया गया है? कुछ भी नहीं, आल--मोस्ट जीरो। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वास्तव में अगर आप पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं तो आपको पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग का आपको गठन करना पड़ेगा, जिसको आपको अलग से वित्त उपलब्ध करवाना पड़ेगा और जिसके अधिकार और कर्त्तव्य को आपको व्यापक करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे पूर्व साथी ने जो बात कही कि मेडिकल कॉलेजेज, इन्जीनियरिंग कॉलेजेज में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। दूसरे कई राज्यों के अन्दर, करीब करीब देश के सभी राज्यों के अन्दर मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, आई टी. आईज और दूसरे टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन और एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर आरक्षण की व्यवस्था है। राजस्थान के अन्दर यह अपने आपको पिछड़ों का हितेषी, हिमायती कहने वाली सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कदम क्यों नहीं उठाया है? मुख्य मंत्रीजी का आप जगह--जगह पर सम्मान कर रहे हैं, ताज और मुकुट पहना रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन उनसे पूछिये तो सही कि अभी तक उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया है सभापति महोदय, इसलिये इस प्रकार के निर्णय लेने की आवश्यकता है कि इन एजुकेशनल और मेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स में भी पिछड़ों को आरक्षण दिया जाय।

आपने 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र की नरसिम्हारावजी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनुपालना में किया लेकिन यहां पर 21 प्रतिशत आरक्षण ही किया है। अब आप कहते हैं कि 49 पर्सेण्ट की हमारे यहां पर सीलिंग है। दूसरे अन्य राज्यों के अन्दर 69 पर्सेण्टेज तक रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में 69 पर्सेण्ट तक रिजर्वेशन है। आप इस 21 पर्सेण्ट को 27 पर्सेण्ट करिये। तब हम मानेंगे कि आपने राज्यपाल महोदय का 21 पर्सेण्ट था उसको बढ़ाकर 27 पर्सेण्ट किया। 27 पर्सेण्ट आरक्षण तो आपने किया नहीं, फिर आप वाहवाही लूटने का असफल प्रयास कर रहे हैं तो उसको कभी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार संवेदनहीन है, इस सरकार के अन्दर कुछ उच्च पदों के ऊपर जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं उनका एक षड़यंत्र है कि किसी भी प्रकार से राजस्थान के पिछड़े आगे नहीं आयें। और इसलिये जब तक उन उच्च

(श्री लक्ष्मण सिंह)

पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव नहीं लाया जायेगा और मुख्य मंत्रीजी और उनके जो अन्य मंत्रीगण हैं, विशेष रूप से जो समाज कल्याण से सम्बन्धित मंत्री हैं और जो उनके विधायक पिछड़ों से सम्बन्धित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपको दबाव डालने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा और धन्यवाद दे देकर आप उनको एक युटोपियन वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत कर रहा हूं। आप उनको गलतफहमी का शिकार किये जा रहे हैं। उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराइये कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है और आगे करने के लिये उनको खरी-खोटी सुनाइये। स्पष्ट रूप से कहिये।

श्री सभापति : मुख्य मंत्रीजी गलतफहमी में आने वाले नहीं हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : वरना सिर्फ इस तरह से वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होने वाला है सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पिछड़ों के लिये जितनी शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने की है। चालीस साल तक यह मांग करते रहे क्या चालीस साल में किसी और ने यह मांग पूरी की है। पहली बार इन्होंने कोई व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के लिये इनको धन्यवाद देना जरुरी है।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : सभापति महोदय, आज यह अन्य पिछड़ा वर्ग....

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जयपुर के अन्दर जब पानी की यह हालत है इतना गन्दा पानी जयपुर के अन्दर, पिलाया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, विधायकगण भी इसको पी रहे हैं, इसमें कीड़े भी हैं, साहब। यह जयपुर के पानी की हालत हो रही है, माननीय मंत्रीजी.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, जयपुर के अन्दर गन्दा पानी, जयपुर के अन्दर विषाक्त पानी का वितरण हो रहा है, मलेरिया फैल रहा है, वाइरल फीवर फैल रहा है, पीलिया हो रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।.... (व्यवधान)... यह पोल्युट वाटर सप्लाई हो रहा है। लगातार बार-बार एक सप्ताह से कहा जा रहा है। राजधानी को किसी तरह से बचाया जाये नहीं तो राजधानी के लोग मर जायेंगे।.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह तरीका निकाला है कि बीमार कर दें।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो गन्दा पानी पिलाया जा रहा है, शहर को पानी.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, ऐसा पानी जिसमें कीड़े पड़े हैं, गन्दा है,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

गन्दा है, सारा पोल्युटेड है और इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लगातार हम सात दिन से कह रहे हैं कि यह गन्दा पानी है। विषाक्त पानी जयपुर शहर में सप्लाई किया जा रहा है और सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है।

श्री रामस्वरूप : माननीय मन्त्रीजी इसकी जांच करवाइये (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई भी इस तरह की कार्यवाही नहीं कर रही है। इससे सारे शहर में दुर्गन्ध हो रही है, मलेरिया फैल रहा है, पीलिया हो रहा है.... (व्यवधान) ..

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, बैठिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : सरकार इसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ? दोषी आदमियों को क्या दण्ड देंगे इस बात का। अब जो बीमार पड़ रहे हैं, माननीय सदस्य बीमार पड़ रहे हैं . (व्यवधान)....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : दो-चार सैम्पल मैं पेश कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति : हां, कर दो।

श्री रामस्वरूप : यह कर रहा हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा नमूने सदन के पटल पर पेश किये गये)

14.00

श्री सभापति : श्री कालूलाल जी।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, अभी पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण..

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, मुझे बताओ कहां से लाये हो ? कहां से लाये हो, मुझे बताओ न।....(व्यवधान)....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कहां से लाये हो यह ?

एक माननीय सदस्य : किसी नाली से भर कर लाये होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : एरिया तो बताओ, कहां से लाये हो ? कौन से क्षेत्र से लाये हो, बताओ तो सही। ....(व्यवधान)...

श्रीमती इंदिरा मायाराम : यह आपके जयपुर शहर का है।

श्री भंवरलाल शर्मा : लाये कहां से, यह तो बताओ। आप लाये कहां से, यह तो बताओ मुझे। ....(व्यवधान)....

श्रीमती इंदिरा मायाराम : चार दरवाजे बाहर जयपुर शहर का पानी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बताओ तो सही कहां से लाये हो ? ठीक करवा देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : चार दरवाजे बाहर ठाकुर साहब के महल के पास का पानी है वाटर सप्लाई का पी. एच. ई. डी. का।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

......(व्यवधान) ... जो इतना गन्दा है, पोल्युटेड है इसमें जर्म्स हैं, नेकेड आई से दिख रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : किस जगह से लाये हो, यह तो बताओ। कहां का है ?

श्री सभापति : कृपया बिराजें। श्री कालू लाल गूजर। .. (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण के सम्बन्ध में जो ध्यानाकर्षण अभी रखा गया उस पर चर्चा चल रही है, मैं भी मेरे विचार उस पर रखते हुए कुछ बातें और कुछ पाइण्टेड प्रश्न रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह आरक्षण राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ था इन्दिरा साहनी/बनाम भारत सरकार, जो ए. आई. आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट में छपा, उसी के आधार पर यह आरक्षण दिया गया और आरक्षण देने के बाद राजस्थान सरकार ने अभी इस पिछड़े वर्ग को जो प्रतिनिधित्व दिया, उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अभी पूर्णतया लागू नहीं किया गया जिससे इस पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वह अभी नही मिल पा रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इन पर ध्यान दें और जो मैं सुझाव रख रहा हूं उनको लागू करने पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, एक तो जितनी भी विशिष्ट योजना संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाएं चल रही हैं, इस पर लोन या और विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है, अंत्योदय योजना या दूसरी जो भी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं में जिस तरह से एस. सी./एस. टी. को लोन में प्राथमिकता है और उसमें छूट मिलती है उस तरह की छूट अभी ओ. बी. सी. को नहीं मिलती है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक तो उसमें यह आरक्षण लागू किया जाय। इससे किसान और गरीब आदमी है, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अभी मन्त्री महोदय ने जवाब में यह बताया कि जो पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थी बैठते हैं कम्पीटीशन एग्जामिनेशन में उनको आयु सीमा में छूट देने का मामला है परन्तु अभी छूट नहीं दी जा रही है ? उसमें यह लिखा है कि भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा। तो सूचना प्राप्त करने में कितने दिन लगेंगे ? आज दो साल हो गये, जब आपने 1993 में लागू किया तो दो साल में सूचना प्राप्त नहीं हुई, यह तो आश्चर्य की बात है। आप तत्काल इसकी सूचना प्राप्त कीजिये और यह छूट दीजिये तभी तो उनको फायदा होगा वरना आरक्षण दे दिया और आरक्षण के साथ आयु में पांच साल की छूट मिलनी चाहिये और नहीं मिली है तो उसका पूरा लाभ लोगों को मिल नहीं पा रहा है।

तीसरा मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदय, कि सेण्टर गवर्नमेंट की जो ओ. बी. सी. की सूची है वह सूची

(श्री कालूलाल गूजर)

कलक्टर के पास तो आ गयी परन्तु ओ. बी. सी. में कौन-कौनसी जातियां हैं, इसकी सूची तहसीलदार तक नहीं पहुंची है। प्रोसिजर अभी यह है कि ओ. बी. सी. में कौन आदमी आयेगा, या उसको जो सर्टिफिकेट लेना है वह तहसीलदार से लिया जाता है। अभी हमारे पास कुछ उदाहरण ऐसे आये हैं कि इसमें जो कुछ लोग आई. ए. एस. और आर ए. एस. की परीक्षा में बैठे हैं और वह तहसीलदार के यहां सर्टिफिकेट बनवाने गये तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो केन्द्र सरकार की सूची नहीं है इसलिए हम आपको आई. ए. एस. के लिए आप जो ओ. बी. सी. का प्रमाण-पत्र चाहते हो वह नहीं दे सकते। अभी चौमूं में एक मामला है जिसमें एक सैनी है, वह वहां गया उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला और वह परीक्षा देने से, कम्पीटिशन में बैठने से वंचित भी रहा। तो मेरा सुझाव है कि जो कलक्टर के पास सेण्टर गवर्नमेंट की यह सूची है उसको तत्काल तहसीलदार तक प्रसारित करवाया जाय ताकि उनको उसका लाभ मिल सके।

दूसरा, मेरा एक और प्रश्न यह है, सभापति महोदय, कि आपने यह कहा है जो न्यायिक सेवाएं हैं उनमें ओ. बी. सी. को आरक्षण लागू करना है लेकिन यह हाई कोर्ट पर आधारित है यह राजस्थान सरकार नहीं कर सकती। परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने हाई कोर्ट को इस तरह का निवेदन किया कि आप आपकी न्यायिक सेवा में अमेण्डमेंट करके इनका आरक्षण दीजिये और अगर नहीं किया है तो आप इसके लिए वहां लिखिये, और किया है तो वापस रिमाइण्डर करवाइये ताकि न्यायिक सेवाओं में भी ओ..बी. सी. को आरक्षण मिल सके।

एक बात यह है कि शिक्षा की दृष्टि से अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अभ्यर्थियों को बी एड., एस. टी. सी. आदि में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए कोई आरक्षण वर्तमान में निर्धारित नहीं है यह आपने जवाब में लिखा है। अब निर्धारित नहीं है तो आप आरक्षण निर्धारित कीजिये नहीं करेंगे तो आरक्षण देना और ओ. बी. सी. की आरक्षण वाली बात और आप लागू कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मामले में आप स्वयं लिख रहे हैं कि आरक्षण अभी लागू नहीं है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : उसमें आप तत्काल लागू कीजिये और कब तक आप यह लागू कर देंगे, यह भी आप बताइये। .....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बिराजें। श्री चुन्नी लाल धाकड़। .. (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : इन सब बातों पर ध्यान देकर, माननीय मन्त्री महोदय, इस पर आगे तत्काल कार्यवाही करें यही मेरा निवेदन है और इन्होंने लागू किया, इसके लिए सरकार को पुनः धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़। ... (व्यवधान) ...

श्री हरिसिंह (महुवा) : रज्जु भैया ने भाषण दे दिया आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, आ जाओ इधर। ....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : ... नहीं समा रहे हैं, भिड़ रहे हैं आपस में।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, एक चीज रह गयी। खान विभाग में भी जो आरक्षण एस. सी./एस. टी. को मिलता है उस जगह ओ. बी. सी. के लोगों को मिलना चाहिए और एक जो जमीन अलॉट होती है उसमें भी आरक्षण होता है तो वह भी आरक्षण होना चाहिये ताकि सब जगह इन ओ. बी. सी. वालों को पूरा लाभ मिल सके।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सम्भाल की है और पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया है उसके लिए हम बहुत-बहुत आभारी हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और यह जो आरक्षण दिया है इसका परिणाम अभी पंचायत चुनाव में कई गांवों में सरपंच, प्रधान और मुख्य बने हैं और अपने राजनीतिक और आर्थिक विकास का अवसर मिलेगा और इससे अभी तक जो प्रशासनिक सेवाओं में या राजनीतिक सरकार की नौकरियों आदि में कहीं भी यह पिछड़े वर्ग के लोग देखने को नहीं मिलते थे अब मिलने लगेंगे और उन्हें विकास का अवसर मिलेगा।

मेरा इसमें एक निवेदन करना है कि सस्ते ब्याज पर जो उन्हें लोन मिलना चाहिये जिससे वह ट्रेक्टर और पम्पसैट आदि खरीद सकें, इसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई है। यह क्रियान्विति हो और जिस तरह से एस. सी./एस. टी. को हाउसिंग बोर्ड में छूट मिलती है वैसी छूट ओ. बी. सी. को भी मिले, यह मेरा निवेदन है। उनको सस्ते ब्याज पर या कम लागत पर मकान मिले ताकि वह अपना विकास कर सकें। धन्यवाद।

श्री अमराराम (पचपदरा) : सभापति महोदय, मेरा भी ध्यानआकर्षण में नाम है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हरिसिंहजी के साथ मेरा भी है।

श्री अमराराम (पचपदरा) : सभापति महोदय, माननीय भीमराजजी भाटी के साथ मेरा भी नाम है इसलिए मुझे भी दो मिनट बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं शुक्रगुजार हूं, अध्यक्षजी का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह समय दिया। मैं आपका भी बहुत अहसानमंद होऊंगा यदि आप इस विषय को इसी गम्भीरता से लेकर हमें अपनी बात कहने का मौका देंगे।

श्री सभापति : लेकिन जिस प्रक्रिया के अन्तर्गत जो सवाल आया है उसका तो पालन होना चाहिये न।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं वही कह रहा हूं। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जो यहां पहले आ चुकी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि अच्छा

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

होता अगर मुख्य मन्त्रीजी स्वयं, क्योंकि यह उनसे सम्बन्धित बात है, वित्त राज्य मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं उन्होंने जवाब भी दिया है लेकिन यह कार्मिक विभाग का सवाल है तो अच्छा होता यदि वह खुद अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो जब जवाब दें तो मेहरबानी करके इन बातों का जवाब दें।

सभापति महोदय, आरक्षण तो दे दिया, आरक्षण देने की जो नीयत थी वह नीयत भी लोगों ने आपके सामने बतायी है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आपका सवाल हो एस. सी./एस. टी. का और चाहे ओ. बी. सी. का सवाल हो, एक बहुत ही मजबूत लॉबी इस बात को देखने में लगी हुई है कि इन वर्गों को को किसी भी तरीके के जिस तरह से वंचित रहे हैं उन्हें वंचित रखा जाय। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री महोदय ने यहां बताया कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस में आरक्षण मिलना चाहिये। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान की जो हाई कोर्ट है, उसको लिखकर दिया कि इस निर्णय के अनुसार आगे की नियुक्तियों में ओ. बी. सी. के लोगों के लिये प्रावधान किये जायें ताकि हम जो वैकेन्सी निकाल रहे हैं उनमें उनके लिये लिख सकें। मैं एक बानगी आपको बताना चाहता हूं कि हाई-कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने सरकार को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में वह लिखते हैं कि चूंकि हम से कन्सल्ट करके यह आरक्षण लागू नहीं किया इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। हम तो हमारे जो नियम हैं, जो संविधान के 234 के तहत बने हुए हैं, उसमें परिवर्तन होगा उसके बाद हम करेंगे। चलो यहां तक ठीक है। यह मन्त्री महोदय का, इनके मन्त्रालय का और हाई कोर्ट का सवाल है, इनको करना चाहिये। लेकिन मैं बदनीयती की जो बात बता रहा हूं, वह आगे है। वह लिखते हैं—"As already stated in the letter dated 20-5-1994, the High Court is seized of the letter and steps are being taken to amend the rules making the reservation for the O. B. Cs." एक साल हो गया सभापति महोदय, और नतीजा क्या हुआ। आर. पी. एस. के इण्टरव्यू हो रहे हैं और ओ. बी. सी. के लोग, इसमें मतभेद हो सकता है 60 पर्सेण्ट है, 70 पर्सेंट हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि 50 पर्सेण्ट से ज्यादा उनकी आबादी है। उस 50 पर्सेण्ट की आबादी के आने वाले विद्यार्थियों को, जो इसमें बैठ रहे हैं, उनको यह लाभ मिलना चाहिये था लेकिन नहीं दिया। और एक और + + + हो रही है मन्त्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसमें यह भी लिखा है—"However, the amendment of the Rules will take some time." एक रूल अमेण्ड करने के लिये 10-5 साल की जरूरत है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया, दूसरी स्टेट्स ने कर दिया, सभी विभागों ने कर दिया और इसको अमेण्डमेंट करने के लिये क्या दिक्कत आ रही है ? लेकिन जो बदनीयती मैं बताना चाहता हूं, बदनीयती यह है, सभापति

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

महोदय, वह चाहते हैं कि इसके साथ-साथ हम एक सप्लीमेंट्री लिस्ट और बना दें ताकि दो-तीन साल तक आर. जे. एस. के इम्तिहान ही नहीं हों और यह ओ. बी. सी. वाले न आ सकें। वह लिखते हैं। "However, the amendment of the Rules will take some time. Several posts are lying vacant because of the paucity of the officers. Therefore, the urgency of recruitment to Judicial Service...." तो मकसद क्या है, हमें एक लिस्ट बना लेने दो उसके बाद देखेंगे। इस तरह की जो बदनीयती है लोगों की, वह चाहे आपकी सरकार ने किया, चाहे हमारी सरकार ने किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा नरसिंहराव जी को, जिन्होंने इस बर्निंग प्राब्लम को, जिसमें सारा देश जल रहा था, उस बर्निंग प्राब्लम को विद्वतापूर्ण तरीके से हल किया। जिसके करने के बाद कोई सवाल नहीं उठा और यह सारे देश में लागू हुई है और अभी भी मन्त्री महोदय पता नहीं गये या नहीं गये, चार दिन पहले दिल्ली में मिटिंग हुई। मन्त्री महोदय यहां से कौन गया था ?

श्री अनंग कुमार जैन : बी. जे. पी. वाले गये ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सीतारामजी केसरी, जो कल्याण मन्त्री हैं, उन्होंने मीटिंग ली थी और हम कह रहे हैं कि हमें 21 पर्सेण्ट ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाये 27 पर्सेण्ट से ज्यादा रिजर्वेसन दिया जाये। उस सम्बन्ध में वह बात हुई और यह निर्णय किया गया कि हम दूसरे मुख्य मन्त्रियों से बात करके संविधान में जो परिवर्तन करना है, एक तरफ तो यह बात हो रही है, उस परिवर्तन को करके हम इस आरक्षण को और बढ़ाना चाहते हैं और राजस्थान सरकार क्या कर रही है ? राजस्थान सरकार यह कर रही है कि हमारे जो नियम हैं, उन नियमों के तहत जो आरक्षण होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, अभी गृह मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, यहां सिपाहियों की भर्ती हुई। इसमें चार-पांच हजार आदमी लिये गये हैं। यह स्पष्ट नियम है और व्याख्या की जरूरत नहीं है। अगर जनरल मैरिट में कोई आदमी आता है तो उसको लिया जायेगा जनरल लिस्ट में और उसके बाद ओ. बी. सी., एस. सी., एस. टी. के लोग लिये जायेंगे। लेकिन आपके यहां क्या हुआ ? आपके यहां तीन दिन तय किये। पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को ले लिया। उसके बाद ओ. बी. सी. के 21 पर्सेण्ट ले लिये और बाकी 50 पर्सेण्ट रिजर्वेशन उनका कर दिया जिनका रिजर्वेशन नहीं है, वह तो रह गये न। मैं जनरल लिस्ट में आ सकता था लेकिन मुझे उधर कर-कुरा के नक्की कर दिया। यह होना चाहिये था उसका उल्टा हो गया। मन्त्री महोदय, आप भी जानते हैं कि पार्सियल रेसेज भी आती थीं ज्यादातर ओ. बी. सी. में हैं, उनको रिजर्वेशन का नुकसान हो गया। इस तरह की भीतरघात यहां हो रही है और हम वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 25 जनवरी को तीन साल का रिलेक्सेशन यू. पी. एस.

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सी. के एग्जामिनेशन में देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब हम लोग चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किससे राय करेंगे, क्या करेंगे ? हम विचार कर रहे हैं, एक तो आर. ए. एस. का सलेक्शन हो चुका। एक आर. ए. एस. का सलेक्शन और होने वाला है मई में, तो वह लोग रह गये। इनको रिलेक्सेशन मिलना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को, कि एक और गम्भीर बात पता नहीं, आप जानते हैं या नहीं जानते। चतुर्वेदीजी और भंवरलाल जी शर्मा जानते हैं कि आजकल कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और होने लग गया और उस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप हमें 21 पर्सेण्ट का रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं हमें एक कम्पीटिशन तो जनरल करना पड़ेगा जब कि यू. पी. एस सी., यू. पी. बिहार और दूसरे दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, वह इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी इस आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। अब आप हमें नहीं दोगे और उम्मीद करो कि हम आगे निकल जायेंगे, यह कैसे हो सकता है। मन्त्री महोदय आप बतायें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं कह रहा हूं, सभापति महोदय, मैं भाषण वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो वह बात बता रहा हूं जो कोई देना चाहता है दूसरी तरफ से ले रहे हैं। जब आप हमें प्रिलिमिनरी एक्जामिनेशन में फायदा नहीं दोगे तो हम कैसे आयेंगे ? बी. एड. में आप हमें फायदा नहीं दोगे तो मास्टरों में कैसे रिजर्वेशन होगा ? डाक्टर कैसे आयेंगे जब आप उसको पी. एम. टी. में रिजर्वेशन नहीं दोगे ? इंजीनियर कैसे आयेंगे, कैसे भर्ती होंगे, उसमें बैकलॉग कैसे पूरा होगा ? जब आप हमें उसमें फायदा नहीं दोगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको मौका देना चाहिये।

केन्द्र ने और दूसरे राज्यों ने तीन-तीन चांस देने की भी घोषणा कर रखी है। तीन चांस मिलते हैं। आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के लिए अपीयर होना चाहते हैं, ओ. बी. सी., एस. सी. या एस. टी. है तो उसको तीन चांस एडीशनल दिये जाते हैं। लेकिन यहां वह नहीं दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब जवाब दें तब बतायें, इनमें किसी कानून-कायदे की जरूरत नहीं है। यह सब-एस्टेब्लिश्ड हैं। यह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक दिन में आप टेलीफोन से बात करके सारी चीजें यहां दे सकते हैं। लेकिन मंशा नहीं है, इरादा नहीं है। इसलिये यह सारी चीजें यहां हो रही हैं।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। उच्च शिक्षा मन्त्रीजी यहां बिराजमान हैं। आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, कि उच्च शिक्षा मन्त्रीजी के ध्यान में पता नहीं है कि नहीं। लेकिन मैं यह बात बहुत एफ़ेक्टिकली पूरी अपनी ताकत के साथ उनके सामने रखना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

और शिड्यूल्ड ट्राइब, ओ. बी. सी. की तो आप बात ही छोड़ दीजिये, उनकी भी यूनिवर्सिटीज में बावजूद हाई कोर्ट के दो आर्डरों के कोई रिजर्वेशन नहीं है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब भी नहीं है और चालीस साल से नहीं हैं। मैं यह जो रिट पिटीशन थी, जयपुर बैंच की 1839/1992, इसके अंश पढ़ना चाहता हूं :--

"I will go to the extent to say that even after 45 years of independence in this country, the dues of SC/ST candidates are not being given to them and this sort of acfion, non-action is depriving them of their rights conferred under the Constitution. This is not fair and not good in the interesf of of the nation as a whole.

"Be that as it may, the SC/ST quota should be filled as soon as possible."

इस निर्देश के बावजूद भी इस फैसले के बावजूद भी नहीं हुआ था, वह फिर गये हाई कोर्ट में, दुबारा उन्होंने कहा

"This is unreasonable on the part of the University that despite the orders of this Court, the posts have not been filled expeditiously and, as said earlier, the term of ad hoc appointees is being extended."

अब तो एक्सटेन्ड क्या हो रहे हैं, वह रेगुलराइज कर रहे हैं आर्डिनेंस लाकर। तो वह लोग जो पी. एच. डी. करे हुए हैं, फर्स्ट क्लास मेरिट वाले लोग बैठे हुए हैं इन्तजार में, तो दस साल तक उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। मैं इसलिए कहना चाहता हूं सरकार से कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है और इतना विलम्ब इस चीज में नहीं होना चाहिए। जो काम दो दिन में हो सकता है वह काम दो-दो साल में नहीं हो रहा है और फिर हम यहां कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया।

मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं स्वास्थ्य मन्त्री जी कि अभी एक सीनियर रेजिडेन्ट डॉक्टर को आप यहां ले रहे हैं। हमने प्रतिवेदन दिया कि आप उसमें ओ. बी. सी. को करें क्योंकि आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट ने दे दिया। पी. जी. चण्डीगढ़ ने दे दिया। यू. पी., बिहार दे रहा है और दूसरी स्टेट दे रहे हैं। लेकिन आप इसमें उनको रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं और कहते यह हैं कि साहब यह तो कान्ट्रेक्ट का काम है। इस बात को कहकर आप हमारा यह राइट डिनाई कर रहे हैं। आप बताइये तीन-चार साल यह लोग यहां काम करेंगे। दो साल करेंगे। उसके बाद इनके पास एक क्वालिफिकेशन हो गयी कि इनके पास दो साल का एक्सपीरियन्स है और एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के जो लोग आयेंगे वह उस एक्सपीरियन्स से महरूम रह जायेंगे और नतीजा यह होगा कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसका परीक्षण हम करवा रहे हैं। पी. जी. आई. चण्डीगढ़ से मंगवाये हैं उसके कागज। अगर वहां इस तरह का रिजर्वेशन, सीनियर एजेंसी में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान है तो निश्चित तौर पर यहां भी विचार किया जायेगा। आपने इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी तो इसको परीक्षण करवाकर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मन्त्री महोदय इन बातों का जवाब दें। एक अभी बात आयी, वह शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम बनाया है दो साल पहले और कुल एक हजार करोड़ रुपये, पांच-पांच सौ करोड़ रुपये हर साल वह इस निगम को देते हैं और इस निगम के मार्फत जो राज्य हैं उनके जो इसी प्रकार के निगम हैं उनका देते हैं और फिर वह अपने नीचे जिस तरह से एस. सी., एस. टी. कार्पोरेशन काम कर रहा है उस तरह से या ओ. बी. सी. के जो बेरोजगार युवक हैं जो अपना धन्धा करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल असिसटेन्स वह देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भले ही आप इसे एस. सी., एस. टी. के डिपार्टमेन्ट के साथ रखें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह आपको अलग से बनाना पड़ेगा। इसका हैड अलग है, इसके वितरण के पात्र अलग हैं और कैटगरी अलग है। इसलिए इसको आप एक्टिव करिये। एक हजार करोड़ में से दस-बीस करोड़ जितने मिलते, इस राजस्थान के ओ. बी. सी. के बेरोजगार बच्चों को कुछ रोजगार मिलता, उससे हम महरूम रह गये। केवल इस बात के लिये कि आप कह रहे हैं कि इसको अभी तो हम सोच रहे हैं। इसको एस. सी. एस. टी. कमीशन के साथ लगायें। आपने भारत सरकार से एक पैसा नहीं लिया। तो इस तरह की जो हम बेरुखी अपना रहे हैं, काम तो बहुत कर रहे हैं, हम ओ. बी. सी. के लिये यह कर रहे हैं, हम ओ. बी. सी. के लिये वह कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हो कुछ भी नहीं रहा है और होगा भी नहीं। जब तक आप एक अलग से महकमा, चाहे मन्त्री आप रहें कोई दिक्कत नहीं है, महकमा एक अलग से ओ. बी. सी. का आप बनायें और उसकी इफेक्टिव मोनिटरिंग की आप व्यवस्था करें। जब तक यह बातें नहीं होगीं हम वाहवाही भले ही लूट लें, वास्तविक जो चीज है, जिसका कल्याण आप करना चाहते हो आज वह सोया हुआ है। वह जो दैत्य है, पचास पर्सेण्ट आबादी वाला वह सोया हुआ है चाहे वह इधर वाला हो, चाहे हम हों। जिस दिन वह उठ गया उस दिन जलवा....

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित जो पहले माननीय सदस्यों ने बात कहीं उनसे थोड़ा अलग हटकर मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, 1978-79 में मण्डल कमीशन सारे प्रान्तों में गया यह देखने के लिए कि कौन लोग शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आइडेन्टिफाई करें। कुछ काम जो मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के बाद रह गये थे, हरेक प्रान्त ने दुबारा एक कमीशन बनाया जो अपने राजस्थान में भी बना हुआ है। गवर्नर महोदय के टाइम में

(श्री जुबेर खान)

बना था। सभापति महोदय, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें 1978–79 में इतनी जागरुकता नहीं थी कि यह मण्डल कमीशन क्यों आ रहा है ? हमें आरक्षण के लिए आ रहा है या कैसे और अपनी बात नहीं रख सके और जिन जातियों में जो थोड़े बहुत पढ़े–लिखे लोग थे उन्होंने अपनी बात रख दी और मण्डल कमीशन ने एक लिस्ट प्रिपेयर करके सेंण्ट्रल गवर्नमेंट को दे दी और उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने आरक्षण कर दिये।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहले भी यह बात कही थी कि मण्डल कमीशन आपने बना रखा है उनको आप बजट दे देते हैं, बजट भी ज्यादा मत दीजिए लेकिन जब तक उन्हें उन जातियों का पता लगाने के लिए स्टाफ के रिक्रूटमेंट की परमिशन नहीं देंगे या एडहॉक पर स्टाफ नहीं देंगे जिनसे सर्वे करा सकें और कुछ ऐसी छोटी-छोटी जातियां रह गयी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिये। उनको लाभ नहीं मिल सकेगा। सभापति महोदय, अलवर का मामला लें, मैंने पहले भी कहा था कि दो भाई हैं एक ने ओड लिख रखा है और एक ने ओड राजपूत लिख रखा है और एक ही जाति के हैं। ओड तो ले गया, ओड राजपूत नहीं ले पा रहे जबकि दूसरी जातियां ले पा रही हैं एक ही परिवार के, एक ही रिश्तेदार हैं। यह तो सरकार के हाथ में है इसमें संशोधन करना चाहिए। अब यह भिश्ती, आप अलवर में ही देखें काश्तकार कौन रहते हैं वहां मीणे, गुर्जर, माली, अहीर, मेव रहते हैं। अब कितने बड़े अन्याय की बात है कि मीणे तो एस. टी. में आ गये, पहले से ही आ गये। हरिजन एस. सी. में आ गये, गुर्जर, माली, अहीर ओ. बी. सी. में आ गये। तो सभापति महोदय, कितना अन्याय लगता है, आप तो वहां के रहने वाले हैं। मेव हर दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आधे से ज्यादा तो मीणा जाति से ही निकले हुए हैं। अगर आप इस आधार को हिस्टोरिकल–वे में देखें, गुर्जरों से ही निकले हुए हैं उस दृष्टि को भी देखें तो एस. टी. में आने चाहिए परन्तु मेव को आज ओ. बी. सी. में आने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो, सभापति महोदय, जब मण्डल कमीशन आया था तब मेवों की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया था। हम यह नहीं कह सकते कि उनका आवेदन नामन्जूर कर दिया क्योंकि उस टाइम उन लोगों में बिल्कुल जागरुकता नहीं थी। अब उन्होंने अपने आवेदन दिये हैं और आज मण्डल कमीशन चाहता है कि कुछ ऐसी जातियां हैं उनको जोड़ा जाय लेकिन राज्य सरकार उदासीन है। राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है मण्डल कमीशन के साथ। उनको बजट तो दे देती है लेकिन खर्च करने की पावर नहीं देती। पिछली बार भी आधे से ज्यादा बजट लैप्स हो गया और इस साल भी उतना ही बजट दिया है जितना 1994–95 में दिया था। वहां जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या करें हमें रिक्रूटमेंट की परमिशन नहीं दे रहे, डेली वेजेज पर लेने की परमिशन नहीं दे रहे। इतना बड़ा राजस्थान है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। हम कैसे सर्वे करवायें कि कौनसी जाति आरक्षण में आने लायक है या नहीं है।

(128)

(श्री ज़ुबेर खान)

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इन्हीं बातों को तो करें जो माननीय और सदस्यों ने कही है कि पूर्ण रूप से ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण लागू नहीं हो रहा लेकिन माननीय मंत्री महोदय, कुछ छोटी–छोटी जातियां ऐसी हैं जिनके लिए क्लियर कहा है मण्डल ने भी और आपकी सरकार ने भी कि इसमें धर्म के आधार पर न होकर जाति और वर्गों के हिसाब से होगा ।

श्री सभापति : कृपया बिराजें, आपकी बात आ गयी ।

श्री ज़ुबेर खान : तो मुसलमानों में भी, माइनोरिटीज में भी जो छोटी-छोटी जातियां आयीं, जिनको आप लोग मानते हैं, मुख्य मन्त्रीजी गये थे गोविन्दगढ़ 1992 में, जैसे जगतसिंह जी का उदाहरण दे रहे थे माननीय सदस्य कि वह गुर्जर तो सक्षम है, भिवाड़ी सक्षम है वहां सोने का ताज पहना दिया, हम गरीब लोग थे हमने गोविन्दगढ़ में चांदी का ताज पहनाया था । मुख्य मन्त्री जी ने वहां कहा कि चालीस साल में मैं तो हमेशा यह भ्रमित रहता था कि मेव जाति समर्थ जाति है लेकिन आज मैंने महसूस किया है, यह मुख्य मंत्रीजी के शब्द हैं कि मेव जाति अन्य जातियों के हिसाब से बहुत पिछड़ी हुई है हर लिहाज से और इसके उत्थान के लिए जो भी कुछ बन सकेगा मैं कोशिश करूंगा अपना दृष्टिकोण बदलकर। इतनी बड़ी बात कही थी कि मेरा दृष्टिकोण ठीक नहीं था। तो, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जब आप स्वयं मानते हैं कि मेव जाति पिछड़ी हुई है और आप यह कहते हैं कि इसे मुख्य धारा से जोड़ना है, क्राइम होते हैं, दोकसी के काम भी बहुत से हरियाणा बोर्डर के करते हैं । जब इनको इन बुराइयों से रोकना है तो इनको भी आरक्षण दीजिए । हम बड़ी घुटन सी महसूस करते हैं जब हमारे वहां का अहीर भी फायदा उठा रहा है, गुर्जर, माली, हरिजन, मीणा सब फायदा उठा रहे हैं और मेव को यह फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूं इसमें हम बड़ा पीड़ित महसूस कर रहे हैं । मुख्य मन्त्री जी ने मेवात के बारे में काफी जाना है और ध्यान दिया इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जैसा कुछ पनपाया है मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से मेवात क्षेत्र में करने की कोशिश की है । मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगे हाथ इन मेवों को भी पिछड़े वर्ग में जुड़वा जाइये और हमारे ओड भाई जिन्होंने गलती से राठौड़ी में आकर एक गलती कर ली अपने साथ ओड राजपूत लिखा लिया उसने, उनको भी इस संकट से बचाइये, उनको भी आरक्षण दिलाइये । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त ।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, 2 मिनट, सिर्फ दो मिनट ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जवाब तो दिलवाओ ।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आरक्षण का यह मुद्दा....

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरा भी नाम है....

श्री सभापति : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अमरराम चौधरी : अन्य पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करने के लिये....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त।

श्रीमती कमला : मैं कोई सुझाव देना चाहती हूं उसके लिये आप मुझे कृपया 2 मिनट दें।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री अमरराम चौधरी : सरकार जो कुछ कर रही है। उसके लिये जो लाभ मिला है पंचायतों के चुनावों में उसके लिये कुछ जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग में जोड़ा, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

14.30

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। चर्चा समाप्त हो चुकी है। विराजिये आप। आपको इन्होंने इतना लम्बा चौड़ा जवाब दिया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाओ....

श्री अमरराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक एडवरटाइजमेंट निकला है....

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन जी मेघवाल। (व्यवधान) अब आप विराजें, माननीय। सवा घण्टे से ऊपर एक ध्यानाकर्षण को हो गया....

श्री अमरराम चौधरी : इसमें पिछड़े वर्ग को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष : विराजिये माननीय। आप सब विद्वान हैं और इस पर घण्टों–घण्टों बहस चल सकती है। विराजिये आप.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : ध्यानाकर्षण में अध्यक्ष महोदय, परम्परा रही है यहां पर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। सभापति जी ने चर्चा समाप्त कर दी, विराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में जो बिन्दु उठाये जाते हैं उनका रिप्लाई आता है, यह परम्परा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, माननीय। इतनी देर तक चर्चा हो गयी। सवा–डेढ़ घण्टा हो गया। दूसरा भी तो आना चाहिये और तीन बजे के बाद नहीं तो दूसरा ध्यानाकर्षण नहीं होगा। अब विराजें आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : सवा घण्टा लगेगा 16 सदस्य थे इसके अन्दर। विषय महत्वपूर्ण है।

130

श्री जुबेर खान : बोलने का मौका क्यों देते हैं अगर जवाब इन्होंने....

श्री लक्ष्मण सिंह : फिर बोलने से ही फायदा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब इन्होंने पूरे तरीके से दे दिया है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने पाइण्टेड प्रश्न पूछे, यह हमेशा सदन की परम्परा रही है कि माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डेढ़ घण्टा ऊपर हो गया माननीय, बिराज जाएं अब।

श्री अमराराम चौधरी : अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के ओवर एज हो गये ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : हमने नये बिन्दु उठाये हैं। नये बिन्दु उठाये गये हैं। संक्षिप्त में आप रिप्लाई दे दें (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी कह दें कि इसके अलावा हम कोई जवाब नहीं देंगे तो हम मान जायेंगे। मंत्री महोदय कह दें कि मैंने जवाब दे दिया, मैं जवाब नहीं दूंगा हम मान जायेंगे ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : अगर वह अन्य पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करना चाहते हैं तो जिस प्रकार (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये तो सही। एक साथ खड़े होने से कोई बात पर वजन आ जाता है क्या ? आप बिराजें।

श्रीमती कमला : जो सवाल है उसका जवाब तो जरूर आना चाहिये। इसमें उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाये हैं। उनका संक्षेप में मंत्री महोदय जवाब दें, यह तो जरूरी है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, मेरा तो उसमें नाम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। जवाब के बाद मैं प्रश्न उत्तर नहीं करने दूंगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मेरा तो नाम है।

श्री अध्यक्ष : I'll never allow it.

श्री रामनारायण (नैनवां) : मेरा तो नाम है। मुझे तो बोलने का....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : उनका जवाब आ जाय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, प्रश्नों के ऊपर फिर प्रश्न नहीं होंगे। जवाब के बाद कोई प्रश्न नहीं होगा। जवाब दे देंगे और उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : हमारे बिन्दुओं का जवाब आना चाहिये।

श्री रामनारायण (नैनवां) : कोई ऐसी व्यवस्था तो की जाय, मेरा है नाम उसमें।

(श्री रामनारायण)

मेरे उसमें दस्तखत हैं और मेरा नाम नहीं पुकारा। कोई व्यवस्था कीजिये आप तो। मेरा 16 वें नम्बर पर नाम है।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त कर दी उसके बावजूद भी आप प्रेस कर रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उसमें फिर आप कह रहे हो मेरा भी नाम है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैं तो आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सब विद्वान हैं और आपने सबने एक दूसरे की बात सुन ली। बिराजिये अब। क्या कहना चाहते हैं बार-बार? बिराजिये अब।

श्री रामनारायण (नैनवां) : आप हो इस हाउस के विद्वान तो। आसन शीर्ष पर है। आप आसन हो। आसन से मेरा नाम 16 नम्बर का है, मुझे अधिकार है। आप मेरे अधिकार की सुरक्षा करें। मुझे बात कहने का मौका दें। मेरे दस्तखत हैं। उसमें नाम है मेरा।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा यहां कुछ बिन्दु उठाये गये। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार महोदय का एक पत्र पढ़कर सुनाया। उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो रूल्स में अमेण्डमेंट हो वह हाई कोर्ट की कन्सलटेशन से हो। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की मंशा निश्चित रूप से ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन को तत्परता से लागू करने की है और उसी क्रम में राज्य सरकार ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट को निवेदन भी किया कि इस रिजर्वेशन के कार्य को आपके यहां भी लागू किया जाय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें आप। माननीय मंत्रीजी, बैठ जायं आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यूनिवर्सिटी का कब से पैण्डिंग है? कब से, आप बताइये? आप भी मंत्री थे आपने क्यों नहीं किया उस समय। हमने कोशिश की जिस पर हाई कोर्ट का स्टे हुआ उसको निरस्त करवा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गोविन्दसिंह जी, आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। मंत्रीजी जवाब दें और आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं तो मैं बंद करता हूं इस चर्चा को। कोई जरूरी नहीं मेरे लिये आपकी बात को मानना।

श्री अनंग कुमार जैन : इससे राज्य सरकार की मंशा जाहिर होती है, इच्छा शक्ति जाहिर होती है कि राज्य सरकार तत्परता से रिजर्वेशन को लागू करना चाहती है। इसी प्रकार राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकार से सम्बन्धित जो भी निगम या बोर्ड थे उसके अन्दर राज्य सरकार ने तत्काल सारे आदेश प्रसारित कर दिये कि निगमों व बोर्ड्स के अन्दर

(श्री अनंग कुमार जैन)

रिजर्वेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये और उसके अन्दर रिजर्वेशन दिया जाय। यू. पी. एस. सी. के बारे में आपने कहा तो यू. पी. एस. सी. ने इसी वर्ष जनवरी माह में ही आयु सीमा तीन वर्ष बढ़ायी है। राज्य सरकार भी स्वयं इस पर विचार कर रही है और राज्य सरकार ने भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को इस सम्बन्ध में लिखा है। लगातार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सम्पर्क है और उनसे विचार विमर्श के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वह राज्य सरकार अपने स्तर पर लेगी।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि वित्त निगम की स्थापना की जाय। वित्त निगम के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि नोडल एजेंसी एक रखने की वजह से जो अनुसूचित जाति जनजाति कारपोरेशन है उसके साथ ही इसके वर्क को चेनलाईजिंग किया जा रहा है। अब एन. बी. सी. एफ. डी. सी. जो कारपोरेशन हैं नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्शियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन, उसके बारे में नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोरों से जिक्र किया कि वह करोड़ों रुपये के ऋण देता है। राज्य सरकार लगातार एन. बी. सी. एफ. डी. सी. से सम्पर्क में है लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी कड़ी शर्तें लगायी जा रही हैं। उन कड़ी शर्तों के बारे में लगातार राज्य सरकार और एन. बी. सी. एफ. डी. सी. के बीच में सम्पर्क है और राज्य सरकार यह निवेदन कर रही है कि इन शर्तों में कुछ ढील दी जाय। यदि उतनी कड़ी शर्तें मानी जाती हैं तो उसके आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जो वास्तविक लाभ पहुंचाया जाना चाहिये, वह लाभ ही नहीं पहुंच पायेगा। वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिये राज्य सरकार लगातार एन. बी. सी. एफ. डी. सी. से निवेदन कर रही है कि आप अपनी शर्तों में कुछ अमेण्ड करें। इन शर्तों में ढील दें और उसके आधार पर राज्य सरकार को जो फण्ड एन. बी. सी. एफ. डी. सी. मुहैय्या करायेगा उसके आधार पर इन पिछड़े वर्गों को ऋण वितरण और दूसरी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

मैं, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन के लिये, उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये राज्य सरकार संकल्पबद्ध है और किसी भी प्रकार इस कार्य में पीछे नहीं रहेगी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से जवाब में लीपापोती की है और दो दफा आर. जे. एस. के इम्तहान हो गये लेकिन रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया। पब्लिक अण्डरटेकिंग और यूनिवर्सिटी में राज्य सरकार को जिस तत्परता से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिये था, हल करना चाहिये था, वह नहीं किया है। राज्य सरकार लापरवाह रही है इसलिये प्रतिपक्ष सदन से बहिर्गमन करता है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में एक भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ओ. बी. सी. के आदमी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंचाया। मुझे खुशी है कि हमने पहुंचाया है उसका विरोध करने के लिये वाक आउट कर रहे हैं... (व्यवधान) जाना ओ. बी. सी में, ओ बी. सी. में ले जाकर बताऊंगा आपके भाषण, कि कांग्रेस पार्टी ने तो ओ. बी. सीज के लिये क्या किया था और हमने क्या किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम लेते हैं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमेशा विरोध किया और यह ओ बी. सी., मण्डल कमीशन लागू भी इनके राज में नहीं हुआ। इनके राज में दबाकर रखा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दिल्ली में जो सरकार थी उसने लागू किया था। लेन देन क्या है इनका।

जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र का विकास अवरुद्ध करने से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर नगर विकास न्यास के अन्तर्गत सूरसागर क्षेत्र का विकास अवरुद्ध करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने वर्ष 1981 में बालोतरा और चोरासरी रोड के मध्य स्थित भूमि हेतु एक आवासीय योजना बनायी थी। इस योजना का क्षेत्रफल 2750 एकड़ था। इस योजना की धारा 32 के अन्तर्गत दिनांक 22–11–1981 को अधिसूचना जारी की गयी एवं तत्पश्चात् धारा 52 के अन्तर्गत विभिन्न खसरों की भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 25–2–1982 को जारी की गयी जिसकी प्रति पेश की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है, यह बहुत ही एक बड़ा प्रश्न है। नगर विकास न्यास से 1981 में एक आवासीय योजना के लिए जमीन का तय किया। तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने 450 बीघा जमीन संट-अपार्ट की कि इसमें आप आवासीय योजना बना सकते हैं लेकिन जिस समय भू-खण्ड नगर विकास न्यास को दिया गया उस समय ही कई खातेदारों का वहां कब्जा था और जमीन पूरी मुक्त नहीं थी। नगर सुधार न्यास ने जिलाधीश को एक पत्र लिखा कि जिन खातेदारों का यहां कब्जा है, अतिक्रमण है उनको हटाया जाय और जब तक यह नहीं होता इस पर मंजिल या कोई भी योजना बनाना सम्भव नहीं है। कुछ काश्तकार न्यायालय में चले गये उन्होंने खातेदारी प्राप्त कर ली और धीरे-धीरे वहां कच्ची बस्ती बस गयी और कुछ गरीब लोग आकर बस गये कहीं स्कूल बन गयी और स्थिति यह बन गयी कि आवासीय योजना के लिये कोई भूखण्ड, यह पत्रावली मेरे सामने है उसके आधार पर कोई आवासीय योजना या कोई बड़ी योजना बन सके ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ भूमि सन् 1983 में अवाप्ति से मुक्त कर दी गयी, सन् 1983

(श्री भंवरलाल शर्मा)

में अवाप्ति से मुक्त हो गयी कुल मिलाकर इस जमीन पर अब आवासीय भू-खण्ड तो नहीं बन सकते। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि आखिर इसके लिए क्या सुझाव है और क्या एक्शन वह सरकार से चाहते हैं। यह थोड़ा शार्ट होगा तो मेरे लिए भी मार्गदर्शन होगा और कुछ कदम उठा सकेंगे वरना भू-खण्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कई तो न्यायालय में पेंडिग हैं, जमीन खाली करवाने के लिए और कई कच्ची बस्तियां बस गयी है जिनको हटाना सम्भव मुझे लगता नहीं है। माननीय सदस्य बतायें कि उनकी क्या इच्छा है और इस योजना में कैसे हम कुछ प्रगति कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मन्त्रीजी ने सुझाव तो मांगे हैं लेकिन जो रिपोर्ट आयी हैं, जो टिप्पणी आयी है, यह टिप्पणी बिल्कुल सदन को गुमराह करने वाली टिप्पणी है क्योंकि इसके अन्दर नक्शा दिया है, वह नक्शा दिया है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वास्तव में पूरब की तरफ तो उत्तर बताया है। और पश्चिम की तरफ दक्षिण बताया है। जब नक्शे में इस प्रकार की हालात है तो पूरी टिप्पणी के अन्दर भी इसी प्रकार की स्थिति है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो खसरे नम्बर बताये हैं और जो भूमि अवाप्त की गयी है उसके अन्दर कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिनका भूमि से कोई लेन-देन नहीं है लेकिन वे आदमी आज भी उसके ऊपर काबिज बैठे हैं। मेरा निवेदन यही है कि या तो मन्त्री महोदय कोई एक समिति गठित कर लें तो वास्तविकता आपको पता चल जायेगी। अभी हाल ही में, कुछ टाइम पहले एन. ओ. सी. दी है, इस रिपोर्ट के अन्दर यह बता रहे हैं कि कुछ 7–8 कब्जे हैं लेकिन वास्तव में वहां कोई कब्जा नहीं है और न कोई हटा है। वहां पर 33 बीघा जमीन बिल्कुल ओपन पड़ी है और आज 1 मई को यह बताते हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि चारदीवारी बनी हुई है। जब 33 बीघा जमीन जो आज करोड़ों रुपयों की है उस ओपन लैण्ड जमीन की एन. ओ. सी. कैसे दे दी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि सारी जमीनें जहां पर प्लाट आलरेड्डी कटे हुए हैं। उन प्लाट्स के ऊपर दूसरों का खसरा नम्बर बता रहे हैं, अपनी जमीनों का, 751/49 बताते हैं, इनका पट्टा बता रहे हैं। इस जमीन के अन्दर कहीं भी अवाप्त की हुई नहीं है। यह ढाई बीघा जमीन है, कोर्ट के अन्दर केस चल रहा है। वह शख्त प्लाट 465 के ऊपर काबिज है, दो मन्जिल का मकान बन रहा है। आज की तारीख तक यू. आई. टी. ने क्या कार्यवाही की है? मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस आदमी को जमीन अलाट की है? की है तो किस नियम के अन्तर्गत की है? और यदि नहीं की है तो जो प्लाट्स है उसको एक्वायर क्यों नहीं करते? इसी प्रकार कई प्लाट्स हैं, 4–5 प्लाट वहां पर पड़े हैं जो करोड़ों रुपयों के हैं और आय हो सकती है। वह खाली जमीन पड़ी हुई है उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यह मेरे विधान सभा का मामला है। विकास के मामले में जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि पैसे नहीं है। यह जो मामला है वह हम

(श्री मोहन मेघवाल)

लोगों के लिए दुखदायी है। पैसा आने की जगह है और वहां पैसा नहीं है। 33 बीघा भूमि की एन. ओ. सी. दी है। मैं कहता हूं यह सरासर गलत दी गयी है, इस एन. ओ. सी. को वापस विदड्रा करें। इस 33 बीघा जमीन के लिए सरकार कोई न कोई कार्यवाही करे। इसी प्रकार और भी बहुत से मामले हैं, मन्त्री महोदय अगर चाहें तो मैं पूरा विवरण दे सकता हूं और मन्त्री महोदय मेरे साथ चलिये, 455 बीघा जमीन बतायी है, आज भी वहां पर सैंकड़ों बीघा जमीन पड़ी है लेकिन इनके रेकार्ड में कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इन्होंने जो टिप्पणी दी है यह बिल्कुल सदन को गुमराह करने वाली टिप्पणी दी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय उस पर विचार करके आगे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं वह आप बताइये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की बहुत सी बातों से सहमत हूं। यह मामला सन् 1976 से चल रहा है और इतने समय में कई नाजायज कब्जे भी हुए हैं, कई खातेदारी लोगों को मिल गयी। यह बात सही है लेकिन अगर कोई जमीन खाली है और आप चाहते हैं कि इसकी कोई जांच हो और समिति का आप सुझाव दे रहे हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि समिति मैं बना देता हूं कि किसके द्वारा यह काम कराया जाय ताकि इसमें सही तथ्य सामने आ जाये और कोई प्रभावी कदम उठाया जा सके। तो आप बता दीजिये किसकी समिति बनाना चाहते हैं। मैं बना देता हूं। इसकी जांच होनी चाहिए, ठीक बात है।

श्री मोहन मेघवाल : आप जैसा उचित समझें, स्थानीय विधायक को साथ में ले लें, दूसरे जो भी आप अधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं उनको नियुक्त कर दें। मैं तो यहां पर आन दी स्पाट जाकर बता दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा सुझाव है कि वहां के जिलाधीश और माननीय आप ही जायें और यू. आई. टी.. का सेक्रेटरी हो जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : नक्शे में जो उत्तर पश्चिम या पूरब दक्षिण बताया है यह तो सही हो ही जाना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : समिति यह भी जांच कर लेगी कि उत्तर पूरब कहां है, दक्षिण-पश्चिम कहां है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।... (व्यवधान) अब मैं नहीं समझता कि इसमें और कोई प्रश्न पूछना बाकी है। समिति हो गयी, आपकी बात मान ली गयी है।

संगीता पत्नी जगसहाय निवासी बस्सी की दहेज के कारण की गयी हत्या की जांच

माननीय श्री हरिसिंह (महुवा) एवं श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा संगीता पत्नी जगसहाय निवासी बस्सी की दहेज के कारण की गयी हत्या की जांच प्रभावी तरीके से पुलिस द्वारा नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्रीमती संगीता पत्नी जगसहाय निवासी बस्सी की दहेज के कारण की गयी हत्या की जांच प्रभावी तरीके से पुलिस द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमान् महामहिम गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19-4-94 को श्री हरसहाय, भूतपूर्व विधायक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसकी पुत्री संगीता का विवाह दिनांक 9-3-88 को श्री गंगासहाय पुत्र रामपाल मीणा साकिन गुठा थाना बस्सी जिला जयपुर के साथ हुआ था । तब उसने अच्छी शादी की थी व शादी में 43,649/- रुपये का दहेज का सामान व 26,000/– रुपये नेग के दिये थे । जब संगीता के लड़का हुआ तब एक स्कूटर भी दिया था जो स्लीप हो गया था । इसलिए स्कूटर वापिस कर दिया गया था । तब स्कूटर की कीमत दे दी गयी थी । जिसके बाद भी संगीता के सुसराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे । यह बात संगीता जब गांव आती थी तब बताती थी । उनकी मांग बढ़ती ही गयी और मकान बनाने के लिए 50,000/– रुपये की मांग संगीता ने आखरी बार 14–4–94 को कही थी अन्यथा जान से मारने की बात कह रही थी । उसको समझा-बुझा कर उसके ससुराल वापस भिजवा दिया । 19–4–95 को सुबह एक व्यक्ति ने उसको गांव में बताया कि आपकी बेटी कल 12 बजे दिन में मर गयी । इस पर उसका लड़का सुरेश एवं महेश तथा शिम्भू सिंह गुढ़ा गये तो उन्हें बताया कि वह कल अचानक 4 बजे बेहोश हो गयी जिसे डाक्टर के यहां ले जा रहे थे वो डाक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मर गयी । जिस पर मालूमात से पता चला कि संगीता दिन में 11 बजे ही मर गयी थी । जो स्वाभाविक मौत से नहीं मरी है । उसे दहेज के लालच में मार दिया है । उन्हें इत्तला दिये बिना ही दहेज के लालचियों, उसके जंवाई व लड़की के सास-ससुर ने जला दिया ।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 138/94 धारा 304–बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता थाना बस्सी पर पंजीबद्ध किया जाकर वृत्त अधिकारी (दक्षिण) जयपुर देहात द्वारा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । अन्वेषण के दौरान परिवादी श्री हरसहाय उसकी पत्नी, लड़के एवं उसके पक्ष के गवाहान तथा अन्य सम्बन्धित गवाहान के बयानात अंकित किये गये । घटनास्थल तथा श्मशान घाट का नक्शा मौका बनाया गया । श्मशान से मृतका संगीता की राख व हड्डियां जब्त की जाकर परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला भेजी गयी । श्री हरसहाय मीणा को मृतका द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करने पर पत्रावली में शामिल किये गये अभियोग में अपर पुलिस अधीक्षक, जयपुर देहात द्वारा दिनांक 16–7–94 से अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में संगीता के पति, ससुर व सास को नामजद किया है । संगीता के ससुर श्री रामपाल एवं सास श्रीमती ग्यारसी देवी एवं पति गंगासहाय के बयान

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिये गये हैं। अपराधियों एवं अन्य जो घटना स्थल पर थे, के बयान लिये गये हैं। इनमें श्योजी पुत्र भौंरीलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योजी, सीताराम पुत्र रामसहाय, कैलाश पुत्र महादेव, नारायण पुत्र कल्याण, प्रभु पुत्र काना, रामकुमार पुत्र महादेव, धापा पत्नी लक्ष्मीनारायण, धापा पत्नी बिरदाराम, घासी पुत्र रामसुखा, रामसहाय पुत्र भौंरेलाल, कैलाश पुत्र रामनिवास, नानक पुत्र बिरदाराम, चन्दा पुत्र छोटू, जगदीश पुत्र कल्याण एवं रामकुमार पुत्र महादेव के नाम शामिल हैं। अभी तक किये गये अनुसंधान से कोई भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आये जिसके कारण मृतका के पति अथवा सास–ससुर को गिरफ्तार किया जा सके। गांव वालों के अनुसार संगीता अपने सास–ससुर के साथ राजी खुशी रहती थी, यहां तक गांव वालों का कहना है कि उसकी उस घर में ज्यादा चलती थी।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्रों की फोटो प्रतियों के मूल के लिए बार–बार उसको कहने पर भी मूल पत्र पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोग के अन्वेषण में प्रगति नहीं हो पा रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन के माननीय सदस्य की बेटी अगर दहेज जैसी कुप्रथा की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाये। जैसा कि मंत्री महोदय ने एफ. आई. आर. की प्रति और उसके बाद की कार्यवाही और अनुसंधान की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से 2–3 सवाल पूछूंगा और कुछ तथ्यों की तरफ जो अनुसंधान में नहीं आये, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरसहायजी की बेटी 14-4-94–15-4-94 को अपने मैके पिताजी के घर गयी और 16 अप्रैल, 94 को विदा होकर अपने ससुराल चली गयी। घर जब आयी तो बिल्कुल स्वस्थ थी और ससुराल जाने के एक दिन बाद ही उसकी डेथ हो गयी। ससुराल और पीहर के बीच मात्र 20 किलोमीटर का फासला है और जयपुर-आगरा नेशनल हाइवे पर करीब 5 किलोमीटर इंटीरियर में वह गांव है। वहां 10, 15, 20 मिनट, आधा घण्टे में निश्चित रूप से बस सेवा मिल जाती है। ऐसी हालत में उसके ससुराल वालों का यह फर्ज बनता था कि उसके पिताजी जो एक मोजीज व्यक्ति है, उसकी मां, उसके भाई को कम से कम उसके दाह-संस्कार के लिए सूचना देते। वह सूचना नहीं दी गयी और लड़की का दाह संस्कार कर दिया, यह एक शंका का विषय है। उसके बाद भी सूचना नहीं भिजवायी। तीसरे की बैठक की सूचना तो मित्र और रिश्तेदार, सबको दी जाती है, वह तीसरे की सूचना भी वहां नहीं दी गयी। तीसरे व्यक्ति ने आकर हरसहायजी को सूचना दी और हरसहायजी ने स्थिति का हुलिया, जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जिसके पीछे महज दो कारण थे। एक, बेटी की डेथ की सूचना नहीं देना और उसे घर से स्वस्थ विदा करने के 24 घण्टे बाद ही उसकी मृत्यु हो जाना।

14.55

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

(श्री हरिसिंह)

सभापति महोदय, इजाजत हो तो उस बच्ची द्वारा लिखे गये दो पत्र मैं पढ़ना चाहता हूं। पत्र पिताजी को लिखा गया है। बाऊजी को संगीता की ढोक मालूम हो। मैंने तुमको पहले भी कागज दिया था। मेरे सास-ससुर व मनीष के पापा तीनों ही दहेज में किसी भी प्रकार 50 हजार रुपये लेने पर आमादा हैं और मेरे दो जीवां, (गर्भस्थ थी) होते हुए भी दहेज के खातिर सता रहे हैं। यह चिट्ठी मैं मजबूर होकर लिख रही हूं। अगर आपने इनको 50 हजार रुपये नहीं दिये तो ये लोग दहेज के लालची मुझे मार सकते हैं। आपकी बिटिया, संगीता।" इसी का मिलता जुलता दूसरा पत्र भी उसने अपने पिताजी को लिखा। अब पुलिस को अनुसंधान में एक बहाना मिल गया है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस का आचरण शुरू से जो रहा है, वह संदेहास्पद रहा है। एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए उन्होंने अनुकूल व्यवहार नहीं किया और पुलिस हमेशा उनको यह प्रदर्शन करती रही कि आपने जो एफ. आई. आर. दर्ज कराई है वह गलत, भ्रामक, झूठी और असत्य है। तो उनके दिमाग में यह बात ठीक से बैठ गयी कि बेटी द्वारा प्रेषित दोनों पत्र अगर पुलिस को दे दूंगा तो पुलिस उस रिकार्ड को गायब कर देगी और पूरे सबूत नष्ट हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वह पत्र हरसहायजी देने को तैयार हैं, इसे मेरे से व्यक्तिशः ले लें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत वाजिब-सी मांग है, हरसहायजी की बात मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी तक पहुंचा रहा हूं।

गृह मन्त्रीजी, आप इस केस की सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच करवा लें और सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच के आदेश देंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बच्ची द्वारा भेजे गये दोनों पत्र ओरिजनल फाईल पर आ जायेंगे। इसलिए मेरी पुरजोर शब्दों में आपसे मांग है कि आप इस केस की सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच करवायें, धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : फोटोस्टेट तो आप अभी दे दें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : दे दी है फोटोस्टेट। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने संगीता हत्या-काण्ड के सम्बन्ध में जानकारी दी उस जानकारी के आधार पर मैं गृह मन्त्रीजी से दो ही सवाल पूछना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी आप यह बता दीजिये कि आपकी पुलिस संगीता की मृत्यु का क्या कारण मानती है? अनुसंधान किया होगा, एक साल हो गया। उस अनुसंधान में आपकी पुलिस ने उस हत्या का क्या कारण माना है? कैसे मरी, क्यों मरी? क्या कारण हैं, जो स्वस्थ बच्ची 16 तारीख को वहां से आयी और 18 तारीख को डेथ हो गयी। हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार पिता, माता, भाई को जो इत्तला देनी चाहिए, वह भी नहीं दी, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, वह नहीं करवाई, पोस्टमार्टम करवाना चाहिए वह नहीं करवाया। गृह मन्त्रीजी लड़की के पिता कोई ऐरेगैरे आदमी तो हैं नहीं; लड़की की डेथ किसी भी वजह से हुई हो, उसके पिता को बुला लिया जाता और शंका का समाधान प्रथम

(139)

(श्री परसादीलाल मीणा)

ही कर दिया जाता तो थाने में रिपोर्ट ही नहीं होती। दूसरे दिन तक कोई सूचना नहीं दी तथा उसके बाद भी कोई कारण नहीं बता पायें तो इतनी शंका बढ़ गयी। मैंने भी लड़की के सुसराल वालों से पूछा, अगर आप संतुष्ट कर दो कि लड़की की डेथ किस कारण से हुई है तो हम तुम्हारा राजीनामा करा सकते हैं। मैं गृह मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह हमको भी सन्तुष्ट नहीं कर सके, उसके बाद सारी बातें रखीं। एक साल इसको चलते हुए हो गया तो हमने सोचा कि क्यों न, गृह मन्त्रीजी आपसे मिलते हैं। आप कहते हैं कि जांच क्या है? पुलिस कर रही है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसमें न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर उन्होंने गलत किया है, लड़की की डेथ उनके कारण हुई है या पीट कर मारा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। पुलिस को कोई इत्तला नहीं की गयी, सारा गांव वन-साइडेड है।

15.00

कोई कहने को तैयार नहीं कि किस कारण से लड़की को मारा है। सारा गांव एक ही बात कहता है कि पता नहीं क्यों मर गयी। कोई कारण नहीं बतायेगा। तो आप इसकी जांच सी. आई. डी. (सी. बी.) के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायें और समयबद्ध एक महीने में या दो महीने में इसकी जांच रिपोर्ट जब आ जाये उसके अनुसार आप कार्यवाही करें और मैं यह जानना चाहता हूं कि आप की पुलिस ने इसके मरने का क्या कारण अब तक माना है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैंने सारी पत्रावलियों को, अनुसंधान को देखा है और जैसा माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि एक सैट आफ विटनेस तो वह है जो कि संगीता के सुसराल पक्ष का है वह सारे एक स्टोरी देते हैं कि किसी तरह की ज्यादती नहीं हुई, किसी ने मारा नहीं। दूसरा सैट आफ विटनेस पूर्व विधायक श्री हरसहायजी और उनके परिवार वाले हैं, उनकी पत्नी है और दूसरे हैं जिनका यह कहना है कि दहेज की बारम्बार मांग की जाती रही हैं। अब प्रश्न इतना ही है कि 18 तारीख को जो एक स्टोरी आयी है वह यह है कि वह बेहोश हो गयी और बेहोश होने के बाद में उसको अस्पताल ले जा रहे थे और अस्पताल ले जाने के बाद रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाने की बात है। यह भी एक एवीडेन्स आयी है कि सूचना की गई लेकिन उस रोज वह सूचना वहां नहीं पहुंची और वह नहीं आ सके और शाम को उसको जला दिया।

सभापति महोदय, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 2–4–94 को पहली बार यह पत्र जिन पत्रों के लिए आपने जिक्र किया यह पत्र हैं उनकी फोटोस्टेट कापी तफतीश कुनन्दा आफिसर को दी गयी और लगातार यह मांग की जाती रही कि क्योंकि तफतीश कुनन्दा आफिसर ने इसके स्कूल जहां यह 8वीं तक पढ़ती थी, 5वीं, छठी, सातवीं क्लास जहां तक पढ़ी थी इसके हैंडराइटिंग को, इसकी सखियों से भी पूछना और अगर वह मूल पत्र मिल जाते और वह मूलपत्र आज तक नहीं दिए जा रहे हैं और नहीं देने का क्या कारण है कि जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपने बताया कि इनका वर्तमान अनुसंधान-कर्त्ता पुलिस पर अविश्वास है। इसलिए उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि शायद वह गायब कर दें। तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा सभापति महोदय, अगर आपकी यह मांग है कि इसको सी. आई. डी. (क्राइम्स ब्रांच) को देकर इसकी जांच करवा दूंगा और वहां आप यह पहले एवीडेन्स दिलवा दीजिए क्योंकि तह तक पहुंचा जा सके। हमने एफ. एस. एल. को भी भेजा है, उसके अन्दर कोई कारण मालूम पड़ जाये। आपने पूछा भी है कि क्या कारण है जहर दिया तो एफ. एस. एल. कुछ निकाल सके तो उस थ्योरी पर चलेंगे या जो मूल पत्र हैं और जो लिखे गये हैं उसी संगीता, मृतक के द्वारा ही लिखे गये हैं, अगर इनकी प्रामाणिकता, उसकी पूरी हैंड-राईटिंग से साफ उतर कर सामने आ जायेगा तो उसकी ओर चलेंगे। इस मामले में दो-दो सेट आफ एवीडेन्स जैसी सामने आयी हैं परन्तु आपकी जो मांग है उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसकी सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच करवा लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको धन्यवाद।

विधायी–कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पासबुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : सहकारिता मन्त्री।

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय यहां पर एक संशोधन लाये हैं विभिन्न दरों से कठिनाई न हो इस हेतु आप अनुच्छेद 207 के खण्ड 1 के अधीन निहित दरों में जो स्लेब है उसको सम करने हेतु 5 प्रतिशत के हिसाब से यहां पर आप संशोधन लाये हैं। अब जो आगे इसमें अंकित है कि जहां प्रतिभूत रकम या मूल्य 100 रुपये से अधिक न हो वहां पर 4 रुपया होगा और जहां पर 100 से अधिक और 300 रुपये तक है वहां पर 10 रुपया और जहां 300 रुपये से अधिक है किन्तु 500 रुपये तक है वहां 20 रुपये होगा। मंत्री महोदय अभी इसमें जो आप लाये हैं इन सब को हटाकर 5 प्रतिशत की दर से लिया जाये, क्या ऐसा कुछ करेंगे ? कुछ स्पष्ट करें ताकि हमें समझने में आसानी हो।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, इन्डियन स्टेम्प एक्ट के अन्तर्गत जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अन्दर अलग-अलग दरें निर्धारित की गयी हैं। उन अलग-अलग दरों की वजह से सामान्य आदमी को दिक्कत आती थी। हर दर पर अलग-अलग उनको पैसा जोड़ना पड़ता था। कई बार थोड़े से अगर एक दो रुपये भी कम हो जाते थे तो उसकी वजह से डाकुमेन्ट के रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत आती थी, यह कभी आगे कहीं कोर्ट के मामले में जरुरत आती थी तो एवीडेन्स एक्ट के अन्तर्गत एडमिसिबिलिटी, अनएडमिसिबिलिटी का प्रश्न भी उठता था और सामान्य आदमी के लिए 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया और 10,000 रुपया पर मुश्किल होती थी। तो राज्य सरकार अमेन्डमेन्ट ला रही है। इसमें 6 स्लेब्स को समाप्त करके 5 प्रतिशत की दर से लागू करने के लिए यह अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ठीक ही है। इसमें मुझे अधिक कुछ नहीं कहना।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)।

श्री विष्णु मोदी (अनुपस्थित)।

श्री हरजीराम बुरड़क।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, इस अधिनियम के अन्तर्गत जो रेट आपने जनरल 5 प्रतिशत एक आइटम पर करने का अमेन्डमेन्ट रखा है– माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कई आइटमों पर रियायतें दी थीं और उसमें एक जगह यह लिखा है कि बहुमंजिले फ्लेट्स के हस्तान्तरण पर भी मुद्रांक शुल्क 10 से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। मेरा इस संबंध में निवेदन यह था कि कृषि भूमि के बेचान पर जो आप यह रजिस्ट्रेशन शुल्क में 10 परसेन्ट छूट दे रहे हैं यह बिलकुल गलत है। पहली बात तो यह है कि वह कोई सम्पत्ति नहीं है। मालिक की जगह नाम राज्य सरकार का है। उनको तो केवल खातेदारी अधिकार ही हैं। उनमें पहली बात तो यह है कि रजिस्ट्री से मुक्त करना चाहिए उनके बेचान को और अगर आप मुक्त नहीं करें तो उनको रियायत दें। बहुमंजिले फ्लेट्स वाले व्यापारी काम्पलेक्स बनायें उनको तो आप छूट दें और कृषक अपनी कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार बेचे वहां किसी तरह की कोई छूट नहीं देते। यह बिलकुल गलत है। यह दो तीन बार पहले भी मैंने मामला उठाया था और राजस्व मंत्री जी खुद भी इस बात से सहमत थे कि इसमें अलग-अलग अदालतों के अलग-अलग फैसले हैं.... एक तो इसको कहीं सम्पदा मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने कोई आपको सुझाव दिया उस हिसाब से आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। आप उसमें यह भी प्रावधान करें कि कृषि भूमि पर या तो रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल माफ करें या उसमें कोई रियायत की घोषणा करें इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि इस विधेयक को आप एक प्रवर समिति को सौंपें।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके एम्स एण्ड ओबजेक्ट्स की दो लाइनें मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। With a view to rationalise and simplify the rates and in order to provide relief to the common man. इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह दो थे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आम आदमी को लाभ पहुंचाना है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है लेकिन इसमें लिखा हुआ है। मैं आपके पास पढ़ने आऊं तब बताना पहले क्यों बता रही हैं ?

श्री सभापति : वह तो आपको सहारा दे रही हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरे बोलने से आपको क्या पीड़ा है वह बताओ न आप क्या कह रही हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कतई नहीं, बल्कि खुशी हो रही है।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है। तो सभापति जी, माननीय मंत्री जी के दो उद्देश्य हैं, एक तो रेशनलाइज और दूसरा कामन मेन को इससे रिलीफ मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार की नीति हो गयी है कि रेशनलाइज के नाम पर कहीं भी जहां मौका मिले रुपया लेने की तरकीब दौड़ा दी जाय। आपने रेशनलाइज किया कि पांच परसेंट हम सब पर लेंगे। आपने जो पहले शिड्यूल दिया हुआ है उसको आप देखें, उसमें 100 रुपये तक का आपने 4 रुपये रखा था, तीन सौ रुपये तक आपने 10 रुपये रखा था और पांच सौ रुपये तक का 25 रुपये बांड की कीमत पर देना पड़ता था। आपने आज जो रेट की है उसके हिसाब से पहली श्रेणी में 5 रुपये देना पड़ेगा। दूसरी श्रेणी में जहां दस रुपये थे वहां 15 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी श्रेणी में जहां 20 रुपये थे वहां 25 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह से आगे है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप यह जो रेशनलाइज करना चाहते थे तो पहले 100 रुपये तक जो चार रुपये देना पड़ता था वह 4 परसेंट ही आप रखते। इसलिए इसके पीछे आपका रेशनलाइज करने का उद्देश्य न होकर धन इकट्ठा करने का उद्देश्य है।

दूसरा आपने कहा कामन मेन, आपने जो शिड्यूल दिया है उसमें कामन मेन कहीं टिकता ही नहीं है। कामन मेन के लिए बाण्ड्स 50 हजार, लाख, दो लाख के बाण्ड नहीं होते हैं। कहीं आपस में हो गया हजार, पांच सौ, दो हजार तक के हो गये, आपने जो रेट्स कायम की हैं वह कामन मेन के लिए तो आपने रेट्स बढ़ा दीं और जब हायर श्रेणी में आप जाते हो 50 हजार, लाख या इससे ऊपर तो आपका कैलकुलेशन बनता है जैसे आपका क्लाज 5 है उसमें पहले करीब 2990 देना पड़ता था, अब आप उससे 2500 रुपये चार्ज करोगे। तो क्या हम इसको कामन मेन को रिलीफ देने की बात बतायेंगे या ऐसा कहें कि जिनके पास धन है, पैसा है, उनको हम रिलीफ देना चाहते हैं, कामन मेन का नाम लिखकर। इसलिए माननीय सभापति जी, इस बिल की आड़ में कामन मेन को ठगने की चेष्टा की गयी है। धन इकट्ठा करने की चेष्टा की गयी है और रेशनलाइज के नाम पर पीछे से लोगों की जेब से रुपया निकालने की कोशिश की गयी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने शिड्यूल दिया है इसको इस रूप में स्वीकार न किया जाय और सलेक्ट कमेटी को सौंप दीजिए, पूरे शिड्यूल को, पूरे एक्ट को देख करके और भी कोई संशोधन करने हों वह सब इसमें किये जावें, इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी। (अनुपस्थित)।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय तो सलेक्ट कमेटी पूरे एक्ट पर तो विचार करेगी नहीं, सिर्फ इस अमेंडमेंट के ऊपर विचार करेगी। माननीय सदस्य बुरडक साहब ने बताया कि कृषि भूमि के स्थानान्तरण पर दर कम की जावे। यह जो अमेंडमेंट है यह उससे सम्बन्धित नहीं है। वह विषय अपने आप में अलग है। इस अमेंडमेंट के माध्यम से रेशनलाइज करने

(श्री अनंगकुमार जैन)

के लिए और आम आदमी को सुविधा देने की दृष्टि से यह अमेण्डमेण्ट लाया जा रहा है। क्योंकि एक ही रेट अगर लागू रहती है, साधारण आदमी के लिए 6 तरह की रेट याद रखना, आज के जमाने में 100 रुपये, तीन सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, दो हजार रुपये तक का या तीन हजार रुपये तक का कोई बाण्ड एक्जीक्यूट होता है तो उसके लिए यदि हम यह कहें कि बहुत बड़े आदमी के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है तो माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि एक हजार, पांच सौ, दो हजार रुपये का बाण्ड कामनमेन ही एग्जीक्यूट करेगा, कामन आदमी के बीच में ही यह एग्जीक्यूशन होगा। माननीय शिवनाथ सिंह जी साहब ने फरमाया कि बड़े आदमियों को सुविधा देने के लिए किया है। यदि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट की जाय तो राज्य सरकार को एक पैसा भी अधिक नहीं मिलने वाला है कुल रेवेन्यू जो पहले मिलती थी, करीब-करीब वही मिलेगी बल्कि और थोड़ी कम मिलने की सम्भावना है। तीन शिडयूल तो माननीय सदस्य ने पढ़कर सुनाये। चौथी शिडयूल देखिए, माननीय सभापति महोदय, जैसा आपने स्वयं ने भी कहा कामन आदमी 1000, दो हजार रुपये के बाण्ड एग्जीक्यूट करता है....

श्री शिवनाथ सिंह : उनका तो बढ़ा दिया।

श्री अनंगकुमार जैन : कहां बढ़ाया? 500 रुपये से अधिक किन्तु एक हजार रुपये तक हमने पहले 60 रुपये लिये जाते थे अब 5 पर्सेंट किया है। पहले 600 रुपये वाले को 60 रुपये देने पड़ते थे, 700 रुपये वाले को, 800 रुपये वाले को, 900 रुपये वाले को 60 रुपये देने पड़ते थे और एक हजार रुपये वाले को 60 रुपये देने पड़ते थे। अब 600 रुपये वाले को तीस रुपये देने पड़ेंगे। 700 रुपये वाले को 35 रुपये देने पड़ेंगे, 800 रुपये वाले को 40 रुपये देने पड़ेंगे, 900 रुपये वाले को 45 रुपये देने पड़ेंगे और एक हजार रुपये वाले को 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अब कितना रिलीफ दिया है। 60 रुपये वाला 35 रुपये देगा, 60 रुपये वाला 40 रुपये देगा, तो कामन आदमी को इसमें सुविधा प्रदान की गयी है....

श्री शिवनाथ सिंह : पांच और छह का और बता दीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : पांचवें और छठे को पढ़ लेता हूं। इसी प्रकार पांचवें, छठे में भी जो एक हजार से अधिक लेकिन दो हजार, तीन हजार, पांच हजार तक की बहुत बड़ी राशि नहीं है। उस राशि पर भी उसको कम देना पड़ेगा....

श्री शिवनाथ सिंह : 50 हजार तक का मामला है।

श्री अनंगकुमार जैन : लिमिट कहीं तो उसमें रखनी पड़ेगी। साधारणतया इसमें आम आदमी को टैक्स कम देना पड़ेगा सिर्फ चार रुपये, पांच रुपये यह एक रुपये का फर्क 100 रुपये में जरूर है और यह मामूली सा फर्क है। बाकी यदि साधारण आदमी के हिसाब से सोचें तो साधारण आदमी को कम शुल्क देना पड़ेगा

(श्री अनंगकुमार जैन)

और कम शुल्क पर उसके डाक्यूमेण्ट रजिस्टर होंगे। दूसरा हर आदमी को 6 स्लेब याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। आज के समय में जहां हर प्रदेश इस बात की कल्पना कर रहा है, हर जगह यह बात कही जाती है कि टैक्स के सिस्टम को जितना हो सके सरलीकृत किया जावे और रेशनलाइज किया जावे ताकि आम आदमी उसको आसानी से समझ सके। उस दृष्टि से सीधा एक आदमी को यह याद रखना है कि बाण्ड पर 5 परसेन्ट फीस देनी है बजाय इसके कि वह 6 स्लेब याद रखे। इस दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है। इसके पीछे राज्य सरकार की कोई मन्शा नहीं है कि आम आदमी पर अधिक भार रखना चाहती हो या राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त आय होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको निरस्त करें।

श्री जुबेर खान : राज्य सरकार 50 हजार के ऊपर डाइरेक्ट ढाई हजार रुपये का फायदा दे रही है....

श्री अनंगकुमार जैन : नहीं दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान : पहले तो वह देता था 50 हजार के ऊपर 5 हजार और अब देगा ढाई हजार। तो बड़े को तो आप राहत दे रहे हैं और छोटे के ऊपर आप भार बढ़ा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री अनंगकुमार जैन, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव

(श्री अनंगकुमार जैन)

करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहती हूं। अब प्रतिशत करके तो यह वास्तव में कइयों पर बढ़ेगा, यह बात दूसरी है लेकिन 1985 में कांग्रेस की सरकार जब यहां थी, वित्त विधेयक के माध्यम से स्टाम्प पर बहुत अधिक पैसा बढ़ाकर यहां पर लायी थी और उसके विरोधस्वरूप यहां विधान सभा पर वकीलों के जुलूस तक आये थे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि एक बार इसको समग्र रूप से दिखवा लें कोई और गलती हमसे नहीं हो जाय, इसका ध्यान रखते हुए माननीय मन्त्री महोदय इसको पास करावें।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया कि इससे न तो राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होगी और न आम जनता के ऊपर या आम आदमी के ऊपर इससे कोई टैक्स का अधिक भार बढ़ रहा है और न कोई इसमें गलती होने के चान्सेज हैं, सम्भावना है। क्योंकि इसमें 6 स्लेब्स को एक स्लेब में परिवर्तित किया गया है, मात्र इतना सा संशोधन है। इससे न राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होने वाली है और न राज्य सरकार आम जनता पर कोई अतिरिक्त भार डालना चाह रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि इसे पारित किया जाये ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया गया।

श्री अनंगकुमार जैन, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अनंगकुमार जैन (वित्त राज्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, अच्छा होता ऊर्जा मन्त्रीजी यहां मौजूद होते तो उनके सामने कुछ कहने में मजा भी आता, वे समझते भी और कुछ रिलीफ भी मिलती। फाइनेन्स मिनिस्टर यहां बैठे हैं....

श्री सभापति : यह कोई बिजली उत्पादन करने का या इसका मामला नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है लेकिन वे होते तो किसान की तकलीफ को वे जानते थे इसलिए मैं कह रहा था। ये बैठे हैं तो इनके सामने भी कहूंगा, और बैठे हैं उनके सामने भी कहूंगा।

सभापतिजी, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये और मैंने इस दृष्टि से किया है कि इस बिल के माध्यम से जो अमेन्डमेन्ट किये जा रहे हैं वे बहुत ही भयंकर हैं, इस राजस्थान की शत-प्रतिशत जनता को प्रभावित करने वाले हैं। चाहे गली में बैठे हुए मजदूर का लड़का हो, रात को लट्टू के नीचे पढ़ता हो, चाहे कड़कड़ाती सर्दी में किसान का बेटा अपने खेतों में पानी देता हो, स्कूल का लड़का हो, कालेज का विद्यार्थी हो, यह सब पर असर करने वाला है क्योंकि आपने बहुत ही साधारण तरीके से या मासूमियत से यह कह दिया कि हम स्टाम्प ड्यूटी में थोड़ी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। सभापतिजी, आज के जो प्रोवीजन्स हैं उनको और ये प्रोवीजन्स जो ये लाना चाहते हैं, उनकी आप तुलना कीजिये। आपने चाहा है, इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में लिखा है In order to avoid the necessity of revising these upper limits time and again by amending the Act, it is proposed to amend these provisions so as to empower the State Government to fix the rates of Electricity Duty without any rider as to upper limit. आपने आगे लिखा है As per proviso (1B) to section 3 of the Act. the electricity duty chargeable from a cultivator is five per cent of the flat rate of the tariff notified by the Rajasthan State Electricity Board. आज के दिन किसान जिसके पास मीटर नहीं है, फ्लेट रेट से वह बिजली का बिल चुकाता है, उसको पांच प्रतिशत की दर से ड्यूटी देनी पड़ेगी। वर्तमान में यह प्रोवीज़न है आप इसको बदलना चाहते हैं कि 5 प्रतिशत का, कहीं 10 पर्सेण्ट के, जो राइडर्स हैं वे हटाकर और यह इस प्रकार की व्यवस्था बिजली बोर्ड को देना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से कितनी भी रेट, कभी भी नोटिफिकेशन से बढ़ा सकते हैं। आज एक रुकावट थी, 5 पर्सेण्ट से अधिक आप काश्तकार से नहीं ले पाओगे लेकिन जो आप बिल लाये हैं उसके क्लाज को देखिये, मैं क्लाज भी पढ़ रहा हूं। (ए) The total of the duty so levied and the net rate charged per unit shall not exceed the rate as may be notified by the State Government from time to·time.पहले इस पर रुकावट थी। स्टेट गवर्नमेन्ट जो रेट बढ़ा सकती थी, नोटिफाई कर सकती है उसकी अपर लिमिट दी होती थी वह थी Computed as such rate not exceeding 10 paise per unit as may be fixed by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette तो पहले आपके ऊपर पाबन्दी थी कि स्टेट गवर्नमेन्ट 10 पैसे से अधिक ड्यूटी एक यूनिट पर नहीं बढ़ा सकती है। आज गवर्नमेन्ट अधिकार लेना चाहती है, चाहे पांच रुपये पर यूनिट गवर्नमेन्ट लगा दे कोई रूकावट नहीं है। एक बहुत बड़ा खतरनाक, जो आज आप किसान पर लगाना चाहते हो नॉन मीटर्ड कन्जम्प्शन

(श्री शिवनाथ सिंह)

पर, उसका रेट पहले 10 पर्सेण्ट से अधिक नहीं बढ़ा सकते थे, आज उसको किसी भी लिमिट तक बढ़ा सकते हो। इसी तरह से आपने The total of the duty so levied and the net rate charged per unit shall not exceed one rupee and sixty paise per unit.यह दूसरों के लिए है, काश्तकार के लिए नहीं है। उनके लिए भी आप जो पहले एक रुपया 60 पैसे से अधिक नहीं बढ़ा सकते थे उसको आप अनलिमिटेड पावेर देना चाहते हैं। इसी तरह से पहले आपके बिल में एग्जम्प्शंस थे और वे एग्जम्प्शंस आवश्यक थे। मैं उनको गिनाता हूं, एक, दो, तीन, चार को The electricity duty shall not be levied on the energy consumed; कौन-कौन से थे, बाई द गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया जो करती है उस पर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज नहीं करोगे। फिर क्या था In the construction, maintenance or operation of any Railway by the Government of India;

Where the energy is generated at a voltage not exceeding 100 volts. फिर क्या था, हास्पिटल्स, डिस्पेन्सरीज ड्यूटी से फ्री थे। ड्यूटी एम्पावर नहीं कर सकते थे आप। इसी तरीके से रिकोग्नाइज एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशंस थीं, प्लेसेज ऑफ पब्लिक वरशिप थीं, ये ड्यूटी से एग्जम्प्ट थीं। आज इस अमेंडिंग बिल के द्वारा आपने इन सब एग्जम्प्शंस को खतम कर दिया और किसी पर भी आप ड्यूटी लेवी कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यह भयंकर और खोटा अमेंडमेंट है, इसको आम लोगों की राय के लिए भेजना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, आज इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इस प्रकार की कार्यवाहियां कर रहा है जो किसान के लिए बहुत घातक हैं। मैं जो सवाल रखने जा रहा हूं इसलिए कह रहा था कि माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी होते तो उनकी समझ में आती। आज किसान से, जिनके मीटर लगे हुए हैं, आप ड्यूटी की बात करते हो, ड्यूटी जो अमाउण्ट वह बिजली का खर्च करेगा, उस पर टोटल अमाउण्ट बनेगा उस पर बिजली की ड्यूटी आप लगायेंगे। आज किसान के ऊपर, जिनके मीटर लगे हुए हैं, आडिट के नाम पर 88-89, 89–90, 90–91, 91–92, 92–93, 93-94, आडिट में एक लाइन लिख दी, इसने पत्ती लगा कर मीटर बन्द कर दिया और 88-89, 89-90 के पहले 15 हजार, 20 हजार के बिल एरियर्स के उनको भेज रहे हैं। पूरे जितने भी बिल भेजे गए हैं उनमें एक ही लाइन है, पत्ती लगाकर मीटर बन्द कर रखा है। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 89-90 से जो मीटर खराब चले आ रहे हैं, आपका रेगुलर बिल जा रहा है उनको और रेगुलर बिल का वे पेमेंट करते आ रहे हैं। 31 मार्च तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी से 15 हजार, किसी से 20 हजार, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं, मेरे गुढ़ा निर्वाचन क्षेत्र की कि एक करोड़ रुपये के आस-पास किसानों से इस ड्यूटी के नाम पर वसूल किये जाने के बिल जारी किये गये हैं। आपको तीन साल

(श्री शिवनाथ सिंह)

मिलते हैं, तीन साल के पहले के एरियर्स आप ले सकते हैं लेकिन छह-छह साल के एरियर्स ले रहे हैं और वे एरियर्स भी क्या हैं कि जो कुछ भी ग्राडिट ने लिख दिया है वही आपके एरियर्स हो गए हैं। जो मीटर 1989-90 में खराब था, आपका लाइनमेन वहां था, जे. ईएन. वहां था, ए. ईएन. वहां था, एक्स ईएन. वहां था उन लोगों ने क्या कार्यवाही की उस पर ? यह सब फर्जी ग्राडिट के एतराज किये गये हैं। उन लोगों के सामने आज समस्या है। इसलिए इस प्रकार के जो बिल हैं वह कानून से वसूल नहीं कर सकते आप। जिनकी ग्राडिट की सेंक्टिटी नहीं है। यदि मीटर में खराबी थी तो आपको लाइनमेन पर एक्शन लेना चाहिए था, जे. ईएन. को एक्शन लेना चाहिए था, आपकी फाइल मौजूद है, 31 मार्च, 1995 तक तो कोई खराबी, गड़बड़ नहीं थी। आज जबकि यहां एतराज किया गया, आवाज लोगों ने उठायी और कहीं नर्सरी रेट की आधी करवाई, कहीं इनके मनमाने तरीके वन पोल और 2 पोल पर चार्जेज कम करवाये गये तो यहां बोर्ड से आदेश गया, चेयरमेन का आदेश गया कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो रुपया चाहिये। आप एक-एक तहसील से एक-एक करोड़ रुपया वसूल करने की बात कर रहे हैं। कानूनी रूप से आप वसूल नहीं कर सकते हैं। आपने लोगों को कचहरी में धक्का दे दिया है, लोग कचहरी में जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वह रकम वसूल हो नहीं सकती। लेकिन चेयरमेन का आदेश कि मुझे रुपया चाहिये। भाई रुपया चाहिये तो और तरीके से ले लो, किसानों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं ?

इसलिए, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राडिट के मामले में यह इस प्रकार का जो बिल आप लाये हैं इस बिल को बहुत सोच समझ कर लाना चाहिए था। पांच पैसे से आप पांच रुपये और दस रुपये कोई भी ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार तो इस जनतन्त्र में और असेम्बली के होते हुए भी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री शिवनाथ सिंह : हम सरकार को, बिजली बोर्ड को इस प्रकार का अनलिमिटेड अधिकार दें, मेरे ख्याल से समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए इस बिल को आवश्यक रूप से जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

किसानों के साथ संकट हो रहा है उसको दूर किया जाय। क्योंकि इसका सम्बन्ध हर व्यक्ति से है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, भिखारी हो वह सब बिजली की ड्यूटी आप बढ़ायेंगे उससे प्रभावित होंगे। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इस मामले को जनमत जानने के लिए, लोगों से राय कर, उसके बाद में कार्यवाही की जाय। जो एग्जम्पशन आपने हटाये हैं वह भी गलत किया है और ड्यूटी की रेट्स इतनी भयंकर लेनी चाही हैं वह गलत है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित), श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

निवेदन किया, पहला आब्जेक्शन तो मेरा यह है कि यह अन-लिमिटेड अधिकार लेने की आपको क्या जरूरत पड़ी है ? क्या आपको भरोसा नहीं है या विधान सभा नहीं होगी या आपका कोई बहुमत नहीं होगा या आप कोई बैठेंगे नहीं ? ऐसा तो किसी सरकार ने आज कहीं किया ही नहीं कि आप अन-लिमिटेड अधिकार ले लें और बाद में आपको विधान सभा के सामने जाने की जरूरत ही नहीं पड़े ।

दूसरा, माननीय मन्त्री महोदय, आपने यह रेट्स बढ़ाने की बात तो कर दी लेकिन आपकी वसूली की क्या हालत है ? आपने इस बात को कभी देखा कि छोटे-छोटे गरीब लोग हैं उनके तो कनेक्शन काटने की धमकी देकर आप वसूली कर लेते हैं, जहां रेट्स बढ़ाने की बात आप सोचते हैं तो वसूली की बात भी सोचनी चाहिए । सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की एक-एक पार्टी में ढाई सौ-तीन सौ लाख तक की बकाया आज पड़ी हुई है राजस्थान में । यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की दी हुई लिस्ट है, एक फर्म में पिछले साल तक 258.99 लाख रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बकाया थी, बिजली का पैसा तो अलग है ...

श्री विष्णु मोदी : कितना बकाया बताया, साहब ?

श्री हरजीराम बुरड़क : 258.99 लाख मोदी एल्कलीज एण्ड केमिकल्स अलवर में, एक पार्टी में है, यह ढाई सौ–तीन सौ लाख रुपये की वसूली नहीं कर सकते हैं और आप गरीबों से वसूल करने के लिए यह बिल लेकर आ गये हैं । इस बारे में आपको सोचना चाहिए था । आपका अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल करने का कोई सिस्टम नहीं है । विद्युत मण्डल की जो अपनी वसूली होती है उसके साथ ही यह वसूली होती है । लेकिन इतनी भयंकर बकाया की वसूली के बारे में आपको कोई न कोई तरीका अपनाना चाहिये । इस प्रकार से अनेक पार्टियों में हजारों–लाखों–करोड़ों रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बकाया है और गरीबों पर आप भार लेकर आ गये ।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आप इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करें और इसमें ऐसी कोई व्यवस्था भी करें कि जिनमें भारी ड्यूटी की बकाया है उनसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अलावा भी आप कोई वसूल करने का तरीका निकालें, इस सम्बन्ध में कोई न कोई रास्ता निकालें कि कितनी बकाया हो तब तो बोर्ड वसूल करे और उसके बाद में आप वसूल करें । आप इतना टैक्स गरीब लोगों से तो वसूल कर लेते हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियों से वसूल नहीं कर सकते हैं, इस बारे में आपको सोचना चाहिये ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित), श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्रीजी बिल लेकर आये हैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (अमेंडमेंट) बिल, 1995 इस सम्बन्ध में मेरा कहना इतना ही है कि विधान सभा 4-5-6 महीने में तो हर बार होती ही है

(श्री जुबेर खान)

पर मालूम नहीं सरकार की क्या नीति है कि जो अब नया बिल लेकर आ रहे हैं, वह चाहे कर से सम्बन्धित हो, चाहे आडिट से सम्बन्धित हो और चाहे चार्जेज से सम्बन्धित हो सरकार अनलिमिटेड पावर्स अपने हाथ में लेना चाह रही है। इसके पीछे मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। क्योंकि विधान सभा सत्रों में 40 साल से माननीय सदस्य बैठते आ रहे हैं और जब जरूरत पड़ती है बढ़ा लेते हैं और आये दिन अमेंडमेंट आते रहते हैं। फिर इस प्रकार का एक वेग अनलिमिटेड पावर देकर कितना भी कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह गलत है। जिस तरह से माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ने कहा, इन्होंने जो दिया है उसमें रेट्स दे रखी थीं उसको तो स्क्रैप करके उसकी जगह एडिशन करेंगे, गवर्नमेंट नोटिफाइड फ्राम टाइम टू टाइम। लेकिन इसमें जहां तक एक्सट्रैक्ट्स लिये हैं इसमें यह सैक्शन 3 ए—Electricity duty on energy consumed. इसमें दिया है, और उसके बाद—Provided that ....

वह जो इन्होंने डिलिट कर दिये और उसकी जगह जोड़ा है अनलिमिटेड गवर्नमेंट को देते हैं। इसमें सब क्लाज 2, 3 सब क्लाज में—The electricity duty shall not be levied on the energy consumed,

(a) by the Government of India,

(b) in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India so on and so on....

और इसमें है—

Recognised educational institution, and places of public worship.

इसके सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, कुछ नहीं दिया है कि इस बात को सरकार रखना चाहती है नये बिल के मुताबिक या इसको भी डिलिट करना चाहती है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह सरकार जो चुनाव में मन्दिर के अलावा कोई बात ही नहीं करे, यह पहले से व्यवस्था है कि लोगों के वर्शिप की जगह है—मन्दिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी यदि उनके ऊपर भी लगाने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है।

एक बात और कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, सैक्शन 3 में सब सैक्शन 3 और है—where the state Government is of opinion that it is necessary or expedient in the public interest to do so, it may by notification in the official Gazette and on such terms, conditions and restrictions as may be laid down in the notification, reduce or remit :

(a) the electricity duty on the energy consumed;

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production processing or repair of goods.

(श्री जुबेर खान)

इसी के साथ दूसरा है—

(ia) by a person generating energy for his own use or consumption;

(ii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (central Act 35 of 1952).

यह मैं, सभापति महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो नया अमेंडमेंट लेकर आये हैं, यह पुराना जो बिल है उसमें संदिग्ध स्थिति है, मैं समझता हूं मेरे लिये तो है कि यह जो क्लाजेज हैं इनका क्या करने जा रहे हैं। आप इनको डिलिट करने जा रहे हैं या इनको किसी दूसरे क्लाजेज से सब्सिट्यूट करने जा रहे हैं क्या एज इट एज इनको आप रखने का विचार रखते हैं ?

सभापति महोदय, लीगल कनेक्शंस जिनके यहां हैं, वह तो चाहे मन्दिर मे हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, कुएं के कनेक्शन हों, चाहे घर में हों, मकान में हों यह आप अनलिमिटेड पावर लेकर मरजी आये जितनी ड्यूटी लगा देंगे लेकिन जो इल्लीगल कनेक्शंस लेकर लोग चला रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या सरकार कानून लाने का विचार रखती है ? उनको कैसे रोकेंगे ? आपके बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स, एक माननीय सदस्य के सवाल के बारे में एक बार सरकार ने इसी सत्र में जवाब दिया, इसमें कितने सौ करोड़ इण्डस्ट्रीज के ऊपर बकाया हैं, उनको कैसे वसूल करेंगे ? आपको अगर बढ़ाना है तो आपके पास एग्जिस्टिंग रूल भी ऐसे हैं जिनकी मार्फत आप लोगों से वसूली कर सकते हैं, बिजली की चोरी रोक सकते हैं और अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी तो हैं नहीं, वित्त राज्य मंत्री बिल ले आये और वित्त के मामले में धन आना चाहिए, चाहे कैसे ही आये। आप जो अनलिमिटेड पावर लेना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने हेतु इस विधेयक को भेजा जाय और जिस तरह से लोगों से रेस्पोंस आये, उसी आधार पर आगे इस अमेंडमेंट में कार्यवाही की जाय, इतना मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित)। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं बोल चुकी हूं। मैं अगले बिल पर बोलूंगी (व्यवधान) स्टाम्प ड्यूटी वाले पर। मैं विद्युत वाले पर बोल चुकी हूं (व्यवधान) सभापति महोदय, जो सीमाएं अब तक ली गयी हैं, उसको समाप्त कर चुके हैं 1982 में। कुछ पैसा बढ़ाया है 1987 में, फिर 1989 में और फिर 1994 में। इस प्रकार से पैसा बढ़ा करके अधिकतम सीमा थी, वह समाप्त की जा चुकी है। अब सरकार यह बिल इसलिए लायी है कि कभी भी एक पैसा, दो पैसा या कुछ और बढ़ाने की इच्छा हो तो वह सीमा आपके पास रहे और उस तरह से इस विद्युत के शुल्क को बढ़ाया जा सके।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय पावर्स तो ले सकते हैं, इतनी शक्तियां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो ले सकते हैं लेकिन इतनी शक्तियां लेने के बावजूद इस सारी व्यवस्था को सम्भालने के लिए, आपने यह आगे कहा है 2 (क) (घ) में, आप कहते हैं कि आप इसको भूतलक्षी या भविष्यलक्षी भी कर पायेंगे। इस प्रकार से आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाना चाहते हैं। यह बात समझ में नहीं आयी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि एक तो हमारी इस समय विद्युत की स्थिति खराब है। आम उपभोक्ता आम तौर से परेशान हैं और हमारे पांच नगरों में उपभोक्ता के सामने आपने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। वाणिज्यिक दर, आवासीय दर और औद्योगिक दरों में आपने वाणिज्यिक दर लगाकर जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर, ऐसे पांच नगरों में वाणिज्यिक शुल्क के हिसाब से इसमें लगाया हुआ है। मैं नहीं समझ पाती कि एक बोर्ड लगा देने मात्र से आपको अलग से डेढ़ गुना पैसा क्यों देय होना चाहिए? अगर किसी वकील ने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि वह वकील है या कोई प्रशिक्षण केन्द्र चलता है, उसमें तो पानी का उपयोग अगर होता है तो आवासीय और वाणिज्यिक और औद्योगिक दर में आपने सीमा रखी हुई है कि इतने हजार गैलन तक अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है और इतने हजार गैलन के ऊपर इतना इस्तेमाल किया तो वहां देय दर यह होगी। आपकी यह नयी दर होगी। जब इतने व्यावहारिक कानून को आप अपने साथ में रखे हुए, विद्युत की दरों पर ही बात करुंगी अभी मैं, पानी के ऊपर मौका आयेगा तब उसमें बात करुंगी। इस प्रकार से आप सारी व्यवस्था को....

श्री शिवनाथ सिंह : इनकी समझ में नहीं आयेगी कि ये क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी समझ में कभी नहीं आयेगा क्योंकि आप जयपुर में रहते नहीं हैं। आप तो जयपुर की सुख–सुविधा का उपभोग करके चले जाते हैं। यहां से वेतन ले जाते होंगे अधिक से अधिक और मैं कहना चाहती हूं कि जिसको कष्ट होता है, कांटा जहां चुभता है वहीं दर्द होता है।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्या, ये तो तनख्वाह लेकर चले जाते हैं और आप तो जयपुर की जयपुर ही नहीं ले पायी हैं अभी तक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो खूबी है। इतनी खूबी समझते हो तो देखते हैं। वे तो फिर भी अध्ययन करते हैं, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको यहां से निकालकर फिर जा रही हूं।

श्री जुबेर खान : हमने सुना है कि पूरा–पूरा वेतन विधान सभा को दान देंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तनख्वाह से पहले भी मैं कुछ कमाती थी। वह ही कमाती थी, वही अब कमाती हूं। आप फालतू की बात नहीं करेंगे।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित)। श्री विष्णु मोदी। बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस अनलिमिटेड शक्ति को अगर मंत्री महोदय लेना चाहते हैं, उनको यह शक्ति दी जाय, वह हमें आश्वस्त करें कि उसका वे दुरुपयोग नहीं करेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से सत्ता में आयी है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी सरकार ने, सबसे पहले 1982 में बढ़ाये हैं।

श्री विष्णु मोदी : जब से यह पार्टी सरकार में आयी है, तब से मेरा स्पेसिफिक चार्ज है कि यह हाउस को बाई-पास करना चाहती हैं कि कोई भी बात हो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाउस में तो फिर भी आयेगा। अगर बढ़ायेंगे तो हाउस में लाना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें। बिराजिये, बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, जब माननीय सदस्या बोल रही थीं तो मैं बहुत ही गम्भीरता से उनकी बात सुन रहा था और मैं जब अपनी बात खत्म करूंगा तो हो सकता है, मैं आपसे उम्र में कम हूं, एक्सपीरियंस में कम हूं....

श्री सभापति : आप कृपया संशोधन विधेयक पर बोलें।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं उसी पर बोल रहा हूं। इस संशोधन पर आने से पहले उसकी जब तक भूमिका को नहीं देखेंगे, जब तक हम इस सरकार की मंशा को नहीं देखेंगे, कि इनके क्यों ये इन्टेन्शन्स हैं, तो मैं समझता हूं, मैं अपने संशोधन पर भी पूरी तरह से नहीं बोल पाऊंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बोल तो लेंगे, न्याय नहीं करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आगे-आगे भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सही करते रहेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप गलती करेंगे, हम सही करते रहेंगे।

श्री विष्णु मोदी : मैं यह निवेदन कर रहा था, अभी इसी सत्र में ट्रांसपोर्ट मंत्री एक बिल लेकर आये। उसके अन्दर बताया कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कारण हम रेट कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी तरह से, उसी लाइन पर यह इलेक्ट्रिसिटी बिल, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (अमेंडमेंट) बिल, 1995 लेकर आये हैं। To keep the things clear. राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक स्टेचुटरी बोर्ड है और जो एनर्जी वह सप्लाई करता है, उसका प्राइस वह लेता है और वह अपनी खरीदता है। यह उसके खाते का हिसाब-किताब है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, यह ड्यूटी It is nothing to do with the State

(श्री विष्णु मोदी)

Electricity. It is only the state subject. और यह ड्यूटी है, जो कि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था, उसके अन्दर स्टेट रेवेन्यू के लिए इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रोवीजन है और उसी प्रोवीजन में पूर्व स्टेट गवर्नमेंट थी, वे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले आये और उसी बिल के अन्तर्गत हमारा यह जो पहले बिल था, उसको सरकार अब अमेंड करना चाहती है, वह आप देखेंगे। अब तो जो लेकर आये हैं, चार लाइन का बिल लेकर आये हैं और उसका कुल मिलाकर तात्पर्य है, यह जो पहले हमारे बिल की अपर लिमिट थी उसको हमने एक्सीड कर दिया और अब हमें इन्डेफिनेट पावर दे दिये जायें। इतनी सारी शक्तियां दे दी जायं। पहले इसमें राइडर क्लाज था जैसा यह इसमें है Prescribed the duty may be computed at a rate not exceeding fifteen paise per unit as may be fixed by the State Government from time to time. Charged at the rate of 5% of the flat rate tariff as may be notified by the Rajasthan Electricity Board from time to time, under the Electricity (supply) Act, 1948. तो इसमें कई तरह से राइडर्स दे। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था, मूल भावना यह सारी प्रदत्त शक्तियां इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से स्टेट गवर्नमेंट में आयीं और उसी मूल भावना को ध्यान में रखते हुए सारी स्टेट गवर्नमेंट को इसके अन्दर कि वरशिप की जगह नहीं होगा। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की कोई अण्डरटेकिंग होगी, इसमें इस तरह का काम होगा, उसमें नहीं होगा और आप देखेंगे कि The electricity duty on the energy consumed:—

(i) by a consumer in any industry in the manufacture, production, processing or repair of goods;

(ia) by a person generating energy for his own use or consumption;

(ii) by or in respect of any mine as defined in the Mines Act, 1952 (Central Act 35, 1952);

(B) Whether prospectively or retrospectively, the electricity duty on the energy consumed by or in respect of any municipal board or council or panchayat or panchayat samiti or other local authority for the purpose of, or in respect of public street lighting; subject, however, in the case of clause (b), to the condition that any reduction or remission so made shall not be applicable to energy consumed in respect of any premises used for commercial or residential purposes. सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इन्डेफिनेट पावर्स इस बिल के माध्यम से यह सरकार लेना चाहती है। यह सरकार इस बिल के अन्दर यह भी नहीं कहती कि हम अगर इतनी रेट बढ़ायेंगे तो हाउस के सामने आयेंगे। तो मेरा पहला आब्जेक्शन इसमें यह है, इस बिल के माध्यम से भी और चाहे वह ट्रांसपोर्ट का बिल हो, चाहे वह इण्डस्ट्रियल पालिसी हो, चाहे वह मिनरल पालिसी हो, चाहे वह मार्बल पालिसी हो, चाहे वह

(श्री विष्णु मोदी)

सड़क नीति हो या चाहे वह एक्साइज पालिसी हो, किसी भी पालिसी में यह सरकार इस सदन के माध्यम से नहीं आना चाहती, इस सदन को बाई-पास रखना चाहती है। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह स्टेचुटरी बोर्ड है, आप उसको कम्पनी के रूप में क्यों बनाना चाहते हैं ? टोटेलिटी में सभापति महोदय, मैं जब से इस सदन में आया हूं, कोई सत्र, कोई दिन, जब भी बिजली की बात आयी तो हमारे पास बिजली की कमी है, यह हम स्वीकार करते हैं, हमारे बिजली बोर्ड के अन्दर अनियमिततायें हैं यह हम मन्जूर करते हैं, हम काश्तकारों को बिजली नहीं दे पाते हैं यह बात मन्जूर करते हैं और कुल मिलाकर, इन टोटेलिटी कि पंचों की राय सर माथे पर, परनाला वहीं गिरेगा और आखिर आप चाहते क्या हैं ? सभापति महोदय, इसमें एक बात और है, यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो लोग अपना जनरेटर लगाकर, अपने कन्जम्पशन के लिए बिजली पैदा करते हैं उसके ऊपर भी यह ड्यूटी लगती है तो यह आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह हाफ हार्टेड एप्रोच, आप उस शतुरमुर्ग की तरह कि जैसे कोई समस्या आयी और आपने सीधी गर्दन मिट्टी में घुसा दी कि वह अपने आप निकल जायेगी, इन टोटेलिटी आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति है, जो राज्य सरकार की स्थिति है, माननीय सभापतिजी, इतनी-इतनी बातें हैं कि ढाई सौ करोड़ रुपये बाजार से आपने यह कह कर लिये कि हम सूरतगढ़ की फर्स्ट स्टेज और सेकण्ड स्टेज के लिए यह लोन बाजार से ले रहे हैं बांड से और आपने यह बांड देनदारियों में चुका दिये। उसके बाद में आप सूरतगढ़ का, छोटे-छोटे कारखानों का कि हम इस तारीख को आ जायेंगे, इस तारीख को आ जायेंगे, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कोई एप्रोच नहीं है सूरतगढ़ एक साल से ज्यादा डिले हो चुका है, कोई दूसरा पाइप लाइन में प्रोजेक्ट नहीं है और आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में क्यों इनडेफिनेट, आज तक चालीस साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, जैसा माननीय बुरड़क साहब ने कहा कि आपको क्या शंका है, यह सदन आप जब बढ़ायेंगे तो उसको मन्जूर नहीं करेगा और आप कोई जस्टीफिकेशन देकर आयेंगे, मैं यह समझता हूं कि इसके बाइड काम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस हैं, यह खाली डेढ़ पेज का बिल नहीं है, इसके पीछे आर्बिट्रेरी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जायेंगे और मैं समझता हूं कि यह सदन इसलिए बना है कि हम लोगों की समस्याओं को यहां डिस्कस करें, वेन्टीलेट करें और ऐसा लेजिस्लेशन बनायें, ऐसा कानून बनायें जिसमें लोगों को सुविधा मिले। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को प्रसारित कर इण्डस्ट्री, ट्रेड, जितने भी वरशिप प्लेसेज, जितने लोग हैं, वेरीयस सेक्शन आफ द सोसायटी की ओपिनियन ली जाय और उसके बाद में इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, मन्त्री महोदय इसका जबाब देंगे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, कृपया।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी डिबेट का वह जवाब देंगे।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा, इसके बाद में मेरा सब क्लाज में भी अमेण्डमेन्ट है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, वह तो आयेगा, क्लाज में आयेगा, थर्ड रीडिंग में आयेगा।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार कोई ड्यूटी नहीं बढ़ाने जा रही, कोई विद्युत शुल्क नहीं बढ़ाने जा रही, माननीय सदस्यों ने जो भी अपने आब्जेक्शन्स उठाये हैं वह सब आब्जेक्शन्स बिजली बोर्ड से सम्बन्धित हैं। इस एक्ट से ...

श्री विष्णु मोदी : नहीं, नहीं।

श्री अनंगकुमार जैन : सुनें, बात सुनिये। माननीय सदस्यों ने उठाया कि कुछ लोगों पर बहुत पैसा बाकी है, विद्युत नहीं मिल रही है, विद्युत मिलने में अनियमितता है तो....

श्री हरजीराम बुरड़क : बकाया जो मैंने बतायी वह सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ही बतायी है बिजली के पैसे नहीं बताये हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बतायी है।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी सदन की प्रीमिसेज में आ गये हैं और माननीय मन्त्रीजी मैं इसको कोई वैस नहीं कहता हूं, आप इसके काम्प्लीकेशंस को समझ नहीं पाये हैं इसलिए अच्छा हो इसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिये। माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी उसको देख लें और कुछ समय बाद कर लें इसको थोड़ा रोक लें, डेफर कर दीजिये आप इसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह ठीक है ...

श्री शिवनाथ सिंह : डेफर कर रहे हैं न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कि इसको थोड़ी देर के लिए डेफर करके इस पर विचार कर लें, दूसरा बिल ले लेते हैं उसके बाद विचार कर लेंगे। इसमें जो छूट गया है वह जुड़ सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : बिलकुल ठीक बात है।

श्री सभापति : राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : इसको डेफर करने का आदेश दें।

श्री सभापति : यह डेफर किया गया।

श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अनंगकुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, मेरा प्रस्ताव है कि इस राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स (अमेण्डमेन्ट) बिल 1995 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। इस बिल में इस प्रकार के कई क्लाजेज हैं जिन पर थोड़ा विवेचन करने की, थोड़ा मन्थन करने की आवश्यकता है। आपने जो अपना स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स दिया है उसके विपरीत कई इसमें धाराएं हैं। आपने सीधा सा एक शिड्यूल दे दिया और आब्जेक्ट्स में भी लिख दिया कि जो एक लाख रुपये तक की कीमत के भवनों पर टैक्स लगने वाला था उसको हम बढ़ा रहे हैं, डेढ़ लाख कर रहे हैं, यह सोच कर कि इस लालच में इस बिल को पास कर दिया जायेगा। आज सभापतिजी, लाख, डेढ़ लाख की कोई कीमत नहीं है और इस प्रकार के प्रावधान जो आपने शिड्यूल में रखे हैं, क्या इसके रीजन हैं, आपने पहले में तो रख दिया कि जहां एक लाख की सीमा थी उसको आप डेढ़ लाख कर रहे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : आबादी।

श्री शिवनाथ सिंह : समझ गया। आबादी तो है ही इसमें। उसके बाद में एक लाख रुपये तक की जो कीमत थी, दो लाख रुपये की कीमत थी, इस शिड्यूल में आपने कोई टच नहीं किया, आज कीमत के हिसाब से हम देखते हैं तो जब से यह एक्ट बना था उसके हिसाब में और आज के हिसाब में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। यह बात देखने लायक है। इसके बाद में आपने जो At present the Act does not provide for re-assesment.

16.00

असेसमेन्ट के, सेल्फ असेसमेन्ट के, वेल्यूएशन करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट पर इस प्रकार के कई प्रावधान आपने इसमें जोड़ने की चेष्टा की है। पहले सेल्फ असेसमेंट का इसमें नहीं था, आज आप यह प्रावधान कर रहे हो कि सेल्फ असेसमेंट यदि किसी ने कर दिया है तो उसके आधार पर (व्यवधान) सेल्फ असेसमेंट आपने कर दिया उसके आधार पर हम उसको मानेंगे या वेल्यूअर जो हैं उनके आधार को हम मानेंगे। अब किसी प्रकार का कम वेल्यूएशन होगा, क्या रजिस्टर्ड वेल्यूअर्स उसके हैं इन बातों को हमें देखना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो रोज होता है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। इसके अलावा आपने इसमें एक प्रावधान रखा है। यह कॉमन सैंस है, एक कॉमन लॉ है कि जिस रोज जिस आदमी

(श्री शिवनाथ सिंह)

की लाइबिलिटी फिक्स की जाय टैक्स के मामले में और वह उसके बाद में पेमेंट नहीं करता है तो उससे सरटेन रेट पर्सेन्टेज के हिसाब से आप उसका इन्ट्रेस्ट चार्ज करते हो। आपने इसमें एक प्रावधान किया है कि जिस रोज से उसकी ड्यूटी बनती थी चाहे हमने असेसमेंट बाद में किया है, 5 साल बाद में किया है, 2 साल बाद में किया है तो आज के कानून के हिसाब से कॉमन सेंस के हिसाब से ऐसा होता है कि जिस रोज आपने ड्यूटी असेस कर दी जिसमें 5 हजार रुपये बकाया हैं उसके बाद से उसमें इन्ट्रेस्ट उसको देना पड़ता है। आपने इसको यह कर दिया कि जिस तारीख को हम असेस करते हैं उस तारीख से उससे इन्ट्रेस्ट लिया जायेगा। यह कॉमन लॉ जो आज का प्रचलित लॉ है उसके बिलकुल विपरीत है। इसी प्रकार के और भी बहुत से प्रावधान हैं इसलिए मेरा सबमीशन है और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : और कौन से प्रोविजन हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : बता दूंगा। इसलिए इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह सम्पत्ति से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)। श्री अमराम चोद (अनुपस्थित)। प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, इस बिल में जो अमेण्डमेंट लाया जा रहा है उसके माध्यम से तो आम करदाताओं को और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और जिन शहरों की आबादी एक लाख तक की है, क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की कि डेढ़ लाख आबादी तक के शहरों से इसको मुक्त किया जायेगा, उस लाइट में भी यह अमेण्डमेंट लाया जा रहा है। जब करदाताओं को सुविधाए प्रदान की जायं उस तरह के बिल को तो माननीय सदस्य को एप्रिसिएट करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट की स्कीम इसके अन्तर्गत रेगुलराइज होगी।

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो अभी फरमाया। तो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के अन्दर भी यही प्रावधान है कि करदाता यदि जानबूझकर असेसमेंट को एवाइड करे या अपने असेसमेंट को डिले करता रहे तो उसके ऊपर एक रोक लगाने के लिए यह प्रावधान लागू किया गया है कि जिस तारीख से टैक्स ड्यू होगा उस तारीख से उसके ऊपर इन्ट्रेस्ट लगेगा। इसलिए इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे आम करदाताओं को असुविधा हो, तकलीफ हो इसलिए माननीय सदस्य का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

श्री रमाकांत शर्मा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 के क्लाज 2 में आबादी की जो सीमा रखी है एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख करना चाहते हैं। माननीय सभापतिजी, 1982 के अन्दर यह एक लाख की सीमा रखी गयी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 से 1991 के दशक के अन्दर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बांसवाड़ा 89 हजार की पापुलेशन थी उसमें 61.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसलमेर में 78.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भीलवाड़ा के अन्दर 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अलवर के अन्दर 63.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कुछ चंद शहरों की बात मैंने कही है।' इस बात से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिसकी 1982 के अन्दर एक लाख के नाम से छूट थी इस वृद्धि को देखते हुए वह एक लाख से कोई एक लाख 80 हजार हो गयी, एक लाख 70 हजार हो गयी उनको भी इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पायेगा। जो एक लाख से डेढ़ लाख हुआ उस छूट का फायदा जो शहर उठा रहे थे वे शहर भी उस छूट से निकल जायेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1981 से 1991 के दशक के अन्दर जहां पहले 50 हजार से ऊपर की पापुलेशन के शहर थे वह कुल मिलाकर 7 थे वह 11 हो गए और इस प्रकार से एक लाख से ऊपर के जो शहर थे वह भी 11 हो गये अर्थात् दुगने करीबन हो गये।

दूसरी बात यह अर्ज करना चाहूंगा यह पापुलेशन इन शहरों के अन्दर जो एक लाख के आस-पास के जो शहर हैं इसमें साधारण रूप में जो वृद्धि होती है जनसंख्या में, वह वृद्धि नहीं है। यह वृद्धि माइग्रेशन की वजह से है। गांवों के लोग धन्धा करने के लिए, कुछ न कुछ काम करने के लिए इन शहरों के अन्दर आये हैं और वे उस गरीब तबके के लोग आये हैं उस तबके के लोग वहां कोई बहुत बड़ा मकान बनाने वाले नहीं हैं इसलिए यह जो छूट की बात कही गयी है, यह उन शहरों के अन्दर जो कही गयी है, दोनों बातों को लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि इससे कोई अपने को, राज्य सरकार को इनकम बढ़ने वाली नहीं है, कोई ऐसा मकान ही बनने वाला नहीं है वहां छोटे-छोटे शहरों के अन्दर जिनसे कि हम कोई ज्यादा आय कर सकेंगे जो व्यय करेंगे उस आय प्राप्ति के लिए उसके मुकाबले के अन्दर। क्योंकि इन शहरों में भी किसी न किसी प्रकार का व्यय करेंगे ही इस टैक्स कलेक्शन के लिए। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा। केवल मात्र यह राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

था, मैं इस पर कोई इनसिस्ट नहीं कर रहा हूं। अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (ग्रासींद) : एक सैकिण्ड कुछ कह लूं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं। विचारार्थ जो बिल लिया है उस पर एक ही निवेदन है कि यह जो एक लाख से डेढ़ लाख····

श्री सभापति : नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी अब। संशोधन वापस ले लिया माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति : क्या संशोधन वापस लेने की इजाजत दी जाती है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लिया गया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक रिक्वेस्ट है सर, मेरा निवेदन यही है कि प्रोवाइडेड ये एक्ट्रेक्ट्स फ्राम दी राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग एक्ट पर बोल रहा हूं। "Provided further that until a notification declaring rate of tax is iseued under this sub-section, the rate of tax on lands and buildings shall be as follows :-

एक लाख पर निल, दो लाख पर हाफ पर्सेण्ट, सात लाख और ऊपर एक पर्सेण्ट आन दी बैलेंस 10 लाख से डेढ़ पर्सेण्ट। मेरा निवेदन यह है कि आप विचार करें पांच फैमिली मेम्बर्स हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : प्रसंग ही नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रसंग नहीं है, एक चीज निवेदन कर रहा था इसी पर।

श्री सभापति : खण्ड 3 से 9 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 से 9 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि— कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं सिर्फ इसमें एक जानकारी चाहूंगा, पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने खुद हां भरी थी कि यह एक ऐसा टैक्स है जिस पर आय से ज्यादा वसूली पर खर्चा हो जाता है और इस पर आयन्दा कभी विचार करेंगे। आप तो इसको दुबारा संशोधन करके लागू कर रहे हैं। खर्चा पहले से ज्यादा बढ़ा है, इनकम आपने जो संशोधन किया है उससे कम होगी और खर्चा जो कर्मचारियों की तनख्वाह है और बढ़कर ज्यादा बढ़ेगी इसलिए इसमें अगर आपको आमदनी नहीं हो रही है तो इसको आप बन्द करें।

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री महोदय।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इस पर विचारार्थ एक ही निवेदन करना था। निवेदन यही करना है कि इसके अन्दर एक्स्ट्रेक्ट्स के ऊपर जो है कि एक लाख पर तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स में और दो लाख पर हाफ पर्सेण्ट, विचार करें कि एक फैमिली है, उनकी सबकी मिलजुल कर पांच लाख रुपये की सम्पत्ति है और पांच जनों का शेयर करीब 80 हजार रुपये आये तब तो उनको राहत मिलनी चाहिए और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स का इसमें कोई जिक्र नहीं है। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स हैं पर इसके अन्दर यह भी प्रोविजन रख दें कि पांच फैमिली मेम्बर्स हों और उनका टैक्स लिमिट से कम हो जाय एक लाख से कम हो तो उस पर राहत मिल जाय। यही निवेदन करना है। इस पर भी कंसीडरेशन किया जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, एक छोटा-सा बिन्दु मेरा भी है। क्योंकि यह जनसंख्या की वृद्धि से सम्बन्धित विधेयक है और एक लाख से डेढ़ लाख किया उससे मुख्यतः ब्यावर, पाली और सीकर शहर के निवासी लाभान्वित हुए लेकिन इसको प्रोस्पेक्टिव किया जा रहा है 91 के बाद में आबादी बढ़ी है और 95 से आप इसका लाभ देने के जा रहे हैं तो बीच का तीन साल का इंटरवीनिंग है उन तीन साल के लिए क्या मुख्य मन्त्रीजी इन चार शहरों को जो ये लाभ देने जा रहे हैं, उसके ऊपर विचार करके इसको रीट्रोस्पेक्टिव करने का कुछ सोचेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रीट्रोस्पेक्टिव करने का नहीं है, आप तो रहे हुए हैं इसी डिपार्टमेंट में।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, रीट्रोस्पेक्टिव देने का ऐसा कोई विचार नहीं है और यह बिल जिस फॉर्म में रखा गया है उसी रूप में इसको पारित किया जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, एक मामूली-सी बात यहां कही

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गयी । यह धारा 16 (क) की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उप खण्ड (1) में कही गयी कि निर्धारित रकम के स्थान पर देय कर की रकम, इसमें कोई उलझन आ गयी होगी, लेकिन एक बात और कही गयी यदि किसी स्वामित्व के कारण से देय रकम दे दी गयी है, फिर भी उसके न रहने पर उसके उत्तराधिकार को जिसने अर्जन किया हो, उसके द्वारा भी यह कर की रकम अलग से निर्धारित कराकर स्वयं असेसमेंट करके फिर उसको देनी होगी । क्या यह दो बार देना नहीं हो गया, मन्त्री महोदय स्पष्ट करें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा भी जवाब फैमेली मेम्बर्स का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है....(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1995

श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़ ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान जिस चिन्ता की स्थिति में है, सरकार उसका सही आकलन भी नहीं कर रही है और राजस्थान के अच्छे भविष्य निर्माण की कोई योजना की ओर सरकार अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है । माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र न जो व्यावहारिक आर्थिक नीतियां अपनाई, उन आर्थिक नीतियों का असर पूरे देश पर पड़ने लगा । इसके अच्छे नतीजे सामने आने लगे । विदेशों में भारत की साख बढ़ी । पूंजी निवेश को बढ़ावा मिला, इन्फ्लेशन है वह कम आया । हमारे फोरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर आये । ऐसी स्थिति में यदि राजस्थान की सरकार फायदा नहीं उठा सकेगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो राजनीतिक नेतृत्व आज के दिन है वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है । माननीय सभापति महोदय, इस सदन में सदन के नेता ने 30 मार्च, 1992 को कहा था, अब मैं उनके भाषण को कोट करता हूं, माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत कहते हैं "लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय नरसिम्हारावजी जब तक प्रधान मन्त्री हैं, उस समय तक राजस्थान की समस्याओं का बिना संघर्ष के ही समाधान हो जायेगा" माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता ने उस समय आगे कहा, अब यह कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है ।

(श्री जगदीप धनखड़)

कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा कर दिखाया। नरसिम्हारावजी आज देश के प्रधान मन्त्री हैं उनकी आर्थिक नीतियों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी है, गति उनमें बढ़ती रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का क्या हाल है ? कितनी दुर्दशा है, कितना लेक ऑफ विजन है ? इसकी ओर माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित करूंगा।

कितना अच्छा होता, आज के दिन राजस्थान के भविष्य निर्माण के समय इस ओर ध्यान दिया जाता कि राजस्थान के युवक का क्या हाल है, राजस्थान का नौजवान कितना दुःखी है, उसकी बेरोजगारी की क्या स्थिति है ? क्या इस प्रकार की कोई स्थिति की जा रही है कि उसके लिए एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े, एम्पलॉयमेंट अपरयुनिटीज और हमारे सामने आयें, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। आज का युवक कल राजस्थान का भाग्य विधाता होगा। युवकों में बहुत बड़ा असन्तोष है। राजनीतिक नेतृत्व युवकों के इस असन्तोष की ओर अपना ध्यान बिलकुल केन्द्रित नहीं कर पाया, माननीय सभापति महोदय, नतीजा क्या है कि जहां देश के अन्य प्रान्तों में युवकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें हैं, राजस्थान में इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। आज के दिन चिन्तन की आवश्यकता थी। क्यों नहीं राज्य के नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि निश्चित रूप से अपने आप उसको रोजगार के साधन उपलब्ध करायें, क्यों नहीं जो केन्द्र की अनेक योजनाएं हैं उनमें गतिशीलता लायी जाए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो एप्रोप्रियेशन का मामला है, वह शुद्ध रूप से मिसएप्रोप्रियेशन का नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, कुछ मूलभूत बातें होती हैं जिनकी ओर यदि ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्र की किस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : मध्यप्रदेश के अन्दर..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मध्य प्रदेश नहीं, केन्द्र की। ये बोल रहे थे कि केन्द्र की योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। कौनसी योजना है, मैं तो केवल इतना ...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी यदि मेरी बात को ध्यान से सुनते तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते। बेरोजगारी भत्ते की बात मैंने अलग कही। फिर मैंने कहा कि एप्रोप्रियेशन जनरेट करने के मामले में, स्वयं का कारोबार शुरू करने के मामले में, केन्द्र की जो नीतियां हैं उनको राजस्थान सरकार यदि गति से लागू करेगी तो बेरोजगार नवयुवक का जो बढ़ता आक्रोश है, जिसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप सही तरीके से जानते हो, उसको कम करने में मैं समझता हूं कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो आज यहां पर है, वह सहायक हो सकेगी। ऐसा कुछ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, एक मूलभूत बात है कि हम कितनी भी विकास की बात करें यदि जनसंख्या के ऊपर हम किसी तरह से

(श्री जगदीप धनखड़)

बढ़ोतरी पर अंकुश नहीं लगायेंगे, तो सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आ सकते हैं। प्लानिंग कमीशन, जिस प्लानिंग कमीशन के सर्टिफिकेट को माननीय मुख्य मन्त्रीजी सदन में व सदन के बाहर दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, कहते हैं मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वह सर्टिफिकेट मिल चुका है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को पता है जब प्लानिंग कमीशन से इनकी बातचीत हुई तो प्लानिंग कमीशन ने खासतौर पर दो बातों की ओर इशारा किया। उनमें एक था पापुलेशन कण्ट्रोल मेजर्स। मान्यवर, जब से आपने सत्ता सम्भाली है। स्वयं कोई व्यक्ति यदि उदाहरण प्रस्तुत कर दे, वह अलग है, परन्तु पूरे राज्य के विकास के लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी सहायक नहीं हों। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपने पापुलेशन कण्ट्रोल में चाहे कितना ही कीर्तिमान स्थापित किया हो, कितना ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया हो, राज्य के मुख्य मन्त्री होने के नाते यह भी आवश्यक था कि आज के दिन राज्य में विकास की गंगा पूरी तरह से गरीब तक पहुंचे, हम पापुलेशन बढ़ोतरी के ऊपर अंकुश लगायें, ऐसा कुछ नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, शुरूआत की गयी कि हमने एक कानून बनाया। उस कानून के बारे में कहा गया कि पंचायती-राज में संशोधन इसलिये करते हैं क्योंकि हम समकक्ष लायेंगे नगरपालिका के। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को पूछना चाहता हूं कि वह कौनसा कारण था कि नगरपालिका कानून में भी आपने संशोधन किया और संशोधन का जो कारण आपने दिया, आपने यह कहा कि हमें यह उम्मीद थी कि इतने समय में हम चुनाव करवा देंगे। मैं कहता हूं कि जब एक साल का समय निकल गया, वह पर्टिक्यूलर प्रोविजन इफेक्टिव हो गया। आपमें क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी? क्यों आपने एक इस प्रकार का फ्लेग्जिबल तरीका अपनाया और आपने कह दिया कि इसको बदल दें। माननीय सभापति महोदय, आज के दिन सबसे अहम् मुद्दा है कि यदि हम पापुलेशन इन्क्रीज को कण्ट्रोल नहीं कर पायेंगे तो किसी भी तरीके से हम राजस्थान का कल्याण नहीं कर पायेंगे, चाहे आप विकास कितनी ही गति से करिये।

माननीय सभापति महोदय, क्रेडिट लिया जाता है कि राजीव गांधी की कल्पना नहीं थी, हमारी कल्पना थी। हमने पंचायती राज का स्वरूप पहले तैयार किया था। उसकी खैर, वास्तविक स्थिति तो वही है जो यहां पर महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी अन्त्योदय योजना की कही थी, यह कल्पना राजीव गांधी की थी। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है पर माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार का खिलवाड़ पंचायती राज संस्थाओं के साथ किया गया है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज के दिन हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब हम उन दो कानूनों को देखते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, राजस्थान पंचायती-राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम, हमने कितनी उनमें कमियां रखी हैं। हमने इस प्रकार का कानून जारी किया है, जिसमें आप लगातार संशोधन करते जा रहे हैं पर क्या आज के दिन हम कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं वैसा काम कर रही

(श्री जगदीप धनखड़)

हैं, जैसी हमारी कल्पना थी। माननीय सभापति महोदय, हमने उनको नोन फंक्शनल यूनिट्स कर दिया। हम चाहे तो भी ग्राज के दिन वह काम नहीं कर सकते। वह कार्यपालिका की जकड़ में ग्रा गयी हैं। माननीय सभापति महोदय, एक चीज का ग्राप ग्रन्दाजा लगाइये, 74वें कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट के बाद पंचायती-राज ग्रधिनियम बना। उस नियम के तहत राजस्थान में चुनाव करवाये गये। चुनाव के बाद वह जगह-जगह फिर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हमारे ग्रधिकार क्या हैं? हम क्या कर पायेंगे, क्या नहीं कर पायेंगे? इतना बड़ा अनादर विधायकों के साथ इस मामले में किया गया है। यदि विधायक वहां उपस्थित होता तो निश्चित रूप से वह कहता कि ग्रापका अधिकार क्या है? डिवोल्यूशन ग्रॉफ पावर्स की आप अक्सर बात करते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, कि केन्द्र हमको यह ग्रधिकार दे दे, केन्द्र हमको वह ग्रधिकार दे दे। ग्रापने एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि ग्राप यहां सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं और इसी जगह खड़े होकर ग्राप एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। वह भूमिका है, जैसे कि आप केन्द्र के ग्रन्दर प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ग्राप जब इतने लालायित रहते हैं कि आपको केन्द्र ग्रधिकार दे, ग्राप उन ग्रधिकारों को क्यों पंचायती-राज संस्थाग्रों को नही देते? क्यों ग्रापने इतना लम्बा समय लिया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौनसे?

श्री जगदीप धनखड़ : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे हैं 'कौनसे' भारत की संविधान की अनुसूची 11, आप उसको पढ़िये। उस अनुसूची में विशेष रूप में उल्लेखित है कि कौनसे-कौनसे ग्रधिकार ग्राप दे सकते हो ..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप क्या दिलवाना चाहते हैं? माननीय, सरकार ने उनमें से वापस कौनसे ले लिये, वे बता दें ग्राप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, जैसी उम्मीद थी, ग्रामीण विकास के प्रति, गम्भीर होना, माननीय सभापति महोदय, चौमूं से ग्राने वाले माननीय सदस्य को शायद पचता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यदि अगर हमने गम्भीरता से शीघ्र इस प्रकार पंचायती राज ग्रधिनियम को फंक्शनल करने की गतिविधि नहीं की, इसके तहत वे नियम भी हम नहीं बना पा रहे हैं, जिनके तहत हम उनको गतिशीलता दे सकें। तो क्या हमने इन लोगों को इसलिये निर्वाचित कर दिया कि वे जगह-जगह भटकते फिरें? ग्राज के दिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इतना राजनीतिकरण और सरकारीकरण इस सरकार ने पंचायती राज संस्थाग्रों के और उनके चुनावों का किया है, पहली बात तो देखिये, माननीय सभापति महोदय, क्या कोई अन्दाजा लगा सकता है कि जब भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाग्रों के चुनाव एक चुनाव आयोग करवायेगा। हमने चुनाव ग्रायोग का यहां गठन कर दिया। चुनाव ग्रायोग विराजमान है। उसके बावजूद भी माननीय सभापति महोदय, चुनाव कौन करवाता है? उस चुनाव को करवाने का जिम्मा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रपने कानून से भारत के

(श्री जगदीप धनखड़)

संविधान की अनदेखी करके कार्य-पालिका को दे दिया, क्यों? माननीय सभापति महोदय; बिना किसी कानून के सरपंच को कहा जा रहा है कि आप यदि कोई काम करवाना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर माध्यम से आइये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की व्यवस्था में, इसमें एप्रोपिएशन की बजाय मिस-एप्रोपिएशन ही कहा जायेगा।

आज के दिन स्थिति इतनी गम्भीर है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ दूंगा। कहा कि मैं सभी को आतंकित नहीं कर सकता, मैं छोटे स्तर पर नहीं करूंगा। मेरे पास पटवारी आता है, छोटा पुलिस मैन आता है, वह कहता है कि साहब आप हमें क्यों पकड़ते हो, बड़ों को पकड़िये। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, समय-समय पर आपने कहा है कि आप स्वयं को लोकायुक्त के अधीन मानेंगे। मैं जानना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, ऐसी कौनसी परेशानिया हैं जिनकी वजह से कहने के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये यह अति-आवश्यक है कि आप ऊपर कुछ चोट मारें और सबसे पहले, चोट मारने से पहले जरुरी है कि किसी को भी इस व्यवस्था में, किसी निश्चित व्यवस्था से ऊपर नहीं समझें। मेरे समझ में नहीं आता है कि कहने के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की। माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमको उम्मीद थी कि-यू विल शो सम विजन, आप कहेंगे कि मेरे को आवश्यक है। मेरे प्रशासनिक ढांचे को मैं बदलूंगा, री-आर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट करूंगा, उससे राजस्थान में गतिशीलता आयेगी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने एक कमेटी का गठन किया था। जब पिछली बार आप मुख्य मंत्री बने थे, ठोस रिकमंडेशन हैं उस कमेटी की। आपने वह रिकमंडेशन लागू नहीं की। माननीय सभापति महोदय, एक ऐसी व्यवस्था डवलप करनी है जिसको मैंने कहा नीति, उत्पादन, विज्ञप्ति, प्रकाशन, केन्द्र-शोषण इन बातों को छोड़िये और जितनी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, जितना इस सदन में आप पहले कह चुके हैं, उन रिपोर्ट्स पर आप गम्भीरता से विचार करके निर्णय लीजिये। उन रिपोर्ट्स को मात्र आप अपने सचिवालय की फाइल सेल में मत रहने दीजिये। यदि आप निर्णय लेते हैं तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर एक निश्चित दिशा मिलती है। टिबरेवाल कमीशन, हमने कुछ नहीं किया। पानी वाली कमेटी, कुछ नहीं किया और कमेटीज, हमने कुछ नहीं किया। सदन को आश्वासन दिया, आपके शासनकाल में कोटा के अन्दर ब्लेक आउट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लेक आउट हुआ। सदन चल रहा था। आपने एक कमेटी का गठन कर दिया। आपने कहा 15 दिन में रिपोर्ट आ जायेगी। पता नहीं सदन को कहने के बाद आप क्यों झुकर जाते हैं। कुम्भकरण की नींद कहने के बाद लेना मैं समझता हूं कि किसी भी शासक के लिये हितकारी साबित नहीं हो सकती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी,

(श्री जगदीप धनखड़)

आपको एक सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी का गठन कीजिये जो आपके द्वारा सदन और सदन के बाहर कहे हुए आश्वासनों का गम्भीरता से अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद क्या उन पर कार्य किया गया है, यह हमें पता लगे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आश्वासन समिति बनी हुई है ।

श्री शिवनाथ सिंह : घनश्यामजी को उसका चेयरमैन बना दो ।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्यामजी को मेरा सुझाव है कि मन्त्री बना दो, तब ही चुप बैठेंगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब आप मुझे कुछ भी बनाओ ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की एक उपलब्धि रही है । यमुना का पानी लेने में यह सफल रहे । यमुना का जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, मैं समझता हूं कि उनकी कोशिश की प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते परन्तु माननीय मुख्य मन्त्रीजी, यह भी व्यवस्था कीजिये, वह पानी पूरा कैसे आयेगा । मैं मानकर चलता हूं कि आप यमुना का पानी लायें । दूसरे प्रान्तों में अब वहां राजनीति चालू हो गयी । उनको राजनैतिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है । तो इधर तो राजनैतिक परेशानियों में लोग आ जायें और हम पूरा पानी नहीं ला पायें । इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये, मात्र कहने से या थोड़ा-बहुत डिसप्ले होने से राजस्थान की जनता को राहत नहीं मिलेगी । माननीय सभापति महोदय, आज यह आवश्यक था, राजस्थान के लिये हम कहते कि बहुत सालों पहले, फिफ्टीज के अन्दर राजस्थान केनाल को हमने विजुअलाइज किया । करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये, मामला चल रहा । आज के दिन वास्तविक स्थिति क्या है ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप पूरी तरह से अपरिचित हैं । आज के दिन यह बहुत स्ट्रोंग डिसीजन की आवश्यकता थी ताकि राजस्थान का किसान अपने आपको इस स्थिति में पा सके कि मेरी तरफ कोई देखने वाला है, पर जिस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से आप कार्यवाही करना चाहते हैं, उसमें कहते हैं कि गांवों के अन्दर 70 प्रतिशत जनसंख्या रहती हैं, पर आपने ऐसी स्थिति कर दी, अधिकांश मामलों में वह 70 प्रतिशत जनता को आपने मात्र 30 प्रतिशत एलोकेशन दिया है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की मूलभूत विचारधारा क्यों है ? क्या आज के दिन भी हम ग्रामीण क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का न्याय करने के लिए तैयार नहीं हैं ? हम क्यों नहीं जनसंख्या के आधार पर एलोकेशन करें ? क्यों इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करें कि राजस्थान में जो एक-एक पैसा भी खर्च हो उसका सिर्फ एक निश्चित मापदण्ड हो कि यदि गांव में ज्यादा लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से गांव में उतना ही पैसा खर्च किया जायेगा जितने लोग रहते हैं । आप पेयजल का मामला ले लीजिये, 60-70 प्रतिशत आप शहरों में खर्च करते हैं । शहरों का

(श्री जगदीप धनखड़)

विकास हो, किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। शहरों में कार्य करने के लिए, सभापति महोदय, कन्ट्रीब्यूशन कम्पलसरी नहीं है, गांव में कोई भी काम करें एक व्यवस्था यह कह दी जाती है कि आप यह सहयोग कीजिये। इस प्रकार ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के साथ खिलवाड़, मैं समझता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, बहुत लम्बे समय तक नहीं चल पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने तो बहुत लम्बी पारी खेल ली है, आपने इतनी लम्बी पारी खेल ली है कि लगता है कि आप सन्तुष्ट हो चुके हैं, लगता है कि आपकी निगाहें कहीं और हैं पर मात्र आपकी निगाहें कहीं और हों, इसका खामियाजा राजस्थान को बिलकुल नहीं भरना चाहिये।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपने एक विधि आयोग बनाया, 50 लाख रुपये खर्च हो गये विधि आयोग के अध्यक्ष एक जाने-माने न्यायाधीश हैं। सदन के अन्दर मांग उठी थी, किराया कानून बनें, किरायेदार और मकान मालिक के कितने ज्यादा झगड़े हैं, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट इज आर गेटिंग डस्ट। माननीय अध्यक्षजी, विधि आयोग के गठन का क्या अर्थ था। जब उन्होंने इतने ढंग से रिपोर्ट दे दी, Why are we making it a white elephant ? क्या वह 50 लाख रुपया बिना बात खर्च किया गया? और यदि सही किया गया, तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से जानना चाहता हूं कि जब कई वर्षों से यह बात उठ रही है, जनता को परेशानी क्यों इस प्रकार के कानून का आप काम नहीं करते ? आप वह ही कानून लाते हैं जहां आपको अति आवश्यक हैं, आप समय पर काम करते हैं आप समय से पहले काम करने की, मैं समझता हूं कोई प्रणाली को एडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सभापति महोदय, इससे राजस्थान को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान के हजारों लोग, विशेष कर जयपुर में इस बात का इन्तजार कर रहे हैं, एक मोडल कानून बन चुका है, दिल्ली में आपकी सरकार है उन्होंने लागू कर दिया आपने क्यों नहीं किया ? करना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता एक ऐसा विषय है जिसमें माननीय मुख्य मन्त्रीजी की भारी दिलचस्पी रही है। इस क्षेत्र में आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसमें आप यह नहीं कर सकते कि 40 साल में क्या हुआ है। आपने अपने गत काल के अन्दर राजस्थान तिलम संघ का गठन किया, शुरूआत की। मैंने इस बात का अध्ययन किया, किसान को फायदा हुआ है। किसान को आढ़तिया के पास नहीं जाना पड़ा है। सरसों का उत्पादन बढ़ा है, जिस इलाके में सरसों नहीं हो रही थी वहां सरसों होनी चालू हो गयी है। किन्हीं कारणों से, सभापति महोदय, करोड़ों के नुकसान में राजस्थान तिलम संघ चला गया, आप उसको बन्द करने की योजना कर रहे हैं। सुधार लाने के बजाय एक ऐसी योजना हो रही है कि फिर से आढ़तियों को आप वापस अधिकार दे दें। गरीब किसान जो तिलम संघ के माध्यम से कुछ

(श्री जगदीप धनखड़)

फायदा उठाने की स्थिति में आ गया था, मैं जानता हूं शेखावाटी इलाके के अन्दर सरसों पहले उतनी नहीं होती थी जितनी तिलम संघ बनने के बाद हुई। इनकी सोसाइटीज बन गयीं, एक तरह से मूवमेन्ट डवलप हो गया था फिर भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक मानस बना लिया है सदन के इस सत्र की समाप्ति के पश्चात् जो कुछ बात हो गयी है, आर्थिक अनियमितताएं हो गयी हैं, जो लोग रेस्पोंसिबल थे उनको दण्डित किये बिना राजस्थान तिलम संघ को बन्द कर दो। नुकसान किस को होगा? किसान को। बन्द करने में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक नयी नीति बनायी है जिसका प्रकाशन नहीं किया है।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आपने बन्द करने की सोच ली। पूरे देश के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है। स्टेट एग्रो इण्डस्ट्री कारपोरेशन होने से कृषि विकास में अनुसंधान की आवश्यकता है। इन्होंने जो कार्य किये हैं गत तीन-चार वर्षों के अन्दर यह सराहनीय कार्य हैं। आप लगातार अधिकारियों को बदलते रहे हैं अब आपके अधिकारी इतने होशियार हैं, उनकी नजर एग्रो इण्डस्ट्रीज के रीयल इस्टेट पर है। अभी बन्द किया नहीं और उसके रीयल इस्टेट के डिस्पोजल की बातें कहीं हनुमानगढ़ में कहीं और कहीं जोरदार तरीके से चालू हो गयी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि आप बन्द करने की बात क्यों सोचते हैं? आप बीमारी को क्यों खतम नहीं करते, आप इलाज क्यों नहीं करते? किसी चीज को नजर अन्दाज कर देना, उसको बन्द कर दो, मैं समझता हूं किसी प्रकार को सोल्यूशन नहीं है और ऐसी संस्थाओं को बन्द करना जो पूरे देश में एक साथ विकसित हुई हैं, यह कृषि क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण रवैये को उजागर करता है।

माननीय सभापति महोदय, कहा तो गया कि आपने स्वास्थ्य को बजट दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। पर पटना को देख लीजिये, लखनऊ को देख लीजिये, दिल्ली को देख लीजिये, चण्डीगढ़ को देख लीजिये सब जगह ऐसे श्रेष्ठतम इन्स्टिट्यूट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिट्यूटस हैं, राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पाते? सभापति महोदय, राजस्थान में मेडिकल कालेज में जितने प्रोफेसर्स हैं उतने राजस्थान विश्वविद्यालय में भी नहीं हैं। चर्चा हुई थी यहां मेडिकल यूनिवर्सिटी तक बनेगी। आपने मेडिकल को बजट डेडिकेट कर दिया है उसके बावजूद भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट के बारे में कोई बात नहीं है। हम तो सोचते थे आप सेपरेट डाइरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन बनायेंगे। आपके अधिकारियों ने इस प्रकार की एक्सरसाइज पहले की थी। तो आप मात्र काम करने के बजाए एक जैसे कहते हैं न कि भाषण दे दो, इम्प्रेस कर दो नतीजे कोई और आयेगा तो देख लेगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह कहना है कि इनके कार्यकाल में राजस्थान का नवयुवक हताश हुआ है, गरीब किसान

(श्री जगदीप धनखड़)

परेशान हुआ है, संस्थाएं बन्द करने की आपने नीति चालू कर दी है।

राजस्थान का भविष्य कितना अंधकारमय होगा, यह आपके कार्यकलापों से साफ जाहिर है।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इनकी बात का समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि राजस्थान के अन्दर मूलभूत ढांचा, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी बहुत करते हैं, देश में करते हैं, विदेश में करते हैं कहते हैं आज फलाना मेरे यहां बैठा है, कल कोई दूसरा आयेगा, 20 हजार करोड़ रुपये आएंगे, पर जब आपकी पोटली खोल कर देखते हैं तो आपका हाल वही है कि राजा ने कह दिया एक-एक दूध का लोटा डाल दो और पूरा पानी का तालाब मिला। तो, मुख्य मंत्रीजी, आपने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपके यहां कोई पूंजीनिवेश के नाम पर आता ही नहीं है। आपके यहां पर पूंजीनिवेश के नाम पर इसलिए नहीं आता, आप कहां हजारों, करोड़ों की बात करते हैं, आपके यहां कोई 100-200 करोड़ रुपये लगाने के लिए नहीं आता है, वह इसलिए नहीं आता है, सभापति महोदय, कि पूरी कन्फ्यूजड वर्किंग है। मुख्य मंत्रीजी आप इस मामले को गम्भीरता से लें और आपकी टेबल के ऊपर जितने लोग बैठते हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दीजिये कि अब मैं मेरे डिसीप्लेन का डण्डा घुमाऊंगा। अब आप कन्फ्यूज तरीके से बात मत कीजिये, डोण्ट टॉक इन टू वाइसेज। डिफरेंट सिगनल्स मत भेजिये तब जाकर कहीं राजस्थान का कल्याण होगा। सभापति महोदय, मैं कान्फिडेन्स के साथ कह सकता हूं कि अगर बदलाव नहीं लाये गये, यदि आपने अपने एग्जिस्टिंग टेलेण्ट को यूज नहीं किया, शायद घनश्यामजी गायब हो गये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बैठा हूं यहां पर।

श्री जगदीप धनखड़ : एग्जिस्टिंग टेलेण्ट को यूज नहीं किया गया तो, माननीय सभापतिजी, किसी प्रकार की उम्मीद इस सरकार से नहीं की जा सकती और इस बिल ऑफ एप्रोपिएशन को मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उसी प्रकार की घटना यह कह रहे हैं पूरे राजस्थान के साथ जिस प्रकार की घटना अलवर में 75 लाख रुपये बोरे में ठूंस कर यहां पर लाकर मिस-एप्रोप्रिएट किया। आप भी राजस्थान की आर्थिक स्थिति के साथ टेम्प्रेरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, टेम्प्रेरी मिस-एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप ऐसी स्थिति में हैं कि महज तालमेल से इधर-उधर किसी को निचोड़ने की बजाय आप राजस्थान के आर्थिक विकास में दिलचस्पी लें तो ही मैं समझता हूं कि राजस्थान के हित में सार्थक बात होगी।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक।

श्री मदन दिलावर : आज दम नहीं लगा आपकी बात में।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा भविष्य अधरझूल में है।

कार्य सलाहकार समिति का 12वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन का निम्न रूप से उपस्थापन करता हूं :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश्म में आज दिनांक 01 मई, 1995 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे हुई। समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन के अधिलंघन में दिनांक 03 मई, 1995 से 05 मई, 1995 तक सदन में विचारार्थ लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया :—

बुधवार, दिनांक 03 मई, 1995	(1) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, 1994; (2) राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995; (3) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995; एवं (4) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995— —पर पारण एवं विचार।
गुरुवार, दिनांक 04 मई, 1995	(1) राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 : (2) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995; एवं (3) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 — पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 05 मई, 1995	(1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995; एवं (2) राजस्थान गौ सेवा आयोग विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण (3) राजस्थान राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री विष्णु मोदी : आज नहीं कल बढ़ाना।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, कल पास कर देंगे। आज क्यूं बांध रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिए, विष्णु जी तो बहुत भागकर आये हैं एप्रोप्रिएशन बिल के लिये, पूरी तैयारी के साथ आये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह दूसरे के लिये आये हैं। यह बिजली के लिये आये हैं।

श्री विष्णु मोदी : आपका बिजनैस हो गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री वी. पी. सिंहजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इसके पारित करने पर मैं रिकमण्ड करता हूं हाउस को और जो विचार माननीय धनखड़ साहब ने रखे हैं उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर कुछ नहीं हुआ न तो इण्डस्ट्री आना चाहती है, न इण्डस्ट्रिलाइजेशन होता है यहां पर, न कोई इण्डस्ट्रीज लगाना चाहता है, न एज्यूकेशन पर कुछ हुआ है। पापुलेशन एक्सप्लोजन की भी बात उन्होंने रखी कि जितना भी हम कुछ करते हैं, पापुलेशन एक्सप्लोजन के कारण वह उसको खा जाती है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर जो कुछ भी होता है और जो भी कुछ हम पालिसीज बनाते हैं, उसका सीधा रिश्ता सैण्ट्रल पालिसी से होता है। जो सैण्ट्रल के अन्दर पालिसी है, उसी के अनुरूप उसी के अन्दर हम लोगों को चलना पड़ता है और

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मैं थोड़ा सा राजस्थान से आगे जाकर सैण्ट्रल पालिसी को थोड़ा-सा डिस्कस करूंगा और फिर पीछे राजस्थान पर आऊंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री विष्णु मोदी : मैं बीच में टोक नहीं रहा। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं पूछना भी चाह रहा हूं क्या सैण्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी अलग अलग स्टेट के लिये अलग-अलग है? सैण्ट्रल की जो पालिसी है वह एक है या अलग-अलग स्टेट के लिये अलग-अलग है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आ जाता हूं। मेरा निवेदन है कि आज....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अलग-अलग आदमी के लिये अलग-अलग है।

श्री विष्णु मोदी : आदमी के लिये तो हो सकती है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन है कि आज स्टेट से मतलब नहीं है। आज कुछ भी हो रहा है तो आज राजस्थान और हिन्दुस्तान, पूरी दुनिया आज इतनी छोटी हो गयी है कि कुछ भी अमरीका में होता है या इंग्लैण्ड में होता है उसका सीधा असर हमारे यहां पर पड़ जाता है और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि पोस्ट कोल्ड वार के अन्दर जब से रशिया खत्म हो गया, अमरीका एक ऐसा देश हमारे सामने आया, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक समय था, एक बैलेन्स बना हुआ था और इसीलिए जब हमने नीति बनायी और कांग्रेसी जो नेता थे, हमारे उस टाइम, नेहरू जी, उन्होंने जो नीति बनायी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। होता यह है कि जब हम कोई भी नीति बनाते हैं, वह अच्छी नीति है या बुरी नीति है क्योंकि हम उसी समय रह रहे हैं, हमें पता नहीं लग सकता और वह खाली हिस्टोरियन या बीस साल बाद में ही हमें पता लगता है कि वह अच्छी थी या बुरी थी और उसके साथ-साथ में नीति में परिवर्तन भी आना चाहिये। पोस्ट कोल्ड वार के बाद में उसमें बदलाव आ रहा है। आगे निवेदन करता हूं कि पोस्ट कोल्ड वार के बाद जितने भी जी-सेवन कण्ट्रीज हैं, उन्होंने विचार किया कि अब रशिया से तो डर नहीं, किसी से हमें डर नहीं। हम हमारी जो समस्या है, उसको हल करने के लिये हमें क्या करना चाहिये और उसके लिये उन्होंने एक लिबरलाइजेशन की नीति बनायी और उसके अन्दर शुरू हुआ डंकल और होता-होता डब्ल्यू. टी. ओ. पर आ गये और उसके अन्दर एक सुपरमैन है, वह है अमरीका और आज का ही अखबार अगर आप पढ़ें तो हिन्दुस्तान को उन्होंने सुपर 301 ग्रेट लगा दिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। 'India which is already on the priority watch-list is in the company of European countries like Japan..'

श्री सभापति : आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आ रहा हूं। थोड़ा सा चलने दीजिये अंग्रेजी में, फिर हिन्दी पर आऊंगा। थोड़ा सा सीरियस बात करना चाह रहा हूं। जापान, ब्राजील,

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

सऊदी अरब, ग्रीस, टर्की और साउथ कोरिया। कहने का मतलब है कि आज जो भी यह जी-7 कण्ट्रीज करना चाहते हैं, खुद उसका फायदा उठाना चाहते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर कन्ज़्यूमर मार्केट का उपयोग करने के लिये ही वह यहां आ रहे हैं और सबसे बढ़िया मार्केट इण्डिया और चाइना दिखता है। मैं राजस्थान पर फिर आ रहा हूं थोड़ा सा। मेरा निवेदन यह है....

श्री विष्णु मोदी : was failure or wrong?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : + + + आप रूको तो सही, मैं आ रहा हूं। बैठो तो सही।

श्री सभापति : कृपया + + + शब्द हटा दिया जाए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा निवेदन यह है कि यह सब जी-7 कण्ट्रीज के अन्दर रिसेशन चल रहा था। एक होता है रिसेशन और रिसेशनरी ट्रेंड और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड और इन्फ्लेशनरी रिसेशन से अच्छा होता है थोड़े हद तक, ज्यादा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्काई रोकेटिंग हो जाय तो फिर जैसे मैक्सिको डिजनिज का नाम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि मैक्सिको के अन्दर इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है कि वह बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है। तो उस स्थिति में भी नहीं आना चाहिये पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रिसेशनरी ट्रेंड से हर वक्त अच्छी होती है और इसी के लिये अमेरीका ने और इन कण्ट्रीज ने सोचा कि हम चाइना और इण्डिया के मार्केट्स को यूटिलाइज करें और इसीलिये उन्होंने यह जितना भी कुछ फ्रेम किया है डब्ल्यू. टी. ओ. और डंकल, यह इसलिये किया है। मेरा निवेदन है कि लिबरलाइजेशन की जो पालिसी मनमोहन सिंहजी ने 1990 के अन्दर हमारे पर लगायी। कुछ हद तक अच्छी बातें भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सभी खराब बातें हैं पर उसमें जो बुरी बातें हैं उसको अगर हटा दिया जाये, जैसे मैं निवेदन करूं कि आपने इन्वाइट कर दिया। सब जने आये पर अगर हम उनको थोड़ा-सा लिमिट कर दें कि इस-इस फील्ड के अन्दर हम इन्वाइट करते हैं और इस-इस फील्ड मे हम नहीं करते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलेबोरेशन टैक्नालाजी यहां लेकर आयें तो हम वैलकम कर सकते हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, आई जस्ट डोंट वान्ट टू इन्ट्रप्ट, लेकिन यह बात बी. जे. पी. हमेशा कहती आयी है जितना इन्वेस्टमेंट फोरेन का आया है वह एन्टायर इन्वेस्टमेंट 90 पर्सेण्ट इण्डियन कोलोबरेशन में है एण्ड आउट आफ हण्ड्रेड, एट्टी पर्सेण्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आप क्या कहना चाहते हैं? The counrty is inviting foreign investment only for intrastructure. Our consumer policy is better. First clear your party's stand. What is your party's stand about the global investment?

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो पालिसी मेकर हमारे बी. जे. पी. के हैं, वह बतायेंगे, आपका जवाब देंगे।

श्री विष्णु मोदी : उनको जानकारी नहीं है वी. पी. सिंह साहब, दे डोंट नो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं कोई पालिसी मेकर नहीं हूं बी. जे. पी. का। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं ...

श्री विष्णु मोदी : Do not deviate from the reality that the entire investment which has come to this country is 80%- is in infrastructure and 90% is with the collaboration of Indian company.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा यह निवेदन है कि आज जितनी भी टैक्नालोजी बाहर से आ रही है और सबसे बड़ी बात टेक्नालोजी अन्दर आने के लिये आर. एन. डी. कितना यहां पर वो लगा रहे हैं। रिसर्च एण्ड डवलप पर कितना पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका, यह कन्ट्रीज, मेरे पास फिगर्स हैं करीब 11 हजार, मिलियन डालर अपने कण्ट्री में लगाते हैं और करीब सात-आठ मिलियन डालर बाहर लगाते हैं। तो यही चीज अपन को मिलती है और अपने को एक डम्पिंग ग्राउण्ड बना रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब मैं राजस्थान पर आता हूं, इसलिए यह गलत बात है। हमें जो इन लोगों का जो एफ. डी. आईज हैं, फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा हमें इनवाइट करना चाहिए। इन्फास्ट्रक्चर डवलपमेंट, कोलोबोरेशन, टेक्नालोजी, आर. एन. डी. और इसी से हम लोग एक क्लाइमेट बनायेंगे इण्डस्ट्रीयलाइजेशन का और उससे ही, जैसा धनखड़ साहब कह रहे थे कि इण्डस्ट्रीज नहीं आना चाह रही हैं, यह गलत कह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक क्लाइमेट बन रहा है और आज एक सेच्युरेशन पाइंट पर महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट आ गयी हैं। राजस्थान ही एक स्टेट है और फिर बाद में मध्यप्रदेश उनको नजर आता है जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है और जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की इच्छा रखते हैं।

श्री दलजीत सिंह : यह तो बता दीजिए कि....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज तो आप बोल रहे हो बहुत खुशी की बात है पहली बार।

श्री दलजीत सिंह : आप इन्फास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो कौनसे इन्फास्ट्रक्चर की इण्डस्ट्री आये राजस्थान के अन्दर ? यह तो बता दीजिए। जो इण्डस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि पैसा आया राजस्थान के अन्दर या इण्डस्ट्रीज खोले हैं तो उसका नाम बता दो in which sector they have been opened up. (interruption) or are they in what you call it industry or are they in electricitiy, किस सैक्टर में है उसका हमें समझा दीजिए।.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय चीफ साहब.... (व्यवधान).... माननीय दलजीत सिंह जी, मेरे मित्र है इसलिए मैंने गलती से कह दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : चीकू नाम नया है ।.... (व्यवधान)....

16.51

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कौनसी इण्डस्ट्रीज आयीं और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ वह तो इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर बतायेंगे मेरे पास तो फिगर्स हैं नहीं ।

श्री दलजीत सिंह : तो आप कैसे कह रहे हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि प्रायोरिटी जो हम तय करते हैं वह सही होनी चाहिए और हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर हमने प्रायोरिटी सही तय कर ली तो हमने आधा काम तो कर लिया और जो हमने प्रायोरिटीज तय कर रखी हैं, लास्ट ईयर हमने जो प्रायोरिटी तय की थी और हमने बजट को डेडिकेट किया था एजूकेशन पर । इस साल हैल्थ पर हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो यह प्रायोरिटी सही है । आप विचार करें 1980 के अन्दर तो आपको याद आयेगा कि इन्दिरा जी ने कहा था "इन्दिरा लाओ गरीबी मिटाओ" एक नारा सामने रख दिया था । क्या हुआ उसके अन्दर, आ गये, अस्सी पर्सेण्ट आप लोग यहां पर आकर बैठ गये, 75 पर्सेण्ट आकर बैठ गये और लोगों ने आप पर भरोसा किया और फिर वह बात भूल गये । तो प्राथमिकता की जो मैं बात कर रहा हूं वह सही होनी चाहिए । आप लोगों ने खाली एक थोथा नारा सामने रख दिया । हम थोथा नारा नहीं रख रहे हैं । पहली बार एजूकेशन पर हमने जितना पैसा लगाया लास्ट बजट में, इस साल हम प्राइमरी हैल्थ पर पैसा लगा रहे हैं । यह प्रायोरिटी सही है । मेरा यही निवेदन है । इतना ही आज मैं निवेदन करूंगा ।

श्री विष्णु मोदी : वी. पी. सिंह साहब, आपने प्रायोरिटी में पैसा खर्च करने का तो बता दिया । लेकिन आप इस स्टेट की इकानोमी कैसे ठीक करना चाहते हैं उस पर भी तो मार्गदर्शन करें ।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपकी बात का उत्तर मैं दूंगा ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था जो आपने कहा कि सैण्ट्रल पालिसी से कैसे हम प्रभावित होते हैं । एक छोटी-सी बात आपके सामने मैं रखता हूं उससे विष्णु जी आपको बात समझ आ जायेगी कि हमने कभी से मांग कर रखी थी कि जयपुर को इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाय क्योंकि टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल हमारे राजस्थान में है और सैण्ट्रल ने क्या किया ? अभी तक चार साल हो गये, हमें इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के लिये न तो पैसा दिया और न इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाया । अभी साल भर पहले कर्नाटक ने मांग की इण्टरनेशनल एयरपोर्ट की और उन्होंने प्राइवेट सैक्टर में देकर टाटाज को इनवाइट कर दिया है और उन लोगों ने कह दिया कि आप टाटाज से कोलेबोरेट करके इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बना दें तो ऐसे हमारे स्टेट और सैण्ट्रल के रिलेशनशिप के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा था ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर जी मानुदा.... (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनियोग विधेयक, 1995 जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए राजकीय निधि में से ग्यारह हजार एक करोड़, अड़तालीस लाख, छियानवें हजार रुपये लेने की व्यवस्था है उस पर चर्चा है। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि गये साल यह बजट हमने शिक्षा पर आधारित किया था लेकिन आज राजस्थान की उच्च शिक्षा की यह स्थिति है कि राज्य सरकार का अधिकतम पैसा शिक्षा पर खर्च हुआ उसके बावजूद भी आज विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है उसका स्तर बहुत ही गिरा हुआ है और उसमें उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ। आज राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय की आज यह स्थिति है कि किसी भी छात्र की कोई अटेन्डेंस नहीं होती है बल्कि किसी भी लैक्चरर के लिए यह भी पाबन्दी नहीं है कि वह साल में एक लैक्चर भी डिलीवर करे या नहीं करे। ऐसी स्थिति में जो करोड़ों रुपये का बजट शिक्षा पर खर्च हुआ उसकी भी कोई उपादेयता, उपयोगिता साबित नहीं हुई और हमारी शिक्षा का स्तर गिरता रहा। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रावधान रखे, गत वर्ष शिक्षा पर बजट कर दिया गया और इस साल चिकित्सा को बजट समर्पित किया गया है। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस वर्ष जो चिकित्सा को समर्पित करने का प्रावधान है उसमें न तो राजस्थान के हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सेवा ही होगी ना परीक्षण ही होगा कि हर व्यक्ति का परीक्षण स्वास्थ्य की दृष्टि से करवाया गया और ना ही सर्वांगीण रूप से व्याधि और उपचार के बारे में ही कोई व्यवस्था की गयी है। मात्र चिकित्सा का बजट इमारती चिकित्सा पर आधारित है जिसमें 65 करोड़ की इमारतें बनेंगी जिससे कि एक व्याधि या उपचार से सम्बन्धित कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी व्यवस्था या ऐसा प्रावधान जिससे कि डायरेक्टली पब्लिक हैल्थ को कोई फायदा नहीं हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह के प्रावधान से स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी बल्कि उसमें गत वर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये और भी कम खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

17.00

इसके अतिरिक्त मेरे को यह भी कहना है कि चिकित्सा के ऊपर जो बजट का खर्चा किया गया है उसमें होम्योपेथी और यूनानी चिकित्सा के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि एलोपेथी चिकित्सा व्यवस्था बहुत महंगी है और हमारे देश की अनुकूल परिस्थिति और इकोलोजिकल बेलेंस के प्रतिकूल है, फिर भी एलोपेथी पर ही सम्पूर्ण बजट का आधिक्य रखा गया है, न कि होम्योपैथी पर जबकि अब प्रचलन चल रहा है होम्योपैथी का। काश कितना अच्छा होता कि स्वास्थ्य के लिये समर्पित बजट में होम्योपैथी को वरीयता दी जाती। ज्यादा बजट का एलोकेशन किया जाता ताकि होम्योपैथी के कारण जनता को बहुत ही सुलभ और सस्ता उपचार मिलता।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कला और संस्कृति के नाम पर जो भी बजट है उसमें मात्र जयपुर और उदयपुर में ओपन एयर थियेटर या रवीन्द्र मंच पर ही ग्रामीण कलाकारों को लाकर वर्ष के आखिरी समय में जबकि बजट का समापन होने वाला होता है, उस समय कुछ कलाकारों के प्रोग्राम कर दिये जाते हैं। राजस्थान के ग्रामीण अंचल में ऐसा कोई भी विकास नहीं किया जाता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कला और संस्कृति को हम सुरक्षित रख रहे हैं और ग्रामीण अंचल पर ले जा रहे हैं तथा राजस्थान की कला और संस्कृति का परिचय ग्रामीण इलाकों, देहाती इलाकों को हो रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर ग्राम पंचायतों के जो अभी चुनाव का सिलसिला चला, जिसके तहत थ्री टियर सिस्टम हुआ उसमें सरकार की दिशाहीनता के कारण सरपंच, पंचायत के प्रतिनिधि, जिला परिषद् के प्रतिनिधि हैं, उनके कार्य क्षेत्र और क्या-क्या शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं और कौन कौनसी डैलीगेटेड पावर है और क्या कार्य है, का बंटवारा नहीं किया गया है। जिसके कारण आज हर पंचायत समिति पर, हर जिला प्रमुख कार्यालय पर इस तरह की विसंगतियां, कई तरह के विवाद उत्पन्न हो गये हैं। जैसे एक छोटा सा गांव है जिसमें एक ही साथ सरपंच भी प्रस्ताव रख रहा है सड़क के विकास का, दूसरी तरफ जिला परिषद् का प्रतिनिधि स्कूल की बाउण्ड्री का कर रहा है, तीसरी तरफ पंचायत समिति का प्रतिनिधि अपनी अलग से प्रस्तावना कर रहा है। विकास के काम को लेकर जनप्रतिनिधियों में इस तरह का झगड़ा हो, कन्फ्यूजन की स्थिति हो और फिर सामुदायिक विकास के लिये हम सोचें कि सामुदायिक विकास हो जाय। तो संभव नहीं है। आज चुने हुए प्रतिनिधियों को 95-96 वर्ष के अन्तर्गत अभी तक सरकार के द्वारा ऐसे अधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं जिससे वह कार्य विभाजन के द्वारा अपना कार्य सम्पादित कर पायें। आज भी वह कनफ्यूजन की स्थिति में हैं। न कोई उनको ट्रेनिंग देने वाला है। न ट्रेनिंग देने वालों को यह मालूम है कि उनका वर्क डिवीजन है क्या ? उनको डेलीगेटेड पावर हैं क्या ? ऐसी विषम स्थिति सरकार के द्वारा खड़ी कर दी गयी है और इस स्थिति में सामुदायिक विकास पर जो भी खर्चा है वह मैं समझता हूं निष्प्रयोजित हो जायेगा। क्यों कि झगड़े में पूरा पैसा कहीं भी खर्च नहीं हो पायेगा। मेरा निवेदन है कि बहुत ही शीघ्र कार्य विभाजन किया जायें, जिससे सामुदायिक विकास किया जाये।

ग्रामीण रोजगार का जहां तक सवाल है, आज पूरे बजट और विनियोग विधेयक के अन्तर्गत ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है कि शिक्षित ग्रामीण युवक-युवतियों के लिये कोई भी रोजगार की व्यवस्था की गयी हो। न बजट बताता है कि वर्ष 95-96 में कितने शिक्षित और अशिक्षित लोगों को रोजगार मिल जायेगा। सामुदायिक विकास योजना के द्वारा जो भी रोजगार मिल रहा है वह तो ठेकेदारी व्यवस्था के अन्तर्गत मिल रहा है। जिसमें ठेकेदार सड़क बनाता है या कुछ निर्माण का कार्य करता है। उससे ठेकेदार ही लाभान्वित होता है। वह तो मोनोपॉलिस्ट और केपिटलिस्ट की ओर बढ़ता है। आज शिक्षित बेरोजगारों

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के लिये कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। न ही उसको कोई बेरोजगारी भत्ता जैसा कि महाराष्ट्र सरकार में मिलता है उस तरह का कोई प्रावधान है। कम से कम दो सौ रुपये का प्रावधान होता जिससे शिक्षित बेरोजगारों को कोई उम्मीद बंधती। रोजगार के कोई भी अवसर मुहैया नहीं कराती हैं यह व्यवस्थाएं।

बढ़ती हुई जनसंख्या तो एक बात है लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सरकार को घटते हुए जन उपयोगी साधन की तरफ भी देखना चाहिये। घटते हुए जन उपयोगी साधनों में भूमि का सुधार, पानी का विकास और खनन शक्ति के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन तीनों चीजों पर घटते हुए जन उपयोगी साधनों पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। न तो पानी जो कि कम पड़ता जा रहा है, अधिक से अधिक वर्षा के पानी को कलेक्ट करके ह्यूमन रिसोर्सेज के काम आ सके, ड्रिंकिग वाटर के काम आ सके, एग्रीकल्चर के काम आ सके, राजस्थान के बरसात के पानी की बूंद-बूंद को बचाने के लिये कोई भी नीति नहीं बनायी गयी है। न तो एनीकट की व्यवस्था है और न ही ग्राम पंचायत के साथ ग्राम तालाब की योजना बनायी गयी है। ऐसी स्थिति में जबकि राजस्थान त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है, बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि सिचाई और पानी की व्यवस्था की जाय। कितना अच्छा होता कि हर ग्राम के साथ, ग्राम पंचायत के साथ ग्राम तालाब की व्यवस्था होती और अभियांत्रिकी विभाग से यह होता कि सारे गांव का पानी ढलाई से बहकर ऐसे भू-भाग में इकट्ठा हो जाय जहां प्राकृतिक रूप से जल एकत्रित हो सकता है। इससे पानी का भराव होता। पशु तो पानी पीते ही, आस-पास के कुओं में पानी का जल स्तर ऊंचा होता और ड्रिंकिग वाटर की फेसिलिटी होती।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में किसानों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। आज यदि एक किसान दस हार्स पावर की मोटर लगाकर कुएं का कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको 42,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं जबकि एक इण्डस्ट्रियलिस्ट कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको 6-7 दिन में कनेक्शन मिल जायेगा और उसको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसानों को एक पोल के लिये दस हजार और दो पोल के लिये अठारह हजार देने पड़ेंगे। दो पोल के लिये 18,000 के अलावा एक हार्स पावर की मोटर पर ढाई हजार रुपये देने की व्यवस्था है। इस प्रकार इस बजट में दस हार्स पावर की मोटर के लिये 25,000 रुपये सिक्योरिटी राशि देनी पड़ेगी और दो पोल के लिये 18,000। तो 40,000 रुपये खर्च करने पर राजस्थान का गरीब किसान बिजली ले सकता है, यह व्यवस्था है। इस बजट की उपादेयता से आज वर्ष 1985 के लोग जो कनेक्शन की लाइन में खड़े थे, उनको बिजली देने के लिये पूरे बजट में, पूरे विनियोग विधेयक में पूरी धनराशि की चाहत की गयी है लेकिन इसमें कोई भी मेन्शन नहीं है कि किस तरह से 85-86 के कृषकों को बिजली मुहैया होगी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

आज हमारे समाज के पर्यावरण में कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है। आज की तारीख में जो सरकारी कर्मचारी हैं, तन्त्रिका तन्त्र के अंग हैं उनको सरकारी प्रोटेक्शन है। उनको मेडिकल भी मिलता है, सी. एल., पी. एल. भी मिलती है। उनको बोनस भी मिलता है, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलेंगे लेकिन एक आम आदमी को सरकार किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसके जीवन की क्या सुरक्षा है। यदि उसको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे बाई पास सर्जरी है या कोई भी, सरकार में कोई व्यवस्था है इसके लिए ? वेलफेयर स्टेट होने के कारण भी आम नागरिक को सरकार प्रोटेक्शन नहीं दे रही है इसलिए सारे प्रोटेक्शन तंत्रिका तन्त्र में स्थापित सरकारी कर्मचारियों को ही लाभान्वित कर रही है, इस व्यवस्था के कारण। इसलिए आज यह झुकाव और रुझान है कि सरकारी सेवाएं मिलें। आज हरेक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति की यही चाहत है। समाज में इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्राइवेट व्यक्ति भी अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर सकें। उनको जीवन सम्बन्धी कोई भी सुरक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इसके अलावा इस सरकार का जो बजट है इसमें सारी ठेके की व्यवस्था की गयी है। कचरा उठाने का ठेका, अस्पतालों में सफाई का ठेका, चुंगी का राजस्थान में जगह-जगह ठेका, सचिवालय में टंकण का ठेका, नगर निगम में बिजली की व्यवस्था का ठेका। तो यह सरकार कर्मचारियों पर आधारित होते हुए भी ठेके की व्यवस्था से, ठेकेदारों को लाभ कराने की दृष्टि से काम करना चाहती है जिससे आज समूचे राजस्थान में कर्मचारियों का मनोबल गिरा है। वर्तमान व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिरा है उनमें अकर्मण्यता बढ़ी है, ढिलाई बढ़ी है। आज बीस पर्सेण्ट से ज्यादा कोई भी कर्मचारी इस तन्त्र को सक्रिय योगदान नहीं दे रहा है। सब व्हाइट एलिफेंट बने हुए हैं। आप बार-बार कहते हैं इन्फास्ट्रक्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आपने किया है। आज सरकारी कर्मचारियों को यह विश्वास हो गया है कि यह बजट रखने वाली सरकार, यह वर्तमान सरकार जो सत्ता में है वह ठेके की व्यवस्था पर आधारित कर अपने कार्यक्रमों को अन्जाम देना चाहती है, अपना निष्पादन करना चाहती है। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारियों का मनोबल पूरा टूट गया है। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : रिपीटेशन कम करें, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिजली के बारे में मेरा पुनः निवेदन करना यह है कि वर्ष 1985 से लेकर आज तक जितने भी कनेक्शन्स पेंडिंग हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण जनता में, ग्रामीण कस्बों में बहुत असन्तोष है।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इसके अलावा यह भी कहना है कि राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्री कार्पोरेशन जो हैण्ड पम्प बनाता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग-अलग इक्विपमेंट और अलग-अलग एपरेटस बनाता है उसको मात्र दस करोड़ के घाटे के कारण बन्द करने की सिफारिश राज्य सरकार ने की है। इसके अलावा तिलम संघ को भी बन्द करने की सिफारिश की है। लेकिन इसके कारण में नहीं गये। आज एग्रो इण्डस्ट्री के जो कर्मचारी हैं जिनकी आगे की सर्विस कण्डिशन है उनका क्या होगा? बगैर सोचे हुए सरकार ने एक पक्षीय निर्णय लिया। या तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती या कोई अमालगेटेड प्रोविजन होता। राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्री को वाइण्ड-अप करने से पहले कोई भी प्रोवीजन इसके अन्तर्गत इनके कर्मचारियों की सेवायें भी समाप्त नहीं होती और हैण्ड पम्प बनाने के कार्य भी होते रहते। आज इनके असेट्स इतने बाकी हैं यदि उनको वाइण्ड-अप कर दिया तो इनकी असेट्स को यह सरकार हाइएस्ट बिडर को बेच कर लाखों करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचा देगी। ऐसी स्थिति में विनियोग विधेयक को मैं किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करता और न ही इसके करने के पक्ष में हूं। धन्यवाद।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995

विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर अग्रेतर विचार प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार, खण्ड (2), प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड (2)

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :– विधेयक के खण्ड (2) में अभिव्यक्ति "विद्यमान खण्ड (3) के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के स्थान पर" के पूर्व अभिव्यक्ति", उसके परन्तुक (2) और (3) को छोड़ कर अन्तः स्थापित की जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपने यहां पर साइक्लोस्टाइल करके अमेण्डमेंट नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : It has been circulated earlier. माननीय श्री शिवनाथसिंहजी

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)। श्री रामनारायणजी चौधरी (अनुपस्थित)। माननीय श्री विष्णुजी मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि इन्होंने सर्क्यूलेट कर दिया। बात सीधे मुद्दे की है, मैंने पहले भी यह कहा था कि यह सरकार इस सदन को बाईपास करने की नीयत रखती है।.... (व्यवधान) आप सुन लें। कोई भी नीति ,आज तक लेकर आये वह इस सदन में डिस्कस नहीं हुई। यह इस तरह के आर्बिट्रेरी पावर्स जब आपकी मर्जी आये तब आप बढ़ा देंगे। 40 साल में जो व्यवस्था चल रही थी, जब भी यह बढ़ाया गया, इसमें एक मैग्जीमम लिमिट थी और सदन के अन्दर लाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा कोई कानून नहीं है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और इससे क्रॉस सेक्शन आफ दी सोसाइटी के लोग प्रभावित होंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इसका संशोधन यह करें कि जब भी बढ़ायेंगे तो इमीजिएटली जो नैक्स्ट सैशन होगा उस पर टेबल करेंगे और उसके ऊपर विचारार्थ डिस्कशन होंगे तब जाकर कहीं गाड़ी चलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदीजी ने आशंका व्यक्त की है वह गलत है। वह इसलिए गलत है कि इसके बाद भी सरकार बढ़ायेगी, अधिसूचनाएं जारी करेगी वह सारी अधिसूचनाओं की प्रति सदन की टेबल पर रखी जायेंगी और वे हमेशा इस सदन के विचारणीय होती हैं। टैक्स लगाने का असीमित अधिकार सरकार को प्राप्त है। लेकिन असीमित अधिकार का सरकार कभी भी प्रयोग करती नहीं है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक छोटा सा नियम है और इस बारे में हमेशा अधिसूचना सदन के पटल पर आती है और पहले सैशन में आती है उन पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कोई अधिकार सरकार प्राप्त नहीं कर रही है जिसके कारण यह समस्या आ रही हो। अतः अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार किया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, अधिसूचना तो हरेक में आप निकालते हैं और फिर यहां रखते हैं लेकिन आज तक उन पर विचार नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अधिसूचनाओं पर कई बार विचार हुआ है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक बार भी नहीं हुआ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल एक इतना बड़ा राज्य उपक्रम है या विद्युत मण्डल है या बोर्ड है उसके कार्यकलापों के ऊपर आज तक विधान सभा के अन्दर चर्चा नहीं हुई है।

श्री प्रसंग कुमार जैन : चर्चा हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच तारीख को फिर हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के कार्यकलापों की चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अनंग कुमार जैन : पांच तारीख को हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : यहां पर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति के ऊपर आप चर्चा पांच तारीख को करा रहे हैं। आज तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की बैलेन्स शीट पर डिस्कशन नहीं हुआ है। आज तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लेखा-जोखा के ऊपर इस विधान सभा के अन्दर कोई चर्चा नहीं हुई है। आप इन अधिसूचनाओं के जरिये राजस्थान के क्रॉस सैक्शन आफ दी सोसाइटी के लोगों के ऊपर आप इस तरह से अनलिमिट टैक्स लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, धीरे-धीरे बोलें थोड़ा, सांस चढ़ जाता है, मुझे बहुत चिन्ता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आवेश इसलिए आया इस सरकार की बदनीयती पर।... (व्यवधान) जब राजस्थान विधान के अन्दर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत थे तब मैं इस सदन का सदस्य बन कर आया तो मुझे यह उम्मीद थी कि वे इस सदन के नेता हैं और उनसे सदन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ चर्चा करने को मिलेगी लेकिन भैरोंसिंह शेखावत को मैंने देखा है पिछले सवा साल के अन्दर कि वे इस विधान सभा से दूर ही रहना पसन्द करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें स्पेसिफिकली क्लाज डाल दीजिये कि जब भी रेट बढ़ायेंगे इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के तब वे इस विधान सभा के पहले सत्र में उसको रखेंगे और उस पर चर्चा होगी।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेण्डमेंट के माध्यम से कोई नया शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है चूंकि सीमा हाइएस्ट हो चुकी थी इसलिए राज्य सरकार सिर्फ अमेण्डमेंट के माध्यम से यह लाना चाहती है कि जब कभी विद्युत शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार बढ़ा सके।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय पुष्कर से आने वाले सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि जब-जब भी बढ़ायेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं रखा जायेगा। हमेशा इस सदन की परम्परा रही है कि जो भी नोटिफिकेशन्स जारी किये गये हैं उसको सदन के अन्दर रखा गया है। इसलिए माननीय सदस्य जब भी आप चाहेंगे उन नोटिफिकेशन्श के ऊपर चर्चा हो सकती है। इसलिए सरकार की कहीं बदनीयती नहीं है बल्कि सरकार सिर्फ इस अमेण्डमेंट के माध्यम से यह चाहती है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति बदले या ऐसी परिस्थितियां बनें जिनके अन्तर्गत सरकार को बाध्य होना पड़े या सरकार को कोई मामूली ड्यूटी बढ़ानी पड़े तो सरकार उस समय शुल्क बढ़ा सके। इस बिल को, इस अमेण्डमेंट को लाने का यही उद्देश्य है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह तो हम लोगों ने मांग करी और भला होगा माननीय चौमूं से आने

(श्री जुबेर खान)

वाले सदस्य का कि उन्होंने सपोर्ट किया और डेफर हो गया । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी-अभी आप एक अमेण्डमेंट लेकर आये हैं, In clause 2 of the Bill, after the existing expression 'existing section 3' and before the expression 'the following', the expression 'except its provisions (2) and (3)' be inserted. माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है । अगर यह बिल पास हो जाता है इस अमेण्डमेंट के बगैर तो क्या स्थिति होती, इस लेजिस्लेचर की ? आप मन्त्री महोदय यह खुलासा करिये कि इस बिल को, इस अमेण्डमेंट को लाने की आज जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : मैं बता रहा हूं····

श्री जुबेर खान : आप क्यों बता रहे हो, मन्त्री महोदय को बताने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय वी. पी. सिंहजी, बिराजिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, माननीय विष्णुजी ने और माननीय जुबेर खानजी ने यह बात कही कि आपको बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गयी जब आप बढ़ायेंगे तब विधान सभा के सामने फिर से आप आ जाइये । मेरा एक निवेदन है कि जब हम ओपन ग्लोबल के अन्दर ··

श्री जुबेर खान : माननीय वी. पी. सिंहजी, अभी-अभी जो लेकर आये हैं मैं उस अमेण्डमेंट की कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । पहले सुन लें ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जब ओपन ग्लोबल टेण्डर फ्लोट करने जा रहे हैं और जब बाहर की कम्पनीज आयेंगी और कहेंगी कि आप तो रेट बढ़ा ही नहीं सकते, यह प्रोविजन भी नहीं है । तो हम लोग जब आ रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा इसलिए यह अमेण्डमेंट ला रहे हैं और कुछ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह सब वर्ल्डवाइल्ड थिंकिंग के आधार पर है । माननीय सदस्य, आप बिराजें ।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इंटेंशन बिलकुल क्लियर था, वह सिर्फ लिमिटेड अमेण्डमेंट लाना चाहती थी कि जिसके माध्यम से उसको पावर मिले और जब कभी परिस्थिति-वश अगर ड्यूटी बढ़ानी हो, तो बढ़ा सके । बाकि एग्जम्पशन्स वाले जो क्लॉज थे, उन क्लॉज को राज्य सरकार एज इट इज रखना चाहती थी । लेकिन चूंकि गलती से वह क्लॉज इसमें एड नहीं हो सके इसलिए इस अमेण्डमेंट को लाना पड़ा । माननीय सदस्य ने खुद इस बात का सजेशन दिया था, अगर अच्छा सजेशन है तो राज्य सरकार ने मान लिया तो इसमें बुराई की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : वाह-वाह-वाह, आज तो जुबेरजी के ही नाम हो गया ।

श्री अनंग कुमार जैन : बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने जो सजेशन दिये, उनको हमने मान लिया है और उसके आधार पर अमेण्डमेंट ले आये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री विष्णुजी मोदी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बोलना रह गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह : कानून पास हो रहा है। अगर कानूनी बात हो रही है तो उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद एक सुझाव हमारी तरफ से आया कि इस बिल को थोड़े समय के लिए डेफर कर दिया जाये और बातचीत के बाद उसमें कुछ संशोधन हो सके तो किये जायें। अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं तो इस उम्मीद में था कि माननीय मंत्री जी, जो सवाल हमने उठाये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ विचार-विमर्श करेंगे और कुछ बतायेंगे। एक गलती तो इनकी तरफ से भयंकर रह गयी थी, हम पछता रहे हैं कि उस गलती को क्यों हमने इनके ध्यान में दिलाया। यदि इस गलती की तरफ ध्यान नहीं दिलाते तो भयंकर पाप होता। इस बिल के अन्दर... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : इसमें पछताने की क्या जरूरत पड़ी माननीय, हम सब राजस्थान स्टेट के बेटर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं इसलिए पछताने की कोई जगह नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन जो आप लाये उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस बिल के अन्दर इस

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रकार की कई बातें हैं, जैसे खास तौर से किसानों के सम्बन्ध में है। पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से किसानों से 5 पैसा प्रति यूनिट आप ले सकते थे, दूसरे कंज्यूमर्स से आप 15 पैसे के हिसाब से ले सकते थे। आज आप जो प्रोवीजन ला रहे हैं अमेंडमेंट में, इसके द्वारा जिन किसानों के पास मीटर नहीं है, जिनके पास फ्लैट रेट है, उनसे आप 5 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ले सकते थे, उसके बजाय आप इतने अन-लिमिटेड पावर्स ले रहे हो, चाहे जितना आप उनसे ले सकते हैं और माननीय मंत्रीजी आपको भी मैंने निवेदन किया था कि इस बिल में जो इस प्रकार के प्रोवीजन हैं, यह कोई जरूरी नहीं है कि एक मंत्री सब चीजों का जानकार हो। आपकी काबिलीयत को मैं जानता हूं, आपमें पूरा विश्वास व्यक्त करता हूं लेकिन हमारी जो समस्याएं थीं उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, न आपके बिजली बोर्ड के सदस्यों ने और न आपके विभाग के अधिकारियों ने। यह बहुत बड़ा भयंकर अन्याय होगा काश्तकार के लिए कि जिससे आप 5 पैसे प्रति यूनिट के चार्ज कर सकते थे उससे आप अन-लिमिटेड चाहे जितनी ड्यूटी आप ले सकते हैं। यह बहुत बड़ा भयंकर प्रोवीजन है।

इसलिए माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो फैर्फ्ड स्टेज आपने रखा था उसमें इस प्रोवीजन को देख कर, थोड़ा सलाह मशविरा करके माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के ध्यान में लाकर के बाद में कर लीजिये। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना यदि इस रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं तो कतई इस बात में विश्वास नहीं करता कि आप कोई किसान के लिए राहत देने की बात तो दूर रही, उसकी जो स्टेटस आज के दिन है उसको भी आप रखना चाहते हैं। आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है, आज किसानों के लिए बिना मतलब के ऑडिट के नाम पर 5-5, 7-7 साल के बिल बकाया निकाले गये हैं, जो कानूनन आप वसूल नहीं कर सकते। आपके जो रूल्स हैं उनमें दो साल से अधिक के ऑडिट के नाम पर कोई बिल या रुपया आप वसूल नहीं कर सकते। आपने हजारों काश्तकारों को कोर्ट के अन्दर धकेल दिया है। एक करोड़ रुपये की मांग मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लिए करता हूं। वहां के काश्तकारों के लिए आपने ऑडिट के नाम पर एक करोड़ रुपये का जो बकाया निकाला है। इस बात को हम कैसे गांवों में जाकर समझा सकते हैं? इसलिए माननीय मंत्रीजी, अब भी आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि ऊर्जा मंत्रीजी से कंसल्ट करके और अपने विभाग के लोगों से कंसल्ट करके इस प्रोवीजन को आप दिखायें और इसमें सुधार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय सचेतकजी, अपनी किताब कृपया निकाल लीजिये। रूल 80 एण्ड रूल 85 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम कानून पास करने जा रहे हैं। राजस्थान का यह सदन अगर कानून पास करते वक्त ही अपने नियम व कानून की अवहेलना करे तो शायद यह ठीक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, पहला बिन्दु यह है कि आपने खण्डशः यहां

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पर स्वीकृति तो प्राप्त कर ली लेकिन खण्ड के पारित होने के पश्चात् वह खण्ड आपके विधेयक का अंग अभी तक नहीं बने। अगर मैं कहूं कि आपने पूर्व में भी जो भी बिल यहां पास करवाये हैं, उनमें भी सदन से स्वीकृति प्राप्त ही नहीं की है, वे विधेयक के खण्ड जो भी पास हुए हैं, वे विधेयक के अंग बने या नहीं, सदन की स्वीकृति के पश्चात् ही वह खण्ड तत्सम्बन्धित विधेयक के अंग बन सकते हैं। मैं रूल 80 की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। विधेयक का खण्डशः रखा जाना कि इस नियम में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, स्वीकार हो गया हो, विधेयक को या विधेयक के किसी भाग को खण्डशः सदन के सामने रखेगा। अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग पुकार सकेगा और जब सम्बन्धित संशोधन निपटा दिया गया हो, प्रश्न रखेगा कि यह खण्ड विधेयक का अंग बने, इन्वर्टेड कोमा में है।" अध्यक्ष महोदय, आप बाध्य हैं सदन से स्वीकृति लेने के लिए कि इस खण्ड को इस विधेयक का अंग बनाया जाये या नहीं। इसलिए एक जो कमी रही है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरा, रूल 85 की तरफ, रूल 85 के अनुसार अध्यक्ष महोदय, जिस बिल के अन्दर कोई अमेंडमेंट आप लेकर आते हैं, वह बिल नियम के अनुसार उसी दिन पारित नहीं हो सकता। आपने बिल प्रस्तुत किया, सक्यूलेट कर दिया और आज ही आपने एक अमेंडमेंट और सक्यूलेट किया। आप रूल 85 को पढ़ लीजिये, उसके हिसाब से यह बिल आज पारित नहीं हो सकता। यह बिल आपको कल पारित करना पड़ेगा। रूल 85 देख लीजिये 85 (2). Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill, as amended, be passed shall not be moved on the same day...." It shall not be moved on the same day. "शैल" कंडीशन लगायी हुई है, यद्यपि आगे दिया हुआ है—

"... on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसको अलाऊ करते हैं तो सदन को यह जानने का अधिकार है, सदन से इसकी परमीशन पूछी जाये और सदन को आप इसके लिए बतायें कि आप क्यों अलाऊ कर रहे हैं, यह भी सदन को जानने का अधिकार है इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह रूल 85 के अन्तर्गत इस बिल को आज पारित नहीं किया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही छोटी बात को लेकर कि राज्य सरकार जो विद्युत शुल्क लगाती है, उसकी अधिकतम सीमा है और उस सीमा तक अब शुल्क पहुंच चुका है तो उसको बार-बार दो पैसे बढ़ायें फिर उसके लिए बिल लाओ, चार पैसे बढ़ायें फिर उसके लिए बिल लाओ, इसकी बजाय एक सीमा सरकार अधिसूचना के द्वारा बढ़ा सके, इस प्रकार का अधिकार ले रही है। इस बिल में कहीं भी यह नहीं है कि सरकार किसानों पर बहुत बड़ा शुल्क लगा देगी, सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है और भारत सरकार ने भी इस प्रकार का आदेश राज्यों के सभी बिजली बोर्डों को दिया है कि वे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस प्रकार का संशोधन करके अपना बिल रखें ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनसे बात करने पर जो कम्पनियां लगाते हैं। आप 43 सौ मेगावाट बिजली पैदा करोगे, 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करोगे और 6 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बिजली का उत्पादन करने वालों को आपको देना पड़ेगा तो आपके कानून–कायदे और नियमों में इस प्रकार का संशोधन तो आपको करना पड़ेगा, जिससे लोगों को लगे कि आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा बढ़ा दिया जायेगा।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि यह संशोधन है इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और सदन में बैठकर बात करते हैं। यह गलती थी, आपने इंगित कर दी और सत्ता पक्ष ने मान ली और गलती को स्वीकार कर लिया। मन्त्री महोदय ने मानकर उसमें सशोधन कर दिया। मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि बिल जो उसी दिन पेश किया जाता है साधारण नियम है कि वह उसी दिन पारित नहीं किया जाता लेकिन अध्यक्ष महोदय उसमें नियमों के अन्तर्गत छूट दे सकते हैं और उस छूट के लिए सदन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय को स्वविवेक से पूर्ण अधिकार प्रक्रिया में प्राप्त हैं और स्वविवेक से उसमें छूट दे सकते हैं। इसलिए जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है और जो इन्नोसेंट संशोधन है इसके लिए आपने स्वीकृति दे दी। इसमें नियमों का पूर्णतया पालन हुआ है इसलिए माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने बात उठाई है वह मान्य नहीं हो सकती।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम बात सामने आयी है ...

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने जो बात उठायी है उसके लिए मन्त्री महोदय ने तो प्रस्ताव ही नहीं किया है। डिमाण्ड ही नहीं की।

श्री महावीरप्रसाद जैन : प्रस्ताव किया है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपने नियमों की छूट 306 में मांग ली क्या ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 306 के अन्तर्गत तो अध्यक्ष महोदय छूट देते हैं और अध्यक्ष महोदय ने छूट दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपका कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। चैम्बर में कोई प्रस्ताव नहीं आता है। प्रस्ताव सदन में आता। .... (व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : एक तो जो खण्ड है वह इसका पार्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सचेतक महोदय यहां कुछ भी कहना चाहें। अभी जो अमेण्डमेन्ट सर्कुलेट किया गया है उसकी इजाजत आपसे नहीं ली गयी है। आपको अधिकार है कि आप इजाजत दे सकते हैं वह आज की आज पारित किया जाये। लेकिन दोनों बातें जो लक्ष्मणसिंह जी ने उठायी हैं वह दोनों रूल्स से सम्बन्धित हैं और उसको लाइटली इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी इनएफीशियेन्सी को आप लाइटली इधर उधर मत कीजिए। अपने आप में झांककर देखिये कि कानून बनाने से लेकर मतलब इस सरकार ने

(श्री विष्णु मोदी)

जितने भी कानून बनाये हैं इस बार आने के बाद में एक भी ऐसा कानून नहीं था जो कि परफेक्ट था। सब डिफेक्टिव थे। उनमें ट्रान्सलेशन मिस्टेक्स, लेंग्वेज मिस्टेक्स और उसके अन्दर पारित करने में मिस्टेक्स हैं और माननीय तिवाड़ी जी ने इस स्टेज पर इस बिल के पास होने के इस स्टेज पर यह कहा है कि यह बहुत अहम मुद्दा है कि 18 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेन्ट होने वाला है। सरकार 6 हजार करोड़ रुपये की बिजली सालाना खरीदेगी इसलिए भारत सरकार ने यह निर्देश दिया है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मेरी बात सरकार को पूछो ना।

श्री विष्णु मोदी : आपने जो अभी बात कही है एक अहम मुद्दा है।... (व्यवधान)... एक मिनट सुन लीजिए। क्या सरकार की नियत अभी जो फारेन इनवेस्टमेन्ट नहीं आया है उसके पहले ही जो 18 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेन्ट एनवीसाज है उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ...

श्री बिजयेन्द्रपाल सिंह : आपका क्या मतलब है कि यह वाटर और बिजली ऐसे ही मिल जायेगी। बिजली कैसे बनती है 18 हजार करोड़ का इनवेस्टमेन्ट होगा तभी तो बिजली मिलेगी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कैसे पैदा होगी मुझे इनसे जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त सदन में जो चर्चा का विषय है वह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने का है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने के बाद इस सरकार के बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य श्री तिवाड़ी जी ने कहा कि यह कानून हम इसलिए लेकर आये हैं कि आगामी सालों में इतना इनवेस्टमेन्ट आने वाला है और इतनी फारेन कम्पनीज बिजली पैदा करने वाली हैं और इसके लिए यह ड्यूटी भारत सरकार ने कहा है कि आप अपने कानूनों में संशोधन करके इस तरह से बढ़ाइये। तो मैं आपके माध्यम से इस बिल को पारित कराने से पहले जो श्री घनश्याम जी ने बात कही है उस पर माननीय मन्त्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय मन्त्री जी ने जो खण्ड रखे हैं वह सही हैं। आप जो + + + रख रहे हैं यह सही नहीं है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने जो आब्जेक्शन किया है उसके बारे में व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय देंगे उससे पहले मैं निवेदन यह करना चाहता हू कि यह स्टेज जैसा कि लक्ष्मणसिंह जी कहा कि आसन की अनुमति से यह अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है और उसके बाद वह मूव मान लिये गये हैं और उसके बाद वह स्वीकार होंगे। अब तो पारित करने की स्टेज है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री विष्णु मोदी : घर की दुकान है क्या कि पेश किया गया, मान लिया गया और पारित कर दिया गया। क्या आपने अध्यक्ष महोदय की अनुमति हाउस में ली? घर की दुकान है क्या ?....(व्यवधान)....

श्री महावीरप्रसाद जैन : हाउस में जो परम्परा रही है... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं रूल 82 की पालना की और उसके बाद में आपके रीजन्स देने के बाद ही परमीशन मांगेंगे। हम मानते हैं कि अध्यक्ष जी को पावर्स हैं। अध्यक्ष जी को सुप्रीम पावर्स हैं ...

श्री महावीरप्रसाद जैन : यह सरकुलेट भी कर दिया गया है।

श्री विष्णु मोदी : बात सरकुलेशन की नहीं है। बात यह है कि इस अमेन्डमेन्ट को आपने मूव करने के बाद में उसी दिन पारित कराने के लिए माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने दो बातें कही हैं। एक तो अमेन्डमेन्ट जिस दिन होता है जनरली वह बिल उस दिन पास नहीं किया जाता है ...

श्री महावीरप्रसाद जैन : उसी दिन पास होता है, ऐसी परम्परा रही है....

श्री विष्णु मोदी : ....अनलेस कि स्पीकर उसको स्वीकार करे। आपने यह कर दिया, वह कर दिया क्या घर की दुकान है। लेजिस्लेशन, कानून बनाने जा रहे हैं, आप हाउस के अन्दर हाउस के तरीके से बात करें, रूल्स के तरीके से बात कीजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह चूने पत्थर की दुकान नहीं है, विधान सभा है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : ....जहां सरकुलेट भी नहीं हुए हैं और केवल मौखिक अमेन्डमेंट प्रस्तुत किये गये हैं उस समय डाइरेक्ट अमेन्डमेंट में भी स्वीकृति देकर उसी दिन पास करवाये हैं और मैं उस सम्बन्ध में व्यवस्था सुनाना चाहता हूं....

श्री शिवनाथ सिंह : उसे हम मना नहीं कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है। उसी दिन का है, हम मानते हैं यह सदन को अवगत नहीं है ...

श्री महावीरप्रसाद जैन : अवगत है।

श्री विष्णु मोदी : वह तो आपने सरकुलेशन किया है। अनुमति नहीं मांगी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पास कराने के लिए आपने अनुमति नहीं मांगी अध्यक्ष महोदय से।

श्री विष्णु मोदी : आप फिर इधर से उधर कर रहे हैं। कहां दी ?... (व्यवधान)..

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो सवाल उठते हैं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वयं ने इनसे कहा था कि आप संशोधित रूप में प्रस्ताव कर रहे हैं। अब प्रस्ताव करें। अनुमति दी तभी तो मैंने यह कहा था।.... बिराजें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अर्ज करूंगा अनुमति के दो हिस्से हैं ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया गया ।

डा. शंकरलाल कपासन–आप विनियोग विधेयक पर बोलें ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1995

डा. शंकरलाल मानूदा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और उसके बाद में बजट एलोकेशन जिस तरह से बढ़ा, 300 करोड़ रुपये से लेकर 1100 करोड़ हुआ, फिर 1750 करोड़ हुआ और उसके बाद में 2400 करोड़ से भी ज्यादा और अब जाकर जो अगला वार्षिक बजट होगा वह 3000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का होगा, ऐसी सम्भावना है । इससे स्पष्ट है कि जो आर्थिक तन्त्र है उसको बहुत ही एवरलीडरशिप मिली है और उसकी वजह से विकास की गति बहुत द्रुत गति से आगे चल रही है । मेरा निवेदन है कि इतना सब कुछ होते हुए भी कई बातें ऐसी हैं कि जो अवधारणा बजट और विकास के बारे में पिछली सरकार ने बनायी थी उससे हम अभी बाहर नहीं निकल पायें हैं । विकास के माने क्या हैं ? यह अगर गावों में जाकर विचार करें तो सही तरह से समझ में आयेगा । लोगों का विकास कैसे हो, एक अनपढ़ आदमी को क्या बना सकते हैं और जो बाहर से हमारी मल्टी नेशनल्स कम्पनीज आ रही हैं उससे मुकाबला हमें करना है और उनका कोई रोल होगा ? उसको अच्छा मैनेजर बना सकते हैं ? अच्छा इन्जीनियर, टैकनोक्रेट या कोई एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं ? आखिर क्या बन सकता है ? अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, आखिर उससे आप क्या उम्मीद लगाते हैं ? हम उन लोगों से, दूसरे देशों से लिबरलाइजेशन की लाइट में हमें जो मुकाबला करना है उसमें हमारे इस व्यक्ति की क्या भूमिका रहेगी ? हमे किस स्तर तक उसको ऊंचा उठाना है तब जाकर हम उनका मुकाबला कर पायें, इसमें हम अभी सही तरह से विचार नहीं कर पाये हैं ।

मेरा निवेदन है कि विकास की जो अवधारणा थी, विकास मेरे समझ में आया कि विकास दो तरह से होता है । एक तो सरकारी तन्त्र के माध्यम से जैसे बिजली, इण्डस्ट्रियलाइजेशन, सड़कें, रेल्वे, टेलिकम्युनिकेशन्स सभी आ गये, उसके माध्यम से देश का विकास होगा । इसमें कोई शंका नहीं है । दूसरा जो विकास का माध्यम बनेगा उसकी मूल इकाई मानव संसाधन है । वह अगर विचलित होगा, जो दुनिया का इन्टलैक्चुअल लेवल है उस लेवल तक पहुँचेगा तभी हम वास्तविक विकास कर पायेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । मेरा निवेदन है कि यह जो दोनों विकास की धाराएं हैं

(डा. शंकरलाल भानूदा)

उन दोनों में आपस में सम्बन्ध है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन फिर भी इसकी जो इकाई है वह निश्चित रूप से मानव रही है और मानव संसाधन ही इकाई होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। अब मेरा निवेदन है कि मानव संसाधन कैसा है यह तो गांव में जाकर देखने से या झुग्गी झोंपड़ी में जाकर देखने से पता लगता है कि हमारे विकास की धारा जो सरकारी तन्त्र से या और किसी तरह से हम विकास कर रहे हैं उनमें कितने परसेंट पापुलेशन का पार्टीसिपेशन है। हम कम्पेयर करते हैं कि जापान ने गेम्ज में इतने ज्यादा मैडल्ज लिये जब कि हमने कुछ भी नहीं लिया। 90 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है उसके बावजूद हम उनसे पिछड़ रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारी कितने परसेंट पापुलेशन उस स्तर की है। जापान के स्तर की है। यह तो एक उदाहरण है लेकिन विकास जो हो रहा है या डवलपमेंट की धारा है उसमें कितने लोगों का पार्टिसीपेशन है यह अगर हम देखें तो हम पायेंगे कि हम बहुत पीछे हैं। इसी वजह से हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अधिकांश लोग इस विकास की धारा से बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए हैं, अपनी अपनी अलग जिन्दगी जी रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक गांव गुढ़ा में गया था वहां की यह स्थिति थी कि वहां पर 40 साल से स्कूल है। 40 साल से स्कूल होने के बावजूद वहां पर एक भी बच्चा दसवीं क्लास पास नहीं कर पाया। सैकण्डरी लेवल तक जाकर के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब यह अगर हमारी स्थिति है तो उसका कारण क्या है? मैंने पिछले दिनों निवेदन किया था कि हमारा प्रजेन्ट एज्युकेशन सिस्टम इतना डिफेक्टिव है उसे हम उसी रूप में बढ़ाते चले जा रहे है और स्कूल खोल रहे हैं और चारों तरफ उसका विस्तार कर रहे हैं। लेकिन उनकी गुणवत्ता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि जो गुणवत्ता पहले थी वह और पीछे जा रही है, कम होती जा रही है। उसका कारण है इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो जाना और स्टेट कन्ट्रोल नहीं होना और परिवारों में शिक्षा का वातावरण नहीं होना, स्कूल स्कूल जैसा नहीं होना, स्कूल में एक टीचर पांच क्लासेस कैसे पढ़ा सकता है? यह उसके लिए असम्भव है। इसलिए स्तर नीचे जा रहा है और जाते चला जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इस सदन में विस्तृत चर्चा करने का समय भी नहीं है और हो भी नहीं सकती, मेरा आपसे और मुख्य मन्त्रीजी से नम्र निवेदन है कि इस पर एक सेमिनार रखी जावे जिसमें सभी एजुकेशनिस्ट्स जन प्रतिनिधि और सब लोग मिल बैठ कर आखिर विचार करें कि गांव गुढ़ा में बच्चे दसवीं क्यों नहीं पास कर पाते? इस पर जब तक विचार नहीं होगा जब तक वह हमारे मानव संसाधन विकसित नहीं होंगे, तब तक विकास की बातें करने मे मेरी समझ में कम सफलता मिलेगी, इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह मेरे को सन्देह है।

मेरा निवेदन है कि जो भी एज्यूकेशन सिस्टम नया आता है जैसे सबसे पहले यहां पर ब्रिटिशर्स आये, मैकाले ने अपनी नीति बनायी उसके बाद में उन्होंने जो एज्यूकेशन

(डा. शंकरलाल मानूदा)

सिस्टम इस सोसाइटी पर लादा उसको भी उन्होंने एक तरह से श्राश्रम या रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से उस श्रवधारणा को बनाया और चलाया । जहां मेरे गांव कपासन में वार्डन स्कूल था, वहां पर बच्चे या बच्चियां प्राकर पढ़ सकती थीं और पढ़े भी । जो विकसित सोसाइटीज थीं उन दिनों में उन्होंने वहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण की । उसी का परिणाम है कि वह पढ़े लिखे हैं सरकारी नौकरियों मे, एडमिस्ट्रेशन में सब जगह आगे हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, एस. सी., एस. टी. के लोग थे वह उस लेवल तक नहीं पढ़ पाये। इसके अलावा हमारी प्राचीन संस्कृति की शिक्षा किस तरह से होती थी उस पर भी विचार किया जाय । वह भी 25 साल तक बच्चा अपने घर से, परिवार से बाहर जाता था जबकि उस वक्त कई घरों का वातावरण, अभी जो वर्तमान वातावरण है, उससे काफी अच्छा था । फिर भी बच्चे को एकान्त में जगल में या आश्रम में जाकर के अपने गुरू के साथ में रहकर के शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी । इसी का परिणाम था कि उन दिनों में जो शिक्षा का स्तर था वह इन ऊंचाइयों तक गया कि उनकी पहिचान आज भी विद्यमान है । इसलिए मैं अपनी बात को जोर देकर कहना चाहूंगा कि रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करें, अनिवार्य शिक्षा लागू करें और हर पंचायत लेवल पर एक रेजिडेंशियल स्कूल बनायें, हर चार-पांच पंचायत लेवल पर एक सैकण्डरी स्कूल, हर पंचायत पर एक प्राइमरी स्कूल और हर पंचायत समिति लेवल पर एक रेजीडेंशियल 10 प्लस 2 स्कूल बने । ऐसा जब होगा तब जाकर के हम वास्तव में एज्यूकेशन सिस्टम को नीचे तक परकोलेट कर पायेंगे । यह जो अवधारणा है यह अभी कई मायनों में ऐसा लगता है कि सम्भव नहीं है, फण्ड्स के हिसाब से देखें । मेरा निवेदन है कि यूरोप में ज्यादातर देशों का बजट एलोकेशन है वह 20 परसेन्ट है । जैसे इटली का 19 परसेन्ट है, 21 परसेन्ट इंगलैण्ड का है जर्मनी का 23 परसेन्ट है । टोटल बजट एलोकेशन का एवरेज 20 परसेन्ट वहां पर शिक्षा पर खर्चा होता है जबकि हमारे देश के बजट का 3.5 परसेन्ट शिक्षा पर खर्च हो रहा है । इसी तरह राजस्थान के बजट का दस पाइन्ट समथिंग परसेन्ट शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं । तो पहले तो बजट एलोकेशन हमारी तरफ से बढ़ाया जा सकता है । दूसरा, जो इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूशंस हैं मदद ली जा सकती है । सभी इन्स्टीट्यूशंस जो परिवार नियोजन को सफल होते देखना चाहती हैं वह सब इसमें मदद देने के लिए तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

डा. शंकरलाल मानूदा : और भी कई संस्थाएं इसमें आगे आ सकती हैं अगर हम मदद लेना चाहें, अगर हममें पोलिटिकल विल हो, जो मैं मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय एक नेता नहीं बल्कि स्टेट्समैन हैं जैसा कि माननीय राजपाल सिंह जी ने कहा था, यह हकीकत है । अगर वह इस बात को धार लें तो ऐसा कर सकेंगे और मैं उनसे पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें और इसको सफल बनावें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुजी मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर जो वाद-विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है उसमें मैं अपने आपको शरीक करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार बहुत लम्बे अर्से बाद में मित्र मिले ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनें इनको, बहुत अच्छा मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप कहें और मामला अच्छा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आप दोनों ने गुफ्तगू करके ही बात कहने का प्लान किया होगा। फरमाइये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : सुई और डोर का सम्बन्ध है इनका।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 40 साल बाद दो दोस्त आपस में मिले। वे दोनों स्कूल, कालेज में साथ पढ़े थे। एक तो इकोनोमिक्स का प्रोफेसर बन गया और दूसरा इण्डस्ट्रियलिस्ट बन गया। 40 साल के लम्बे अन्तराल के बाद में जब वे मिले तो जो प्रोफेसर दोस्त थे वे इकोनोमिक्स का नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन के लिये पर्चा बना रहे थे तो उस पेपर को देखकर जो इण्डस्ट्रियलिस्ट था उसने कहा, "Professor, all the questions are same, which were existing 40 years ago." ये सब बातें तो वे हैं जो 40 साल पहले विद्यमान थीं। तो इकोनोमिक्स के प्रोफेसर ने कहा कि "my dear friend, in economics, the problems remain the same but the answers, from time to time, keep changing."

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजा–रजवाड़ों से मिलकर राजस्थान बना और जब से राजस्थान बना तभी से हमारे साधन सीमित हैं, हमारा दूर-दराज का क्षेत्र है, पीने के पानी की समस्याएं हैं ...

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : कांग्रेस में और कोई बोलने वाले नहीं हैं क्या ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह की वह बातें जो 40 साल पहले थीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विष्णुजी, आप मेरा एक जवाब दे दो कि आप इतने हिमायती हैं उदारीकरण नीति के, क्या यह सही नहीं है कि अमीर ज्यादा अमीर होगा इससे और गरीब ज्यादा गरीब होगा इससे ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : इनको अमीर ही रहना है, ये कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप ज्यादा अमीर होंगे और जो गैप है वह ज्यादा बढ़ता जायेगा। इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इकोनोमिक्स फ्रेण्ड की बात

(श्री विष्णु मोदी)

कहते हुए उसी बात पर आना चाहता हूं। जब से राजस्थान बना जब से हमारी जो समस्याएं हैं ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उसी के कारण....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं साहब इन्होंने बहुत टोका है। आपकी उदारीकरण की नीति के कारण ही आपका जो हाल हुआ गुजरात और महाराष्ट्र के अन्दर और सब स्टेट्स में, आज यह उदारीकरण की चार साल की नीति है कि आपने गरीब पर अपनी नीति बिलकुल ही छोड़ दी, साफ कर दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप हमारी उदारीकरण की नीति की अनुपालना क्यों कर रहे हो?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ये ज्यादा अमीर हो जायेंगे और हम तो वैसे ही रह जायेंगे लक्ष्मण सिंह जी। यह बात थी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान जब से बना और वह समस्याएं, वित्त अभाव, पीने के पानी का अभाव, वे आज भी ज्यों की त्यों बनीं हैं, कई बजट आये, हर साल आये, कुछ अच्छे कहलाये, कुछ अच्छे नहीं कहलाये लेकिन वे समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि चाहे सारे स्टेट्स में, माननीय वी. पी. सिंहजी कह रहे थे कि सैण्ट्रल की पालिसी से स्टेट इकोनोमी पर फर्क पड़ता है। सैण्ट्रल की किसी पालिसी से मैं समझता हूं कि स्टेट के फण्ड में, उसके साधनों में, खाली फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन से फर्क पड़ता है और नहीं पड़ता है। जहां तक केन्द्र सरकार की कोई नीति है उसमें डायरेक्ट स्टेट का कोई रिसोर्सेज....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इण्डस्ट्रियलाइजेशन की पालिसी पर फर्क नहीं पड़ेगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। इनको टोकें नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : लिबरलाइजेशन पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा? यह परकोलेट ही नहीं करेगा अपने स्टेट में। क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें अब।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमंडेशन से स्टेट के रिसोर्सेज में फर्क पड़ता है और भारत सरकार की कोई भी अगर नीति है तो कौनसी सरकार किस तरह से उसकी परिणति करती है यह उसके ऊपर रिजल्ट है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह आपकी ही सरकार है जिसने राजस्थान को दुहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : अगर राजस्थान का इतिहास अगली सदी में लिखा जायेगा तब उस शताब्दी में लिखा जायेगा कि राजस्थान की कांग्रेस ने राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट में, लोगों की माली हालत को सुधारने के अन्दर कितना काम किया है और जब-जब आपकी सरकार यहां सत्ता में आयी चार-साढ़े चार साल में, उस वक्त भ्रष्टाचार, जमाखोरी और इनएफिसिएंशी, नेग्लीजेंस और ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह देश का आर्थिक इतिहास ही नहीं, इस विधान सभा का इतिहास जब लिखा जायेगा तिवाड़ी साहब, तो कुछ मसखरों का नाम भी लिखा जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : और उस विधान सभा के इतिहास में कांग्रेस की सरकार ने इसको नियमों से चलाया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नियमों से चलाया, आदरणीय भाभड़ा साहब का मैंने एक स्पीच पढ़ा था जो कि उन्होंने स्पीकर्स कान्फ्रेंस में दिया और उसकी पीड़ा को पढ़कर मैंने और आपके जिन्होंने कहा है कि कार्यपालिका से 60 दिन, तीन सेशन चलाने के अन्दर कितना जूझना पड़ता है और वह सरकार, स्पेसिफिकली भाभड़ा जी ने कहा है ...

श्री अध्यक्ष : यह विनियोग विधेयक पर बहस हो रही है ?

श्री विष्णु मोदी : जो बात इन्होंने कह दी, मैं निवेदन कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की पालिसी से इण्डस्ट्रियलाइज़ेशन पर असर होता है लेकिन आज मैं जो निवेदन कर रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चारों तरफ स्टेट्स में, जितनी भी टैक्सेबल रेवेन्यू है वह मैक्सिमम आप्टिमम लेवल पर है, आज स्टेट्स में टैक्स पेइंग केपेसिटी जो टैक्स पेयर की है वह आप्टिमम है। तो आज हम कोई टैक्स बढ़ाकर हमारा रिसोर्स मोबिलाइज कर लें, यह बहुत मुश्किल बात है। एडजोईनिंग स्टेट्स में कोमोडिटी पर कितना टैक्स है....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विष्णु जी मोदी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया गया। केवल पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विष्णु जी मोदी दो-चार रोज से बाहर गये हुए थे और आज दो-चार घण्टे बोलने के चक्कर में हैं।

श्री अध्यक्ष : आठ मिनट और। 8 मिनट तक।

18.00

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1995

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि जो हमारी समस्याएं 40 साल पहले थीं वही समस्याएं आज भी हैं। उनका समाधान

(श्री विष्णु मोदी)

हम किस तरह से कर सकेंगे जब कि रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी और यह पार्टी कहती है कि हमने हमारी योजना का आकार इतना बढ़ाया है, योजना का आकार पहली योजना के आकार से इतने गुना बढ़ा। देश के अन्दर पचवर्षीय योजनाएं बनीं और दूसरी योजनाएं बनीं उनसे हमारा आकार इतना बढ़ा। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस योजना के आकार को बढ़ाने के लिए चूंकि बहुत बहस हो चुकी है, कर्जा लिया गया, आप कर्जा लें मैं कर्जा लेने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो कर्जा आप ले रहे हैं उसके बाद उसके कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लें (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने योजना का आकार बढ़ाया, टैक्स आप बढ़ा नहीं सकते हैं। नान टैक्स रेवेन्यू जब तक स्टेट में जेनरेट नहीं होगी तब तक हमारी योजना का क्रियान्वयन लोगों का इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों की माली हालत में हम सुधार नहीं कर पायेंगे। नान टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़े ... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने एक बात कही उसी के बारे में कि लोन लेना खराब नहीं, आपने कहा लेकिन जी. डी. पी. के किस लेवल पर लेना ठीक है, यह बता दें।

श्री विष्णु मोदी : जिस समय बजट पर चर्चा हुई थी (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्हें इधर–उधर नहीं होने दें। शैली जमी हुई है और उन्हें आप जी. डी. पी. पूछ रहे हैं और फिर पूछेंगे कि जी. एन. पी क्या है, और वह क्या है। बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : मैं वह माननीय श्री वी. पी. सिंहजी को व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा कि फिस्कल डेफिसिट के कितने पर्सेण्ट तक लोन लेना किसी की फाइनेंशियल हैल्थ तक ठीक होता है, यह मैं उनको भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बता देंगे, बता देंगे। आप बिराज जाएं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नान टैक्स रेवेन्यू कैसे स्टेट में बढ़े उसके लिए मेरा आपके माध्यम से इस सरकार पर आरोप है और स्पेसिफिक आरोप है कि पब्लिक सैक्टर अण्डर टेकिंग्स हैं, आज आप उदारीकरण की बात कर रहे हैं, कन्जूमर प्रोडेक्ट है, यह है, की बात करना चाहते हैं लेकिन कुल मिलाकर हमारी स्टेट में जितना पब्लिक सैक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ और उनकी पब्लिक सैक्टर्स की आज क्या स्थिति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सोच नहीं था उस सोच को भी हमारे आदरणीय श्री मथुरदासजी माथुर साहब जो लम्बे अर्से तक इस सदन के सदस्य रहे, मंत्री रहे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी और उस कमेटी की रिकमेण्डशंस हो गयीं लेकिन आज तक इस सरकार की कोई एप्रोच कि जो हमारी सिक यूनिट्स हैं, पब्लिक सैक्टर की, जो निरन्तर घाटे में चल रही हैं। और एक बात खाली पूरे बजट भाषण में पढ़ने को

(श्री विष्णु मोदी)

मिली कि राजस्थान रोडवेज से ये एम. ओ. यू. करेंगे । क्योंकि एक आदत इस सरकार के अधिकारियों की और खास कर माननीय मुख्य मंत्रीजी के जो भी थिंक टैंक्स हैं उनकी, कि कोई भी भारत सरकार या इधर–उधर से कोई भी शब्द आते हैं उनको अपने भाषण में कहीं न कहीं फिटिंग करने की कोशिश करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एम. ओ. यू. की बात 1985 में राजस्थान सरकार बात करती है पब्लिक सैक्टर से करने की, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1985 में सबसे पहले भारत सरकार के अन्दर जब माननीय श्री नवलकिशोर जी शर्मा पैट्रोलियम मंत्री थे तब उन्होंने ग्रायल कम्पनीज के साथ एम. ओ. यू. की और उनको अधिक स्वायत्तता दी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह दिन कहां अब ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल बाद में, चलो फिर भी मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं इस सरकार को कि 10 साल का लम्बा समय लगा इस बात तक पहुंचने में... (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक चीज मैं बता ही दूं इनको आपने यह कहा कि किसने गलती की, क्यों की, क्या किया तो मेरे को वह बात याद आ गयी है, शेक्सपियर ने कहा है The fault, dear-brutus is not in our stars but in ourselves.

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी मुबारकवाद देता हूं कि चलो 10 साल बाद में भी इस सरकार को ज्ञान आया और उन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से एम. ओ. यू. करने की बात कही ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान राज्य की तरक्की करना चाहते हैं, अगर राजस्थान में रहने वाले लोगों की माली हालत सुधारना चाहते हैं, अगर राजस्थान राज्य में 40 साल पहले से जो समस्यायें विद्यमान हैं, उनको आप हल करना चाहते हैं तो आपको नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी होगी, पब्लिक सैक्टर में जो कम्पनियां घाटे में चल रही हैं उनका आपको निस्तारण करना होगा, या तो आपको, उनको जैसे जयपुर मीटर्स को को-ग्रापरेटिव सैक्टर में दिया है, या उनका तुरन्त आप जब तक हल नहीं निकालेंगे, आपके पास जब तक एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम नहीं होगा तब तक आप राजस्थान को आगे नहीं ले जा सकते हैं । जब तक आपके अर्थ तन्त्र में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप नान टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कुशल वित्तीय प्रबन्धन की लम्बी-चौड़ी बात की जाती है लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं कि राजस्थान के किसी भी समाचार-पत्र के अन्दर टैक्स चोरी की बात नहीं छपी हो । मैं आपके माध्यम से इस सरकार पर आरोप तो है ही लेकिन इसके साथ-साथ मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि .. (व्यवधान)..

श्री रामप्रताप कासनियां : दिल पर हाथ रख कर कह दो कि आप चोरी नहीं करते हैं ? (व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : खैर मैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वह करों की चोरी रोके आज चाहे सैल्स टैक्स है, चाहे एक्साइज है, चाहे मोटर व्हीकल टैक्स है, चाहे माईनिंग टैक्स है और चाहे कृषि उपज मण्डी का टैक्स है, कोई टैक्स ऐसा नहीं है कि वह पूरा मिल रहा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर आज दुनिया के अन्दर एक सिद्धांत प्रतिपादित है कि Reduce the tax the revenue gets more. आज दुनिया भर के अन्दर यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि आप जब टैक्स की रेट घटायेंगे तो आपके टैक्स की रेवेन्यू का कलेक्शन ज्यादा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कि एक तो बजट बनाने का....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह तो आप श्री मनमोहनसिंह जी को सिखाओ कि जो वर्ल्ड के अन्दर 40 पर्सेंट ही है कारपोरेट टैक्स और अपने यहां पर 55 पर्सेण्ट हैं। यह उनको सिखाओ यह हमें क्यों लेक्चर दे रहे हैं ? (व्यवधान) ... सही बात है कि कारपोरेट टैक्स पूरी दुनिया के अन्दर 55 पर्सेण्ट कहीं नहीं है खाली हिन्दुस्तान में है और वहां 40 पर्सेण्ट से ज्यादा कहीं नहीं है। उनको सिखाओ ना कारपोरेट टैक्स के बारे में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं माननीय श्री वी. पी. सिंह साहब का, जब से श्री मनमोहनसिंह जी आये हैं उन्हें शायद जानकारी नहीं हो, तो इस सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि डा. राजा चेलैया ये फिस्कल एडवाइजर हैं, मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस, गवर्नमेंट आफ इण्डिया के और श्री मनमोहन सिंह जी ने, डा. राजा चेलैया ने जितनी रिकमण्डेशंस की हैं उनके सम्बन्ध में फ्लोर आफ दी हाउस कहा है In toto we accept the recommedations of Dr. Raja Challya. और उसको फेज्ड मैनर में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। श्री मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर के टेन्योर में यह टैक्स स्ट्रेक्चर कम हुआ है।.... (व्यवधान)....

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डा. राजा चलैया की रिकमण्डेशन में कारपोरेट टैक्स भी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपने यहां इस तरह का वर्किंग कल्चर भी डवलप करे।.... (व्यवधान).... मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा साहब शार्ट कर रहा हूं। यह सरकार एक कमेटी बनाये और उसके अन्दर खाली ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं हों इकोनोमिस्ट भी हों और अपने बजट के अन्दर जो फिस्कल डेफिसिट नहीं दिखाये और आने वाले समय में जब ये बजट लेकर आयें फिस्कल डेफिसिट दिखायें और उसके अन्दर लोन का रेशो बतायें।

(श्री विष्णु मोदी)

इसके अलावा एक कमेटी न कि खाली ब्यूरोक्रेट्स की हो जिसके अन्दर इकोनोमिस्ट हों उनकी रिकमण्डेशंस राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए, राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, राजस्थान के अन्दर आम आदमी की माली हालत कैसे सुधरे। हम बिजली पैदा करने की बात करते हैं, हम सड़क बनाने की बात करते हैं, हम स्कूल बनाने की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जरूरी हैं ही लेकिन इसके साथ में राजस्थान के रहने वाले किसान, मजदूर, आम गरीब आदमी हैं उनकी माली हालत सुधरेगी नहीं तब तक राजस्थान का विकास नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट और है अब।

श्री विष्णु मोदी : दो मिनट में खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय. I will finish within two minutes sir. बजट भाषण के पैरा 157 में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दें। बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री विष्णु मोदी : "मेरी यह सतत धारणा रही है कि राज्य के प्राकृतिक स्रोतों से उपलब्ध कच्चे माल का राज्य में ही अधिक मूल्य संवर्द्धन के विनिर्माण हेतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए।" मैं उनकी बात से शत-प्रतिशत सहमत हूं लेकिन इस बात को यहां आगे आकर खाली खाल, चमड़े तथा कच्ची ऊन तक ही सीमित कर दिया है। हमारे राजस्थान के अन्दर जो भी कच्चा माल है, उस कच्चे माल के ऊपर वेल्यू एडिशन हो, उसके अन्दर टोटेलिटी में यह बात हो तो मैं समझता हूं कि जस्टिफिकेशन की बात है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मेरी है कि एक दिन मुख्य मन्त्री जी खुद ही कह रहे थे कि चाहे जितने ग्लोबल टेण्डर हैं, उनके अन्दर कितने ही प्राइस रिड्यूस कर दो लेकिन उनके अन्दर फिर भी पैसे का सीक्रेट डिवाइस है। उसके अन्दर पैसा होता ही है। उसी तरह से जब भी किसी चीज को किसी लिस्ट में लिया जाता है या किसी लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। मेरा यह आरोप नहीं है कि उक्त व्यक्ति ने पैसा ले लिया लेकिन किसी भी चीज को किसी लिस्ट में लाने के लिए या उस लिस्ट से निकालने के लिए एक सर्टेन लोबीज होती हैं, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होते हैं और आगे आने के बाद में, बजट भाषण के 159 कालम में लिखा है, "राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में राज्य की वनस्पति विनिर्माता इकाइयों की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। विद्यमान स्थिति में सुधार की दृष्टि से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कम्प्लीट कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं, आपको पूरा समय दिया है ।

श्री विष्णु मोदी : मेरी दो बात सुन लीजिये । इसमें इस सरकार ने वनस्पति घी इकाइयों को ...

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब कह रहे थे कि आपको 8 मिनट ही मुझे देने हैं, अब 12 मिनट हो गये हैं ।

श्री विष्णु मोदी :... नेगेटिव लिस्ट में लायी हैं, मिल्क प्रोडक्ट इकाइयों को नेगेटिव लिस्ट में लायी हैं । कुछ दिन पहले जो इण्डस्ट्रियल पोलिसी लेकर आये थे, उसमें नेगेटिव लिस्ट नहीं थी लेकिन इस बजट भाषण के द्वारा मेरा इस सरकार पर आरोप है कि (व्यवधान) जो इकाइयां पहले से चल रही हैं, उनको फायदा देने के लिए आप उनको नेगेटिव लिस्ट में लाये हैं....

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2-5-1995 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.13 बजे, मंगलवार दिनांक 2–5–1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

————

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 595 की सूची

पंचायत समिति भीण्डर (उदयपुर) की कुल 52 ग्राम पंचायतों के नाम

क्र. सं.	ग्राम पंचायतों के नाम	क्र. सं.	ग्राम पंचायतों के नाम
1.	आकोला	27.	महाराज की खेडी
2.	मोतीदा	28.	दरोली
3.	सारंगपुरा (भी)	29.	गुपडी
4.	सालेदा	30.	मांल की टूस
5.	धारता	31.	टूस डागियान
6.	बेदारिया	32.	नान्दोल
7.	बांसडा	33.	मजानड़ा
8.	बाना	34.	मौदी
9.	वरोडिया	35.	बगड़
10.	पीथलपुरा	36.	बाटरडा खुर्द
11.	सारंगपुरा	37.	अहीन्दा
12.	लूणदा	38.	बाठरडा कलां
13.	अमरपुरा	39.	खरसान
14.	चारणदियां	40.	भेटवर
15.	कूतवास	41.	ढावा
16.	धावडिया	42.	खेरोदा
17.	हीन्ता	43.	मेनार
18.	बडगांव	44.	रून्देडा
19.	वरनां	45.	नवानियां
20.	अमरपुरा	46.	वल्लभनगर
21.	भाणाखेडा	47.	कुरनपुरा
22.	कुन्दई	48.	गोटिया
23.	सिहांड	49.	वालाथल
24.	सवना	50.	तरावट
25.	फाणूदा	51.	कीफावास
26.	वाणिया तलाई	52.	वालाथल

परिशिष्ट–"अ"

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 612 की सूची

उदयपुर जिले में गिर्वा तहसील की पंचायत नाई एवं बूझड़ा में स्थापित उद्योगों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	नाम ग्राम	उद्योग का प्रकार	नाम अधिकारी जिसके द्वारा रूपान्तरण किया गया	राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक
1.	मै. वर्धमान सिरेमिक्स	नया खेड़ा	सिरेमिक्स उद्योग	उप. अधि. गिर्वा	1–10–93
2.	मै. एशिया पैक	नाई	प्लास्टिक	,, ,,	17–6–94
3.	मै. सिसारमा प्लास्टिक	नाई	प्लास्टिक	,, ,,	—
4.	मैं. पीकोक इण्डस्ट्रीज	नाई	प्लास्टिक	जिला कलक्टर	8–12–94
5.	मै. टैकनिक डाईप्रेसिव इण्डियां	बुझड़ा	ऐब्रेसिव एण्ड डाई	,, ,,	
6.	मै. मेवाड़ पोलिटैक्स लि.	नाई	सिन्थेटिक्स यार्न	,, ,,	29–12–94
7.	मै. महिका एग्रो फड्स प्रा. लि.	नाई	फूड प्रोडक्ट्स	तहसीलदार	
8.	मै. निटशू एक्सपोर्ट प्रा. लि.	नाई	फूड प्रोडक्ट्स	,, ,,	20–8–94
9.	मै. धरतीधन स्टोन क्रेशर	बुझड़ा	स्टोन गिट्टी	जिला कलक्टर	
10.	मै. के. बी. इण्डस्ट्रीज	नाई	चेरी	तहसीलदार	

(203)

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

अकाल राहत के अधूरे कार्य

613. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में से अधूरे रहे कार्यों, जिनमें सड़कें भी सम्मिलित हैं, को पूरा कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

जी हां। प्रारम्भ में ही अधूरे कार्यों को विभागीय बजट से पूर्ण कराये जाने हेतु सभी जिला कलक्टरों एवं सम्बन्धित अभिकरणों को निर्देश दे दिये गये थे कि कार्यकारी अभिकरण विभागों के पास राशि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराया जावें। अकाल राहत कार्य बन्द होने के पश्चात् सहायता विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जलमहल परियोजना, जयपुर

614. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर की जलमहल परियोजना कितने क्षेत्रफल पर कब-कब बनी व इसका शुभारम्भ कब हुआ ? विवरण मय मानचित्र के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है तथा अब तक मदवार कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना कितने समय में पूर्ण किये जाने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) जयपुर की जमहल परियोजना का कुल क्षेत्रफल 520 एकड़ है। सर्वप्रथम इसकी योजना तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा सन् 1975 में बनायी गयी थी जिसको सन् 1984 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 12वीं कार्यकारिणी समिति में स्वीकृत किया गया।

इस योजना का कार्य नगरपरिषद् जयपुर द्वारा वर्ष 1994 में प्रारम्भ किया गया। (विवरण मय मानचित्र के सदन की मेज पर रख दिया गया है)

(2) उक्त योजना पर अनुमानित 820.26 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है तथा अब तक 35.98 लाख रुपये नगर निगम द्वारा व 24.06 लाख रुपये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यानि कुल 60.04 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। (मदवार विवरण संलग्न है)

(3) उक्त परियोजना 3 वर्ष अर्थात् सन् 1998 तक पूर्ण किये जाने की योजना है।

(मानचित्र व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अलवर में पैट्रोल पम्प हेतु आवंटित भू-खण्ड

615. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कृषि उपज मण्डी के सामने पैट्रोल पम्प हेतु भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब, किस दर व शर्तों के आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यास द्वारा उक्त भूमि रियायती दर पर आवंटित की गई है ? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां, कृषि उपज मण्डी के सामने पैट्रोल पम्प के लिए कर्नल श्री नारायण सिंह रिटायर्ड फौजी (विकलांग) को दिनांक 11-8-94 के द्वारा व्यवसायिक आरक्षित दर रुपये 898/- प्रति वर्ग मीटर पर 99 वर्षीय लीज होल्डबेसिस पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प. 3219 (नविआ/3/88 जयपुर, दिनांक 4-7-89 में दी गई शर्तों के अनुसार आवंटन किया गया है।

(2) जी नहीं। प्रार्थी को पैट्रोल पम्प हेतु भूमि का आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 4-7-89 में निर्धारित दर व्यवसायिक आरक्षित दर पर किया गया।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, 21 अप्रेल, 1995)

पंचायत चुनावों पर व्यय

479. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? दो चरणों में कराये गये इन चुनावों में अलग-अलग चरणों का क्या खर्चा रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चुनाव के दो चरणों में करवाने से खर्च बढ़ा है तथा क्या यह राजस्थान की जनता के हित में है ?

उत्तर

(1) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को 19.92 करोड़ रुपये तथा निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को 2.40 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 22.32 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। वास्तविक व्यय का जिला निर्वाचन अधिकारियों से आना अपेक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दोनों चरणों में लगभग बराबर-बराबर खर्चा हुआ है।

(2) जी हां। कानून व्यवस्था की दृष्टि से चुनाव अलग-अलग चरणों में करवाये गये थे।

राशमी-उदयपुर मार्ग पर निगम बस सेवा

616. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

(1) क्या यह सही है कि राशमी से उदयपुर मार्ग पर निगम की बसें चलती हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कितने परमिट जारी किए गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में राशमी से उदयपुर मार्ग पर एक ही बस संचालित है ? यदि हां, तो सरकार बाकी परमिट पर बसें कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम को 3 स्थाई परमिट जारी किए हुए हैं।

(2) वर्तमान में राशमी से उदयपुर मार्ग पर एक ही सीधी बस सेवा है। किन्तु उदयपुर से राशमी होकर पहुंना तक एक सेवा तथा उदयपुर से राशमी होकर जयपुर तक के लिये दो सेवा, इस प्रकार उदयपुर-राशमी के बीच कुल 3 अन्य सेवाएं भी संचालित हैं।

उपयोजना क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय

617. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर) एवं श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :** क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप योजना क्षेत्र में 150 से अधिक आबादी वाले मजरे और ढाणियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के अब क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी उप योजना क्षेत्र के 150 की जनसंख्या तक आबादी वाले क्षेत्रों में वर्ष 1994-95 में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई ? यदि हां, तो उपयोजना क्षेत्र में अब निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कितने ऐसे गांव शेष हैं जहां प्राथमिक पाठशालाएं अब तक नहीं खोली गई हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपयोजना क्षेत्र मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र में वर्तमान में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 150 व इससे अधिक की आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का मानदण्ड रखा गया है।

(2) जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 150 व इससे अधिक आबादी वाले ऐसे 257 राजस्व ग्राम हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है। पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

जिला	पंचायत समिति	अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र की 150 व इससे अधिक आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्रामों की संख्या
1	2	3
बांसवाड़ा	तलवाड़ा	8
	घाटोल	7
	गढ़ी	7
	पीपलखूंट	12
	आनंदपुरी	3
	कुशलगढ़	21
	सज्जनगढ़	16
चित्तौड़गढ	प्रतापगढ़	22
	अरनोद	16
डूंगरपुर	डूंगरपुर	10
	बीछीवाड़ा	4
	आसपुर	6
	सागवाड़ा	3
	सीमलवाड़ा	13
उदयपुर	झाडौल	19
	कोटड़ा	31
	खैरवाड़ा	10
	धरियावद	14
	सराड़ा	4
	सलूम्बर	16
	गिर्वा	8
सिरोही	आबूरोड	–
	योग :—	257

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के स्वीकृत हैण्डपम्प

618. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1993–94, 1994–95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में स्वीकृत हैण्डपम्पों में से अब तक कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? कितने हैण्डपम्प ऐसे हैं जिन्हें लगाने के बाद भी चालू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ग्रामवार सूची मय हैंडपम्पों की गहराई व लागत के सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पीने के पानी हेतु विभाग की कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं ? उन योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बामनवास में क्रमश: 63 एवं 70 हैंडपम्प स्वीकृत हुए जिसकी सूची परिशिष्ठ "क" एवं "ख" पर संलग्न है ।

(2) एक में वर्णित स्वीकृत हैंडपम्पों में से वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान सभी 63 हैंडपम्पों का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 1994–95 के दौरान स्वीकृत हुए हैंडपम्पों में 31 का कार्य पूर्ण हो चुका है । 14 का ड्रिलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है जिनका इन्स्टालेशन कार्य 32 एम. एम. व्यास के जी. आई. पाइप की उपलब्धि होने के उपरान्त पूर्ण कर दिया जायेगा । वांछित हैंडपम्पों की गहराई व लागत के परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है । बाकी का कार्य होना अभी शेष है ।

(3) वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र की कोई योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये आवश्यकतानुसार ही योजनाएं बनाई जानी सम्भव होंगी । इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची

वर्ष 1993-94

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	शेष हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बाढ़ बरियारा	बौंली	1	1	—
2.	बाढ़ बरियारा चक नं. 2	"	1	1	—
3.	कोडियाई	"	1	1	—
4.	बौंली	"	8	8	—
5.	पटटपा	"	1	1	—
6.	करेल	"	1	1	—
7.	हनुत्या	"	1	1	—
8.	मलारना चोड	"	5	5	—
9.	टोण्ड	"	1	1	—
10.	पीपलदा	"	3	3	—
11.	जस्टाना	"	2	2	—
12.	गंगवाड़ा	"	1	1	—
13.	कोलाडा	"	1	1	—
14.	गोठरा	"	1	1	—
15.	कुटका	"	1	1	—
16.	नानतोडी	"	1	1	—
17.	नीमोद	"	1	1	—
18.	गोतोड	2-"	2	2	—
19.	कीरतपुरा	"	1	1	—
20.	गोलपुर	"	1	1	—
21.	घाटा नेनवाडी	6-"	1	1	—
22.	चादन होली	बामनवास	1	1	—
23.	सुमेल	"	1	1	—
24.	देहरी	"	1	1	—
25.	सुरगढ़	"	1	1	—

1	2	3	4	5	6
26.	सुखनन्दपुरा	बामनवास	1	1	—
27.	आरपुरा	"	1	1	—
28.	बाढ पनियाला	"	1	1	—
29.	बाढ फलसाडा	"	1	1	—
30.	सीतारामपुरा	"	1	1	—
31.	बामनवास	"	3+1	3+1	—
32.	ककराला	"	1	1	—
33.	दुजारी	"	1	1	—
34.	मांवरा	"	1	1	—
35.	बुजई	"	1	1	—
36.	सुकार	"	1	1	—
37.	डाबर	"	1	1	—
38.	काजी कुण्डली	"	1	1	—
39.	मोरपा	"	1	1	—
40.	बाडालास	"	1	1	—
41.	बरनाला	"	1	1	—
42.	भावड	"	1	1	—
43.	जीवद	"	1	1	—
44.	बनटोवा	"	1	1	—
45.	भ्रमावरा	"	1	1	—
		कुल	63	63	

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची
वर्ष 1994–95

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या	हैण्डपम्पों की संख्या जिनका इन्स्टालेशन कार्य प्रगति पर है।
1	2	3	4	5	6
1.	कोडियाई	बौंली	2	2	—
2.	पीलूखेडा	"	1	1	—
3.	उदगांव	"	1+1	1+1	1
4.	मित्रपुरा	"	1	1	—
5.	मोरदा	"	1	1	—
6.	भेडोली	"	1	1	—
7.	घाटा नेनवाडी	"	1	1	—
8.	शीशोलाव	"	1	1	—
9.	गोठरा	"	1	1	—
10	बोरखेडा	"	1+1	1+1	—
11.	बौंली	"	2	2	—
12.	धनेसरा	"	1	1	—
13.	गेवर खुर्द	"	1	1	—
14.	मलारना चोड	"	1+2	1+2	2
15.	गालद खुर्द	"	1+1	1+1	2
16.	गालद कलां	"	3		3
17.	करेल	"	2	2	2
18.	पीपलदा	"	2	2	2
19.	गंगडोद	"	1	1	1
20.	बपुई	"	1	1	1
21.	दतूली	"	2	2	—
22.	मामडोली	"	1	1	—

1	2	3	4	5	6
23.	बाढ बरियारा	बौंली	1	–	—
24.	पीलूखेड़ा कलां	”	2	2	—
25.	पीपलवाड़ा	”	1	–	—
26.	कोडियाई	”	1	–	—
27.	वासडा नदी	”	1	–	—
28.	मेदर खुर्द	”	1	–	—
29.	गालद कलां	”	1	–	—
30.	गुडला नदी	”	1	–	—
31.	हथडोली	”	1	–	—
32.	बरनाला	बामनवास	1+1	1+1	—
33.	जीवद	”	1	1	—
34.	माडल गांव	”	1	1	—
35.	रामसिंहपुरा	”	2	2	—
36.	बिन्जारी	”	1	1	—
37.	घडी का बैरवा	”	1	1	—
38.	एवाडी की ढाणी	”	1	1	—
39.	रिवाली	”	4	–	—
40.	सिकरोली	”	1+2	–	—
41.	बामनवास पट्टीकलां	”	3	–	—
42.	गण्डाल	”	1	–	—
43.	बड़ी झोपड़ी	”	1	–	—
44.	म्रोकोदिया	”	1	–	—
45.	डावर	”	1	–	—
46.	बिछोछ	”	1	–	—
47.	चान्दन होली	”	1	–	—
48.	बामनवास पट्टी खुर्द	”	1	–	—
		कुल	70	45	14

परिशिष्ट "ग"

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	लोकेशन	कुल गहराई	ड्रिलिंग कार्य की लागत
1.	बौंली	गालद खुर्द	82	धर्मपाल मीना के पास	66 मीटर	27108.50
2.	"	"	82	ढाणी गंगापुरिना	54 मीटर	24834.50
3.	"	गालद कलां	52	बैरवा बस्ती	48 मीटर	21803.75
4.	"	"	52	प्रेम का झोपड़ा	48 मीटर	22864.25
5.	"	"	52	ढाणी घारनवाली	45 मीटर	22573.50
6.	"	मलारना चोड	80	ढाणी पिपलाईवाली	60 मीटर	28521.75
7.	"	"	80	ढाणी गाडियान	48 मीटर	24875 40
8.	"	करेल	67	कोली बस्ती	45 मीटर	17397.25
9.	"	"	67	कोली ढाणी	57 मीटर	23433.50
10.	"	पिपलदा	23	खत्रियों की ढाणी	52 मीटर	19443.25
11.	"	"	23	धोबी मोहल्ला	42 मीटर	17030.75
12.	"	उदगांव	14	बैरवा बस्ती	54 मीटर	22410.50
13.	"	गुडोद	37	रेगर बस्ती	60 मीटर	28825.50
14.	"	बुपई	39	बैरवा बस्ती	66 मीटर	20595.00
					योग :—	3,21,817.40

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में संचालित निगम बसें

619. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजमार्गों पर बस चलाने की सरकार की क्या नीति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में कुल कितने राजमार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं एवं कितने मार्गों पर डीलक्स बसें चल रही हैं ? इन बसों से वर्ष 1990 से 1995 तक कुल कितनी आय हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 1995 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के घाटे को पूरा करने के लिए कोई नये कार्यक्रम अपना रही है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1990 से 1995 तक निगम द्वारा कितने ग्राम एवं शहरों को बस सेवा से जोड़ा गया ? वर्ष 1994-95 में कौन-कौन सी बसें चालू की गई व कौन-कौन सी बन्द की गई ? बन्द करने के कारण क्या रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजमार्गों पर रूट के अनुसार बसों को अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं। राष्ट्रीयकृत रूटों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम व निजी वाहन स्वामियों, दोनों को बस चलाने के लिये स्टेज कैरिज अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का प्रावधान है।

(2) राजस्थान में 6 नेशनल हाइवेज एवं 30 स्टेट हाइवेज पर परिवहन निगम की बसें कार्यरत हैं। निगम द्वारा डीलक्स वाहनों का संचालन 6 नेशनल हाइवेज एवं 10 स्टेट हाइवेज पर किया जा रहा है। सभी प्रकार की बसों के संचालन से वर्ष 1990-91 से 1994-95 की अवधि में कुल 1323.63 करोड़ रुपयों की आय हुई है। आय का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–1)

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में 1612.53 लाख रुपये संचित लाभ में है।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में निगम द्वारा संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट-2 पर है। वर्ष 1994-95 में हिण्डौन से मोरड़ा एवं हिन्डौन से मूण्डिया ग्रामों के लिये 2 वाहन सेवायें संचालित की गई थी लेकिन इन सेवाओं को 50 प्रतिशत से अधिक यात्रीभार उपलब्ध न होने के कारण बन्द करना पड़ा।

परिशिष्ट–1

परिवहन निगम को वर्ष 1990 से 1995 की अवधि में बस संचालन से हुई आय का वर्षवार विवरण

वर्ष	आय (लाखों में)
1990–91	13850.06
1991–92	21492.03
1992–93	26430.03
1993–94	32738.72
1994–95	37851.77
	132362.65

परिशिष्ट–2

विधान सभा क्षेत्र टोडा भीम में निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग	परिचक्रों की संख्या
1.	घाटगेट (जयपुर) कमालपुरा वाया दौसा–सिकन्दरा–बालाजी–टोडाभीम	2
2.	घाटगेट (जयपुर) पदमपुरा वाया दौसा–सिकन्दरा–बालाजी–टोडाभीम	2
3.	हिन्डौन-जयपुर वाया लपावली नांगल–बालघाट–टोडाभीम–बालाजी–सिकन्दरा–दौसा	2
4.	हिन्डौन जयपुर वाया टोडाभीम–बालाजी–सिकन्दरा–दौसा	4
5.	हिन्डौन-टोडाभीम	16
6.	टोडाभीम–महुवा	12
7.	हिन्डौन-बालाजी वाया टोडाभीम	4
8.	बालाजी–केलादेवी वाया टोडाभीम–हिन्डौन–करौल	1

पंचायत समिति धोद का मुख्यालय

620. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि राज्य में धोद ही एकमात्र ऐसी पंचायत समिति है जिसका निजी भवन नहीं है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे तथा सरकार कब तक पंचायत समिति भवन बनाने का विचार रखती है ?

(2) पंचायत समिति धोद का मुख्यालय सीकर किन कारणों से रखा गया ?

(3) क्या सरकार इसका मुख्यालय धोद स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, धोद का भवन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं बनाया गया है।

(2) ग्राम धोद, पंचायत समिति, धोद के क्षेत्र के एक कोने में पड़ता है। जन-साधारण को धोद जाने-आने व रुकने में होने वाली असुविधा व स्टाफ के आवास की कोई सुविधा न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति, धोद का मुख्यालय सीकर में किया गया था।

(3) जी नहीं।

बीसलपुर परियोजना से जयपुर को जलापूर्ति

621. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर पेयजल योजना का वर्तमान गति से कब तक पूरी होने का लक्ष्य है ?

(2) क्या बीसलपुर से आने वाली पाइप लाइन के दोनों ओर से निकटतम गांवों व कस्बों को भी इस योजना से भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार/विभाग के विचाराधीन है ?

(3) क्या इस बांध से जयपुर को भी पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है ? यदि हां, तो क्या इस योजना से टोंक जिले में सिंचाई करने की परिकल्पना पूरी तरह प्रभावित नहीं होगी ?

उत्तर

(1) आवश्यक कार्यों को पूर्ण कर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सरवाड़ व नसीराबाद को माह फरवरी 95 के अन्तिम सप्ताह से पेयजल उपलब्ध करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना के शेष कार्य जो कि मुख्यतः वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है, वित्तीय वर्ष 1996–97 तक संसाधनों को दृष्टिगत कर पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। नसीराबाद से किशनगढ़ तक बिछायी गई पाइप लाइन की टैस्टिंग का कार्य प्रगति पर है जिसे माह मई 1995 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(2) जल उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत बीसलपुर परियोजना में बीसलपुर से आने वाली पाइप लाइन के दोनों ओर के निकटतम गांवों व कस्बों में से केवल अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़ व नसीराबाद कस्बों को ही पेयजल उपलब्ध

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

करवाया जाने का प्रावधान था। अजमेर जिले के 94 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों के लिए भी बीसलपुर डेम से एक योजना स्वीकृत की गयी अन्य किसी गांव या कस्बों को इस योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) बीसलपुर बांध में पेयजल व सिंचाई के लिये जो जल उपलब्ध होगा वो निर्धारित है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

शेरगढ़ (जोधपुर) में पटवारी एवं ग्रामसेवकों के रिक्त पद

622. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शेरगढ़ तहसील में कई पद पटवारी व ग्रामसेवक के रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार ने इन पदों को भरने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक पद रिक्त क्यों हैं ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में दो पद पटवारी के एवं पांच पद ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के रिक्त हैं।

(2) ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के रिक्त पदों की नई भर्ती द्वारा भरने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। स्थगन आदेश निरस्त होने पर रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

तहसील लूणकरणसर एवं बीकानेर की जल प्रदाय योजनाएं

623. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील की कौनसी जलप्रदाय योजनाओं के प्रावर्धन एवं जल स्रोत बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति प्रदान की है या प्रस्ताव विचाराधीन है ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) कस्बा कालू व हंसेरा-खियेरा-सुमलाई जल प्रदाय योजना का कार्य सरकार कब तक सम्पन्न कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 94-95 में लूणकरणसर तहसील की 10 एवं बीकानेर तहसील की 29 जल प्रदाय योजनाओं के प्रावर्धन एवं जल स्रोत बढ़ोतरी हेतु स्वीकृति प्रदत्त की गई है (सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है। बीकानेर तहसील के दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं (सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है।)

(2) कस्बा कालू व हंसेरा-खियेरा-सुमलाई जल प्रदाय योजनाओं का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने हेतु प्रयास जारी है।

परिशिष्ट "ब"

जलवर्धन एवं जल स्रोत बढ़ोतरी हेतु निम्नलिखित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है :—

तहसील — लूणकरणसर

क्र. सं	जलयोजना का नाम	गांवों की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	जलयोजना भीममलकीसर	5	6.93
2.	पी. एण्ड टी. जलयोजना नाकोदेसर	1	7.59
3.	पी. एण्ड टी. जलयोजना अमरपुरा	1	7.53
4.	क्षेत्रीय जलयोजना कस्तूरिया ह्यपासर	2	6.69
5.	क्षेत्रीय जलयोजना गारबदेसर–छटासर	2	7.99
6.	क्षेत्रीय जलयोजना डेलाना छोटा, डेलानाबड़ा	2	7.98
7.	क्षेत्रीय जलयोजना उदेशिया (उदेशिया)	4	6.02
8.	पम्प एण्ड टैंक जलयोजना कपूरीसर	1	7.98
9.	पम्प एण्ड टैंक जलयोजना राजासर उर्फ करनीसर	1	7.81
10.	पम्प एण्ड टैंक जलयोजना रावांसर बास करनीसर	1	7.74
		20	74.26

तहसील — बीकानेर

1.	पाइप योजना रामसर	1	5.60
2.	पनघट योजना डान्डूसर	1	7.94
3.	पाइप योजना केसरदेसर जाटान	1	7.93
4.	क्षेत्रीय योजना किलचू	4	7.84
5.	टी. एस. एस. योजना तेजरासर	1	1.87
6.	क्षेत्रीय योजना कल्याणसर	4	7.96
7.	पाइप योजना बेलासर	1	5.20
8.	पाइप योजना मालमदेसर	1	7.79
9.	पनघट योजना स्वरूपदेसर	1	7.89
10.	पनघट योजना रायसर	1	7.79
11.	टी एस. एस. योजना पेमासर	1	7.94
12.	क्षेत्रीय योजना केसरदेसर बोहरान	2	5.84
13.	पनघट योजना पम्पालसर	1	5.40

1	2	3		4
14.	पनघट योजना हिम्तासर	1		6.13
15.	पनघट योजना लाडेर	1		7.46
16.	डिग्गी योजना जगदेवाला	1		3.10
17.	क्षेत्रीय योजना हुसंगसर	2		7.88
18.	पाइप योजना कोलासर	1		7.90
19.	पनघट योजना मेघासर	1		7.53
20.	पनघट योजना कानासर	1		7.99
21.	पनघट योजना रूणीया बड़ा बास	1		7.79
22.	पनघट योजना खारड़ा	1		7.97
23.	पाइप योजना शरेरा	1		7.83
24.	पनघट योजना सत्तासर	1		19.49
25.	पनघट योजना आडूरी	1		11.62
26	पाइप योजना सींथल	2		18.81
27.	क्षेत्रीय योजना ग्रासेरा	2		9.12
28.	क्षेत्रीय योजना मोतीगढ़ केला	2	तहसील (बीकानेर)	109.69
29.	पाइप योजना गाढ़वाला	2	तहसील	7.92
		1	(लूणकरणसर)	
		42		335.22

परिशिष्ट "ब"

तहसील बीकानेर की ग्रामवर्धन एवं जल स्रोत बढ़ोतरी हेतु निम्नलिखित जल योजनाएं विचाराधीन हैं : –

क्र. सं.	जलयोजना का नाम	ग्रामों की संख्या	अनुमानित लागत (रू. लाखों में)
1.	पनघट योजना लूणखां	1	20.32
2.	पनघट योजना कंकरवाला	1	18.32
		2	38.64

पूर्व सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

624. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पूर्व सरपंचों को बकाया एवं अन्य अनियमितताओं के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया है ? यदि हां, तो सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के समक्ष कितने पूर्व सरपंचों के खिलाफ बकाया के मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची जिलेवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सरकार के समक्ष 981 पूर्व सरपंचों के खिलाफ बकाया के मामले विचाराधीन हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अलवर जिले के डार्क जोन क्षेत्र

625. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या भू–जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर की कौन-कौन-सी पंचायत समितियां डार्क जोन में घोषित की हुई हैं एवं कब से ?

(2) क्या सरकार जिले में वर्षा की औसत को देखते हुए अलवर की अन्य पंचायत समितियों को ग्रे-जोन में घोषित करने का विचार रखती है ?

(3) इन डार्क जोन पंचायत समितियों को ग्रे-जोन में घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) भू-जल आकलन समिति के मापदंड के अनुसार पंचायत समितियों के पोटेंशियल जोन का वर्गीकरण पंचायत समितिवार नहीं करके जोन वाईज किया जाता है। अलवर जिले की पंचायत समितियों के डार्क जोन में वर्गीकृत क्षेत्रो की सूची परिशिष्ट "अ" पर दर्शायी गई है।

(2) अलवर जिले की सभी पंचायत समितियों का भू जल पुनर्मूल्यांकन वर्ष 1994 के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। इसके आधार पर ही पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।

(3) पुनर्मूल्यांकन के आधार पर यदि जल संशाधनों के विकास की स्थिति में परिवर्तन पाया गया तभी पुनर्निर्धारण सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "अ"

अलवर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में वर्गीकृत वर्षवार डार्क जोन की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	जोन	डार्क जोन से वर्गीकृत क्षेत्र (वर्ग कि. मी.)			
			1988	1990	1992	1993
1.	बहरोड,	ए-बी/एओ	352.62	352.62	352.62	352.62
2.	बांसुर	ए/एओ	604.12	"ग्रे"	604.12	604.12
3.	कठूम्बर	ए-बी/एओ	362.35	362.35	362.35	362.35
4.	किशनगढ़ बास	बी/क्यू	89.19	89.19	61.46	61.46
		ए/एओ	324.03	324.03	351.76	"ग्रे"
5.	कोटकासिम	बी/एबी/एओ	12.61	306.59	306.59	307.59
6.	लक्ष्मणगढ़	ए-बी/एओ	415.00	415.00	415.00	415.00
7.	मण्डावर	ए/एओ	545.77	545.77	545.77	545.77
8.	निमराना	ए-बी/एओ	327.43	327.43	327.43	32743
9.	राजगढ़	ए/एओ	78.80	78 80	78.80	78.80
		बी-सी/क्यू	377.15	377.15	377.15	377.15
10.	रामगढ़	बी/एओ	19.04	568.45	568.45	"ग्रे"
11.	रेनी	एओ/	249.22	"ग्रे"	248.22	248.22
		बी/एसएल	82.81	82.81	82.81	82.81
12.	थानागाजी	ए/एओ	168.37	168.37	168.37	168 37
13	तिजारा	बी/एओ	45.00	611.52	611.52	611.52
14.	उमरेन	बी-सी/क्यू	112.64	112.64	106.77	106.77
		एओ	"ग्रे"	व्हाईट	690.40	व्हाईट

ह /-
मुख्य अभियन्ता
भू-जल विभाग, जोधपुर

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) में अध्यापकों के स्वीकृत पद

626. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) छात्रों व अध्यापकों के अनुपात को देखते हुए कितने अध्यापकों के पद इस समिति में स्वीकृत होना उचित है तथा यह कमी कब तक पूरी कर दी जाए ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले की पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में 350 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में 349 तृतीय श्रेणी अध्यापक कार्यरत है।

(2) पंचायत समिति, उदयपुरवाटी में 13801 छात्र अध्ययनरत है। अनुपात के आधार पर 345 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की आवश्यकता है जबकि 350 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। अतः अध्यापकों की कमी नहीं है।

श्रीनाथपुरम (कोटा) सड़क निर्माण प्रकरण की जांच

627. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीनाथपुरम स्कीम, कोटा में सड़क के निर्माण कार्य के लिए महेश एण्ड कम्पनी को जो ठेका फरवरी, 1993 में दिया गया था उसमें कई अनियमितताओं की शिकायतें जिला कलक्टर को की गयी और स्वयं जिला कलक्टर ने 14 जनवरी, 1995 को मौके पर जाकर जांच की है तथा सभी सम्बन्धित फाइलों को जब्त कर लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के इस कार्य में नगर निगम को काफी हानि हुई है तथा सड़क निर्माण का कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण का कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार नहीं होने तथा अन्य अनियमितताओं के लिए अधिशाषी अभियन्ता उत्तरदायी है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच अधीक्षण अभियन्ता से करवायी है और सभी शिकायतें सही पायी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, यह योजना नगर विकास न्यास के अधीन है। सड़क निर्माण के कार्य नगर निगम की जगह नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कराये गये है। जांच पश्चात् इन सड़क निर्माण कार्यों में नगर विकास न्यास पर कई मामलों में अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है तथा कार्य प्रदत्त शक्तियों से बाहर जाकर कराया गया है। अतिरिक्त भार अतिरिक्त कार्य के कारण पड़ा है अतः हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) अभी दि. 21-4-95 को जांच रिपोर्ट आई जो विचाराधीन है।

(4) जी हां। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की गई जांच एवं मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जो विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

इन्दिरा गांधी नहर की सिंचाई क्षमता का उपयोग

628. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है और वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में कितने-कितने क्षेत्र में नहर के पानी से सिंचाई हुई है ?

(2) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत पानी का उपयोग हुआ है और कितना प्रतिशत पानी बेकार गया है ?

(3) जो पानी बेकार गया उससे कितने क्षेत्र में सिंचाई सम्भव थी ?

(4) पानी बेकार जाने के मुख्य कारण क्या हैं और इन कारणों को दूर करने के लिए उपरोक्त तीन वर्षों में क्या कदम उठाये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है तथा इससे कितना प्रतिशत पानी बरबाद होने से रोका जा सका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर की कुल आकलित सिंचाई क्षमता 15.43 लाख हैक्टेयर है। सृजित व वास्तविक सिंचाई के आंकड़ों का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में पानी की उपलब्धतानुसार शत-प्रतिशत पानी का उपयोग किया गया एवं कोई पानी बेकार नहीं गया है।

(3) उपरोक्त बिन्दु 2 में वर्णित अनुसार कोई पानी बेकार नहीं गया है।

(4) बिन्दु 2 में वर्णितानुसार कोई पानी बेकार नहीं गया। चूंकि कोई पानी बेकार नहीं गया, अतः उस पर कोई राशि व्यय होना अथवा कितना प्रतिशत पानी बर्बाद होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

परिशिष्ट "ब"

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर अर्जित क्षमता व वास्तविक सिंचाई की सूचना

(लाख हैक्टेयर में)

प्रणाली	वर्ष 1992-93 अर्जित क्षमता	1992-93 सिंचित क्षेत्र खरीफ	1992-93 सिंचित क्षेत्र रबी	1992-93 सिंचित क्षेत्र कुल	1993-94 अर्जित क्षमता	1993-94 सिंचित क्षेत्र खरीफ	1993-94 सिंचित क्षेत्र रबी	1993-94 सिंचित क्षेत्र कुल	1994-95 अर्जित क्षमता	1994-95 सिंचित क्षेत्र खरीफ	1994-95 सिंचित क्षेत्र रबी	1994-95 सिंचित क्षेत्र कुल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण I 0 से 74 कि मी. इ. गां. न. परि. प्रथम चरण	4.81	2.25	2.74	4.99	4.81	2.23	2.15	4.38	4.81	2.33	1.97	4.30	2/95 तक
2. प्रथम चरण 74 से 189 कि.मी.	1.22	0.31	0.43	0.79	1.22	0.34	0.42	0.76	1.22	0.38	0.36	0.74	1/95 तक
3. कंवरसेन लिफ्ट योजना	0.51	0.15	0.22	0.37	0.51	0.16	0.21	0.37	0.51	0.15	0.21	0.36	1/95 तक
4. इ. गा. न. परियोजना स्टेज-II	2.22	0.26	0.45	0.71	2.57	0.34	0.50	0.84	3.08	0.42	0.47	0.89	1/95 तक
कुल योग :—	8.76	2.97	3.89	6.86	9.11	3.07	3.28	6.35	9.62	3.28	3.01	6.29	

सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद

629. श्री मोतीलाल (रुपवास) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं जो क्रमोन्नति से भरे जाने हैं ?

(2) रोस्टर प्रणाली के तहत कितने कनिष्ठ अभियन्ता पदोन्नत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन्हें कब तक पदोन्नत करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि एक सहायक अभियन्ता को दो एवं दो से अधिक स्थानों का कार्यभार सौंपा हुआ है ? यदि हां, तो कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या सरकार वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियन्ताओं को लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शून्य । क्रमोन्नति से पद भरने का प्रावधान नहीं है ।

(2) 5 कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति रोस्टर प्रणाली से की गई हैं । शेष आरक्षित पदों के लिए पात्रता सूची में आरक्षित पदों को भरने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता उपलब्ध नहीं थे । पात्रता सूची में उपलब्ध होने पर ही नियमानुसार पदोन्नत किया जा सकेगा ।

(3) जी हां । कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायक अभियन्ता के सीधी भर्ती कोटा के पदों के विरुद्ध पूर्णतया अल्पकालिक व्यवस्था (प्योरली स्टॉप गेप अरेंजमेन्ट) के तहत 101 कनिष्ठ अभियन्ता (डिग्रीधारी) की नियुक्ति की गई है ।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की सिंचाई योजनाएं

630. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसील में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधूरी निर्मित हैं ? यदि हां, तो उनके नाम, सिंचाई क्षमता तथा अब तक व्यय राशि एवं शेष कार्य पूरा करने के लिए कितनी राशि अपेक्षित है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लम्बे समय तक इन अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण नहीं कराने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन परियोजनाओं को सिंचाई जवाहर योजना तथा आश्वासित रोजगार योजना के तहत पूरी कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा अधूरी योजनाओं को धन के अभाव के नाम पर लम्बे समय से पूर्ण कराने में प्राथमिकता नहीं देने से उनकी लागत निरन्तर बढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष में ऐसी योजनाओं को सरकार प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) 13 अपूर्ण योजनाओं में से 8 योजनाएं बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण पूर्ण नहीं कराई जा सकी। अन्य पांच योजनाएं वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं कराई जा सकी हैं। इन योजनाओं की लागत अधिक होने के कारण इन्हें जवाहर रोजगार योजना तथा आश्वासित रोजगार योजना के मद से पूर्ण कराना सम्भव नहीं है। लघु सिंचाई योजना मद में इन पांच योजनाओं के लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने पर इन योजनाओं की क्रियान्विती प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्न के भाग–2 के अनुसार।

परिशिष्ट–"अ"

क्र.सं.	अधूरी योजना का नाम	तहसील	अब तक व्यय की गई राशि (लाख रुपये)	शेष कार्य पूर्ण करने हेतु वांछित राशि (लाख रु.)	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर) सी सी.ए.	मद जिसमें स्वीकृत हुआ	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शक्करगढ़	जहाजपुर	47.80	221.46	829	एन आर.ई.पी.	
2.	बेई गेसूला	,,	18.89	18.77	112	,,	
3.	झालरा बावड़ी	,,	28.93	16.26	206	,,	बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित
4.	सरसिया चारण	,,	20.41	14.81	146	,,	– एतद –
5.	नेगडिया गुढ़ा	,,	23.79	16.93	113	,,	– एतद –
6.	गणेशपुरा	,,	9.39	79.41	212	,,	– एतद –
7.	गंधेर	,,	6.94	38.55	91	अकाल राहत	– एतद –
8.	पचानपुरा	,,	15.92	14.50	78	एन.आर.ई.पी.	– एतद –
9.	भोमलिया	,,	13.02	47.33	136	आर.एल.ई.जी.पी.	– एतद –
10.	दबेलिया	,,	4.68	55.32	207	अकाल राहत	
11.	नवरतन सागर	,,	1.83	122.54	400	अकाल राहत	
12.	रतन सागर	कोटड़ी	5.65	44.35	101	अकाल राहत	– एतद –
13.	सरला सागर	,,	34.65	15.00	127	एन.आर.ई.पी.	– एतद –
		योग :—	231.60	705.23	2758		

गंग कैनाल, लिंक चैनल निर्माण पर व्यय

631. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार फिरोजपुर (पंजाब) हैड से शिवपुर हैड (राजस्थान) तक गंग कैनाल को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त नहर को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने उक्त नहर को पक्का करने में होने वाले व्यय के संबंध में कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो उक्त नहर पर कितना व्यय होगा ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार उक्त सर्वे कब तक कराने का विचार रखती है ?

(4) गंग कैनाल लिंक चैनल के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हेतु स्वीकृत थी ? क्या इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के उपरान्त बनाई गई लिंक चैनल का पूर्ण उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस कार्य के लिये पंजाब सरकार से 98 करोड़ रु. लागत का तखमीना राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है। जिसे केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृत करवाया जाना है। तखमीना स्वीकृत होने के पश्चात् एवं वित्तीय संसाधन के उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) गंग नहर लिंक चैनल के निर्माण पर वर्ष 1993 के मूल्यों के अनुसार अनुमानित लागत रु. 24.40 करोड़ रु. है, पानी की उपलब्धतानुसार लिंक चैनल का उपयोग हो रहा है। पंजाब राज्य में स्थित गंगनहर की मरम्मत का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह कार्य प्रारम्भ होने पर लिंक चैनल का पूर्ण उपयोग हो सकेगा।

परिशिष्ट –4

तारांकित प्रश्न संख्या 607 की सूची

परिशिष्ट "अ"

विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्तमान में निर्मित सिंचाई हेतु बांध एवं नहरों का विवरण

क्र. सं.	बांध का नाम	नहर का विवरण
1	बुचारा बांध	(अ) मुख्य नहर
		(ब) कोट नहर
		(स) पण्डितपुरा नहर
		(द) पावटा नहर
		(ड) फतहपुरा नहर
2.	बेरी बांध	(अ) लो–लेवल नहर
		(ब) हाई–लेवल नहर
3.	पांचूडोला बांध	(अ) मुख्य नहर
4	दांतिल का नाका	(अ) मुख्य नहर
5.	बनेड़ी बांध (निर्माणाधीन)	(अ) मुख्य नहर
		(ब) मुख्य नहर माइनर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं।

एनिकटों की सूचना

शून्य

परिशिष्ट – 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 872 की सूचना

Copy of letter No. 11950-11984 dated 4-3-95 received from CE (R) PHED, Raj. Jaipur, addressed among others to this office & its end to others.

Sub :—Formulation of Rural Water supply schemes for A & F sanction.

It has been observed that the Rural Water Supply Schemes submitted to this office lacks many aspects with the results the scheme is returned to the field officers for removing the observations. Lot of time is wasted in this exercise with the result that the schemes are not sanctioned in time and the work on the targetted villages is also not taken up in time.

Following observations must be kept in view while submitting the schemes to this office/Board.

A. Engineering Report :

Justification and feasibility of the scheme as per departmental norms should be cearly reflected in the engineering report.

B. Population :

The scheme should be framed on the basis of 1991 Census Population. The design population may be taken as 1.4 times the 1991 census population.

C. Source :

(i) Recent Chemical analysis report of the source of all the villages included in the scheme should be attached. The report should contain name of official, his designation and data of collection of the sample:

(ii) Detailed report of the Hydrogeologist specifying complete details of the proposed source such as dependability for the designed requirement of water, type of source, strata, depth and expected quality etc. as per circular dt. 12-12-94 (copy enclosed).

(iii) In case of conversion of Hand pump scheme to Regional/piped/P&T schemes the details of all the existing handpumps such as :

(a) Depth of water table.

(b) Depth of lowering of assembly.

(c) Depth of bore and

(d) Chemical parameters, should be furnished.

The departmental policy of providing HPs for villages of less than 2000 population P&T schemes for 2000 to 5000 population & piped schemes with elevated reservoir for more than 5000 population should be observed. These norms are based on 1991 population.

D. Rising/Distribution Mains :

(i) L-Section of rising main with survey data duly signed by BE should be attached.

(ii) Economical design of rising main with cost comparision of different pipes sizes should be enclosed. Preferably the design should be done with the help of computer in case the length of rising main is more than 6 Km.

(iii) The distribution system and civil works should be avoided under augmentation scheme of TSS.

E. Estimates :

(i) The rates of pipes and pumps should be taken as per latest rate contracts.

(ii) The estimates should be prepared on the basis of the latest BSR of the region and it should be mentioned in the estimates.

(iii) The estimate of annual maintenance cost along with proposed cadre strength should be attached.

(iv) For power connection lump-sum provision should not be taken. It should be as per the estimates obtained in writing from RSEB authorities, mentioning length of power line whether cost of transformer included or not. Preferably, independent 11 KV line should be proposed so as to ensure 16 hrs. Pumping with consequent economy in the various components of the scheme.

F. Drawings/Maps :

(i) Copy of G.T. sheet in 1:50000 (Scale to Scale) clearly showing existing & proposed items with proper index should be attached.

(ii) Village Plan showing SC/ST Basties, Dhanies, Schools and other details of the scheme should be attached.

G. Time of Completion :

Time of completion of the project should be mentioned. Scheme should be completed within two years.

General :

(i) Proforma of check list giving particulars of the scheme should be attached (Proforma enclosed).

(ii) The certificate of visiting of site by SE/EE regarding feasibility necessity & urgency and inspection note thereof should be attached.

Recently ACTs have been authorised to submit the schemes (costing more than Rs. 50 lacs for non desert and Rs. 8 lacs for desert districts) to the Board for A & F sanction. Therefore they should ensure that schemes submitted by them are complete in all respects and all the observations pointed above are incorporated in the schemes.

A copy of scheme alongwith the copy of agenda note should also be submitted to the undersigned.

No. ACF/AJ/PH/Comp (N) 94-95/22341-400 Dated 23-3-95

Copy to the following for information & necessary action :—

1. The Executive Engineer, PHED, City (P&D)/Rev. Dn./Distt. (R) Ajmer/Beawar/Bisalpur Dn. I, Kekri/II/III, Ajmer/Dn. Nagaur/ Deedwana/Mertacity/Makrana.
2. The Assistant Engineer, PHED, Sub. Dn...
(All under the Jurisdiction of SE, Ajmer/Nagaur/Bisalpur)
3. TA/TA II/AEN/Comp. Ajmer region office, Ajmer.

Sd/-
TA II to Addl. Chief Engineer,
PHED, Region, Ajmer.

परिशिष्ट – 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 874 का संलग्न विवरण

प्रपत्र–ब

योजना का नाम :— पम्प एवं टंक जल योजना बोकलई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	प्रशासनिक स्वीकृति संख्या एवं दिनांक 3	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं दिनांक 4	तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत कार्यों का विवरण 5	वास्तविक प्रावधान 6	खर्च 7	विवरण 8
1.	घोबलई	क्यू/14016/86 दिनांक 19-8-86 4.05 लाख रुपये	20 दिनांक 30-4-88 3.88 लाख रुपये	1. एक नलकूप व एक डी.सी.डी.	1.37	1.92	
				2. पम्पिंग मशीनरी	0.40	8.20	
				3. मुख्य पाइप लाइन	0.511	1.26	
				4. भूतल जलाशय	0.370	—	
				5. सिविल कार्य	0.893	1.24	
				6. विद्युत सम्बन्ध	0.180	0.45	
				7. टूल्स एवं प्लांट	0.060	—	
				योग	3.709		
				41/2% कन्टीन्जेंसी	0.170		
					3.879		
				कुल योग	3.88	5.07 लाख	
2.	घोबलई	93–94		2. हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य		0.87 लाख	
				कुल योग		5.94 लाख	

233

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 880 का विवरण

नगरपालिका, अकलेरा के ग्रामों का विवरण :—

क्रम संख्या	नाम ग्राम
1.	तेलनो
2.	दतोला
3.	खारपा
4.	गणेशगंज
5.	मांगटा
6.	किशनपुरया
7.	लुहारिया
8.	केवंचो खुर्द

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 882 का विवरण

कार्यालय नगरपालिका, जहाजपुर जिला–भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : दिनांक :

वर्ष 1990–91 से 94–95 के बीच में की गई नियुक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	योग्यता	पैटर्न का विवरण
1.	हेमराज पुत्र लादुलाल	सफाई कर्मचारी	9 वीं पास	रिक्त पद
2.	शंकरलाल पुत्र भीमचन्द	,,	3 पास	,,
3.	राकेश पुत्र श्रीराम	,,	3 पास	,,
4.	राधेश्याम पुत्र सुरजमल	,,	5 कक्षा	,,
5.	बीनादेवी पत्नी भंवरलाल	,,	साक्षर	,,
6.	लीलादेवी पत्नी ईश्वरलाल	,,	साक्षर	,,
7.	लीलादेवी पत्नी सुखदेव	,,	,,	मृतक कर्मचारी के स्थान पर
8.	शांतिदेवी पत्नी लादुलाल	च. श्रे कर्मचारी	,,	,,
9.	आशादेवी पत्नी लादुलाल	,,	8 वीं कक्षा	,,

पदोन्नति की सूची

1.	राधेश्याम शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	दसवीं उत्तीर्ण	रिक्त पद पर
2.	भंवरलाल मीणा	नाकेदार	8 वी पास	,,
3.	कृष्ण मुरारी पाराशर	नाकेदार	11 वीं पास एल. एस. जी. डी.	,,
4.	भंवरलाल पराशर	जमादार	प्राईमरी	,,

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 891 का विवरण

वर्ष 1994-95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न नगर निगमों/ परिषदों/पालिकाओं को प्रदान की गई अनुदान राशि का विवरण

(रु. लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 1994-95 में दी गई राशि
1.	सामान्य अनुदान	970.08
2.	सफाई उपकरण क्रय करने हेतु	40.00
3.	अग्निशमन वाहन व उपकरण क्रय करने हेतु	50.00
4.	पालिका कर्मचारियों को बकाया वेतन भत्तों के चुकारे हेतु	395.19
5.	पर्यावरण सुधार कार्यक्रम	
	(1) गन्दी बस्ती सुधार	300.00
	(2) रैन बसेरा निर्माण	30.00
	(3) यू बी. एस. पी. कार्यक्रम	112.41
6.	सस्ते जल प्रवाही शौचालय के परिवर्तन/निर्माण हेतु अनुदान	400.00
7.	सड़क नाली निर्माण	30.00
8.	नई सड़कों के निर्माण हेतु	300.00
9.	उदयपुर नगर परिषद को पिछोला झील के विकास हेतु (सीवर लाइन आदि)	40.00
10.	नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये	668.84
	योग	3336.52

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 894 का विवरण

चक वार क्षेत्र का विवरण

नहर का नाम	चक नम्बर	चक का पूर्ण क्षेत्र (जी.सी.ए. हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र के मुरब्बों की संख्या	सिचाई योग्य क्षेत्र (सी.सी.ए. क्षेत्र (सी.सी.ए. हैक्टेयर में)	वास्तविक सिंचित क्षेत्र हैक्टेयर में 92-93	93-94	94-95	क्षेत्र की तीव्रता 1994-95	विशेष विवरण आवंटित काश्तकारों की संख्या	मोके पर काश्त करने वाले काश्तकारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुम्हारवाला माइनर	1. के. डब्ल्यू. एम.	685.36	108	204	85	83	97	47.55%	50	39
	2. ,,	711.00	112	267	101	88	111	41.57%	62	55
	3. ,, "ए"	469.84	74	221.55	83	73	122	55.07%	45	45
	4. ,, "बी"	256.21	41	184.73	74	53	104	56.30%	43	43
	5. ,,	402.37	64	231.39	80	52	104	44.95%	50	50
	6. ,,	407.99	64	201.26	22	22	30	14.91%	32	15
	7. ,,	468.77	74	310.66	12	18	36	11.59%	40	18
	8. ,,	634.55	100	314.49	9	18	37	11.77%	45	13
	9. ,,	371.82	59	221.28	1	—	15	4.52%	41	4
योग :	9 नम्बर	4407.91	696	2156.36	467	407	651	30.19%	408	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मकेरी सब माइनर	1. एम. एस. एम.	392.86	62	132.33	60	65	84	63.48%	33	30
	2. ,,	663.86	105	155.00	41	45	63	40.65%	28	25
	3. ,,	560.47	89	284.90	64	68	67	23.52%	30	17
	4. ,,	393.00	62	237.00	126	111	136	57.38%	55	49
	5. ,,	1448.00	229	325.00	129	134	205	63.08%	60	60
	6. ,,	227.90	36	136.80	54	36	74	54.09%	27	26
	7. ,,	259.00	41	129.09	51	16	46	35.63%	31	26
	8. ,,	370.68	59	240.79	94	36	88	36.55%	50	49
	9. ,, / 10. ,,	इन चकों में निर्मित पक्के खाले टूटे हुए हैं तथा रेत भरा है । यह कार्य सिंचित क्षेत्र विकास से सम्बन्धित है ।								
योग :	10 नम्बर	4315.77	683	1640.91	619	511	763	46.50%	314	282

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 899 की सूची

संभाग	जिला	पं. समिति	ग्राम का नाम जहां माध्यमिक विद्यालय है किन्तु प्राथमिक विद्यालय अलग से नहीं है ।
1	2	3	4
कोटा			
	झालावाड	मनोहरथाना	1. सरेडी
		पिडावा	2. मांगरा
		खानपुरा	3. सूक्षर
	बारां	अन्ता	4. रातडिया
		"	5. मांगरोल
		अटरू	6. अन्ताना
		बारां	7. बड़ा
		"	8. बामला
		"	9. सन्दलक
		किशनगंज	10. पशनियां
	बून्दी	तालेडा	11. बरूधन
		"	12. नमाना
		"	13. माटून्दा
		केशोरायपाटन	14. लबान
		"	15. लेसरदा
		"	16. गेन्डोली
		"	17. देईखेडा
		हिन्डोली	18. बडोदिया
		"	19. ठोकरदा
		"	20. बड़ानयागांव
		"	21. पंचकी बावडी
		"	22. सुथर

1	2	3	4
	स. माधोपुर	स. माधोपुर	23. मेंडोला
		गंगापुर	24. मोहथाकपुरा
		बामनवास	25. मोरणा
		टोडाभीम	26. निसरा
		हिण्डौन	27. फैसलाबाद
	कोटा	सांगोद	28. हरिपुरा
		खैराबाद	29. ग्राम उण्हवा
		,,	30. अलोद
		,,	31. जुल्मी
		,,	32. गोयन्दा
		,,	33. मोडकागांव
		इटावा	34. अयाना
		,,	35. बिनायका
		सुल्तानपुर	36. कोटडादीपसिंह
		लाडपुरा	37. सोगरिया
		,,	38. अर्जुनपुरा

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 902 का संलग्न विवरण

जिला	कुल स्वीकृत विद्यालय	निरस्त	शेष रहे स्वीकृत विद्यालय	प्रारम्भ किए गए विद्यालय
1	2	3	4	5
1. अजमेर	53 (53)	—	53	44
2. अलवर	125	—	125	112
3. बारां	62	01	61	53
4. बांसवाडा	67	—	67	51
5. बाड़मेर	173	—	173	169
6. भरतपुर	52	01	51	47
7. भीलवाड़ा	76	04	72	60
8. बीकानेर	39	—	39	32
9. बूंदी	49	—	49	49
10. चित्तोड़गढ़	110	03	107	103
11. चूरू	55	—	55	51
12. दौसा	69	02	67	65
13. धौलपुर	38	—	38	27
14. डूंगरपुर	43	—	43	43
15. श्री गंगानगर	89	—	89	67
16. हनुमानगढ़	65	—	65	63
17. जयपुर	170	—	170	168
18. जैसलमेर	13	—	13	13
19. जालोर	38	—	38	32
20. झालावाड़	91	03	88	88
21. झुन्झूनू	58	—	58	43

1	2	3	4	5
22. जोधपुर	63	—	63	60
23. कोटा	39	01	38	33
24. नागौर	82	01	81	69
25. पाली	85	01	94	67
26. राजसमन्द	44	04	40	38
27. स. माधोपुर	92	04	88	79
28. सीकर	65	—	65	52
29. सिरोही	18	—	18	13
30. टोंक	63	01	62	33
31. उदयपुर	94	—	84	77
योग	2180	26	2154	1901

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 903 का विवरण

परिशिष्ट–1

उदयपुर जिले के निम्न मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया है :—

1. उदयपुर–सलूम्बर–आसपुर–बांसवाड़ा
2. उदयपुर–खेरवाड़ा–रतनपुर–डूंगरपुर
3. उदयपुर–नाथद्वारा–कांकरोली–ब्यावर–जयपुर
4. उदयपुर–नाथद्वारा–कांकरोली–गंगापुर–भीलवाड़ा
5. उदयपुर–मावली–फतेहनगर–कपासन–चित्तौड़गढ़
6. उदयपुर–मटेवर–मंगलवाड़–चित्तौड़गढ़
7. उदयपुर–भीण्डर–कानोड़–बड़ी सादड़ी–छोटी सादड़ी
8. उदयपुर–झाड़ोल–सोम–कोटड़ा ।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 905 का विवरण

परिशिष्ट–1

तहसील नसीराबाद के ग्राम बेवजजा व ढाल व तिलाना मार्ग पर जारी किये गये परमिटों का विवरण

क्र. सं.	परमिटधारी का नाम	वाहन संख्या
1.	श्री किशन सिंह	आर जे 19/6357
2.	श्री शीतल दास	आर एन बी 1781
3.	श्रीमती कमला	आर जे 23/242

परिशिष्ट–2

अजमेर से आकोडिया वाया माखुपुरा, हटन्डी, राजोसी, नसीराबाद, बेवजजा, तिलाना, सणोद, रामसर, सापणटा, गोठियाना मार्ग पर परमिट शर्तों के अनुसार श्री किशनसिंह के अनुज्ञापत्र से एक रिटर्न सर्विस, श्री शीतलदास के अनुज्ञापत्र से एक सिंगल सर्विस एवं श्रीमती कमला के अनुज्ञापत्र से एक सिंगल सेवा प्रतिदिन अजमेर से आकोडिया के लिए स्वीकृत हैं। इस प्रकार तीन वाहनों को 4 सिंगल सेवा अथवा दो रिटर्न सर्विस स्वीकृत हैं परन्तु ये सेवायें रोटेशन से नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी की अपनी समय सारिणी निश्चित है। श्री किशनसिंह की वाहन संख्या आर जे 19/6357 का अनुज्ञापत्र रिपेयर के कारण जिला परिवहन कार्यालय में 4-1-95 को जमा है, इससे इसको जारी समय सारिणी (एक रिटर्न सर्विस) पर वाहन संचालन बन्द है। शेष दो बसें अपनी एकल समय सारिणी पर संचालित हैं।

(243)

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 911 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

जयपुर जिले में अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या					
		पं. समिति विभाग	पी.एच.ई.डी. विभाग	एस.पी. ग्रामीण	सिंचाई विभाग	सा.नि. विभाग	योग
1.	झोटवाड़ा	7	—	—	—	2	9
2.	बस्सी	17	21	—	—	32	70
3.	चाकसू	18	—	—	2	17	37
4.	आमेर	33	—	—	1	12	46
5.	ज. रामगढ	39	—	1	—	18	58
6.	गोविन्दगढ	6	—	—	1	7	14
7.	सांभर	24	—	—	1	28	53
8.	दूदू	32	—	—	16	16	64
9.	फागी	38	—	—	12	27	77
10.	कोटपूतली	25	—	—	5	16	46
11.	विराटनगर	16	—	—	3	6	25
	योग	255	21	1	41	181	499

ह०/–
जिला कलेक्टर,
जयपुर

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 912 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

सम्वत् 2050 वर्ष 1994 अकाल राहत कार्य तहसील फागी में सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि श्रम	सामग्री	योग	कार्य पूर्ण/अपूर्ण	विशेष विवरण
1.	कालोलाव	57338/–	41096/–	98433/–	पूर्ण	
2.	प्रताप सागर भोजपुरा	77601/–	41182/–	118783/–	पूर्ण	
3.	हिगोनिया जांच	85398/–	38033/–	123431/–	पूर्ण	
4	बुढिया सागर	57354/–	25447/–	82801/–	पूर्ण	
5.	काला तालाब	66126/–	73825/–	139951/–	पूर्ण	
6	बाला सागर सुल्तानिया	90486/–	35336/–	125822/–	अपूर्ण	
7.	राम सागर माधोराजपुरा	77263/–	30069/–	107332/–	पूर्ण	
8.	हिगोनिया नहर	77213/–	--	77213/–	पूर्ण	
9.	घटियाली	102969/–	148043/–	251012/–	पूर्ण	
10.	परखोलाव	103264/–	117517/–	220701/–	पूर्ण	
11.	केरिया बांध	56859/–	—	56859/–	पूर्ण	
12.	रानी सागर लसाडिया	162197/–	140722/–	302919/–	पूर्ण	
	योग	1014068/–	691270/–	1705338/–		

ह०/–
जिला कलेक्टर,
जयपुर

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 914 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

सिकराय विधान सभा क्षेत्र में सं. 2050 के अकाल राहत कार्य सत्र 1994 में करवाये गये कार्यों का विवरण—

	क्र. सं.	कराये गये कार्यों के नाम	पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5
सा. नि. वि.	1.	एन. एच. 11 से बावनपाडा 3 कि. मी.	--	अपूर्ण
दौसा	2.	एस. एच. 25 से ब्राह्मण नेगडा 2 कि. मी.	—	अपूर्ण
	3.	एन. एच. 11 से चांदेरा वाया सुररेपाडली 5 कि. मी.	--	अपूर्ण
	4.	एन. एच. 25 से नामनेर 1 कि. मी.	पूर्ण	—
	5.	सिकराय से कुण्डेरा डूंगर 3 कि मी.	पूर्ण	--
	6.	राणौली से मोहचिगपुरा 3 कि. मी.	--	अपूर्ण
	7.	गढ से गुमानपुरा 2 कि. मी.	--	अपूर्ण
	8.	राजवास से शेखपुरा 5 कि. मी.	—	अपूर्ण
	9.	सिकन्दरा छोकरवाडा से ढोलिका 1 कि. मी.	--	अपूर्ण
	10.	एन. एच. 11 से रलावता वाया सूरतपुरा 6 कि. मी.	--	अपूर्ण
	11.	एन. एच. 11 से भाण्डारेज से जोपाडा वाया बाने का बरखेड़ा 5 कि. मी.	--	अपूर्ण
	12.	नांगल चांपा से श्यालावास 3 कि. मी.	—	अपूर्ण
	13.	भाण्डारेज से नांगल चांपा 5 कि. मी.	--	अपूर्ण
शिक्षाविभाग दौसा	14.	रा. सी. मा. विद्यालय पाडली में दो कक्षा कक्ष निर्माण	--	अपूर्ण
पंचायत	15.	पेयजल कूप निर्माण खिचावास	पूर्ण	—
समिति	16.	तलाई खुदाई सराय	पूर्ण	--
दौसा	17.	सामुदायिक भवन निर्माण कोलियान मो. सराय	--	अपूर्ण
	18.	सामुदायिक भवन निर्माण रंगरान मो. बेरावास (छोटी)	--	अपूर्ण
	19.	चारदीवारी एवं अपूर्ण मा. भवन निर्माण प्रा. शा. खरण्डी	—	अपूर्ण
	20.	अपूर्ण चारदीवारी एवं अपूर्ण शाला भवन प्रा. कन्या शाला मूडविस्या	--	अपूर्ण
	21.	अपूर्ण प्रा. शा. एवं चारदीवारी बैरादास	—	अपूर्ण

1	2	3	4	5
पं.सं.सिकराय	22.	सामुदायिक भवन बैरवा मो. दूब्धी	पूर्ण	—
	23.	,, प्र. जा. मो. सिकन्दरा	पूर्ण	—
	24.	,, बैरवा मो. गीजगढ़	पूर्ण	—
	25.	,, अ. जा. मो. सिकराय	—	अपूर्ण
	26.	,, बैरवा मो. डूंगर सिकराय	—	अपूर्ण
	27.	,, ,, अचलपुरा	—	अपूर्ण
	28.	प्रा. शा. के दो कमरों का निर्माण ग्राम जगसायपुरा	—	अपूर्ण
	29.	एक छपरा निर्माण प्रा. शा. सीकरी	—	अपूर्ण
	30.	जल कूप निर्माण अधूरा कार्य ग्राम मण्डारी	पूर्ण	—
	31.	घूमना दो कमरा निर्माण उ. प्रा. शा. घूमना	—	अपूर्ण
	32.	मरम्मत कार्य मा. शा. मानपुर	—	अपूर्ण
	33.	एक कमरा निर्माण उ. प्रा. शा. कालवान	—	अपूर्ण
	34.	,, प्रा. शा. पाडली	—	अपूर्ण
	35.	प्रा. शा. दो कमरा निर्माण भावगढ़	—	अपूर्ण
	36.	दो कमरा निर्माण उ. प्रा. शा. डेण्डान	—	अपूर्ण
	37.	अपूर्ण हाल मा. वि. गुमानपुरा	—	अपूर्ण
	38.	चारदीवारी मय एक कमरा निर्माण प्रा. वि. मोरोली	—	अपूर्ण
	39.	गीजगढ़ कन्या शाला चारदीवारी एवं कमरा निर्माण गीजगढ़	—	अपूर्ण
	40.	चारदीवारी प्रा. शा. हनुमान गेट गीजगढ़	पूर्ण	—
	41.	,, मण्डारी	—	अपूर्ण
	42.	,, गूजर सीमला	पूर्ण	—
	43.	,, गूजरवाडा	पूर्ण	—
	44.	,, गेरोटा	पूर्ण	—
	45.	अपूर्ण चारदीवार कार्य प्रा. शा. निहालपुरा	पूर्ण	—
	46.	एक कमरा निर्माण प्रा. शा. बैराडा खुर्द	—	अपूर्ण
	47.	चारदीवारी निर्माण प्रा. शा. उदयपुर	—	अपूर्ण
	48.	सार्व. पेयजल कूप गहरा भालपुर	—	अपूर्ण
	49	सार्व कूप गहरा कराना शाला के पास कुम्हार मो. उदयपुरा	पूर्ण	—
	50.	सार्व. कूप गहरा कराना बैरवा मो. उदयपुरा	पूर्ण	—
योग	50		15	35

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 918 की सूची
शिकायतकर्ताओं की सूची

क्र. सं.	नाम शिकायतकर्ता
1.	नेशनल स्टूडेन्ट यूनियम
2.	दूरभाष शिकायत
3.	राधेश्याम यादव, अलवर
4.	श्री सुमतचन्द जैन
5.	श्री महेश चन्द गुप्ता
6.	श्री जी. आर. प्रसाद, अलवर
7.	श्री भुवनेश गर्ग
8.	श्री रमेशचन्द गोयल
9.	श्री सुरेन्द्र राम, अलवर
10.	श्री शिवशंकर विजय
11.	श्रीमती महेन्द्र कुमारी सांसद
12.	श्रीमती मीना अग्रवाल, विधायक अलवर
13.	श्री विश्वेन्द्र शर्मा, अलवर
14.	दूरभाष शिकायत